षष्ठम् माला, खंड 13, अंक 32, गुरुवार, 6 अप्रैल, 1978/16 चैत्र, 1900 (शक)
Sixth Series, Vol. XIII, No. 32, Thursday, April 6, 1978/Chaitra 16, 1900 (Saka

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

6th
LOK SABHA DEBATES

(4th Session)

[खंड 13 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XIII contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 32, गुरुवार, 6 अप्रैल, 1978/16 चैत्र, 1900 (शक)

No. 32, Thursday, April 6, 1978/16 Chaitra, 1900 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	Member Sworn :	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 617 से 623	*Starred Questions Nos. 617 to 623	1—15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :	
तारांकित प्रश्न संख्या 624 से 636	Starred Questions Nos. 624 to 636	15—28
अतारांकित प्रश्न संख्या 5803 से 5970	Unstarred Questions Nos. 5803 to 5970	28—122
अतारांकित प्रश्न संख्या 484 दिनांक 23-2-78 के उत्तर की शुद्धि करने वाला विवरण	Statement Correcting Answer to U.S.Q. No. 484 dated 23.2.1978.	122—123
थूम्बा स्थित विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में हड़ताल के बारे में	*Re.* Strike in Vikram Sarahai Space Centre at Thumba	123
सम्भल तथा हैदराबाद में संसदीय शिष्टमंडल भेजने के बारे	*Re.* Parliamentary Delegations to Sambhal and Hyderabad	123—124
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	124—127
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	127—129
दूरदर्शन केन्द्र श्रीनगर के स्टूडियों में आग लगाने का कथित समाचार	Reported loss by fire in the TV Studio, Srinagar	
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	Shri Rajendra Kumar Sharma	127
श्री जगबीर सिंह	Shri Jagbir Singh	128
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	129
12वां तथा 15वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	Twelfth and Fifteenth Reports and Minutes	
नियम 377 के अधीन मामले	Matters Under Rule 377	129—130
(1) देवरिया और गोरखपुर जिले में दो चीनी मिलों द्वारा श्रमिकों को वेतन न दिया जाना	(i) Non-payment of wages to the workers by two Sugar Mills in Deoria and Gorakhpur districts	129

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

बिषय	SUBJECT	पृष्ठ/ Pages
श्री रामधारी शास्त्री	Shri Ram Dhari Shastri	129
(2) पटना जंकशन पर रेलवे प्रायोजित छात्रावास के फिर से खोले जाने की आवश्यकता	(ii) Need for re-opening of Railway Sponsored Student's hostel at Patna Junction.	130
श्री राम विलास पासवान	Shri Ram Vilas Paswan	130
(3) जमना लाल बजाज खादी ग्रामोद्योग अनुसंधानशाला, के श्रमिकों द्वारा कथित भूख हड़ताल का समाचार	(iii) Reported hunger strike by workers of Jamuna Lal Bajaj Khadi Gramodyog Anusandhanshala,	130
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	130
(4) जम्मू और कश्मीर का लोक सुरक्षा अधिनियम, 1978	(iv) Public Safety Act, 1978 of Jammu and Kashmir .	130
श्री बलदेव सिंह जसरोतिया	Shri Baldev Singh Jasrotia.	130
अनुदानों की मांगे, 1978-79	Demands for Grants, 1978-79	131—159
वाणिज्य नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय	Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation	
प्रो० आर० के० अमीन	Prof. R. K. Amin	131
श्री जार्ज मैथ्यू	Shri George Mathew	132
श्री अनन्त दवे	Shri Anant Dave	134
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	134
श्री मोती भाई आर० चौधरी	Shri Motibhai R. Chaudhary	136
श्री एच० एल० पटवारी	Shri H. L. Patwary	137
श्री अरविन्द बाला पिजनौर	Shri A. Bala Pajanor	138
श्री राघवजी	Shri Raghavji	140
श्री हरगोविन्द वर्मा	Shri Hargovind Verma	142
श्री के० सूर्य नारायण	Shri K. Suryanarayana	143
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे	Dr. Laxminarayan Pandeya	146
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	147
श्री शक्ति कुमार सरकार	Shri Sakti Kumar Sarkar	148
श्री धर्म सिंह भाई पटेल	Shri Dharmasinhbhai Patel	149
श्री डी० बी० चन्द्र गौडा	Shri D. B. Chandra Gowda	150
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	151
श्री पी० अँकिनीडु प्रसाद राव	Shri P. Ankinedu Prasad Rao	153
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia	154
हरिजनों पर अत्याचारों सम्बन्धी प्रस्ताव	Motion *Re*. Atrocities on Harijans	160—167
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterje	160
श्री आर० एल० कुरील	Shri R. L. Kureel	161
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu	162
श्री सत्य देव सिंह	Shri Satya Deo Singh	163
श्री टी० बाल कृष्णैया	Shri T. Balakrishniah	164
श्री बी० पी० मण्डल	Shri B. P. Mandal	165
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	165
श्री राम लाल राही	Shri Ram Lal Rahi	166

लोक सभा

LOK SAHBA

गुरुवार, 6 अप्रल, 1978/16 चैत्र 1900 (शक)

Thursday, April 6, 1978/ Chaitra 16, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
(MR. SPEAKER *in the chair*]

सदस्य द्वारा शपथग्रहण
MEMBER SWORN

श्री मोहिन्दर सिंह (करनाल)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*6170. **श्री प्रसन्न भाई मेहता**
डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या विदेश मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंचल सरकार समिति के अंतरिक प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) कौनसी सिफारिशें सरकार को मान्य नहीं हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस समिति का अन्तिम प्रतिवेदन कब तक तैयार हो जायेगा और वह सभा पटल पर कब रखा जायेगा ?

विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (क) से (ग) चंचल सरकार समिति की अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बाद इसे अतिन्म रूप देने के लिए और विचार-विमर्ष हुआ है । आशा है, यह रिपोर्ट शीघ्र ही पूरी हो जाएगी और ज्यों ही यह प्राप्त होगी सरकार इस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और आगे की कार्रवाई के लिए विचार करगी।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या महोदय यह सच है कि विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के कार्यचालन के बारे में सरकार को कुछ आम शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायतें मिली हैं और सरकार द्वारा कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्य-वाही की गई है ?

श्री अटल विहारी वाजपेयी । सदस्य महोदय शायद हमारे दूतावासों से संलग्न सूचना विभागों के बारे में आयी शिकायतों की जानकारी लेना चाहते हैं। अनेक शिकायतें मिली हैं जिनकी जांच पड़ताल के लिए चंचल सरकार समिति को कहा गया है और हमारे विदेशी प्रचार को सुचारू ढंग से चलाने के लिए मार्गोपाय सुझाने के लिए कहा गया है।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या इस समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन का अध्ययन कर लिया गया है ? विदेशों में भारतीय सरकार की नीति व कार्यक्रमों के उपयुक्त प्रचार के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अन्तरिम प्रतिवेदन का गहराई से अध्ययन किया जा रहा है। मुझे समिति के सदस्यों के साथ उसकी सिफारिशों पर बातचीत करने का मौका मिला था । समिति के अध्यक्ष श्री चंचल सरकार हैं और उसमें दो अन्य सदस्य हैं, एक जन संचार संस्थान के निदेशक श्री एम० बी० देसाई और विदेश मन्त्रालय के संयुक्त सचिव जिनकी देखरेख में विदेश प्रचार का काम है और जो सदस्य सचिव है । कुछ सिफारिशें बहुत महत्व की हैं । समिति के दो सदस्यों ने विदेशों में कुछ राजधानियों का जैसे कि लन्दन, पेरिस, वाशिंगटन, न्यूयार्क का दौरा किया था और सरकार पर उसका कोई खर्च नहीं पड़ा क्योंकि वहां पर उन्हें कुछ अन्य काम भी करना था और इसी सिलसिले में उन्होंने यह कर्तव्य भी निभाया । हम अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जब तक अन्तिम प्रतिवेदन नहीं आ जाता तब तक ये सिफारिशें या उनपर सरकार का निर्णय बताना मेरे लिए उपयुक्त नहीं होगा।

श्री पी० जी० मावलंकर : प्रसन्नता की बात है कि सरकार इस महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील मामले पर विचार कर रही है । अन्तिम प्रतिवेदन आने में अधिक समय लग जाने की सम्भावना है या थोड़ा समय ? चूंकि इस समिति की अध्यक्षता श्री चंचल सरकार जैसे विशेषज्ञ कर रहे हैं और दोनों सदस्य इस विषय के विशेषज्ञ हैं इसलिए क्या आप इस बात का कोई संकेत देंगे कि सरकार इस दिशा में क्या सोच रही है ? मैं उनसे सिफारिशें मालूम करना नहीं चाहता ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : प्रतिवेदन को अन्ति रूप दिया जा रहा है और शीघ्र ही प्रस्तुत कर दी जायेगी । जहां तक दिशा का प्रश्न है । सरकार हमेशा सही दिशा में ही चलेगी ।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : The hon. Minister is aware that the officers in the information centers of our Missions abroad do not have adequate knowledge of Indian culture and traditions and in many respects they are quite ignorant of it. May I, therefore, know from the hon. Minister whether Government would look into this matter while going through the report of Chanchal Sarkar Committee. May I also know what programmes have been formulated by Government for giving a correct image of India in foreign countries ?

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE : Mr. Speaker, the report by the Committee also contains a recommendation that the information officers posted at these centres must possess sound knowledge of Indian culture and traditions. We have come across such cases in which our officers were found lacking adequate knowledge of special features of India and as such they were not able to project a correct image of our country. I feel that the procedure of training of Indian Foreign Service and Indian Information Service personnel also requires certain improvements and changes with a view to remove these deficiencies.

TELEGRAPH FACILITIES AT BLOCK HEADQUARTERS

*618. SHRI SURENDRA JHA SUMAN : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had given an assurance on 23rd June, 1977 to provide telegraph facilities at Block Headquarters of the country;

(b) the number of Block Headquarters where this facility has been provided so far accordingly and the number of those where this facility is yet to be provided; and

(c) the details of the scheme to provide this facility in the remaining Block Headquarters ?

THE MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) Yes, Sir.

(b) Telegraph facility has been provided at 4250 places having Block Headquarters, and this facility is yet to be provided at 388 such places.

(c) It is proposed to provide telegraph facility at the remaining Block Headquarters by 31-3-1979.

SHRI SURENDRA JHA SUMAN : Mr. Speaker, as has appeared in the Hindustan dated 13th July, 1977 the Minister of Communications has stated that 830 telegraph offices would be opened during 1977-78 in the eastern regions. Therefore, in regard to rural development during five years' period I want to know from the hon. Minister about the break-up of telegraph offices which have so far been set up and which are still to be opened in rural and urban areas separately in the eastern regions.

SHRI NARHARI PRASAD SAI : There are 295 block headquarters in the north-east. Out of these only 165 block headquarters have been covered by these offices.

SHRI SURENDRA JHA SUMAN : The hon. Minister did not give details about rural and urban areas.

SHRI NARHARI PRASAD SAI : It requires notice.

SHRI SURENDRA JHA SUMAN : The hon. Minister of Communications had stated on 8th August, 1977 in the House that it was proposed to set up telegraphic offices at 4,000 places. May I know the number of places where such offices have been opened so far ? As regards Telegraph facilities in rural areas the hon. Minister had stated that such provision would be made in each village having 5000 population. May I know from him the number of such villages in the country at present and the number of such villages as have so far been covered by these arrangements ?

SHRI NARHARI PRASAD SAI : It is also laid down in the norms of 2000 population that in case of backward areas only 25 percent of the expenditure will be borne by us and in case of hill areas only 10 percent of the expenditure will be borne by us. As regards the expenditure in respect of backward areas we can meet the expenditure upto Rs. 5000.

SHRI RASHID MASOOD : Mr. Speaker, Sir, this department suffers from mismanagement more than any other department. Batteries have not been provided with telephones and as such they do not work. The hon. Minister should ensure that the telephones as proposed to be set up work round the clock.

SHRI NARHARI PRASAD SAI : We are proposing to instal telephones, but presently we are discussing the question of opening telegraph offices.

SHRI CHHABIRAM ARGAL : I want to know from the hon. Minister as to whether telegraph and P.C.Os facilities would be provided at the earliest in those development blocks in backward States of Madhya Pradesh and Rajasthan which lack these facilities, will these arrangements be made in the development blocks in Morena and in Adivasis areas ?

SHRI NARHARI PRASAD SAI : We will provide these facilities according to the norms laid down for block headquarters. I would like to apprise the hon. Member that there are telegraph offices in 412 block headquarters out of 459 block headquarters in Madhya Pradesh.

मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम

619. **श्री ज्योतिर्मय बसु**
श्री चित्त बसु } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिये अमरीकी सहायता के बारे में 9 मार्च, 1978 के अन्तरांकित प्रश्न संख्या 2100 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका सरकार का मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में कोई समझौता हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी पूरा विवरण क्या है ; और

(ग) उक्त करार की शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) No Sir.

(b) and (c) Do not arise.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय ने लोक लेखा समिति, 1974-75 की भारत में अनुसंधान परियोजनाओं में विदेशों की भागीदारी के सहयोग के बारे में 167 वीं रिपोर्ट पढ़ी है, जिसमें कहा गया था :

"These projects, however, have been closely concerned with the collection of vital virological, epidemiological or ecological data, which are well capable of being used against the security of the country and that of our neighbouring countries. The utility of some of these Projects to India, especially the Genetic Control of Mosquitoes unit Project, seems to be only doubtful of potential, whereas....."

क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि औत्पनिक नियंत्रण या के मामले में या किसी मलेरिया नियंत्रण परियोजना में विदेशियों को सम्बद्ध करने में अति संवेदनशील क्षेत्र में प्रवेश के लिए उन्हें पारपत्र मिलने का खतरा है ?

SHRI RAJ NARAIN : The Hon. Member is right. It was towards the end of 1977, that the Department of Economic Affairs informed us that the U.S. National Development Agency wanted to give assistance for anti-malaria work. We were asked to identify the areas where this assistance could be utilised. Negotiations in the matter are still going on. The countries mentioned by the Hon. Member are also included in this. When things are finalised, the Hon. House will be informed.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या उन्हें मालूम है कि लगभग आठ वर्ष की अवधि के दौरान अमरीकी रक्षा विभाग, माइग्रेटरी एनिमल पैथीलोजिकल सर्वे आफ दी यूनाइटेड स्टेट्स, आर्मड फोरसेज इंस्टीट्यूट आफ पैथोलोजी तथा स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट ने जीवाणु, शाकनाशी तथा रासायनिक युद्ध के बारे में, विशेष रूप से चार केन्द्रों में, व्यापक अनुसंधान किया है ; और यदि हां, तो भविष्य में ऐसी चीजों को किस प्रकार रोकने का उनका विचार है, यदि उन्हें देश में पुन: आने देते हैं और अनुसंधान करने की अनुमति देते हैं ?

SHRI RAJ NARAIN : It does not arise out of the original question. But I would like to say that the Government of India will do whatever they can in the matter of research on destroying these mosquitoes.

श्री चित्त बसु : मंत्री महोदय का उत्तर बहुत संक्षेप्त और स्पष्ट है अर्थात यह कि किसी मलेरिया-विरोधी कार्यक्रम के बारे में अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के साथ कोई करार नहीं किया गया है । क्या इस विशिष्ट प्रयोजन के लिये अमरीका के साथ किसी भी प्रकार का कोई करार न करने की सरकार या उनके मंत्रालय की नीति रही है या है ? क्या उन्हें मालूम है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूर्व सूचना दी है कि चालू दशाब्दी के अन्त तक मलयेरिया के रोगियों की संख्या 1 करोड़ 20 लाख होगी ? यदि हां, तो देश में उपलब्ध निरोधक तथा उपचारात्मक उपायों द्वारा मलेरियया विरोधी अभियान के लिये सरकार के क्या ठोस प्रस्ताव हैं ?

SHRI RAJ NARAIN : The House has been informed ime and again that the Government are taking various measures to prevent breeding of malaria mosquitoes as well as to destroy those that have bred. But I am surprised when our friends who are well acquainted with parliamentary procedures jump to the conclusion that we would allow any lethargy in the matter of safeguarding our national health. Whether it is USA or USSR or any other country, the security of national health is first and under no circumstances shall we allow our national interests to be harmed.

DR. SUSHILA NAYAR : I want to know whether the research on genetic control of mosquitoes in India during past several years has been fruitful. I have come to know that it has now been stopped. Have Government undertaken any other specific programme to control mosquitoes ? Drainage, on which crores of rupees are spent, is an important factor in this matter. Have Government taken any steps in that direction ?

SHRI RAJ NARAIN : I am sorry that Dr. Sushila Nayar has asked this. This question does not arise out of the original question. I have already replied the original question.

SHRI DHARMAVIR VASHIST : Sir, I want to know whether under the agreement arrived at with U.S.A., the former Government had prepared any health scheme which included sterilisation of mosquitoes.

SHRI RAJ NARAIN : I require notice for that.

खेतड़ी तांबे की खानों में हड़ताल

*620. **श्री वसन्त साठे**
श्री नरेन्द्र सिंह } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खेतड़ी तांबे की खानें, वहां 7000 मजदूरों द्वारा हड़ताल किये जाने के कारण बन्द पड़ी हैं और इससे लगभग 12 लाख रुपये प्रतिदिन की हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो विवादों के निपटारे के लिये उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) खानों को चालू करने के लिये क्या क्या कदम उठाये गये/उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) यह सही नहीं है कि हिन्दुस्तान कापर लि० को खेतड़ी में हड़ताल के फलस्वरूप प्रतिदिन 12 लाख रुपये का घाटा हो रहा है ।

(ख) और (ग) हड़ताल के गैर-कानूनी होने के बावजूद कंपनी, राजस्थान राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा मजदूरों को काम पर वापस लौटने के लिए राजी करने के बारे में हर संभव प्रयास किए गए हैं । केन्द्रीय सरकार ने आश्वासन दिया है कि किसी को तंग नहीं किया जाएगा क्योंकि वह समझती है कि हड़ताल गलत है और वह गैर-जिम्मेदाराना रूप से शुरू की गयी है क्योंकि खेतड़ी तांबा खानों में कोई मान्यताप्राप्त यूनियन नहीं है । केन्द्रीय सरकार और हिन्दुस्तान कापर लि० द्वारा प्रयास जारी है ताकि हडताली मजदूर अपने काम पर शीघ्र लौट सकें।

श्री वसन्त साठे: एक कम्पनी के बारे में जहां 7,000 से भी अधिक श्रमिकों ने एक महीने से काम बन्द कर रखा है, सरकार का उत्तर अत्यन्त क्रूर है । भाग (क) के उत्तर में उन्होंने कहा है कि प्रति दिन 12 लाख रुपए का घाटा नहीं है । क्या मैं समझूं कि घाटा कम है या कोई घाटा ही नहीं है या यह और भी अधिक है । घाटा कितना है ? मैं जानना चाहता हूं कि काम वन्द होने के कारण कोई वित्तीय हानि हो रही है या नहीं, यदि हां, तो कितनी ?

श्री बीजू पटनायक : किसी कम्पनी को लाभ या हानि उत्पादन पर ही आधरित नहीं होती है । उन्होंने पूछा था कि क्या उत्पादन की हानि हो रही है और उसका मूल्य कितना है, क्या यह 12 लाख रुपए है । मुझे यह स्पष्ट नहीं था । मैं समझता हूं कि यह कम्पनी का वास्तविक घाटा है। माननीय सदस्य को यह जानकर दिलचस्पी होगी कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय संकट.. .. .. ..

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि हड़ताल के कारण कितनी हानि हुई है ?

श्री बीजू पटनायक: यदि प्रश्न यही है, तो मुझे नहीं मालूम कि कितनी हानि हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यही है । उन्होंने उत्पादन हानि नहीं कहा है । कृपया प्रश्न को पढ़े ।

श्री बीजू पटनायक : यदि यह उत्पादन हानि है, तो मैं कहूंगा कि इसका मूल्य लगभग 12 लाख रुपया है । यदि कम्पनी के वास्तविक उत्पादन पर लाभ और हानि है तो मैं कहूंगा कि यह लगभग 1.28 लाख रुपए प्रतिदिन होगी । पूर्ण उत्पादन आरम्भ हो जाने पर भी चालू वर्ष में 20 करोड़ रुपए की हानि होगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न को अगले दिन के लिये स्थगित करूंगा क्योंकि मेरे विचार में प्रश्न काफी स्पष्ट है । हालांकि शब्द रचना में सुधार किया जा सकता है । हड़ताल के कारण प्रतिदिन कितनी हानि हो रही है ? उत्पादन भी हो सकता है तथा अन्य कारण भी ।

श्री बीजू पटनायक : प्रतदिन 12 लाख रुपये का उत्पादन होता है । कम्पनी को 1·28 लाख रुपए की हानि हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार लगभग 13 लाख रुपए की हानि हुई।

श्री बीजू पटनायक : कोई उत्पादन न होने पर वेतन तथा अन्य मदों पर 1.28 लाख रुपए प्रति दिन व्यय होगा।

श्री वसन्त साठे : मंत्री महोदय के अनुसार 12 लाख रुपए प्रति दिन उत्पादन हानि हो रही है। एक महीने में कितनी हानि होगी, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। खान अब भी बन्द है। प्रश्न के भाग (ख) और (ग) में, मंत्री जी ने स्वयं इस हड़ताल को गर कानूनी घोषित किया है। मंत्री जी किसी विशेष हड़ताल को कानूनी या गैर कानूनी कैसे घोषित कर सकते हैं जब तक कि किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे कानूनी अथवा गैर कानूनी घोषित नहीं किया जाता? मंत्री जी की घोषणा के आधार पर, यह गैर कानूनी नहीं हो सकती। फिर, क्योंकि वहां कोई मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है, वह सभी कर्मकारों के विरुद्ध आरोप लगाते हैं कि सरकार उनकी हड़ताल को गलत समझती है और विभिन्न गुटों के नेताओं द्वारा गैर जिम्मेदाराना रूप से शुरू की गई है, यह एक ऐसा उदाहरण है जिसमें इस हड़ताल को राजनैतिक रंग नहीं दिया जा सकता क्योंकि सभी कर्मचारी, चाहे वे किसी भी गुट के हों, चिन्तित एवं क्षुब्ध हैं।

उनकी एक साधारण माँग है कि उन्हें पहले के उत्पादन के आधार पर कुछ प्रसादतः भुगतान किया जाए, चाहे इसे बोनस कहा जाए या कुछ और, जैसा कि आस-पास के खानों में किया गया है। इसमें संकोच क्या है ? आप कर्मचारियों के साथ बातचीत करके इस मामले को क्यों नहीं निपटा सकते और आप इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना कर खुद इसे गैर-कानूनी हड़ताल क्यों बता रहे हैं?

श्री बीजू पटनायक : मैंने बताया कि यह एक गैर-कानूनी हड़ताल है यद्यपि इसे कानूनी घोषित करने के लिए मैंने श्रम मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के साथ इस पर बातचीत नहीं की है। ज्योंही, यह हड़ताल गैर कानूनी घोषित की जाती है, बहुत से कर्मचारी नौकरी से निकाल दिये जायेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा किया जाये।

श्री वसन्त साठे : फिर आप कैसे कहते हैं कि यह गैर कानूनी है?

श्री बीजू पटनायक : मैंने कहा है यह गैर कानूनी है क्योंकि

श्री वसन्त साठे : चाहे वह गैर-कानूनी है, तो भी आप उन्हें नौकरी से निकाल नहीं सकते।

श्री बीजू पटनायक : कानून के अधीन मुकदमा चलाया जा सकता है। शायद आप नहीं जानते हैं, और लोग जानते हैं। आप बेकार में मामले को उलझा रहे हैं।

तांबे की इस खान में, अर्थात् खेतड़ी म, पिछले वर्ष (अर्थात् 1976-77 में) 8 करोड़ रुपए से अधिक की हानि हुई है। 1977-78 में लगभग 20 करोड़ रुपए की हानि हुई है। बोनस अधिनियम के अधीन, जो देश का कानून है, यह खान 8.33 प्रतिशत बोनस पाने का हकदार नहीं है क्योंकि वहां पर कोई मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है, इसलिए बाद में विचार करके संयुक्त संघर्ष समिति ने या जो भी उसका नाम है, इन सभी प्रश्नों को उठाया था। इस का हड़ताल से कोई सम्बन्ध नहीं है। हड़ताल केवल एक घंटे 40 मिनट रही जिसमें

केवल 130 कर्मकार काम पर नहीं गये । उसके बाद वे काम पर चले गये । बाद में, एक दिन बाद वे फिर हड़ताल पर चले गये ।

तब प्रश्न यह उठा कि क्या उन्हें एक घंटे 40 मिनट की मजदूरी दी जाये और इस मामले में मेरे सम्मान्नित सहयोगी , श्रम मंत्री ने पहल की जिससे वह हल हो गया । उप श्रम आयुक्त की कम्पनी के अध्यक्ष और विभिन्न श्रम संगठनों (यनियन्स) के साथ एक बैठक हुई, हंलाकि ये यूनियन मान्यता प्राप्त नहीं हैं, और 23-3-78 को यह तय किया गया कि 20 फरवरी को एक घंटे 40 मिनट की जो हड़ताल हुई थी उसके लिए उन्हें मजदूरी दी जायेगी , यह कहा गया कि आम कर्मचारियों के लिए अतिकालिक (ओवरटाइम) के बारे में उसी आधार पर पुनरीक्षण किया जायेगा जो इस्पात और कोयला उद्योगों में तत्समान वर्गों के कर्मचारियों के बारे में लागू है ।

प्रशिक्षण प्रशिक्षुओं के वजीफे के प्रश्न पर, यद्यपि यह पूर्णतः सौदेबाजी का प्रश्न नहीं है, यह मान लिया गया कि प्रबन्ध इस सम्बन्ध में स्थिति पर उदारता पूर्वक विचार करने के लिये तैयार होगा । भर्ती व पदोन्नति सम्बन्धी नियमों का संगठनों के साथ परामर्श करके पुनरीक्षण किया जा सकता है ।

वे वहां एक कालिज चाहते हैं । कम्पनी को भारी घाटा होने के बावजूद राज्य सरकार को पहले ही एक प्रस्ताव भेजा हुआ है कि यदि राज्य सरकार वहां एक कालिज खोलने और उसे चलाने और चिकित्सा सम्बधी सुविधाएं आदि प्रदान करने के लिए राजी हो जाये तो कम्पनी एकमुश्त दस लाख रुपए देगी । ये सभी बातें मान ली गई । फिर भी वे काम पर वापस नहीं लौट रहे हैं । इसका कारण यह है कि यह हड़ताल यूनियनों ने नहीं करायी है । यूनियन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं । उन्होंने कोई ज्ञापन, सूचना (नोटिस) आदि नहीं भेजा । लेकिन बाद में वे सभी शामिल हो गये और उन्होंने दो मांगें रखी—एक यह कि उन नौ कर्मकारों को जिन्हें जून 1975 में नौकरी से निकाला गया था फिर से बहाल किया जाये और आपराधिक कार्यवाहियां राज्य सरकार द्वारा जलाई गई थी । कम्पनी के लिए यह तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि आपराधिक कार्यवाहियां वापस नहीं ली जाती हैं या न्यायालय यह निर्णय नहीं देता है कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं है । दूसरी मांग बोनस की थी । संसद की विधि के अनुसार सरकारी क्षेत्र का यह उपक्रम बोनस नहीं दे सकता है । वे कुछ वर्दी चाहते थे और मैंने उसे मान लिया । किन्त मैं श्री साठे से अनुरोध करूंगा कि वह अन्य संसद् सदस्यों के साथ जायें और पता लगायें

श्री वसन्त साठे : आपके श्रम मंत्री क्या कर रहे हैं ?

श्री बीजू पटनायक : श्रम मंत्री पहले ही एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त कर चुके हैं ।

श्री बसन्त साठे : आप उनकी सहायता क्यों नहीं लेते हैं ?

श्री बीजू पटनायक : मैंने उनकी सहायता ली है । फिर भी वे काम पर नहीं जा रहे हैं । मैं भी साठे से यह जानना चाहता हूं कि मैं इस मामले में और अधिक क्या कर सकता हूं ?

श्री नरेन्द्र सिंह : क्या विभिन्न गुटों के नेताओं द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया था और मन्त्री जी ने उस पर क्या कार्यवाही की है।

श्री बीजू पटनायक : कोई आवेदन नहीं दिया है ।

SHRI CHHABIRAM ARGAL : They submitted it on 26th.

श्री बीजू पटनायक : मुझे ऐसा कोई ज्ञापन नहीं मिला जो मुझे सम्बोधित हो।

SHRI NATHU SINGH : I myself had been there five or seven days after the strike began and also had raised the matter under rule 377. On several occasions I have also talked privately with the hon. Minister. The cause of the strike given here is not the real one. It is true that the strike was not called by any union. The common workers have gone on strike there. They have been demanding for a union for the past five years but then the previous Government had till not conceded their demand.....

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये।

SHRI NATHU SINGH : A broken rope led to the strike. Experts examined it there. The workers are not to blame for this strike. But it is the management which is responsible for it. There is one officer by the name of Shri Dhawan. ....

MR. SPEAKER : Please come to the question.

SHRI NATHU SINGH : May I know whether a Parliamentary Committee will be sent there to enquire if the partial strike has been due to the fault of the Management so that the loss being incurred could be avoided. They can also have talk with the workers who have been here many times. The Parliamentary Committee may at least find out the truth to avoid the daily loss or Rs. 1.5 lakhs being suffered by the workers.

श्री बीजू पटनायक : जैसा कि मने कहा है और फिर दोहराता हूं । मैं चाहता हूं कि मजदूर तुरन्त काम पर लौट जायें और उनकी शिकायतों की जाँच की जायेगी । रसी को हुए नुकसान के बारे में स्थिति इस प्रकार है कि इसमें 1 घंटा 40 मिनट का विलम्ब हुआ था । मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य को यह मालूम हो जाये कि इस कारण से संसदीय प्रतिनिधि मंडल भेजने की आवश्यकता नहीं है ।

10 फरवरी, 1978 को खेतड़ी खान में सर्विस, कूपक (शाफ्ट) का बंधने की रसी में कुछ खराबी दिखाई दी थी । इसलिए, सुरक्षा उपाय के रूप में, कर्मचारियों का डिब्बे (केज) से ऊपर नीचे लेजाना स्थागित कर दिया गया था । इस परिस्थिति में अधिकारियों और मजदूरों को काम के भूमिगत स्थान में पहुंचने के लिए लोहे की सीढ़ियों का प्रयोग करना पड़ता था । ये सीढ़िया जो कि केवल 60 मीटर के लिए प्रयोग होती है और छह-छह मीटर के छोटे खण्डों में विभाजित हैं और हर मोड़ पर आराम के लिए समुचित सिकड़ियों (कालरों) की व्यवस्था है । इन जीनों और सीढ़ियों का प्रयोग खेतड़ी खानों में, 1976 में कूपक (शाफ्ट) लगाने से पहले बहुत समय तक होता रहा था । उनका प्रयोग अब भी प्रायः होता रहता है जब कभी बिजली चली जाती है जैसा कि वहां बार-बार होता है जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित ही है । वास्तव में सीढ़ियों का भूमिगत खानों में प्रयोग एक आम प्रथा है । कुछ लोग उनका प्रयोग करते हैं और कोई नहीं करते हैं। फिर भी 1 घंटे 40 मिनट की देरी जिसके कारण हड़ताल भड़क उठी, को किसी भी कारण माफी कर दिया गया है। मंत्रालय ने

श्रम मंत्रालय से हड़ताल को अवैध घोषित करने का अनुरोध नहीं किया है क्योंकि हम मजदूरों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं मजदूर काम पर लौट जायें और उन्हें किसी प्रकार नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा।

श्री सौगत राय : क्या मंत्री महोदय इस सभा म आश्वासन देंगे कि श्रमिकों के काम पर वापस आने पर किसी भी कर्मचारी को तंग नहीं किया जायेगा और क्या वे सभी शेष समस्याओं के समझौते के लिये इस मामले को मध्यस्थ-निर्णय के लिये सौंपेंगे ?

श्री बीजू पटनायक : यदि श्रमिक काम पर वापस आते हैं तो सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है ? तंग किये जाने के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं । इस बीच यदि वे हिंसा पर उतर आते हैं या राज्य सरकार कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये कोई कार्यवाही करती है, तो वह निश्चय ही मेरा उत्तरदायित्व नहीं है।

श्री सौगत राय : मध्यस्थ निर्णय और न्यायाधिकरण को सौंपने के बारे में क्या उत्तर है ?

श्री बीजू पटनायक : क्या सौंपा जाये ?

श्री सौगत राय : श्रमिकों की मांगें संयुक्त समिति ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है ।

श्री बीजू पटनायक : एक मान्यता प्राप्त यूनियन होनी चाहिये ।

श्री सौगत राय : मा यताप्राप्त यूनियन का कोई प्रश्न नहीं है । औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन कोई भी पंजीकृत यूनियन तथा संयुक्त समिति का कोई भी कार्यकर्त्ता कोई विवाद उठा सकता है । आप उनसे मामले को मध्यस्थ-निर्णय के लिये सौंपने के लिये कह सकते हैं।

श्री बीजू पटनायक : सरकार दो बातें स्वीकार नहीं कर सकती है, एक यह कि 1975 में बरखास्त किये गये 9 श्रमिकों को पुनः नियुक्त किया जाये, जिसके कारण यूनियन की मान्यता समाप्त की गई थी । मैं मामले को मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपे जाने में बाधक नहीं हूं । यह न तो सरकार और न ही निगम के लिये प्रतिष्ठा का प्रश्न है।

SHRI MOHAN BHAIYA : Mr. Speaker, Sir, after visiting Khetri, I wrote a letter to the Hon. Labour Minister and the Minister of Steel but I regret to say that no reply has been received by me so far.

On 22nd the lift rope went out of order and they left after 1 hour and 40 minutes. Wages for this period were deducted by the officer which resulted in resentment. On 17th June a charter of demands was also submitted to the Minister of Steel. There is no recognised union there. The workers are being crushed and great injustice is being done to them. All doors of negotiations have been closed. The strike, which was started on 22nd, has been resulting in a loss of crores of rupees. It is a life and death question. Arrests have also been started. The matter can be solved by payment of bonus to the workers of Khetri like the Dariba mines. Will the Hon. Minister discuss the matter with the workers ? Is it not a fact that the Home Minister of Rajasthan had visited Khetri and declared these that all cases against the workers would be withdrawn ? But the Hon. Minister has written to the Chief Minister that the cases may not be withdrawn.

SHRI BIJU PATNAIK : The Minister has not written any letter to the Chief Minister. The Home Minister had not given any assurance for bonus. I have no knowledge of it nor do Government have any such information.

अध्यक्ष महोदय : मैं और प्रश्नों की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

डा० सुशीला नायर : क्या यह सच है कि श्री आर० के० धवन ————

(अन्तर्बाधना)

[Interruptions]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 621 काफी । चर्चा हो चुकी है।

डा० सुशीला नायर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

(अन्तर्बाधा)

[Interruptions]*

छोटे एक्सचेंजों को मुख्य एस० टी० डी० एक्सचेंज से जोड़ना

*621. **श्री जार्ज मैथ्यू** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस० टी० डी० की सुविधाओं की व्यवस्था करने से संबंधित नियमों में ढील दी जा सकती है ताकि ये सेवाएं महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हो सकें ; और

(ख) क्या मुख्य एस० टी० डी० एक्सचेंज से 25 मील की दूरी के अंदर आने वाले सभी छोटे एक्सचेंजों को जोड़ने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

श्री जार्ज मैथ्यू : मेरे राज्य केरल में दो जिला केन्द्रों अर्थात् इदुक्की और मालापुरम को छोड़कर जिला मुख्यालयों में एस० टी० डी० सेवा आरम्भ की है । कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी सेवा आरम्भ करने के लिये कुछ स्थानों के नामों की घोषणा की गई है । लेकिन कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को छोड़ दिया गया है, जो घोषित स्थानों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं । क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि समान महत्व के केन्द्रों में भी एस० टी० डी० सेवा की व्यवस्था की जायेगी ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : एस० टी० डी० सेवाओं की व्यवस्था करने के बारे में कुछ मानदंड हैं । पहले राज्यों की राजधानियों के साथ एस० टी० डी० सम्पर्क की व्यवस्था की जाती है । दूसरे, हमें दूरस्थ स्थानों में इसकी व्यवस्था करनी होती है और तीसरे, ऐसे सभी ऐसे जिला मुख्यालयों में इनका विस्तार किया जाता है, जो क्रमशः दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के 300 और 200 किलोमीटर के घेरे में है । अभी तक हमने राज्यों की राजधानियों से दूर 55 जिला मुख्यालयों में एस० टी० डी० सेवा का विस्तार किया है। ऐसा करते समय निर्धारित मानदंडों का पालन किया जा रहा है । उपकरणों और सामान

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया।

* Not recorded as ordered by the Chair.

की कमी के कारण हम सभी जिला मुख्यालयों में एस० टी० डी० सेवा की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री जार्ज मैथ्यू : मंत्री महोदय ने मेरे पूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । कुछ ऐसे छोटे छोटे एक्सचेंज हैं, जो दस किलोमीटर की दूरी के अन्दर आते हैं । क्या इन छोटे-छोटे एक्सचेंजों को, यदि वे 5 से 10 किलोमीटर की दूरी के अन्दर स्थित हों तो, प्रधान एक्सचेंज से जोड़ा जायेगा ?

श्री बृजलाल वर्मा : : इस समय ऐसा करना संभव नहीं है।

श्री एस० आर० दामाणी : एस० टी० डी० से पहले स्वचालित एक्सचेंज स्थापित करना आवश्यक है । आप इस वर्ष के दौरान कितने स्थानों में स्वचालित एक्सचेंज स्थापित करने जा रहे हैं ? शोलापुर में कब तक स्वचालित एक्सचेंज लगा दिया जायेगा और यह कब काम करना आरम्भ कर देगा ?

श्री बृजलाल वर्मा : इसके लिये पूर्व सूचना आवश्यक है।

श्री विनोद भाई बी० शेठ : बड़े नगरों से निर्वाचित संसद सदस्यों को अपने टेलीफोन बिलों में से एस० टी० डी० बिलों का समायोजन करने का लाभ मिल जाता है । लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में एस० टी० डी० सेवा होती ही नहीं है । ऐसे संसद सदस्यों के मामले में बिलों की एस० टी० डी० कालों में परिवर्तित करके उनके खाते में रखा जाये .....

अध्यक्ष महोय : यह तो व्यक्तिगत कठिनाई है।

श्री विनो भाई बी० शेठ : गत कुछ दिनों से दिल्ली से अहमदाबाद एस० टी० डी० सेवा ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है । विभाग ने मुझे बताया है कि इसका कारण कुछ तकनीकी दोष है।

श्री बृजलाल वर्मा : मैं इसकी जांच करूंगा।

मध्य प्रदेश में कांच और मृतिका उद्योग के विस्तार के लिए सवक्षण

*622. **श्री सूर्य नारायण सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भू-विज्ञान विभाग कांच और मृतिका उद्योग के विस्तार के संबंध में खनिजों के लिए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के बारे में विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में पहले से किए अए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के फलस्वरूप प्रदेश के विभिन्न भागों में खनिज मिट्टियां, कांच रेत कांच, फेल्सपार आदि खनिज पर्याप्त मात्रा में होने का पता चला है जिनका कांच भी मृत्तिका उद्योगों में उपयोग होता है । राज्य सरकार का भूतत्व और खनन विभाग कुछ खनिजों की प्राप्ति, जैसे टीकमगढ़ जिले में पायरोफाईलाइट और बस्तर जिले में

लेपीडोलाइट, के लिए आगे खोज कार्य कर रहा है । इन खनिजों का मतिका उद्योगों जैसे बाल टाइन्स, टेबल्सबेयर और इलैक्ट्रिक पोर्सिलीन में उपयोग होता है ।

SHRI SURYA NARAIN SINGH : Mr. Speaker, the Hon. Minister has admitted that the minerals used in ceramic industry have been located in different parts in Madhya Pradesh. A survey to this effect has already been carried. May I know the reasons for not setting up such industry there ? The House is aware of this fact that Madhya Pradesh is a very backward area. In spite of this, no industry has so far been set up there. May I know whether there is any proposal to set up such industry there in the near future ?

श्री बीजू पटनायक : इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह खनिज मध्य प्रदेश में प्रचूर मात्रा में है ।

जहां तक उद्योग स्थापित करने का सम्बन्ध है, कुछ उद्योग स्थापित हो चुके हैं और अन्य नजी क्षेत्र के उद्योगपतियों और सरकारी क्षेत्र के निगमों पर निर्भर करते हैं । उदाहरण के लिये "बाक्साइट" का प्रयोग सरकारी क्षेत्र के निगम कर रहे हैं और दूसरे खनिजों का प्रयोग अन्य लोग कर रहे हैं। इसलिये यह मध्य प्रदेश सरकार पर और अन्य उद्योगपतियों पर निर्भर करता है कि वे इन खनिजों पर आधारित उद्योग स्थापित करें ।

SHRI SURYA NARAIN SINGH : Mr. Speaker, there are about thirteen units between Katni and Jabalpur manufacturing material for ceramic industry but there is no laboratory in Madhya Pradesh for testing the material. Therefore, may I know whether Government have any proposal to set up such laboratory between Katni and Jabalpur or at some other place in Madhya Pradesh ?

श्री बीजू पटनायक : राज्य सरकार के साथ साथ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान विभाग तथा केन्द्री काँच और मृत्तिका अनुसधान संस्था की बड़ी-बड़ी प्रयोग शालाएं हैं और इस प्रकार इस बारे में परीक्षण करने में कोई कठिनाई नहीं है ।

बेरोजगार भारतीयों का एक अरब देश से वापस भेजा जाना

*623. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
श्री नो० एम० बनतवाला } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 8 मार्च 1978 के 'स्टेट्समैन' में छपी खबर देखी है कि एक अरब देश से 6000 बोरोजगार भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है;

(ख) क्या इन भारतीयों की ऐसे एजेंटों के माध्यम से भेजा गया था जिन्होंने उन्हें रोजगार दिलाने का वायदा किया था ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जाच की है ; और

(ख) उन्हें वापस भारत लाने में मदद करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रायलय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डु) : (क) जी हां । सरकार ने यह रिपोर्ट देखी है और विदेश स्थित अपने मिशनों से भी उसे यह सूचना मिली है कि रोज़गार ढूंढने वाले बहुत से भारतीय अरब देश में बेसहारा हो गये हैं ।

(ख) जी हां । इन भारतियों को अनधिकृत एजेंटों ने रोजगार का प्रलोभन दिया था ।

(ग) और (घ) अनधिकृत एजेंटों के बारे में उपलब्ध विवरण समुचित कारवाई के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया गया है । इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए कि विदेशों में रोजगार की तलाश में जाने वाले भारतीयों द्वारा उत्प्रवास अधिनियम का पालन किया जाए, सरकार बंबई, दिल्ली, त्रिवेन्द्रम और अमृतसर हवाई अड्डों पर आवश्यक जांच-पड़ताल करती है।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : वास्तव में स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और मुझे इस बात का तभी से ही डर था जब संसद सदस्यों को पारपत्रों के लिए आवेदन प्रपत्रों को प्रमाणित करने का अधिकार दिया गया था और मेरा यह डर सही निकला है।

मैं माननीय मंत्री से उस अरब देश का नाम जानना चाहता हूं जहां ऐसे लोग बेसहारा हैं।

दूसरे, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मेरे प्रश्न के भाग (घ) का उतर नहीं दिया गया है । वह यह है कि उन्हें वापस भारत लाने में मदद करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? क्या विदेशों में स्थित हमारे मिशनों को ऐसे लोगों को मदद करने के लिए कहा गया है । वे कब गये थे और क्या उन्हें वहां कोई रोजगार मिला था या उन्हें बाद में नौकरी से निकाल दिया गया था ? मंत्री महोदय द्वारा इन बातों पर प्रकाश डाले जाने की भी आवश्यकता है ।

श्री समरेन्द्र कुन्डु : यह सच है कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर गम्भीरता से विचार किया जाना है और हम ऐसा कर रहे हैं।

जहां तक उन देशों के नामों का सम्बन्ध है, नवीनतम जानकारी यह है कि वे देश, जहां लोग अवैध रूप से अर्थात् यात्रा सम्बन्धी उचित दस्तावेजों और काम पाने की गारंटी के बिना दाखिल हुए थे और पकड़े गये थे कुछ अन्य देशों के साथ साथ लेबनान, सीरिया, अफगानिस्तान और तुर्की है ।

यह सही नहीं है कि प्रश्न के भाग (घ) का उतर नहीं दिया गया है इन लोगों को सरकारी खर्च पर वापस भारत लाया गया है । उन्हें दो जत्थों में वापस लाया गया है । हाल ही में लगभग 664 भारतीय राष्ट्रिकों को वापस लाया गया है । इस से पहले 474 भारतीय राष्ट्रिकों को वापस भारत लाया गया था ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है और अनधिकृत एजेंटों की एक सूची राज्य सरकारों के पास समुचित कार्यवाही के लिए भेज दी गई है । मैं यह समझ नहीं सकता हूं कि समुचित कार्यवाही' का क्या अर्थ है ? क्या वह कृपा करके उसकी परिभाषा बताएंगें ? इस के साथ साथ मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारें उन क्षेत्रों में कार्यरत अनधिकृत एजेंटों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के लिए सक्षम हैं। अधिकांश अनधिकृत एजेंट तो दिल्ली और अन्य केन्द्रों में हैं। क्या उन पर जुर्माना करने के लिए अधिनियम में कोई उपबन्ध हैं और क्या राज्य सरकारें कोई कार्यवाही करने के लिए सक्षम हैं ? मैं यह भी जानना चाहूंगा .....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल अब समाप्त होने वाला है । कृपया प्रश्न पूछिये।

श्री मुख्तियार सिंह: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा . .

अध्यक्ष महोदय : आप तो भाषण दे रहे हैं । मैं आप को प्रश्न पूछने के लिए समय दे रहा हूं परन्तु आप भाषण दे रहे हैं हालांकि प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

श्री समरेन्द्र कुन्डु : जब भी हमें भर्ती करने वाले अनधिकृत एजेंटों का पता लगता है, हम मामला राज्य सरकारों के पास समुचित कार्यवाही के लिए भेज देते हैं। समुचित कार्यवाही का अर्थ यह है कि राज्य सरकारें विधि के अनुसार दाण्डिक मामलें दायर करें। अधिकाँशत: ये मामले धोखाधड़ी के अन्तर्गत आते हैं क्योंकि ये अनधिकृत एजेंट लोगोंको विदेशों में उचित दस्तावेजों के बिना भेजने का प्रलोभन देते हैं। अत: जैसे ही हमें कोई जानकारी प्राप्त होती है, हम उसे राज्य सरकार के पास भेज देते और राज्य सरकारें भर्त्ती करने वाले इन अनधिकृत एजेंटों के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही करती हैं।

श्री जी० एम० बनतवाला : इस समय हवाई अड्डों पर पड़ताल की जाती है । इसके कारण कई लोगों को विमान में चढ़ने ही नहीं दिया जाता है क्या कि उन्होंने अप्रवास अधिनियम सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया होता है । इससे कई लोगों को असुविधा होती है । अत: क्या सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव है जिससे यह पड़ताल स्थान बुक करते समय ही पूरी कर ली जाए ?

श्री समरेन्द्र कुन्डु : कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थीं । हमने इन की तुरन्त जांच की हम यह सुनिश्चित करते हैं कि आप्रवास अधिनियम के उपबन्धों का पालन हो जिससे इन लोगों को अन्य देशों में बेसहारा न होना पड़े । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे लोग विदेशों में जांय, हम आप्रवास अधिनियम के उपबन्धों को अब यथासम्भव उदारता से क्रियान्वित कर रहे हैं। आशा है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि हम इन लोगों को दूसरे देशों में जा कर बेसहारा न बनने दें । इस के लिए कम से कम जितनी पड़ताल आवश्यक होती है उतनी ही की जाती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

(WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS)

URINE THERAPY

*624. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether auto urine-therapy can be helpful in curing a large number of diseases according to the Prime Minister and other prominent persons;

(b) If so, whether Government have made efforts or propose to make efforts to examine their claim in this regard on official level; and

(c) if so, the full details in this regard ?

MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) The Prime Minister has in response to questions by Pressmen and on one or two other occasions spoken of his faith in the efficacy of urine therapy as a cure for a variety of ailments. This, however, is his personal view.

(b) The Central Council for Research in Indian Medicines and Homoeopathy, New Delhi, has taken steps to investigate the efficacy of urine therapy for treating various ailments.

(c) The Council has entrusted the experimental studies to the Pharmacology Unit in the Medical College, Trivandrum to study the efficacy of urine therapy. It will be some time before the results are known.

मादक पदार्थों का उत्पादन

*625. **श्री धर्मवर वशिष्ठ :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांजा तथा अफीम सहित मादक पदार्थों के विश्व में होने वाले उत्पादन का 80 प्रतिशत भाग भारत में पैदा होता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हमारे प्रधान मंत्री ने मादक पदार्थों की समस्या का मुकाबला करने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही करने हेतु सिडनी में आयोजित क्षेत्रीय राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में अपना पूरा समर्थन दिया था ; और

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के अध्ययन से पता चला है कि 25 प्रतिशत विद्यार्थी मादक पदार्थों का सेवन करते हैं जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय का स्थान प्रथम है ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण): (क) समस्त विश्व में 1975 में अफीम का जितना उत्पादन हुआ उसमें से 80 प्रतिशत से भी अधिक भारत में हुआ था। विश्व में केनाबिस का कितना उत्पादन हुआ इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि 1976 में भारत में 181,860 किलोग्राम गांजे का उत्पादन हुआ।

(ख) एशिया और प्रशान्त महासागर में राष्ट्र मण्डलीय देशों के प्रधानों की बैठक में, जो 13 से 16 फरवरी, 1978 के दौरान सिडनी में हुई थी, भाग लेने वाले भारत के प्रधान मंत्री तथा अन्य देशों की सरकारों के प्रधानों ने यह स्वीकार किया कि इस क्षेत्र के कुछेक देशों के सामने औषधियों के अवैध व्यापार की विकट समस्या थी। सरकारों के प्रधानों ने इस विषयों में परस्पर सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने औषोधियों के अवध व्यापार को समाप्त करने के प्रत्यत्नों की सराहना की।

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच वर्ष 1975 के दौरान भारतीय चिकित्सा आयुर्विज्ञान परिषद् के तत्वावधान में किए गये अध्ययन से पता चला कि पिछले एक वर्ष के दौरान 32.2 प्रतिशत छात्र नशीली दवाओं का सेवन कर रहे थे। यदि अलकोहल तथा तम्बाकू का सेवन करने वालों की संख्या अलग कर दी जाए तो ये आंकड़े घटकर 18.7 प्रतिशत हो जाएंगे।

(घ) राज्यों में औषध नियंत्रकों से जो राज्यों में औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबन्धों को लागू करते हैं, अनुरोध किया गया है कि वे ट्रान्कुलाइजर, बारबिचुरेट्स तथा ऐसी अन्य औषधियों की बिक्री पर कड़ा अंकुश लगायें ताकि यह बात सुनश्चित हो जाए कि ये औषधियां वास्तविक चिकित्सीय नुसखों पर ही बेची जाएं।

प्रतिव्यक्ति चिकित्सा व्यय

*626. **श्री सुशील कुमार धारा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में प्रति व्यक्ति चिकित्सा व्यय कितने रुपए हैं ; और

(ख) अन्य विकासशील देशों में यह राशि कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) वर्ष 1971-72 से 1974-75 तक विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पर केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गये प्रति व्यक्ति व्यय का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । विवरण (1)

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों से संबंधित ऐसी ही सूचना का एक विवरण भी सभा पटल पर रख दिया गया है । विवरण (2)

विवरण (1)

वर्ष 1971-72 से 1974-75 तक के दौरान चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य प्रति व्यक्ति खर्च

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रति व्यक्ति खर्च--रुपयों में			
	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश . .	6.32	4.88	6.19	7.85
2. असम (मिजोरम समेत) .	5.46	6.12	7.58	9.56
3. बिहार . .	3.28	3.53	3.61	4.09
4. गुजरात . .	7.01	8.49	8.70	8.57
5. हरियाणा . .	8.88	8.65	8.88	9.99
6. हिमाचल प्रदेश .	11.51	13.59	15.56	17.10
7. जम्मू व कश्मीर .	11.58	11.30	15.02	15.77
8. कर्नाटक .	5.07	6.04	6.26	8.81
9. केरल . .	7.17	7.40	8.74	12.87
10. मध्य प्रदेश . .	4.89	5.55	6.41	8.38
11. महाराष्ट्र .	7.49	8.70	10.52	13.52
12. मणिपुर .	10.13	10.66	12.72	16.20
13. मेघालय . .	14.07	17.33	20.40	18.52
14. नागालैंड .	38.64	44.58	52.64	80.84
15. उड़ीसा	4.85	5.51	6.34	6.93
16. पंजाब . .	7.24	9.38	12.51	12.34
17. राजस्थान	8.84	10.35	9.26	12.11
18. तमिलनाडु . .	8.29	7.95	8.69	9.81

1	2	3	4	5
19. त्रिपुरा	8.83	10.26	11.06	11.09
20. उत्तर प्रदेश	3.10	3.54	4.29	5.08
21. पश्चिम बंगाल	6.72	6.77	7.62	9.78
22. गोवा, दमन व दीव	24.36	25.96	28.92	35.20
23. पांण्डिचेरी†	23.97	25.19	25.25	38.84
अखिल भारत†	6.39	6.88	7.72	9.44

†योग में केन्द्र सरकार तथा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का खर्च शामिल है । गोवा, दमन और दीव तथा पांडिचेरी के अलावा अन्य संघ क्षेत्रों के खर्च के बारे में विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

स्रोत :— संघ एवं राज्य सरकारों के संयुक्त वित्तीय एवं राजस्व खाते जो भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा संकलित किये गये थे ।

विवरण (2)

विश्व स्वास्थ्य संगठन, दक्षिणी-पूर्वी एशिया क्षेत्र के देशों के सम्बन्ध में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च

देश का नाम	वर्ष	स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च	वर्तमान दरों पर स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रति व्यक्ति खर्च (डालर में)
1. बंगला देश	1974-75	7.81 रुपये	0.52
2. बर्मा	1974-75	5.7 क्यात	0.81
3. इण्डोनेशिया	1976	12.00 आर० पी०	2.89
4. मंगोलिया	1976	180.3 टगरिक्स	58.34
5. नेपाल	1976-77	12.90 नेपाली रुपये	1.04
6. श्रीलंका	1973	19.77 रुपये	1.30
7. थाईलैंड	1974	98.49 बाट्स	4.89

पंजीकृत प्राकृतिक चिकित्सा संस्थाओं को सहायता

*627. **श्री बलदेव सिंह जसरोलिया :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की प्राकृतिक चिकित्सा संस्थाओं को सहायतानुदान देने का नियमित बजट प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं के नाम क्या हैं और कितनी राशि दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि अम्बफल्ला, जम्मू स्थित बरकतराम विद्यावती घई प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र 1969 से चल रहा है और यदि हां, तो इस संस्था को इसकी स्थापना के बाद से कितना अनुदान दिया गया है ;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस महत्वपूर्ण संस्था को सहायतानुदान देने के मामले पर विचार करेगी ; और

(च) देश में प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों की वृद्धि करने के लिये सरकार का क्या नया प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) वर्ष 1977-78 के दौरान प्राकृतिक चिकित्सा योजना के अन्तर्गत जिन-जिन प्राकृतिक चिकित्सा संस्थाओं को वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है, उनके नाम अनुबन्ध (क) में दिए गए हैं ।

(घ) और (ङ) जी हां, वर्ष 1975-76 के दौरान संस्थान को 4 अध्ययन पलंगों के लिए 8 हजार रुपये तथा प्राकृतिक चिकित्सा सटर में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए तीन हजार रुपये का सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था । वर्ष 1977-78 के दौरान आठ हजार रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं । इनमें 1765 रुपये की वह रकम भी शामिल हैजो पिछली स्वीकृत रकम से बाकी है । इसे इस वर्ष के खाते में जोड़ने की अनुमति दी गई है ।

(च) इस पर केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद विचार करेगी जिसकी स्थापना की जा रही है ।

विवरण

संस्था का नाम	स्वीकृत की गई रकम
1 2	3
1. राजस्थान, प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र गंगशर रोड, बीकानेर, राजस्थान .	20,000
2. प्राकृतिक चिकित्सा मन्दिर टीकमगढ़, मध्य प्रदेश .	10,000
3. नेचर क्योर इंस्टीच्यूट, राजगीर, जिला नालन्दा, बिहार . .	8,000
4. अखिल भारत मानव सत्संग मंडल, आनन्द निकेतन, निकत्या, बरेली उ० प्र०	60,000
5. प्राकृतिक चिकित्सालय, बापू नगर, जयपुर-302004	10,000
6. प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, पति कल्याण, करनाल, हरियाणा . .	20,000
7. श्री कृष्ण आदर्श प्राकृतिक चिकित्सालय समालखा मंडी, करनाल, हरियाणा	12,000
8. हरियाणा प्राकृतिक चिकित्सालय भिवानी, हरियाणा .	14,000
9. काकटीय नेचर क्योर अस्पताल, कोर्ट रोड, वारंगल, आन्ध्र प्रदेश .	16,000

1	2	3
10.	श्री सनातन धर्म, प्राकृतिक चिकित्सालय, कैन्ट रोड, अम्बाला कैंट, हरियाणा	14,000
11.	जीवन प्राकृतिक चिकित्सालय, गांलिबपुर, जिला-मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश	4,000
12.	एस० एल० स्वामी नेचर क्योर अस्पताल तुलसीवरम, नलगोंडा, आन्ध्र प्रदेश	4,000
13.	श्री चोडे अप्रों प्राकृतिक चिकित्सालय काकीनाडा-3	14,000
14.	प्राकृतिक चिकित्सा आश्रम, अमरावती रोड़, नागपुर	10,000
15.	नेचर क्योर अस्पताल, शास्त्री नगर, कुड्डपा .	20,000
16.	नेचर क्योर अस्पताल, तम्मादापल्ली, वारंगल, आन्ध्र प्रदेश .	16,000
17.	नेचर क्योर अस्पताल, जगनयन, बंगलौर . .	16,000
18.	कस्तूरबा नेचर क्योर अस्पताल, शिवारामपल्ली, हैदराबाद . .	10,000
19.	शान्तिकुट्टी प्राकृतिक चिकित्सालय, गोपुरी, वर्धा, महाराष्ट्र .	12,000
20.	प्राकृतिक चिकित्सालय, रानीपत्रा, जिला पूर्णिया बिहार .	40,000
21.	नेचर क्योर अस्पताल, विसाखापतनम, आन्ध्र प्रदेश . .	12,000
22.	गांधी नेचर क्योर कालेज, हैदराबाद . . .	60,000
23.	गांधी नेचर क्योर अस्पताल, हैदराबाद . . .	40,000
24	श्री बर्कतराम विद्यावती घई नेचर क्योर सेंटर, अम्बफल्ला, जम्मू .	8,000
	योग	4,50,000

भारत का जैनेवा में स्थायी मिशन

*628 **श्री पी० जी०मावलंकर :** क्या **विदेश** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पट पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का जनेवा, स्विटजरलैंड में संयुक्त राष्ट्र केन्द्र तथा संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसियों के कार्यालयों में एक स्थायी मिशन है ;

(ख) गत तीन वर्षों अर्थात् 1975, 1976 और 1977 में उक्त मिशन पर क्या व्यय हुआ ; और

(ग) जेनेवा में उक्त मिशन की उपरोक्त अवधि की गतिविधियों एवं कार्रवाई की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी हां ।

(ख) इस मिशन पर विगत तीन वर्ष में नीचे लिखे अनुसार खर्च हुआ है :

1975-76 .	30,77,586.63 रुपये
1976-77 . .	37,75,011.97 रुपये
1977-78 . . .	35,19,793.79 रुपये

तथापि उल्लेखनीय है कि जेनेवा में ही भारत का जो प्रधान कोंसलावास है उसका वेतन तथा लेखा-खाता भी संयुक्त राष्ट्र में हमारे स्थायी मिशन के वेतन और लेख-खाता के साथ ही समन्वित होता है और उक्त कार्यालय पर जो खर्च हुआ है, वह भी ऊपर के आंकड़ों में शामिल है ।

(ग) जेनेवा-स्थित भारत का स्थायी मिशन, जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के कार्यालयों तथा उसके विशिष्ट अभिकरणों में प्रत्याशित है—जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्वस्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, विश्व मौसम-विज्ञान-संगठन, व्यापार एवं शुल्क-दर संबंधी सामान्य करार, निरस्त्रीकरण विषयक समिति—सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय संसद संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रास सोसायटी-लीग । यह भारतीय मिशन उक्त संगठनों की बैठकों के सम्बन्ध काम देखता है । कभी-कभी तकनीकी या राजनीतिक स्तर पर अपने प्रतिनिधित्व को और मजबूत करने के लिए भारत से भी प्रतिनिध-मंडल भेजे जाते हैं ।

यह मिशन राजनीतिक, मानवाधिकार और आर्थिक प्रश्नों पर आयोजित बैठकों और सम्मेलनों से सम्बद्ध काम देखता है ।

महिलाओं को रोजगार विषयक कार्य दल का प्रतिवेदन

*629. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं के रोजगार से संबंधित विभिन्न मामलों को जाँच करने के लिए गटित महिलाओं के रोजगार विषयक कार्यदल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है :

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) प्रतिवेदन कब तक पेश किए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (घ) छठी पंच वर्षीय योजना को तैयार करने के संदर्भ में, योजना आयोग द्वारा अनेक कार्यकारी दल स्थापित किए गए हैं । महिला रोजगार पर ऐसा ही एक कार्यकारी दल स्थापित किया गया है । कार्यकारी दल ने महिला रोजगार के विभिन्न पहलुओं पर पांच उप-दल स्थापित किए हैं । एक उप-दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा अन्यों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है । समस्त उप-दलों की रिपोर्ट प्राप्त होने के तुरन्त बाद कार्यकारी दल अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे देगा ।

REQUEST FOR INCREASE IN ROYALTY BY BIHAR GOVERNMENT

*630. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether the Central Government have received any request from the Government of Bihar regarding increasing royalty on iron ore and copper and revising rate of royalty after every two years; and

(b) if so, the action taken by the Central Government in this regard ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) Yes, Sir.

(b) Under the existing laws, enhancement in the royalty rates for minerals can be effected only once in four years. Since, in respect of iron ore and copper, a review of rates is due, it is proposed to revise royalty rates on these minerals very shortly.

पारपत्र जारी करने में विलम्ब

*631. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय पार-पत्र जारी करने में लगभग छह महीने लग जाते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय पार-पत्र अधिकारी, अहमदाबाद का पद गत दो वर्षों से खाली पड़ा हुआ ह ;

(ग) संसद सदस्यो को जांच-पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार देने से पूर्व और उसके बाद प्रतिमाह पार-पत्र के लिये, क्षेत्रवार, औसत कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और कितने पार-पत्र जारी किए गए ; और

(घ) यदि पार-पत्र जारी करने में बकाया काम बहुत हो गया है तो सरकार का विचार इसे किस प्रकार निपटाने का है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जब पासपोर्ट आवेदन-पत्रों के साथ प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित सत्यापन प्रमाणपत्र लगे होते हैं तो पासपोर्ट दो महीने के अन्दर-अन्दर जारी कर दिया जाता है । अन्य मामलों में, इस समय चार महीने का समय लगता है ।

(ख) जी नहीं । अहमदाबाद में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के पद पर एक सहायक पासपोर्ट अधिकारी को रख लिया गया है जो कि कार्यकारी क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी है । कोई भी पद खाली नहीं रखा गया है ।

विवरण

क्रम० सं०	पासपोर्ट कार्यालय	संसद सदस्यों को सत्यापन प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने का प्राधिकार दिए जाने के पहले की अवधि		संसद सदस्यों का सत्यापन प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने का प्राधिकार दिए जाने के बाद की अवधि	
		फरवरी 77 से जुलाई 77 तक की छमाही की मासिक औसत		अगस्त 77 से जनवरी 78 तक की छमाही की मासिक औसत	
		प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	जारी किए गए पास-पोर्टों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	जारी किए गए पास-पोर्ट की संख्या
1.	अहमदाबाद	7,100	6,138	6,016	7,734
2.	बम्बई	19,791	17,716	19,777	21,565
3.	कलकत्ता	1,812	1,530	2,484	2,160
4.	चंडीगढ़	11,943	8,201	13,333	10,932
5.	दिल्ली	8,488	6,926	14,407	9,024
6.	एर्नाकुलम	18,492	14,331	43,424	21,159
7.	हैदराबाद	2,665	2,496	8,715	6,544
8.	लखनऊ	3,228	2,677	6,255	3,628
9.	मद्रास	8,313	6,193	12,198	10,273
	कुल	81,832	66,208	1,26,609	93,019

(ग) 1 अगस्त 1977 से पहले और बाद की छमाहियों के दौरान प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों की और दिए गए पासपोर्टों की मासिक औसत संख्या एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(घ) 375 अतिरिक्त लिपिक पदों और 8 उच्चतर स्तर के पदों की संस्वीकृति दी जा चुकी है । बकाया काम को, और पासपोर्ट आवेदन-पत्रों की बढ़ी हुई संख्या से सम्बन्ध कार्य को निपटाने के लिए अमला और बढ़ाने के प्रस्ताव विचाराधीन है ।

हिन्द महासागर में अमरीकी गतिविधियां :

632. श्री वयालार रवि : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्द महासागर में अमरीका ने सैनिक अड्डों में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं ;

(ख) क्या अमरीका ने बंगलादेश की अनुमति से बंगाल की खाडी में स्थित सेंट मार्टिन द्वीप में सैनिक अड्डा स्थापित कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल विहारी वाजपेयी): (क) यद्यपि भारत सरकार को यह मालूम है कि वित्तीय वर्ष 1978 के अंतर्गत प्राधिकृत आवंटन के अधीन दिएगो गार्सिया में निर्माण कार्य चल रहा है परन्तु हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इन गतिविधियों में हाल ही में कोई वृद्धि हुई है ।

(ख) जी नहीं । जहां तक हमें मालूम है, इस प्रकार का कोई सैनिक अड्डा वहां विद्यमान नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

GRANTS TO STATES FOR FAMILY PLANNING

*633. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether any special appreciation grant is proposed to be given to the States which have secured first three places in their Family Planning Programme; and

(b) if so, the nature thereof ?

MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

जीवाणु-अस्त्रों पर रोक के बारे में संधि पर हस्ताक्षर

*634. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने जीवाणु अस्त्रों और जीव-विष वालें अस्त्रों के विकास, उत्पादन और भंडारण करने पर रोक लगाने तथा उन्हें नष्ट करने सम्बन्धी सन्धि पर हस्ताक्षर किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अन्य हस्ताक्षर करने वालों का ब्यौरा क्या है, जिनके पास ऐसे अस्त्रों के भंडार हैं और उन नये देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल विहारी वाजपेयी) : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ तथा यूनाइटेड किंग्डम की सरकारें इस अभिसमय की न्यासी हैं। जिन देशों ने अभिसमय पर हस्ताक्षर किये हैं तथा जिन्होंने अभिसमय पर हस्ताक्षर एवं उसकी अभिपुष्टि की है, उनकी सूची संलग्न है।

विवरण

उन देशों की सूची जिन्होंने जैविक तथा जीवविष अस्त्रों के विकास, उत्पादन तथा भण्डारण के निषेध और उनके विनाश संबंधी अभिसमय पर हस्ताक्षर किये हैं तथा उनका अनुसमर्थन किया है या उसे मान लिया है।

क्र० सं०	देश का नाम	हस्ताक्षर	अनुसमर्थन सहमति
1.	अफगानिस्तान	हां	हां
2.	अर्जेन्टिना	हां	—
3.	आस्ट्रेलिया	हां	—
4.	आस्ट्रिया	हां	हां
5.	बारबाडोस	हां	हां
6.	बेल्जियम	हां	—
7.	बेनिन (दहोमे)	हां	हां
8.	बोलीबिया	हां	हां
9.	बोत्सवाना	हां	—
10	ब्राजील	हां	हां
11.	बल्गेरिया	हां	हां
12.	बर्मा	हां	—
13.	बुरुन्डी	हां	—
14.	बायलोरसा	हां	हां
15.	कम्बोडिया	हां	—
16.	कनाडा	हां	हां
17.	मध्य अफ्रीकी गणराज्य	हां	—
18.	चिली	हां	—
19.	कोलम्बिया	हां	—
20.	कोस्टा रिका	हां	हां
21.	क्यूबा	हां	हां
22.	साइप्रस	हां	हां

क्र० सं०	देश का नाम	हस्ताक्षर	अनुसमर्थन/ सहमति
23.	चेकोस्लोवाकिया	हां	हां
24.	जनतांत्रिक यमने	हां	—
25.	डेनमार्क	हां	हां
26.	डोमिनिकन गणराज्य	हां	हां
27.	इक्वेडोर	हां	हां
28.	मिश्र	हां	—
29.	एल० सल्वाडोर	हां	—
30.	ईथोपिया	हां	हां
31.	फिजी	हां	हां
32.	फिनलैण्ड	हां	हां
33.	गेबोन	हां	—
34.	गाम्बिया	हां	—
35.	जर्मन जनवादी गणराज्य	हां	हां
36.	जर्मन संघीय गणराज्य	हां	—
37.	घाना	हां	हां
38.	ग्रीस	हां	हां
39.	ग्वाटेमाला	हां	हां
40.	गिनी बिसाऊ	—	हां
41.	गुयाना	हां	—
42.	हायती	हां	—
43.	हाण्डूरास	हां	—
44.	हंगरी	हां	हां
45.	आइसलैंण्ड	हां	हां
46.	भारत	हां	हां
47.	इंडोनेशिया	हां	—
48.	ईरान	हां	हां
49.	इराक	हां	—
50.	आयरलैंण्ड	हां	हां
51.	इटली	हां	हां
52.	आइवरी कोस्ट	हां	—
53.	जैमका	—	हां
54.	जापान	हां	—
55.	जोर्डन	हां	हां
56.	कीनिया	—	हां
57.	दक्षिण कोरिया	हां	—

क्र० सं०	देश का नाम	हस्ताक्षर	अनुसमर्थन/ सहमति
58.	कुवैत	हां	हां
59.	लाओस	हां	हां
60.	लेबनान	हां	हां
61.	लीसोथो	हां	—
62.	लाइबेरिया	हां	—
63.	लक्समबर्ग	हां	हां
64.	मैडागास्कर	हां	—
65.	मालावी	हां	—
66.	मलेशिया	हां	—
67.	माली	हां	—
68.	माल्टा	हां	हां
69.	मारीशस	हां	हां
70.	मेक्सिको	हां	हां
71.	मंगोलिया	हां	हां
72.	मोरक्को	हां	—
73.	नेपाल	हां	—
74.	नीदरलैण्ड	सां	—
75.	न्यजीलैण्ड	हां	हां
76.	निकारागुआ	हां	हां
77.	नाइजर	हां	हां
78.	नाइजीरिया	हां	हां
79.	नार्वे	हां	हां
80.	पाकिस्तान	हां	हां
81.	पनामा	हां	हां
82.	परागुवे	—	हां
83.	पेरु	हां	—
84.	फिलीपीन्स	हां	हां
85.	पोलैण्ड	हां	हां
86.	पुर्तगाल	हां	हां
87.	कातार	हां	हां
88.	रुमानिया	हां	—
89.	खान्दा	हां	हां
90.	सान मैरिनो	हां	हां
91.	सऊदी अरबिया	हां	हां
92.	सेनेगल	हां	हां

क्र० सं०	देश का नाम	हस्ताक्षर	अनुसमर्थन सहमति
93.	सीरा लिओन	हां	हां
94.	सिंगापुर	हां	हां
95.	सोमालिया	हां	—
96.	दक्षिण अफ्रीका	हां	हां
97.	स्पेन	हां	—
98.	श्री लंका	हां	—
99.	स्वीडन	हां	हां
100.	स्विटजरलैंण्ड	हां	हां
101.	सीरिया	हां	—
102.	ताइवान	हां	हां
103.	थाईलैण्ड	हां	हां
104.	टोगो	हां	—
105.	टोगा	—	हां
106.	ट्यूनिसिया	हां	हां
107.	तुर्की	हां	हां
108.	उक्राइन	हां	हां
109.	सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	हां	हां
110.	संयुक्त अरब अमीरात	हां	—
111.	यूनाइटेड किंग्डम	हां	हां
112.	तंजानिया संयुक्त गणराज्य	हां	—
113.	संयुक्त राज्य अमरीका	हां	हां
114.	वेन्जुएला	हां	—
115.	दक्षिण वियतनाम	हां	—
116.	यमन	हां	—
117.	युगोस्लाविया	हां	हां
118.	जैरे	हां	हां
	कुल	113	73

CONSERVATON OF RARE HERBS

*635. SHRI DALPAT SINGH PARASTE : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether any efforts are being made to save from extinction most rare and valuable herbs, such as Brahmi, Sitawar, Lajwanti, Wach, etc. in Amavkantak hill in Madhya Pradesh from where Sone and Narmada rivers originate and if so, the details thereof;

(b) whether Government propose to set up a drug production and conservation centre in Madhya Pradesh; and

(c) if so, whether it would be set up at Amarkantak in Shahdol District because herbs are in abundance there ?

MINISTER FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) Herbs like Brahmi, Sitawar and Lajwanti have valuable therspeutic effects and these drugs are always in great demand by Ayurvedic practitioners and pharmacies. These drugs are available in different tropical forests of the country including those of Madhya Pradesh. There is no possibility of their becoming extinct in the near future.

(b) and (c) The State Government of Madhya Pradesh have two Ayurvedic Pharmacies at Gwalior and Raipur. Government of India have sanctioned a scheme for upgrading the State Pharmacy at Gwalior and under this Scheme financial assistance is given for cultivation of herbs also. The Central Government has no proposal at present to set up any Centre for drug production and conservation either in Markantak or in any other region of Madhya Pradesh. The State Government have been requested to intimate, if they have any such scheme and their reply is awaited.

समुद्र जल के नीचे खनिज सम्पदा

*636. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्र जल के नीचे खनिज सम्पदा का पता लगाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा समुद्र भूविज्ञान प्रादेशिक कार्यालय का गठन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका मुख्यालय कहां पर है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) भारतीय भूसर्वेक्षण ने देश के तटवर्ती समुद्री क्षेत्रों और महाद्वीपीय सीमा क्षेत्र में भूवैज्ञानिक मानचित्रण और खनिज स्रोतों के समन्वेषण के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है।

(ख) और (ग) भारतीय भू-सर्वेक्षण संस्था ने समुद्री भूविज्ञान संबंधी कार्य के लिए 1965 में एक यूनिट स्थापित की थी, तथा 1971 में एक खनिज समन्वेषण और समुद्री भूविज्ञान प्रभाग गठित किया गया। जनवरी, 1978 में कलकत्ता में उप महानिदेशक, समुद्री भूविज्ञान का एक पद बनाया गया है। समुद्री भूविज्ञान के लिए अभी कोई अलग से क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित नहीं किया गया है।

कानपुर में समझौता अधिकारी द्वारा विवादों का निपटाया जाना

5803. **श्री समर गुह :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह शिकायत की गई है कि आर० डी० एस० ओ० की मजदूर संघ के अधिकांश कर्मचारियों द्वारा कानपुर में समझौता अधिकारी (मध्य) को भेजे गये विवादों/शिकायतों पर आज तक उक्त अधिकारी ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन समझौता कार्यवाही की शुरूआत नहीं की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कितने विवादों को अब तक बातचीत के माध्यम से सुलझाया गया है और कितने विवाद न्याय-निर्णय के लिए श्रम न्यायालयों/औद्योगिक ट्रिब्यूनलों को भेजे गये हैं?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) रेलवे के पास श्रमिकों और रेलवे प्रशासनों के बीच विवादों को तय करने के लिए एक स्थायी वार्ता तंत्र मौजूद है। जहां तक रेलवे श्रमिकों की बरखास्तगी और पदच्युति के वैयक्तिक विवादों का संबंध है, इस प्रकार के मामलों में रेलवे कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारी इस प्रकार के मामलों में सामान्यता उसी सूरत में हस्तक्षेप करते हैं जहां विवाद के पक्षकार यह बता सकने की स्थिति में हो कि वे विभागीय तंत्र के माध्यम से उपलब्ध सभी साधनों का उपभोग कर चुके हैं और/या जहां औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 22 के अधीन हड़ताल का नोटिस दिया गया है। ऐसे सभी मामलों में उक्त अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हैं और विवादों का निबटारा तदनुसार किया जाता है।

(ग) हाल में कोई नहीं।

भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड

5804. श्री ए० के० राय : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या बिहार रिफ्रेक्ट्रीज श्रमिक यूनियन की ओर वे रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड में विभिन्न अनियमितताओं के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हो गया है, और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : माननीय सदस्य की मार्फत एन० एम० आर० कर्मचारियों को नियमित करने में अनियमितताओं के बारे में बिहार रिफ्रेक्ट्रीज श्रमिक यूनियन से दिनांक 18-10-1977 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। अभ्यावेदन में दिए गए आरोपों की जांच की गई थी और वे सही नहीं पाये गये थे।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के व्यवहार के विरुद्ध मामले

5805. श्री दयाराम शाक्य : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के व्यवहार के विरुद्ध कितने मामले जनता द्वारा मंत्रालय को भेजे गये हैं; और

(ख) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) चौंसठ मामले।

(ख) (1) प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों तथा उस इलाके के कल्याण अधिकारियों द्वारा निजी स्तर पर 37 शिकायतों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटा दिया गया।

(2) शिकायतकर्ताओं के न मिलने के कारण 5 मामलों की पैरवी नहीं की जा सकी।

(3) दो मामले निपटान के लिए इलाके के कल्याण अधिकारियों के पास भेज दिए गए हैं तथा उनकी रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(4) 9 मामले निराधार पाए जाने के परिणामस्वरूप बन्द कर दिए गए हैं।

(5) एक मामले में जिस चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध शिकायत की गई थी उसन अब त्यागपत्र दे दिया है।

(6) पांच मामलों में चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही कर दी गई है।

(7) पांच मामलों पर अभी विचार किया जा रहा है।

PROMOTON OF MECHANICS BELONGING TO SC/ST IN RAJASTHAN CIRCLE

†5806. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether none of the mechanics belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Rajasthan Circle has been given promotion after 1973 as per the 20 per cent quota of reservations made for them; and

(b) if so, the reasons therefor and if promotions have been given, whether Government propose to lay a list thereof on the Table of the House ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) No, Sir. Four have been promoted in 1977.

(b) Does not arise. The list of promotees is given below :—

1. G. C. Madhukar.
2. Mukand Lal Chauhan.
3. Ram Narayan Verma S/o Khem Chandi Koli.
4. Chouthmal.

तट-दूर क्षेत्रों में सोना, निकल, तांबा आदि की सम्भावना

5807. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तट-दूर क्षेत्रों में सोना, निकल, तांबा और कोबाल्ट के निक्षेपों का निकालने योग्य मात्रा में मिलने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों में सागर तट में उक्त निक्षेपों के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और उक्त निक्षेपों के विदोहन के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) विश्व के विभिन्न भागों में तटवर्ती समुद्र में सोने के 'बजरी निक्षेप' और मैंगनीज पिण्डों में निकिल, तांबा और कोबाल्ट के जमाव का पता चला है।

(ख) और (ग) उड़ीसा तट के समुद्री क्षेत्र में बहुत सीमित दायरे में बजरी निक्षेप के लिए किए गए प्रारंभिक खोज कार्य से सोना होने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। वर्तमान क्षेत्रगत सत्र (1977-78) के दौरान भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा देश के पूर्वी और पश्चिमी तट के समुद्री क्षेत्र में खनिज निक्षेपों के लिए समन्वेषण का प्रस्ताव है। ऐसी स्थिति में इन निक्षेपों के समुपयोजन का इस समय प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

AIRCONDITIONING OF TELEPHONE EXCHANGES IN M. P.

†5808. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether airconditioned buildings or airconditioned arrangement for machines is necessary to ensure smooth and uninterrupted functioning of automatic machines in major telephone exchanges;

(b) if so, whether this arrangement does not exist in many big telephone exchanges in Madhya Pradesh as a result of which these exchanges do not function smoothly or there is continued faults therein; and

(c) if so, the reasons for not making such arrangement and steps taken to overcome the difficulty ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) Air conditioning of buildings for automatic exchanges is desirable for their optimum performance and life. Keeping in view the over all economics the Department arranges for buildings of all major automatic exchanges to be air-conditioned.

(b) In Madhya Pradesh air conditioning arrangement exists in all the 7 major Telephone Exchanges.

(c) Does not arise.

दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान पर भविष्य निधि की बकाया राशि

5809. श्री पायस टिर्की : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान पर भविष्य निधि की एक बड़ी राशि बकाया है ;

(ख) उक्त उपक्रम द्वारा भविष्य निधि की राशि जमा न करने के कारण सरकार को राजस्व की कितनी हानि हुई ; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामकृपाल सिंह) : (क), (ख) और (ग) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने सूचित किया है कि इस प्रतिष्ठान को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 17(1) के अधीन जून, 1963 में छूट दी गई थी। उपक्रम के कर्मचारियों की भविष्य निधि में जमा राशि को फरवरी, 1978 के अंत में निर्देश किया गया है। परिवार पेंशन और जमा सम्बद्ध बीमा निधियों की बाबत बकाया अंशदानों तथा निरीक्षण प्रभार का भी भुगतान कर दिया गया है।

इस्पात उद्योग के लिए अध्ययन ग्रुप

5810. श्री अहमद एम० पटेल : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रतिवेदन मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य सिफारिशों की गई हैं, और

(ग) इस्पात उपक्रम के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए नियुक्त छः कार्यकारी ग्रुपों द्वारा की गई सिफारिशों की क्रियान्विति के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्टों के सारांश अनुलग्नक 1 से 6 में दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 2039/78]

(ग) 30 नवम्बर, 1977 को इन अध्ययन दलों के सदस्यों का एक पूर्ण अधिवेशन हुआ था जिसमें अध्ययन दलों के प्रतिवेदन औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिए गए थे। इस अधिवेशन में यह फैसला हुआ था कि मंत्री महोदय केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के नेताओं की एक छोटी समिति से परामर्श करेंगे ताकि सरकार सिफारिशों पर उचित निर्णय ले सके और उन्हें कार्यान्वित कर सके। अब यह परामर्श किया जा रहा है।

HINGLAJMATA TEMPLE IN BALUCHISTAN

†5811. SHRI BEGA RAM CHAUHAN : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether before independence there was a temple of Hinglajmata of Charan Caste on the bank of Higol river in Lashela district of Baluchistan in Pakistan and whether the followers of this goddess are the people belonging to Charan Caste in Rajasthan, Gujarat and Madhya Pradesh (Malwa);

(b) whether the temple of Hinglajmata in Lashela district (Baluchistan) is still there and if so, the condition thereof;

(c) if this temple is still existing, whether passport or visa would be granted to the Charan priests of this Goddess to visit Paskistan; and

(d) whether Government would provide similar facilities to Charans followers of Hinglajmata as are given to Sikhs to visit Nankana Sahib (Pakistan) ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) and (b) The position regarding the location of the temple and its present condition can only be ascertained from the Pakistan Government. Efforts are being made to obtain this.

(c) and (d) Under the present Indo-Pak Protocol on pilgrimages, group pilgrimages only to certain specified shrines in either country are allowed. Government of India have been approaching Pakistan Government for expansion of the list of shrines. Pakistan Government, however, are in favour of confining the pilgrimages to the list agreed to.

मलंजखंड तांबा निक्षेपों के लिए राशि का कम किया जाना

5812. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में मलंजखंड के ताबां निक्षेपों के विकास के लिए 1978-79 के लिये आंकी गई 11 करोड़ रुपये की आवश्यकता की जगह यह राशि कम करके 1 करोड़ रुपये कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इस राशि में कमी करने से इस क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक उत्थान पर दुष्प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और आंकी गई राशि की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क), (ख), (ग) और (घ) मलंजखंड के लिए 1978-79 वर्ष के योजना बजट में 9 (नौ) करोड़ रुपए की आवश्यकता के स्थान पर एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। फिर भी इस कारण से परियोजना के काम की प्रगति कम नहीं होने दी जायेगी तथा काम की प्रगति के अनुरूप समय-समय पर धन की उपलब्धि के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जायेगा।

POST OFFICES, BRANCH AND SUB-POST OFFICES IN GUJARAT STATE

†5813. SHRI CHHITUBHAI GAMIT : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the district-wise number of post offices, branch post offices and sub-post offices in Gujarat State;

(b) the District-wise number of post offices proposed to be upgraded in 1978-79; and

(c) the names of the places in Surat, Bulsar and Dang, where post offices will be upgraded and the details thereof ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) (b) and (c) The information is enclosed as annexure.

[Placed in Library. *See* No. L-T.—2040/78]

FIXATION OF MINIMUM WAGES

5814. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government have decided to fix minimum wages for the labourers, and

(b) if so, by what time these wages will be fixed and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) & (b) The Central Government, as the appropriate Government under the Minimum Wages Act, 1948 have notified minimum rates of wages in the scheduled employments details of which are given in the statement attached.

Similarly the State Governments/Union Territories have also fixed minimum rates of wages for the scheduled employments falling in their spheres.

[Placed in Library. (*See* No. L.T. 2041/78].

छठी योजना में उड़ीसा में खनिजों को निकालने के लिए कार्यवाही

5815. श्री गिरधर गोमांगो : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने छठी योजना में उड़ीसा के खनिजों के विदोहन के लिए कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार और भारत सरकार इस समय किन-किन खनिजों को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद समझती है और इनके बारे में परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये ; और

(ग) इनमें से कितने खनिजों का विदोहन उड़ीसा सरकार, भारत सरकार, विदेशी सहयोग और गैर सरकारी परियोजनाओं द्वारा पृथक पृथक किया जायेगा ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी हां। खनिज पूर्वेक्षण का निर्धारण और उनके उपयोग की योजनाएं बनाना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

(ख) और (ग) जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है निम्नलिखित परियोजनाएं विभिन्न भागों में विचाराधीन हैं।

सरगीपल्ली सीसा परियोजना :—

भारत सरकार के प्रतिष्ठान, हिन्दुस्तान जिंक लि० ने इस परियोजना के लिए एक संशोधन परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। इस परियोजना में 500 टन अयस्क का दैनिक उत्पादन करने और उससे सीसा और तांबा सान्द्रों का उत्पादन करने का प्रावधान है। इस परियोजना को अभी सरकार द्वारा मंजूरी दी जानी है।

सकिन्दा निकिल परियोजना

अयस्क की जटिल बनावट के कारण इन निक्षेपों के समुपयोजन में विदेशी प्रौद्योगिकी अपनाने और साध्यता रिपोर्ट तैयार कराने का प्रस्ताव है। इस संबंध में अनेक विदेशी पार्टियों ने इस क्षेत्र का दौरा किया है तथा कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं अथवा शीघ्र प्राप्त होने के वचन मिले हैं।

पूर्वी घाट एल्यूमिना परियोजना

भारत सरकार के प्रतिष्ठान मै० भारत एल्यूमिनियम कम्पनी ने उड़ीसा राज्य के पोटंगी पंचपटमाली बाक्साइट निक्षेपों पर आधारित 600,000—800,000 टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले एक निर्यात-प्रधान एल्यूमिना कारखाने तथा 150,000—180,000 टन वार्षिक क्षमता के एल्यूमिनियम प्रद्रावक के लिए साध्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिये फ्रांस के मैसर्स एल्यूमिनियम पैचीनी के साथ करार किया है।

मंगलटोली लौह अयस्क परियोजना

सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने इन निक्षेपों के समन्वेषण का कार्य पूरा कर लिया है और अब प्रौद्यो-आर्थिक साध्यता रिपोर्ट बनाई जा रही है। लेकिन इस निक्षेप का विकास विदेशी पार्टियों के उपयुक्त बिक्री संबंधों पर निर्भर होगा, जिसके लिए प्रारंभिक बातचीत चल रही है।

जहां तक उड़ीसा सरकार का संबंध है, स्थिति इस प्रकार है :—

उड़ीसा राज्य सरकार का उड़ीसा खनन निगम राज्य में लोहा, मैंगनीज और क्रोम अयस्कों की खुदाई का काम करता है। इन खनिजों के लिए 1978—79 का उत्पादन लक्ष्य क्रमशः 14.2 लाख टन, 1.55 लाख टन और 0.70 लाख टन है। इन लक्ष्यों को अगले पांच सालों में दोगुना कर दिए जाने की संभावना है। उड़ीसा खनन निगम ने 1978-83 की योजना अवधि में चीनी मिट्टी, ग्रेफाइट फायरक्ले चूनापत्थर, वेनेडीफेरस मेगनेटाइट और बाक्साइट के विकास

का प्रस्ताव किया है। इस योजना अवधि में वे एक चार्चक्रोम संयंत्र, एक स्पंज आइरन संयंत्र, एक इलेक्ट्रालिटिक मैंगनीज डाइ-आक्साइट संयंत्र तथा एक चीनी मिट्टी धुलाई संयंत्र भी विकसित करना चाहते हैं। इनमें से क्रोम और स्पंज आइरन के संयंत्र विदेशी सहयोग से लगाने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा में राज्य सरकारी क्षेत्र में 500 टन वार्षिक क्षमता के एक लौह-बेनेडियम संयंत्र, 50,000 टन वार्षिक क्षमता के एक लौह/चार्ज क्रोम संयंत्र और 150/300 हजार टन वार्षिक क्षमता के स्पंज आइरन संयंत्र की स्थापना के लिए साध्यता रिपोर्टें भी तैयार कर ली गई हैं। लेकिन संयंत्रों का निर्माण उपयुक्त प्रबंध क्षमताओं पर निर्भर होकर, उत्पादों की दीर्घकालीन बिक्री तथा समग्र प्राथमिकताओं में अपेक्षित वित्तीय श्रोतों की उपलब्धि से जुड़ा हुआ है।

टेलीफोन निदेशालय स्थापित करना

5816. श्री दुर्गाचन्द: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अलग से एक टेलीफोन निदेशालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन कनेक्शनों से सम्बन्धित कार्यभार में, वर्षवार, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के दौरान टेलीफोन कनेक्शनों की वृद्धि का प्रतिशत क्रमशः 6.8, 10.2 और 10.1 रहा है। काम कर रहे टेलीफोन कनेक्शनों और टेलीफोन सेटों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

	1-4-75	1-4-76	1-4-77
काम कर रहे टेलीफोन कनेक्शन	13,29,237	14,65,415	16,13,644
लगाए गए टेलीफोन सेटों की कुल संख्या	17,44,088	19,13,824	20,95,962

गोआ में लौह तथा मैंगनीज अयस्क खानों के राष्ट्रीयकरण की मांग

5817. श्री अमृत कासर: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोआ संघ क्षेत्र में लौह तथा मैंगनीज अयस्क की खानों के राष्ट्रीकरण की मांग श्रमिक संघ, लोग और जनता नेता लम्बे समय से कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की बड़े पैमाने पर खोज से गोआ संघ क्षेत्र में पूंजीवादी एकाधिकार गृह बन गये हैं; और

(ग) गोआ में मैंगनीज और लौह अयस्क की खानों से होने वाले लाभ जनता को लाभान्वित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क), (ख) और (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

SUPPRESSION OF HUMAN RIGHTS

†5818. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the present Government have become less enthusiast in their opposition to the suppression of human rights;

(b) if not, whether it is only for reasons of foreign protocol that Government do not express their opposition on the question of human rights in countries like Nepal, Pakistan, Bangladesh, Iran, Soviet Union, etc;

(c) if so, whether the leaders of Janata Government have forgotten the days when the institutions like Socialist International, Amnesty International, B.B.C. etc. had raised their voice against suppression of human rights during the British regime in the days of freedom-struggle and during the dictatorial rule of Smt. Indira Gandhi in Emergency; and

(d) if not, whether the present Government will raise their voice with full force and in categorical terms against the suppression of human rights and take certain action in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) to (d) Government has consistently expressed its opposition to continuing patterns of gross violations of human rights in all parts of the world. However, since Government does not wish to interfere in internal affairs to other countries, it is of the view that persuasion and promotion of an awareness of human rights at the international level can be the only means whereby the international community can act in such cases.

Government has already stated its position on the issue of human rights and fundamental freedoms in clear terms at the recently concluded session of the Commission on Human Rights. On an Indian initiative, the Commission unanimously adopted a decision urging member States to set up national machineries which would protect human rights and fundamental freedoms of individuals. At the 32nd General Assembly, on India's initiative, a resolution was adopted containing a unilateral declaration by States against the use of torture. The international community has a promotional and informational role to play in bringing about a more universal awareness of the suppression of human rights in all parts of the world.

त्रिपुरा सरकार द्वारा प्रस्तुत बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की योजना

5819. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा सरकार ने बेरोजगार स्नातकों तथा अवर स्नातकों के लिए बेरोजगारी भत्ते की एक योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उसे अनुमोदित कर दिया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) त्रिपुरा सरकार ने, त्रिपुरा विचाराधान सभा द्वारा 29 जून, 1977 को पारित किए गए संकल्प की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी दी, जिसमें केन्द्रीय सरकार से अन्य बातों के साथ-साथ बेरोजगारों को जीवन-निर्वाह स्तर पर बेरोजगारी भत्ता मंजूर करने का आग्रह किया गया था।

(ग) इस प्रश्न की योजना आयोग से परामर्श करके जांच की गई और यह पाया गया कि अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति में बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने से संबंधित प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं है। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक खर्च की मात्रा के अतिरिक्त, ऐसी राहत की व्यवस्था बेरोजगार व्यक्तियों में कार्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने के प्रति उदासीनता की मनोवृत्ति उत्पन्न करेंगी। यह महसूस किया गया कि विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने में उपलब्ध स्रोतों का निवेश करना अधिक उपयोगी होगा और उससे अतिरिक्त उत्पादक तथा दीर्घकालिक/स्व-रोजगार अवसर सजित होंगे।

अगली पंचवर्षीय योजना में प्रर्याप्त उत्पादक रोजगार अवसरों के सृजन पर बल दिया जाएगा जिससे अगले दस वर्षों के दौरान उत्तरोत्तर रूप से बेरोजगारी दूर की जाएगी।

डाकघरों में तत्काल पंजीकरण सेवाएं

5820. श्री सूरज भान : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ चुने हुए डाकघरों में तत्काल पंजीकरण सेवा आरम्भ की गई है ; यदि हां, तो ऐसे डाकघरों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या उक्त सेवा लोकप्रिय हुई है; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त सेवा को लोक प्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और नई सेवा आरम्भ करने का क्या औचित्य है अथवा यदि उक्त सेवा असफल सिद्ध होती है, तो क्या उसे समाप्त करना आवश्यक नहीं समझा जायेगा ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय): (क) जी हां। यह सेवा 15 डाकघरों में चालू की गई है।

(ख) और (ग) यह सेवा बहुत लोकप्रिय नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रेषकों को कोई रसीद नहीं दी जाती है। फिलहाल यह प्रस्ताव है कि इस प्रयोग को एक साल तक और चालू रखा जाय।

भविष्य निधि संगठन में महिलाओं की अनियमित नियुक्ति

5821. श्रीमती अहिल्या पी०रांगनेकर: क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भविष्य निधि संगठन में कतिपय महिलाओं की अनियमित नियुक्तियों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें संसद सदस्यों से प्राप्त शिकायतें भी शामिल हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई विस्तृत जांच की गई है और यदि नहीं तो इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) जी हां। चार शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) तीन मामलों में जांज पड़ताल का कार्य पूरा हो चुका है। सरकार रिपोर्टों पर विचार कर रही है। चौथे मामले में रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

झालाबाड़ में डाक का देर से बांटा जाना

5822. श्री रामकवार बेरवा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या झालावाड़ (राजस्थान) में स्थानीय डाकघर के माध्यम से पत्रों को देर से बांटे जाने के बारे में की गई शिकायतों को सरकार की जानकारी है और स्थिति ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : झालावाड़ डाकघर में डाक वितरण की व्यवस्था संतोषजनक है। तारीख 1-4-1977 से अब तक द्वितीय श्रेणी की डाक के विलंब से मिलने के बारे में केवल एक शिकायत मिली है।

दक्षिण दिल्ली की कालोनियों में अपना टेलीफोन लगाओ (ओन योर टेलीफोन) योजना के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शनों का दिया जाना

5823. श्री हरिशंकर महाले : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली की कालोनियों जैसे ग्रेटर कैलाश पार्ट. दो, मस्जिद मोठ, पंपोश कालोनी, ग्रेटर कैलाश पार्ट एक, हेमकुंट आदि, नई दिल्ली के लिए अपना टेलीफोन लगाओ' (ओन योर टेलीफोन) योजना के अन्तर्गत विचाराधीन आवेदनपत्रों का निपटान कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त प्रत्येक रिहायशी कालोनी के (कालोनी वार) कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं तथा उनकी सापेक्ष प्राथमिकता तिथि क्या है ; और

(ग) विचाराधीन आवेदनपत्रों का निपटान किस तिथि तक हो जाएगा तथा उन्हें कब तक कनेक्शन दे दिए जाएंगे ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नही।

(ख) दक्षिण दिल्ली की कालोनियां तीन अलग-अलग एक्सचेंजों के अन्तर्गत आती हैं, जिनके ब्यौरे नीचे दिए जा रहे हैं:

(1) ग्रेटर कैलाश पार्ट-II और ई० एफ० जी० तथा एच० ब्लाक और मस्जिद मोठ के क्षेत्र हौजखास एक्सचेंज के अन्तर्गत आते हैं।

(2) पम्पोश कालोनी, ग्रेटर कैलाश-I के० सी० ई० और आर० ब्लाक तथा हेमकुंट कालोनी ओखला एक्सचेंज इलाके में आती हैं।

(3) ग्रेटर कलाश-I के ए० बी० एस० डब्ल्यू०, एम० और एन० ब्लाक जोरबाग एक्सचेंज इलाके के अन्तर्गत आते हैं।

ओ० वाई० टी० सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत 1-3-78 को प्रतीक्षा सूची में दर्ज बकाया अर्जियों की कुल संख्या और जिस तारीख तक की अर्जियों पर कनेक्शन दिए जा चुके हैं, उनका उल्लेख नीचे किया जा रहा र :—

	कुल संख्या	जिस तारीख तक की अर्जी पर कनेक्शन दिए जा चुके हैं
ओखला एक्सचेंज क्षेत्र . .	702	10-4-74
जोरबाग एक्सचेंज क्षेत्र	489	5-4-77
हौजखास एक्सचेंज क्षेत्र . . .	661	11-8-77

(ग) आशा है कि ओखला एक्सचेंज की प्रतीक्षा सूची में इस समय जिन आवेदकों के नाम दर्ज हैं, उन सभी आवेदकों को मार्च 1979 तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाएंगे। जहां तक हौजखास और जोरबाग एक्सचेंजों का संबंध है, वहां की प्रतीक्षा सूचियों में दर्ज सभी आवेदकों को वर्ष 1978 के अन्त तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाएंगे।

यमुना पार के क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के औषधालय

5824. श्री महीलाल : क्या **स्वस्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यमुना-पार क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय के बारे में 15 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4055 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मुनापार के क्षेत्रों में इस बीच केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के कुछ और औषधालय खोले गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सन्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा ये औषधालय कब तक खोले जाएंगे ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्ययाण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क), (ख) और (ग) दिल्ली के युमुना-पार क्षेत्रों में एक और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय खोलने का निर्णय किया गया है। इस औषधालय के लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले के उत्तरी भाग की टेलीफोन तथा तार संबंधी आवश्यकताएं

5825. श्री बापूसाहिब पुरूलेकर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में रत्नगिरि जिले के उत्तरी भाग की टेलीफोन एवं तार संबंधी आवश्यकताओं को दर्शाने वाला एक विवरण नवम्बर, 1977 के अन्तिम सप्ताह में प्रस्तुत किया गया था; और

(ख) क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो सरकार का विचार उस पर कब कार्यवाही करने का है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) **(i) पी० सी० ओ०**

1 पी० सी० ओ० खोल दिया गया है और 1 लम्बी दूरी के पी० सी० ओ० और स्थानीय पी० सी० ओ० की मंजूरी दे दी गई है। 29 प्रस्तावों की जांच की जा रही है। और 1 प्रस्ताव छोड़ दिया गया है।

(ii) नए एक्सचेंज

2 एक्सचेंजों की मंजूरी दे दी गई है और 3 अन्य एक्सचेंजों के प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(iii) अतिरिक्त ट्रंक टेलीफोन लाइनें :

11 मामलों में से 3 मार्गों पर सीधे सर्किट पहले से ही उपलब्ध हैं और 5 मार्गों के लिए प्राक्कलनों की मंजूरी दे दी गई है। दो मार्गों के संबंध में जांच की जा रही है और 1 मार्ग में सीधे सर्किट का औचित्य सिद्ध नहीं होता है।

(iv) एस० टी० डी०

बम्बई और रत्नगिरि के बीच एस० टी० डी० की व्यवस्था करने का औचित्य सिद्ध नहीं होता है। इनके बीच एक अविलम्ब सर्किट पहले ही दिया हुआ है।

(v) टेलीप्रिंटर सर्किट

4 प्रस्तावों में से चिपलून-बम्बई के केवल एक प्रस्ताव में टेलीप्रिंटर सेवा देने का औचित्य सिद्ध होता है।

(vi) टेलेक्स :

रत्नगिरि में टेलेक्स कनेक्शनों की पर्याप्त मांग नहीं है। इसलिए इस स्थान पर टेलेक्स की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ब्रिटेड के सेक्रेटरी आफ स्टेट फार ट्रेड एण्ड इंडस्ट्री की भारत यात्रा के दौरान उनके साथ वार्ता

5826. **श्री के० ए० राजन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने ब्रिटेन के सेक्रेटरी आफ स्टेट फार ट्रेड एण्ड इंडस्ट्री की भारत की हाल ही की यात्रा के दौरान खान और इस्पात उद्योगों में दोनों देशों के बीच सहयोग की सम्भावनाओं के बारे में उनके साथ कोई वार्ता की थी, और

(ख) यदि हां, तो जो विचार-विमर्श हुआ उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी , हां।

(ख) दोनों देशों के बीच खनन और धातु कर्म के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं के बारे में बातचीत की गई थी। यह विचार-विनिमय सामान्य और समन्वेषी प्रकार का था। बातचीत के दौरान ब्रिटेन के सेक्रेटरी आफ स्टेट फार ट्रेड एण्ड इंडस्ट्री ने इस्पात की उन

श्रेणियों के बारे में भी बताया था जिनका ब्रिटेन भारत को निर्यात कर सकता है। उनसे कहा गया था कि विशिष्ट प्रस्ताओं पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जा सकता है।

बोकारो और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों के श्रमिकों द्वारा हड़ताल

5827. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों के श्रमिकों को अपनी मांगों को स्वीकार कराने के लिए हाल में हड़ताल करनी पड़ी, और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है तथा श्रमिकों की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने कब कार्यवाही की थी?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया गुण्डा) : (क) जी हां।

(ख) बोकारो इस्पात कारखाने के ई० ओ० टी० क्रेन चालकों, मोबाइल इक्विपमेंट चालकों और हाई प्रेशर वेल्डरों ने 27-2-78 से हड़ताल की थी। उनकी मांगें निम्नलिखित थी :—

(क) मनीटेबल और उत्पादन लक्ष्य के बारे में प्रोत्साहन योजना में संशोधन किया जाए और इसे पिछली तारीख से लागू किया जाए और यह ऐसी बनाई जाए जैसी भिलाई इस्पात कारखाने में लागू है।

(ख) हाई प्रेशर वेल्डरों के वेतनमान वही होने चाहिएं जो भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों के इन्हीं श्रेणियों के कर्मचारियों के हैं और ये वेतनमान पिछली तारीख से मिलने चाहिएं।

(ग) जिन निर्माण कर्मचारियों को आपरेशन विभाग में काम करने के लिए कहा जाता है उन्हें आपरेशन विभाग में स्थायी रूप से रख लिया जाए।

(घ) बस्ती विभाग के निर्माण पर्यवेक्षकों की पिछली तारीख से पदोन्नति की जाए और इनकी पदोन्नति की नीति के बारे में फैसला किया जाए।

(ङ) कम्पनी के जिन कर्मचारियों ने अपने वर्तमान ग्रेड में तीन साल की नौकरी कर ली है उन सभी कर्मचारियों की अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति की जाए।

(च) जिन कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता नहीं मिल रहा है उन्हें यह भत्ता पिछली तारीख से दिया जाए। बिहार सरकार के श्रम उप-आयुक्त एवम् समाधान अधिकारी ने 27 फरवरी, 1978 को हड़ताली कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को सलाह दी थी कि हड़ताल तुरन्त समाप्त कर दें क्योंकि यह हड़ताल गैर कानूनी थी। बिहार के मुख्य मंत्री ने भी हड़ताली कर्मचारियों की यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष को भी हड़ताल समाप्त करने की सलाह दी थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि दूसरे इस्पात कारखानों में प्रचलित कार्यप्रणाली को देखते हुए उनकी मांगों पर उचित रूप से विचार किया जाएगा। 22-3-1978 को संबंधित प्राधिकारियों को यह फैसला बता दिया गया था कि अगर हड़ताल समाप्त कर दी जाए तो

ग्रेडेक्शन आदि जैसे लम्बित झगड़ों को बिहार के मुख्य मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से निपटा दिया जाएगा (27-3-1978 को हड़ताल समाप्त कर दी गई थी और कामगार अपने काम पर आ गये थे)।

जहां तक दुर्गापुर इस्पात कारखाने का संबंध है, कुछ विभागों में हड़ताल, धीमी गति से काम करने आदि के बारे में स्थिति नीचे दी गई है।

हिन्दुस्तान स्टील वर्कर्स यूनियन ने कारखाने के पी०-4 से पी०-6 के केन्द्रीय स्टोरों के दो आयल पम्प आपरेटरों की पदोन्नति की मांग की है। जिस समय समझौता-वार्ता चल रही थी चालकों ने काम करना बन्द कर दिया था। प्रबन्धक द्विपक्षीय विचार-विमर्श कर रहे हैं।

पदोन्नति की अपनी मांग के समर्थन में परिचालन विभाग के शंटिंग स्टाफ ने कुछ प्रकार के काम करने से इन्कार कर दिया था और काम करना बन्द कर दिया था। उनकी मांगों पर विचार-विमर्श किया गया है और शीघ्र ही समझौता हो जाएगा।

हिन्दुस्तान स्टील वर्कर्स यूनियन ने उष्मसह विभाग के बारे में मांग-पत्र प्रस्तुत किया है; जिसमें बोनस पर पुनर्विचार करने, रोटा के ग्रुप-7 को कार्यान्वित करने, पदोन्नति करने आदि की मांग की गई थी। कामगारों ने स्टील मेल्टिंग शाप में उष्मसह लगाने के कार्य की गति धीमी कर दी। बातचीत की जा रही है और आशा है समझौता शीघ्र ही हो जाएगा।

हिन्दुस्तान स्टील वर्कर्स यूनियन (श्री एन० विश्वास ग्रुप) ने अपनी निम्नलिखित मांगों के समर्थन में 24-2-1978 को प्रातः 6 बजे से हड़ताल कर दी थी :—

(1) अग्नि शमन सेवा विभाग में कार्मिकों की नियुक्ति वर्तमान 1:1:1:5 के अनुपात के स्थान पर 1:1:1:6 के अनुपात में की जाय।

(2) अग्नि शमन सेवा विभाग को डी० आई० जी० और सी० ओ० एस० के नियंत्रण से निकाल कर किसी अन्य विभागाध्यक्ष के नियंत्रण में रख दिया जाय।

(3) विभाग में खाली पदों को शीघ्र भरा जाय।

हड़ताल का नोटिस दिये जाने से पहले अग्नि शमन सेवा के कार्मिकों की उपर्युक्त मांगें प्रबन्धकों के विचाराधीन थी और इस मामले पर सभी तीनों यूनियनों से बातचीत की गई थी। दुर्गापुर के श्रम उप आयुक्त भी इस मामले में समझौता करने के लिये प्रयत्नशील था। दुर्गापुर के श्रम उप-आयुक्त की उपस्थिति में प्रबन्धकों और यूनियनों के बीच कुछ मदों पर समझौता हो जाने के पश्चात कामगारों ने उसी दिन रात्रि 10.00 बजे से सामान्य रूप से कार्य करना शुरू कर दिया था।

होमियो गर्भ निरोधक

5828. **डा० भगवान दास राठौर**
श्री श्याम सुन्दर गुप्त } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार** कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होम्यो-गर्भ निरोधक के लिए राष्ट्रीय आह्वान के उत्तर में सरकार को हरिद्वार से एक खाद्य बूटी से तैयार पेय मीठी औषधि प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इसका किस प्रकार व्यापक और निष्पक्ष परीक्षण करने का है; और

(ग) क्या अन्य भागों से भी कुछ और नमूने प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) हरिद्वार से ऐसा कोई खाये जाने वाला मीठा सीरप नहीं मिला है।

(ख) ऐसे प्राप्त होने वाले किसी भी दावे का परीक्षण करने के लिए होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद में सुविधायें उपलब्ध हैं।

(ग) कुछ नमूने प्राप्त हुए थे लेकिन अपर्याप्त सूचना होने के कारण दावेदारों को अधिक ब्यौरा भेजने के लिये अनुरोध कर दिया गया है और उस की प्रतीक्षा की जा रही है।

नर्सों को वेश्या वृत्ति के लिए विदेशों में भेजा जाना

5829. **श्री राज केशर सिंह**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 18 मार्च, 1978 में 'ब्लिटज़' में 'टी० एन० आई० ए० एक्सपोर्टस नर्सिज फार प्रोस्टीट्यूशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और भारतीय नर्सों के पश्चिम एशियाई देशों में भेजे जाने की रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: (क) जी हां।

(ख) भारतीय प्रशिक्षित उपचारिका संघ ने, जो एक गर सरकारी संगठन है और जिसके कार्यकर्ता इस संघ के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, सूचित किया है कि यह समाचार नितान्त आधारहीन है। वस्तुतः यह संघ भारतीय उपचारिकाओं को विदेशों में जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता बल्कि उल्टे वह देश के अन्दर ही अपने समुचित व्यावसायिक अस्तित्व को बनाने में उनकी मदद करना चाहता है।

उपचारिकाओं की विदेशों में प्रतिनियुक्ति की अनुमति दी जाती है जब विदेश मंत्रालय संबंधित देश से अपने राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के हित में ऐसी प्रतिनियुक्ति को उचित मानता है। विदेशी एजेन्सियों द्वारा उपचारिकाओं के चयन की सामान्य रूप से अनुमति नहीं दी जाती है और विदेश मंत्रालय को यह सलाह दे दी गई है कि वह इन भर्ती एजेंसियों के भर्ती बोर्डों/समितियों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि शामिल करें।

पूर्वोत्तर दूर संचार सर्किल में कर्मचारियों का एक ही पद पर बने रहना

5830. **श्री अहमद हुसैन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर दूर-संचार सर्किल में 31 दिसम्बर, 1977 में क्लेरिकल और जूनियर इंजीनियर कैडरों में तथा इन दोनों कैडरों के चयन कैडरों में कितने कर्मचारी उच्चतम वेतन-मान पर रुके हुए थे;

(ख) क्या उपर्युक्त कैडरों में तथा विभिन्न दूरसंचार सर्किलों/डिस्ट्रिक्टों के अन्य कैडरों में बड़ी संख्या में कर्मचारी कई वर्षों से उच्चतम वेतनमान पर रुके हुए हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इन कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति करने के लिए कोई कार्यवाही की है और इस मामले पर कभी कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से बातचीत की है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा भेजे गये प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) : वांछित सूचना संकलित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

होम्यो सोसाइटी आफ हरिद्वार होम्योपैथी विज्ञान को प्रोत्साहन

5831. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि 1970 में होम्यो सोसायइटी आफ हरिद्वार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के होम्यो विंग के साथ परस्पर विचार विमर्श करने का अनुरोध किया था जिसका तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने आदेश दिया था और उसे गत 8 वर्षों में क्रियान्वित नहीं किया गया ;

(ख) यदि हां, तो इस अत्यधिक विलम्ब के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे शुद्ध होम्योपैथी के विकास में बाधा पड़ी है; और

(ग) होम्योपैथी विज्ञान को, "आर्गनिन आफ मेडिसिन" के अनुरूप प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) 1975 में अखिल भारतीय प्रोटेक्शन सोसाइटी, हरिद्वार ने तत्कालीन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप-मंत्री से, जो केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के अध्यक्ष भी थे, परिषद के एक्जीक्यूटिव (कार्यकारी) के साथ विचार-विमर्श करने का अनुरोध किया था । उपमंत्री ने इस संबंध में कोई निदेश नहीं दिए थे । दिसम्बर 1975 में होम्योपैथी के सलाहकार ने, जो केन्द्रीय होम्योपैथी के उपाध्यक्ष भी थे, सोसाइटी के सेक्रटरी से उनके साथ प्रारम्भिक विचार-विमर्श करने का अनुरोध किया। लेकिन यह विचार-विमर्श न हो सका। तद्नुसार होम्योपैथी के सलाहकार ने सोसाइटी के सेक्रटरी से अनुरोध किया कि वह उन्हें 28 जनवरी, 1976 को मिल लें, लेकिन सोसायटी के सेक्रेटरी उनसे न मिले।

इस विषय में सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप होम्योपैथी की प्रैक्टिस को कोई हानि नहीं हुई है।

(ग) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् ने एक पाठ्यक्रम की सिफारिश की है ताकि देश भर में होम्योपैथी की शिक्षा को एकरूपता दी जा सके। ज्योंहि एक बार यह पाठयक्रम लागू हो

जाएगा त्योंहि प्रत्येक संस्था में 'आर्गेनन आफ मेडीसिन' की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाएगी। प्रत्येक छात्र को 'आर्गेनन आफ मेडीसन' के अध्ययन के लिए निर्धारित किया गया समय लगाना पड़ेगा और अर्हता प्राप्त करने से पहले उसे इसकी विशिष्ट परीक्षा पास करनी होगी।

एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया के कार्यों की जांच हेतु समिति

5832. **श्री रोबिन सेन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूतपूर्व सरकार ने इस्पात और खान विभाग द्वारा एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंण्डिया लिमिटेड, आसनसोल के कार्यों की जांच करने के लिये एक समिति बनाई गई थी, जिसमें श्री मरवाह भी थे।

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या उक्त समिति ने एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के प्रबंधों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी की थी?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जांच समिति, जिसने जून, 1974 में रिपोर्ट दी थी, ने यह पाया कि 1967-68 तक उत्पादन का रूख संतोषजनक था। उसके बाद श्रमिक-प्रबन्धक सम्बन्धों में तनाव पैदा हुआ जिससे संचालन आदि की समस्याएं पैदा हुई। ऊंची बिजली दर, अत्यधिक श्रम शक्ति असन्तोषजनक श्रमिक-प्रबन्धक सम्बन्ध, अति-विविधिकरण जैसे अन्तर्भूत अलाभकारी बातों के कारण, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम उत्पादों पर मई, 1971 में लागू मूल्य नियन्त्रण का कंपनी पर काफी प्रभाव पड़ा। लेकिन प्रबंधकों की वित्तीय फिजूल खर्ची के कारण जिस पर कंपनी आसानी से अंकुश लगा सकती थी, कार्यचालन परिणाम संभावित सीमा से अधिक खराब रहे। उड़ीसा परयोजना, जो असफल रही, पर अत्यधिक परिव्यय के कारण वित्तीय स्थिति और भीं बिगड़ गई। मार्च, 1972 से बिजली सप्लाई में कमी और रुकावट के कारण भी कारखाने के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इन सब कारणों से इस यूनिट को चलाने में निरन्तर घाटा होता रहा जो बढ़ता ही चला गया तथा भंडार कम होते रहे। इन सब तथ्यों के आधार पर जांच समिति की यह राय बनी कि कंपनी का संचालन जिस तरीके से चल रहा था वह अनुसूचित उद्योग और लोकहित के अनुरूप नहीं कहा जा सकता था।

जांच निकाय ने यह पाया कि बिजली दर, अन्यधिक श्रम-शक्ति, अति-विविधिकरण, कच्चे मालों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि जैसी वर्तमान कठिनाइयों से कारखाने का लाभदायक ढंग से संचालन नहीं हो पाएगा। इनमें से किसी भी कठिनाई को दूर करने के बाद भी कारखाने को लाभप्रद रूप से नहीं चलाया जा सकेगा। कम्पनी के उद्धार के लिए जांच समिति ने अनुभव किया कि इन कठिनाइयों को दूर करने हेतु अनेक सुधारात्मक उपाय करने होंगे जिसके लिए सरकार को महत्वपूर्ण नीति संबंधी निर्णय लेने होंगे।

लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पातल में "रेजीडेन्सी टर्म"

5833. **श्री प्रद्युम्न बल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन चिकित्सा छात्रों के लिए जो अपना एम० बी०बी० एस

पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं, लोक नायक जयप्रकाश नारायण हस्पताल में "रेजीडेंसी टर्म" को जनवरी की बजाय मार्च से शुरू करने के अनुदेश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कार्यवाही के पीछे विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या मंत्रालय की इन अनुदेशों के फलस्वरूप वहां के चिकित्सा छात्र बड़ी मुसीबत में हैं; और

(घ) क्या मंत्रालय ने इस निर्णय पर फिर से विचार किया है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय ने आयुर्विज्ञान के स्नातकोत्तर कोर्सों के लिए हर साल पहली अप्रैल दाखिले की तारीख निश्चित की है जो कि जूनियर रेजीडेंसी के द्वितीय वर्ष में दाखिले की भी तारीख है। जूनियर रेजीडेंसी प्रथम वर्ष में नियुक्तियों के लिए पहली मार्च की तारीख निश्चित किए जाने से जूनियर रेजीडेंसी प्रथम वर्ष पूरा करने के बाद और विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर कोर्सों में दाखिल होने से पहले जो प्रतीक्षा अवधि है वह कम से कम रह जायेगी। दूसरे, जो छात्र पूरक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे जूनियर रेजीडेंसी प्रथम वर्ष में नियुक्ति के लिए उनके नामों पर भी विचार किया जा सकेगा। इसके अलावा साल में अलग-अलग तारीखों पर विभिन्न पदों को उपलब्ध करने के बजाय उन्हें एक ही तारीख को उपलब्ध करने से जूनियर रेजीडेंसी प्रथम वर्ष के पदों के लिए ज्यादा से ज्यादा छात्र इसकी प्रतियोगिता में बैठ सकते हैं।

(ग) इन उपर्युक्त अनुदेशों के कारण आयुर्विज्ञान के छात्रों की कथित मुसीबत के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(घ) सरकार का यह निर्णय सब के हित में होने के कारण, इस अवस्था में इस पर फिर से विचार करना जरूरी नहीं समझा गया है।

NON-DEPOSIT OF P.F. BY GYMKHANA CLUB, NEW DELHI

5834. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether the amount on account of Provident Fund of all the employees working in the Gymkhana Club, New Delhi has not been deposited for the last three years and if so, the action being taken to get it deposited;

(b) whether the employees of the Club are not given loans from their Provident Fund as admissible under the rules; and if so, the main reasons therefor;

(c) the number of employees working as temporary, permanent, casual and on contract and daily wages therein at present separately and the number of employees who are entitled for Provident Fund contributions but same is not being deducted; and

(d) the number of employees who have retired from service since the inception of Club and the amount paid so far on account of gratuity, provident fund and under the labour welfare laws and the amount yet to be paid and the reasons for which the same has not been paid ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KRIPAL SINHA) : The Employees' Provident Fund Authorities have intimated as follows :

(a) M/s Gymkhana Club, New Delhi is an establishment which has been allowed relaxation under para 79 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952. The establishment is upto-date in the transfer of provident fund contributions to its Board of Trustees and the question of taking any action against it does not arise.

(b) The employees of the establishment are granted loans/advances according to the rules of the Provident Fund Scheme of the establishment.

(c) As on 25th February, 1978, the strength of the establishment was as under :—

Permanent employees	 170
Temporary employees	 87
Casual employees	 11
On contract and Daily wages	..... Nil
Number of employees who are entitled to the Provident Fund but not enrolled	..... Nil

(d) According to the information furnished by the Delhi Administration, from 1963-64 to 1977-78, 97 persons have been paid retirement benefits (gratuity) amounting to Rs. 88,922.23 and 11 employees are yet to be paid gratuity as they have not submitted the clearance certificate because they are still occupying the Club quarters. According to the management, the Payment of Gratuity Act, 1972 is not applicable to the establishment and retirement benefit is being paid on voluntary basis. The Provident Fund Authorities have reported that an amount of Rs. 2,68,698.13 has been paid on account of provident fund to 83 retired employees. Five employees are yet to be paid provident fund amount of Rs. 27168.68 as certain information/documents are yet to be furnished by the claimants.

पोलियो के टीकों का उत्पादन

5835. श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बन्दरों के आयात के लिये अपेक्षित धनराशि की कमी के कारण पोलियो के टीकों के उत्पादन में काफी कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो पोलियो के टीकों के उत्पादन में कमी का ब्यौरा क्या है तथा इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं । पोलियो वैक्सीन के उत्पादन के लिए हमें बन्दरों के आयात करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, इस वैक्सीन की एक खास प्रकार की जांच के लिए थोड़े से अफ्रीकन हरे बन्दरों की आवश्यका पड़ती है, जिनके लिए धन की कमी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) हाफकिन-बायो-फार्मास्युटिकल कारपोरेशन लि० ने पोलियो वैक्सीन का देसी उत्पादन शुरू करने के लिय कदम उठाये हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस यूनिट को निर्माता के रूप में मान्यता दी है। संस्थान ने "बीज छानो" (प्रथम प्रक्रिया) का वर्गीकरण और तंत्रिका-उग्र जांच से संबंधित अपने प्रारम्भिक कार्य पूरे कर लिए हैं। इस संस्थान में तयार किये गये कार्यशील "बीज" (टाइप-I) की तंत्रिका-उग्रता को छोड़कर सब जांच कर ली गई है। टाइप-II के अप्रैल, 1976 तक तैयार हो जाने की आशा है। भारतीय बन्दरों को वैक्सीन

के उत्पादन और तंत्रिका-उग्र की जांचों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आशा की जाती है कि संस्थान 1979 तक वैक्सीन उपलब्ध करने में समर्थ हो जायेगा।

काश्मीर

श्री मनोरंजन भक्त: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान परिस्थितियों में काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों की उपस्थिति निरर्थक हो गई है, यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और उनके वर्तमान कृत्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार श्रीनगर में संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक ग्रुप के कार्यालय को बन्द करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसको बन्द न करने के क्या कारण हैं?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू): (क), (ख) और (ग) संयुक्त राष्ट्र सैनिक प्रेक्षक दल 1949 की पुरानी युद्ध-विराम रेखा के विशिष्ट संदर्भ में गठित किया गया था जिसकी अब कोई वैधता नहीं रह गई है। जम्मू और कश्मीर की वर्तमान नियंत्रण रेखा के संबंध में उसे कोई दायित्व नहीं सौंपा गया है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों की अब कोई भूमिका नहीं रह गई है।

संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों को हटाने के लिए सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से अभी तक कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया गया है लेकिन यह स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू और काश्मीर में उनकी अब कोई भूमिका नहीं रह गई है। इस बात का निर्णय लेना संयुक्त राष्ट्र का काम है कि क्या उन्हें इस क्षेत्र से हटाया जाना चाहिए।

अमरीका द्वारा न्यूट्रोन बम का निर्माण

5837. श्री वयालार रवि: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका द्वारा न्यूट्रोन बम के निर्माण और नाटो द्वारा उसके प्रयोग के सम्बन्ध में विरोध प्रकट किया है;

(ख) क्या इस नये परमाणु हथियार के अनुसन्धान और प्रयोग से तनाव बढ़ेगा और नि:शस्त्रीकरण की प्रक्रिया को धक्का पहुचेगा; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुंडु): (क), (ख) और (ग) नाभिकीय तथा सामूहिक विनाश के अन्य सभी वर्गों के अस्त्रों का पूर्ण विरोध करने की अपनी दृढ़ और स्थिर नीति के अनुरूप भारत न्यूट्रोन बम के निषेध का भी समर्थन करता है। इस विषय पर संसद में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में भारत सरकार की इस नीतिगत स्थिति की पुन: पुष्टि पहले ही की जा चुकी है—लोक सभा, तारांकित प्रश्न संख्या 2792 दिनांक 7 जुलाई, 1977 और राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 132 दिनांक 22 जुलाई, 1977। भारत सरकार की इस स्थिति को भारत सरकार के प्रतिनिधि द्वारा 14 फरवरी 1978 को जेनेवा में निरस्त्री-

करण समिति सम्मेलन में भी बताया गया था। चूंकि न्यूट्रोन बम पर निषेध का प्रश्न भारत और संयुक्त राज्य अमरीका अथवा "नाटो" के किसी अन्य देश के बीच का द्विपक्षीय प्रश्न नहीं है, इसलिए उनकी सरकारों से विरोध प्रकट करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

प्रशिक्षित अध्यापकों में बेरोजगारी

5838. **श्री भानुकुमार शास्त्री** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशिक्षित अध्यापकों में कितनी बेरोजगारी है और उनके लिए छठी योजना के अन्त तक रोजगार की क्या सम्भावनाएं होंगी; और

(ख) अध्यापकों की मांग की पूर्ति में असंतुलन को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) प्रशिक्षित अध्यापकों में बेरोजगारी की सीमा के सम्बन्ध में वास्तविक अनुमान उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध सूचना रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर शिक्षा में प्रशिक्षित किए गए स्नातकों (स्नातकोत्तर सहित) की संख्या दर्शाती है, जो कि 30 जून, 1977 को 97.7 हजार थी (यह जरूरी नहीं है कि उनमें से सभी बेरोजागार हों)।

भारत सरकार ने छठी योजना की अवधि में प्राथमिक शिक्षा और वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों के सर्वसाधारणीकरण को शैक्षिक योजना के महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थान दिया है। आशा है कि इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप बड़ी संख्या में प्रशिक्षित अध्यापक रोजगार पाएंगे।

(ख) योजना आयोग ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि शिक्षकों संबंधी मांग को ध्यान में रखते हुए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में भर्ती को विनियमित करें।

ASHATANG MEDICAL SYSTEM OF AYURVED

5839. DR. MAHADEEPAK SINGH SHAKYA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government have made any efforts to implement effectively the policy in regard to Ashatang medical system of Ayurvedic; and

(b) if so, the steps taken in respect of each part of Ashatang medical system of Ayurved ?

THE MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) Yes, Sir.

(b) The Ashatang Medical System of Ayurved consists of the following parts :—

1. Kaya Chikitsa
2. Salya Tantra
3. Salakya Tantra
4. Agada Tantra
5. Bhuta Vidya
6. Kaumara Bhritya
7. Rasayana; and
8. Vajikarana

For the effective development of Ashatang Ayurved as also of Siddha and Unani Tibb and to regulate the practice and education in all the above mentioned systems of Indian Medicine, a Central Council of Indian Medicine was established under the Indian Medicine Central Council Act, 1970.

The Central Council has since prescribed the minimum standards for under-graduate education. The curriculum and syllabus which have been duly approved by the Government and circulated to State Governments for implementation uniformly throughout the country include all these Ashatangs.

The Central Council of Indian Medicine has also prepared minimum standards and curriculum for postgraduate education with a view to producing specialists who can be efficient teachers, clinicians, pharmaceutical experts and research workers in their respective fields of Ayurveda. It has contemplated the introduction of 13 subjects for the post-graduate degree course and 15 subjects for the post-graduate diploma course. These include all the 8 branches of Ayurveda.

PROFIT EARNED BY BHILAI STEEL PLANT IN 1976-77 AND 1977-78

5840. SHRI MOHAN BHAIYA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to lay a statement showing :—

(a) the quantum of steel produced by Bhilai Steel Plant in 1976-77 and 1977-78 and the amount of profit earned thereby; and

(b) the reasons for earning less profit even after a high production in 1977-78 as compared to the production in the proceeding year ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) and (b) The quantum of saleable steel produced by Bhilai Steel Plant in 1976-77 and 1977-78 is as below :—

		(In thousand tonnes)
1976-77	..	2019
1977-78	..	1930 (provisional)

The amount of profit earned during the year 1976-77 was Rs. 49.05 crores. The accounts for the year 1977-78 have not yet been finalised as the year has just ended. The amount of profit earned will be known only after the accounts are finalised. In view of this, the question of comparing the profits does not arise at this stage.

उड़ीसा में दूसरा इस्पात कारखाना लगाने की मांग

5841. श्री सरत कार : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में दूसरा इस्पात कारखाना बराई अथवा नयागढ़ में लगाने की बहुत मांग की गई है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) (क) और (ख) : उड़ीसा में दूसरा इस्पात कारखाना लगाने के बारे में भूत में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार की नीति यह है कि भविष्य में देश में इस्पात कारखाने लगाने के स्थानों के बारे में निर्णय लेते समय सभी संभाव्य स्थानों पर जिनमें उड़ीसा के स्थल भी शामिल हैं, विचार किया जायेगा।

काश्मीर

8542. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल में अपनी पाकिस्तान की यात्रा के दौरान पाकिस्तान की सरकार के साथ लम्बे समय से चले आ रहे उस विवाद के बारे में बातचीत की थी जिसे पाकिस्तान की सरकार ने जम्मू और काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में उठाया है और जिसे वह ऐसा बराबर मानती आ रही है;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र को खाली कराने के मामले अथवा प्रश्न को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क), (ख) और (ग) विदेश मंत्री की यात्रा के समय इस्लामाबाद में हुए विचार-विनिमय के दौरान पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल ने शिमला समझौते के परिप्रेक्ष्य में कश्मीर का उल्लेख किया था। विदेश मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि जनता सरकार इस समझौते को मानती है । काश्मीर के सवाल पर दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी स्थिति की जानकारी दी तथा यह भी बताया कि शिमला समझौते के अधीन दोनों देश बल प्रयोग न करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

कश्मीर के प्रश्न पर भारत सरकार की नीति सुविदित है। सम्पूर्ण जम्मू एवं कश्मीर संवैधानिक रूप से और विधितः भारत का अविभाज्य अंग है।

मध्य प्रदेश में नए टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदकों द्वारा धन जमा किया जाना

5843. **श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में नए टेलीफोन कनेक्शन मांगने वाले आवेदकों को नियम के अनुसार धन जमा कराने के लिए कहा गया है और यदि हां, तो ऐसे आवेदकों की संख्या क्या है; और

(ख) ऐसे कितने आवेदकों ने नए कनेक्शनों की मांग की है जिनको धन जमा करने के लिए नहीं कहा गया है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां। इनकी संख्या 435 है।

(ख) 541 ये आवेदक ऐसे स्थानों से संबंध रखते हैं, जहां टेलीफोन एक्सचेंज नहीं हैं, किन्तु वहां टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है।

वैज्ञानिक खनन न करने वाली लौह अयस्क खानें

5844. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन लौह अयस्क खानों के नाम क्या हैं जो वैज्ञानिक रूप में खनन नहीं कर रही हैं और अंधाधुन्ध खनन कर रही हैं तथा उनके मालिकों के नाम क्या हैं,

(ख) यह अवैज्ञानिक खनन कब से हो रहा है और खानों पर इसका प्रभाव क्या है, और

(ग) क्या सरकार को पता है कि लौह अयस्क खानों के गैर-सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश न होने के कारण विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) लौय-अयस्क की खानों में खनन कार्य वैज्ञानिक ढंग से न करने तथा अंधाधुन्ध खनन करने के बारे में हाल में कोई विशेष शिकायत नहीं मिली है। फिर भी, भारतीय खान ब्यूरो ने अपने निरीक्षण के आधार पर भूवैज्ञानिक अन्वेषण और रद्दी खनिज पदार्थों के अलग-अलग ढेर लगाने आदि के बारे में सुझाव दिए हैं। खान-मालिक, अन्वेषण कार्य तेजी से करने तथा वैज्ञानिक ढंग से खनन के लिए योजनाएं तैयार करने संबंधी तकनीकी मामलों पर भारतीय खान ब्यूरो और खनिज समन्वेषण निगम से परामर्श कर रहे हैं तथा जैसाकि भारतीय खान ब्यूरो ने सुझाव दिया है रद्दी लौह-अयस्क का अलग से ढेर लगा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

प्रतिदिन डाक बांटने की प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले गांव

5845. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) प्रतिदिन डाक बांटे जाने की प्रणाली के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष में कितने गांव आ जायेंगे; और

(ख) कितने गांवों में काउंटर सुविधायें तथा लेटरबाक्स सुविधायें उपलब्ध हो जायेंगी ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) 1971 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बसे हुए कुल 1,12,561 गांव थे। इन सभी गांवों में डाक की दैनिक वितरण सेवा उपलब्ध है।

(ख)	वर्ष 1977-78 के लिए निर्धारित लक्ष्य	लक्ष्य की प्राप्ति
(i) चलते-फिरते डाकघरों के जरिए गांवों में डाक की काउंटर सेवाओं की सुविधा देना . .	12,000	16,757
(ii) लैटर-बाक्स लगाना . .	20,000	20,040

विदेशी दूतावासों में काम कर रहे भारतीय

5846. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित प्रत्येक विदेशी दूतावास में सभी श्रेणियों के कितने भारतीय कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इन कर्मचारियों पर सेवा की सुरक्षा के वैसे ही नियम लागू होते हैं जैसे भारत सरकार के कर्मचारियों पर होते हैं; और

(ग) क्या सरकार इन भारतीय कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति से सन्तुष्ट है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) विदेश मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार नई दिल्ली स्थित विदेशी मिशनों में नियोजित भारतीयों की संख्या लगभग 2770 है।

(ख) विदेश मंत्रालय ने 1975 में एक माडल संविदा फार्म तैयार किया था जिसे सभी विदेशी मिशनों को परिचालित कर दिया गया है जिसमें मोटे तौर पर नियोजन की शर्तों के विषय में सुझाव दिये गये हैं और जिसका पालन करना सभी विदेशी मिशनों के लिए वांछनीय है।

चूंकि विदेशी मिशन भारतीय कर्मचारियों को सीधे भरती करते हैं और वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, इसलिए इन कर्मचारियों पर सेवा की सुरक्षा के वैसे ही नियम लागू होने का प्रश्न ही नहीं उठता जैसे कि भारत सरकार के कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

(ग) जहां तक विदेशी मिशनों में भारतीय कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का प्रश्न है, वह माडल संविदा फार्म के सुझावों के अनुरूप ही है। अतः कोई कारण नहीं कि सरकार इन भारतीय कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो। फिर भी, विदेशी मिशनों में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों या विदेशी मिशनों के अधिकारियों के घरों में घरेलू नौकर की हैसियत से काम करने वाले कर्मचारियों से उनकी सेवा के बारे में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर विदेश मंत्रालय संबद्ध मिशन से इसके मामले पर बातचीत करता है और इस हस्तक्षेप के परिणाम उत्साहवर्द्धक रहे हैं।

किझाकम्बलम टेलीफोन केन्द्र, केरल के कार्यकरण के बारे में शिकायतें

5847. श्री पी० के० कोडियान : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाग को केरल में किझाकम्बलम टेलीफोन केन्द्र के दोषपूर्ण कार्यकरण के बारे में गत एक वर्ष में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) इस बारे में पहली शिकायत कब प्राप्त हुई थी;

(ग) क्या प्रयोक्ताओं की शिकायतों की ओर विलम्ब से ध्यान देना भी एक शिकायत है;

(घ) क्या किझाकम्बलम टेलीफोन केन्द्र प्रयोक्ताओं को सन्तुष्ट करने में अब तक असफल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो टेलीफोन केन्द्र के दोष दूर करने में असफलता और शिकायतों की ओर विलम्ब से ध्यान देने के क्या कारण हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान टेलीफोन नं० 37 के एक उपभोक्ता से केवल चार शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) पहली शिकायत 19 अक्तूबर 1977 को प्राप्त हुई थी।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) जी नहीं। एक ही उपभोक्ता से जो चार शिकायतें प्राप्त हुई थीं, वे गलत नंबर मिलने, स्थानीय और ट्रंक सेवा के असंतोषजनक होने और एक्सचेंज कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरतने के बारे में थीं। इन शिकायतों पर शीघ्रता से कार्रवाई की गई की गई थी।

विलिंगडन अस्पताल के लिये शल्य चिकित्सा परामर्शदाता का चयन

5848. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विलिंगडन अस्पताल के लिये एक शल्य चिकित्सा परामर्शदाता का चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने पद ग्रहण कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क), (ख) और (ग) विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में शल्य चिकित्सा के परामर्शदाता का पद केन्द्रीय सेवा संवर्ग का एक सुपरटाइम ग्रेड-I का पद है। निम्नलिखित दृष्टियों से गुणावगुणों के आधार पर पदोन्नति द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर यह पद भरा जाता है :—

(1) सुपरटाइम ग्रेड-II (अब विशेषज्ञ ग्रेड-I और सुपरटाइम ग्रेड-III) के पदों पर काम कर रहे और जिन्होंने उस वर्ग में कम से कम 6 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उन अधिकारियों की वरिष्ठता; और

(2) भरे जाने वाले 7 पद के लिए अपेक्षित योग्यता और अनुभव नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की अनुमति पर की जाती है।

विलिंगडन अस्पताल में शल्य चिकित्सा के परामर्शदाता के पद को भरने का एक प्रस्ताव 1977 में निम्नलिखित अधिकारियों से बनी विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से भरे जाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को भेजे गये थे :—

(1) अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग . .	अध्यक्ष
(2) सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय . .	सदस्य
(3) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक . . .	सदस्य

इस पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति ने सात पात्र अधिकारियों के नामों पर विचार किया था। विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें इस मंत्रालय को मिल चुकी हैं और उन पर कार्यवाही की जा रही है।

बंगलादेश में मुकुरी नदी के किनारे पर तटबंध

5849. **श्री यादवेन्द्र दत्त**
श्री राजकेशर सिंह } : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 5 मार्च, 1978 में सन्डे स्टैन्डर्ड में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है जिसमें कहा गया है कि बंगलादेश सरकार ने त्रिपुरा की सीमा के आरपार

बंगलादेश में मुकुरी नदी के किनारे पर तटबन्ध बनाया है जिसके कारण वर्षा ऋतु में त्रिपुरा से बहुत बडे क्षेत्रों में बाढ़ आ जायेगी;

(ख) क्या यह सच है कि विश्व बैंक बंगला देश की इस परियोजना के लिये सहायता दे रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस तटबन्ध द्वारा त्रिपुरा में अप्राकृतिक बाढ़ को रोकने के लिये भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डे) : (क) भारत सरकार के देखने में ऐसी रिपोर्टें आई हैं जिनमें यह आशंका व्यक्त की गयी है कि बंगलादेश की सरकार निर्माण कार्य कर रही है उसकी वजह से बेलोनिया सबडिवीजन के कुछ गांवों में बाढ़ का गहरा पानी पहले से ज्यादा मात्रा में रुक सकता है ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस निर्माण कार्य के लिये धन विश्व बैंक नहीं दे रहा है ।

(ग) भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस प्रश्न को भारत बंगलादेश सीमा वार्ता में और ढाका में जनवरी, 1978 में हुई भारत बगलादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक में उठाया था कि संयुक्त नदी आयोग की इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि स्थानीय अधिकारियों को जिनमें दोनों देशों के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं, संयुक्त रूप से इन समस्याओं की जांच करनी चाहिये और शीघ्र ही सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट इस आयोग को देनी चाहिएं । अन्य मामलों के साथ इस मामले को भी राजनयिक स्तर पर बंगलादेश सरकार के साथ उठाया गया है । इसके अतिरिक्त त्रिपुरा सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह संम्बद्ध जिलाधीश को अनुदेश दे कि वह बंगलादेश के अपने समकक्ष अधिकारी से इस समस्या पर विचार करने के लिये शीघ्र एक बैठक बुलाने के लिये सम्पर्क करे ।

गोवा में पेलीटाइजेशन संयंत्र

5850. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में संयुक्त क्षेत्र में पेलीटाइजेशन संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और उसे चालू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी उत्पादन क्षमता क्या है अर इसमें अब तक औसत दैनिक उत्पादन क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(घ) इसका कितना उत्पादन निर्यात करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क), (ख) और (ग) जी, नहीं । इस समय ओआ में संयुक्त क्षेत्र में पैलेट बनाने का जो कारखाना बनाया जा रहा है, उसके वर्ष 1978 की दूसरी तिमाही के अन्त तक चालू हो जाने की संभावना है । इस संयंत्र की आयोजित क्षमता प्रतिवर्ष 18 लाख मीटरी टन लौह उत्पादन के सूखे पलेट बनाने की है ।

(घ) इस संयंत्र का शत प्रतिशत उत्पादन जापान को निर्यात करने का विचार है।

BRINGING OUT PUBLICATIONS AND PERIODICALS IN HINDI

5851. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) the names of publications and periodicals brought out by his Ministry/Department in 1977;

(b) the number of such publications and periodicals out of them as were brought out in Hindi also and the reasons for not bringing out the rest of them in Hindi;

(c) whether Government propose to bring out all such publications and periodicals in Hindi as are brought out in English at present; and

(d) if so, the steps taken so far in this regard ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a), (b) and (c) The main Ministry of Labour brought out its Annual Report and Performance Budget in 1977. Both these were in Hindi and English.

उड़ीसा दूर संचार सर्किल में जूनियर इंजीनियरों की संख्या

5852. श्री गणनाथ प्रधान : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975 से 1977 तक उड़ीसा दूस संचार सर्किल में कितने जूनियर इंजीनियर नियुक्त किये गये हैं और इनमें से कितने व्यक्ति उड़ीसा के हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरी प्रसाद साय) : उडीसा दूर संचार सर्किल में 1975 से 1977 तक कुल 82 इंजीनियरों की नियुक्ति की गई। इनमें से 49 उम्मीदवार उड़ीसा के हैं।

टेलीफोन संख्या 187, 198 तथा 198 पर काम करने वाले दोषी टेली-फोन कर्मचारियों का पता लगाना

5853. श्री निर्मल चन्द्र जैन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन संख्या 185, 197, 198 आदि पर टेलीफोन सेवा सबंधी शिकायत के मामले में इस विभाग के वास्तविक दोषी कर्मचारी का पता लगाना कठिन है ; और

(ख) सरकार का विचार इस संबंध में क्या उपाय करने का है जिससे कि दोषी व्यक्ति को दण्ड दिया जा सके ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं। यदि उपयोक्ता ठीक-ठीक यह बता दें कि उन्होंने अमुक-समय सेवा से सम्पर्क किया था और शुरू में उपभोक्ता को उतर देते समय आपरेटर ने पोजीशन संख्या क्या बताई थी, तो आपरेटर का तुरन्त पता लगाया जा सकता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्द महासागर के बारे में भारत-अफगान घोषणा

5854. श्री के० प्रधानी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और अफगानिस्तान ने बड़ी शक्तियों तथा समुद्रों का उपयोग करने वाले देशों से अनुरोध किया है कि वे हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने

के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये तटवर्ती और तट से दूर के देशों के साथ पूरा-पूरा सहयोग करें; और

(ख) यदि हां, तो क्या बड़ी शक्तियों से इस संबंध में कोई टिप्पणी प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

विदेश राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

दिल्ली में एक नया अस्पताल खोलना

5855. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में अत्यधिक भीड़ तथा बिस्तरों की कमी को देखते हुए राजधानी में एक और नया अस्पताल खोलने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जी, हां। यह निश्चय किया गया है कि दिल्ली के हरिनगर क्षेत्र में 500 पलंगों वाला एक अस्पताल खोला जाए (आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के 300 पलंग और एलोपैथिक पद्धति के 200 पलंग)। शाहदरा, दिल्ली में चिकित्सा कालेज एवं अस्पताल कम्पलैक्स के अंग के रूप में 500 पलंगों वाले दूसरे अस्पताल की स्थापना का प्रस्ताव भी विचार-विमर्श की अंतिम स्थिति में है।

यूनानी औषधालय

5856. **श्री के० लकप्पा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन पूरे देश में केवल एक यूनानी औषधालय हैं ; और

(ख) यदि हां, तो देश में चिकित्सा की इस पद्धति का विकास करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अन्तर्गत एक यूनानी औषधालय चल रहा है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, हैदराबाद के अन्तर्गत एक अन्य यूनानी औषधालय खोलने के लिये 2-3-1978 को मंजूरी दे दी गई है।

(ख) लाभार्थियों की पसंद तथा धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए और अधिक आयुर्वेद, हौम्योपैथिक तथा यूनानी एकक/औषधालय खोलने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन स्थापित आयुर्वेदिक, हौम्योपैथिक तथा यूनानी एककों /औषधालयों के कार्य की समीक्षा की जा रही है।

अफ्रीका के भारतीय मिशनों में वाणिज्यिक प्रतिनिधित्व सुदृढ़ किया जाना

5857. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका विचार अफ्रीकी देशों के भारतीय मिशनों में वाणिज्यिक प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) और (ख) भारत के अफ्रीका (सहारा के दक्षिण में) के 14 देशों में आवासी मिशन हैं। इनमें से 9 मिशनों में वाणिज्यिक केन्द्र हैं। अफ्रीका में अपने वाणिज्यक प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ करने के प्रश्न पर विदेश मंत्रालय वाणिज्य मंत्रालय के परामर्श से निरन्तर विचार करता रहता है और इस दिशा में जब जैसी आवश्यकता होती है, उचित कदम उठाये जाते हैं।

दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में भविष्य निधि के मामलों का निपटान

5858. **श्री शिवनारायण सरसूनिया** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशदाताओं के अन्तिम रूप से निपटाये जाने वाले मामलों और अग्रिम मामलों को साक्ष्यांकन करने वाले अधिकारियों के पास साक्ष्याँकन करने की सत्यता के स्पष्टीकरण हेतु पुनः भेजा जाता है ;

(ख) क्या 100 प्रतिशत अग्रिम मामलों को ब्लाक डेवलपमेंट अफिसरों और तहसीलदारों को उनके द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्रों की सत्यता के सत्यापन हेतु पुनः वापस भेजा जाता है और विशेष रूप से दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या यह जन प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों का अनादर नहीं है जिससे असामान्य विलम्ब भी होता है और निसाहय कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से भारी कठिनाई होती है ; और

(घ) कर्मचारी भविश्य निधि संगठन और दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यकरण में सुधार करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) जहां हस्ताक्षर अपाठ्य हों और दावे पुराने हों, या जहां साक्ष्यांकन करने वाले अधिकारियों की मुहर स्पष्ट न हों, वह दावों का साक्ष्यांकन करने वाले प्राधिकारियों से इस तथ्य की पुष्टि करने के लिये यह अनुरोध किया जाता है कि उन्होंने दावेदार के हस्ताक्षर का साक्ष्यांकन किया था।

(ख) इस योजना में ये यह व्यवस्था है कि यदि रहने का मकान या रहने का स्थान भारमुक्त है तो पेशगियां मंजूर की जा सकती हैं और यह कि संबंधित सदस्य आयुक्त द्वारा सत्यापन हेतु अधिकार पत्र पेश करेगा। चूंकि इन सदस्यों ने पेशगी के लिए स्थान/मकान की मलकियत सबूत के तौर पर अधिकार पत्रों के बगैर खण्ड विकास अधिकारियों/तहसीलदारों

द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों के साथ पेशगी के लिए आवेदन किया था इसलिये संबंधित अधिकारियों को इस बात की पुष्टि करने के लिये पत्र लिखने आवश्यक हो गए कि उक्त प्रमाण पत्र उन्होंने ही जारी किए थे।

(ग) किसी सरकारी प्रतिनिधि या सरकारी अधिकारी का अनादर करने का कोई मनशा नहीं था। भविष्य निधि प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक प्रयास करते हैं कि पेशगी के मामलों के निपटान में कोई अनुचित विलम्ब न हो।

(घ) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड समय-समय पर होने वाली अपनी बैठकों में संगठन के कार्य-करण की पुनरीक्षा करता रहा है तथा जहां आवश्यक होता है, वहां सुधार किए जाते हैं।

TAKING OVER OF DR. RAJENDRA PRASAD MEMORIAL RESEARCH INSTITUTE, PATNA

5859. SHRI BIRENDRA PRASAD : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Central Government have taken a decision to take over Dr. Rajendra Prasad Memorial Research Institute Gulzarbagh, Patna; and

(b) if so, the progress made in the this regard ?

THE MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) No.

(b) The Government of India have set up a High Level Technical Committee to examine the existing facilities available for research at the Rajendra Prasad Memorial Research Institute for Medical Sciences, Patna; to assess the extent and quality of research activities now being carried out at that Institute, and to suggest additional inputs required, with financial implications, that might be necessary if the Institute were to "function as a permanent research institute under the ICMR". The final Report of this Committee is awaited.

अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिकल निष्कर्ष

5860. **श्री यशवन्त बोरोले** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम मंत्रालय तथा उससे सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारियों के ऐसे कितने मामले हैं जिनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने क्रमश: वर्ष 1976 और 1977 के दौरान मंत्रालय को प्रतिकूल निष्कर्षों के बारे में सूचित कर दिया था।

(ख) आपात स्थिति के दौरान की गई ज्यादतियों से सम्बद्ध अधिकारियों के अतिरिक्त कितने राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों के मामलों को पन्द्रह महीने से अधिक समय से अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ; और

(ग) इनमें से ऐसे कितने राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारयिों को, पृथक-पृथक रूप से, मुअतिल नहीं किया गया है यद्यिप उनके मामलों को अंतिम रूप दिये जाने में इतना असामान्य समय लग गया है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामकृपाल सिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

CRITERIA FOR OPENING NEW DAK DIVISION

†5861. SHRI RAMJIWAN SINGH : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether any criteria has been laid down for opening a new Dak Division in the country; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) Yes, Sir.

(b) The criteria is based upon the workload of the Divisional Superintendents of the parent as well as the proposed Division computed in terms of coefficients laid down by the S.I.U. for the various indoor and outdoor items of work performed by the Divisional Superintendent. These standards are sometimes relaxed in the case of backward and hilly areas.

OUT DOOR PATIENTS IN DELHI HOSPITALS

5862. SHRI GANGA BHAKT SINGH : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that out door patients have to spend the whole day in various hospitals in Delhi for getting medical attendance;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government have chalked out any programme to provide adequate number of doctors and other employees in various hospitals and if so, the details in this regard ?

THE MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) No, Sir. The time spent by the patients in the O.P.D. of various hospitals in Delhi does not generally exceed 2-3 hours.

(b) Question does not arise.

(c) The staff posted in various hospitals in Delhi is by and large adequate. The staff strength is, however, reviewed from time to time on the basis of standard norms and felt needs of the hospital and additional staff sanctioned where considered necessary.

COPPER PLANT NEAR GHATSHILA IN BIHAR

5863. SHRI R. P. SARANGI : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether there is a copper plant of the Central Government near Ghatshila in Singbhum District of Bihar;

(b) the other places in the country where copper plants of the Central Government are located;

(c) whether raw material for the Ghatshila plant is supplied from the local mines; and

(d) the extent of loss of Ghatshila plant has incurred upto 1st March, 1978 together with the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) Yes, Sir. The Hindustan Copper Limited, a Government of India undertaking, has copper concentrators, and a copper smelter near Ghatshila in Singhbhum District, Bihar.

(b) The Hindustan Copper Limited has a copper concentrator and a copper smelter at Khetri, Jhunjhunu District, Rajasthan, and a copper concentrator at Dariba, Alwar District, Rajasthan.

(c) Copper concentrates for the smelter at Ghatshila is provided mostly by the local mines; a small quantity is supplied by Sikkim Mining Corporation, Rangpo, Sikkim.

(d) The Ghatsila Unit has not incurred any loss in the current financial year upto Ist March, 1978.

EXPENDITURE ON RESEARCH OF AYURVEDIC AND ALLOPATHIC MEDICINES

5864. SHRI O.P. TYAGI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by Government during the last 3 years on research of Ayurvedic and Allopathic medicines respectively; and

(b) the success achieved by Government so far in bringing the Ayurvedic medicines at par with Allopathic medicines ?

THE MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) The requisite information is given below :—

	1974-75	1975-76	1976-77
		(Rs. in Lakh)	
(i) Ayurveda	66.35	85 13	86.64
(ii) Allopathy	251.35	331.73	428 76

(b) Ayurveda and Allopathy being two entirely different systems of medicine, the question of bringing Ayurvedic at par with Allopathic medincine does not arise.

A Pharmacopoeial Laboratory for Indian Medicine was established during 1968 with a view to prescribing standards and developing tests for single drugs and compound preparations used in Indian Systems of Medicine. The laboratory has already developed a small museum of medicinal plants which will facilitate identification of herbs used in the Indian Systems of Medicine. The first volume of the Standard Ayurvedic Formulary for 444 compound formulations has been finalised and is under publication. Financial assistance is being released by the Government of India to the State Governments of Rajasthan, West Bengal, Uttar Pradesh, Maharashtra, Orissa, Himachal Pradesh, Kerala and Andhra Pradesh for development of State Pharmacies and herbal gardens etc. It has also been decided to set up a Corporation to manage a Central Pharmacy of Indian Medicine at Ranikhet. The main objective of this scheme is to supply at reasonable rates potent and genuine Ayurvedic and Unani medicines to the C.G.H.S. dispensaries and other Institutions. At a later stage these medicines will be made available to the general public also. The Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy is engaged in multi-discipline research in different aspects of Ayurveda, Siddha, Unani, Homoeopathy and Yoga. The main areas of research are, drug research, medico-Botanical surveys programmes and literary research. The working standards for about 460 drug preparations have been finalised. 1545 mounted herbarium sheets and 255 drug specimens have been added to the herbarium and museum. The medico-botanical survey reports of the 130 forests areas has been compiled to provide information on the quantitative position of herbal wealth. The techniques and technical know-how for about 120 plants cultivated at experimental level have been drawn up so that the knowledge could be advantageously used for large scale cultivation. An Ayurvedic medical kit has been evolved. The Council has developed an Ayurvedic contraceptive pill and intensive clinical trials are being launched. Remedies effective in the treatment of leucoderma, epilepsy and mental retardation have been evolved by the Council and large scale trials initiated. In order to accelerate research work in Ayurveda, it has been decided to set up a separate Central Council for Research in Ayurveda and Siddha.

श्रमिक शिक्षा योजना के कार्यकरण की समीक्षा के लिए समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना

5865. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमिक शिक्षा योजना के कार्यकरण की समीक्षा के लिये गठित समिति की सिफारिशों के बारे में किये गये निर्णय कार्यान्वित कर दिये हैं ; और

(ख) यदि उन निर्णयों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और निर्णयों को कब और किस रूप में कार्यान्वित किया जायेगा ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) श्रमिक शिक्षा समीक्षा समिति की सिफारिशों के संबंध में भारत सरकार द्वारा लिये गए निर्णय कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के ध्यान में ला दिए गए हैं। यह बोर्ड सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटी है।

(ख) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड ने सरकार द्वारा स्वीकार की गई अनेक सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया। बोर्ड की संरचना और गठन के संबंध में कुछ सिफारिशों पर सरकार पृथक रूप से विचार कर रही है। समिति की बारह सिफारिशों पर, जो विचारार्थ तथा उपयुक्त कार्यवाही के लिए बोर्ड के ध्यान में लाई गई हैं, सोसायटी की विशेष बैठक में विचार किया जाएगा। यह विशेष बैठक बोर्ड द्वारा शीघ्र ही बुलाई जाएगी।

ELIMINATION OF DIFFERENCE IN AVERAGE INCOME OF INDUSTRIAL WORKERS AND AGRICULTURAL WORKERS

5866. SHRI HUKMDEO NARAIN YADAV : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) the difference in the average income of industrial workers and agricultural workers and whether Government have a proposal to remove this difference; and

(b) if so, the outlines thereof ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) and (b) A statement is enclosed.

A Study Group on Wages, Incomes and Prices, appointed by the Central Government on 13th October, 1977, is inter alia considering the question "whether minimum wages should be uniform or could be different as between agriculture, industry and services."

Statement As in 1975

Sl. No.	State/ Union Territory	Average daily arnings in Manufacturing industry*	Wages per day prescribed for agricultural workers.**	Remarks.
1	2	3	4	5
		Rs.		
1.	Andhra Pradesh	9·54	Rs. 3 to Rs. 5/-per day according to area.	
2.	Assam	7·55	Rs. 5 to 6 per day or Rs. 4·50 to Rs. 5·50 with one meal according to occupation.	
3.	Bihar	7·27	Rs. 4·50 to Rs. 5/-per day Plus nastha in all districts (except East and West Champaran) according to areas.	
4.	Gujarat	10·04	Rs. 3/- per day	er at
5.	Haryana	11·45	Rs. 4·50 with meal or Rs. 7/- without meal.	trict,
6.	Himachal Pradesh	7·82	Rs. 4·25 per day.	ocal
7.	Karnataka	9·57	Rs. 3·25 to Rs. 5·60 per day according to class of operation and type of land.	st

1	2	3	4	5
8. Kerala		8·42	Rs. 6·50 per day for light work and Rs. 8/-per day for hard work.	
9. Madhya Pradesh		12·66	Rs. 3·50 to 4/- according to zone.	
10. Maharashtra		11·64	Rs. 3/- to Rs. 4·50	
11. Orissa		13·75	Rs. 3/-	
12. Punjab		9·64	Rs. 4 65 to 5 65 per day with meals or Rs. 6·70 to 7·70 per day without meals.	
13. Rajasthan		10·07	Rs. 4·25 to Rs. 6/- per day according to area.	
14. Tamil Nadu		8·93	Rs. 3/- per day.	
15. Tripura		6·45	Rs. 4/- per day.	
16. Uttara radesh		10·50	Rs. 4·50 to Rs. 6·50 according to zone and type of work.	
17. West Bengal		13·83	Adults : Rs. 5·60 basic pay plus DA Rs. 2·50 total : Rs. 8·10 per day. Child : Rs. 4/- basic pay plus DA Rs. 1.82 Total : Rs. 5·82 per day.	
18. Andaman & Nicobar Islands		10·02	Rs. 5·50 (1976).	
19. Delhi		8·22	Rs. 6·75 per day.	
20. Goa, Daman & Diu		12·88	Rs. 4/- to Rs. 5/- per day according to calss of work.	
21. Jammu & Kashmir		10·31	Not available.	
22. Pondicherry		11·78	Rs. 3·50 to Rs. 8·00 per day according to area and nature of work (1976).	

*Based on information collected under payment of wages Act, 1936 for employees earning less then Rs, 400/-per month

**Wage rates prescribed by the State Government/Union Territories under the minimum wages Act, 1948 for agricultural workers,

देश के आर्थिक जोनों में संपूर्ण प्रभुत्ता सम्पन्न अधिकारों का प्रयोग

5867. **श्री मुली मनोहर जोशी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के अनन्य आर्थिक जोनों में संपूर्ण प्रभुत्ता सम्पन्न अधिकारों का प्रयोग करने के दायित्व को पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री रामरेन्द्र कुण्डू : 15 जनवरी, 1977 से अनन्य आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के बाद सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखने की दिशा में कुछ निश्चित कदम उठाये हैं जिसमें किसी अनधिकृत विदेशी की उपस्थिति को अनुश्रवण करने के लिये एक कोस्ट गार्ज की स्थापना भी शामिल है। इस क्षेत्र के सजीव एवं निर्जीव संसाधनों का प्रभावी और योजनाबद्ध उपयोग करने के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालय तथा विभागों ने भी कदम उठाया है और अब भी इस संबंध में कार्यवाही कर रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रो में नियुक्त किये गये डाक्टरों को प्रोत्साहन

5868. **श्री ईश्वर चौधरी : एस० एस० सोमानी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में डाक्टरों को कुछ जब्त किया गया कपड़ा प्रोत्साहन के रूप में देकर उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में भेजने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रोत्सानह देने की सरकार की नीति क्या है और उन डाक्टरों को कैसा तथा कितना जब्त किया गया कपड़ा दिया जायेगा तथा उन्हें कितने दिन तक जब्त कपड़ा दिया जाता रहेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : (क) और (ख) जी नहीं । वैसे शब्त की हुई उपभोक्ता सामग्रियों की बिक्री के संबंध में वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है । उनका प्रस्ताव है कि ऐसी सामग्रियों कस्टम घरों द्वारा चलाई गई खुदरा दुकानों के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं को बेची जायें । इन उपभोक्ताओं में डाक्टर भी शामिल हो सकते हैं ।

P.C.Os SANCTIONED FOR KOTA, BHARTPUR AND JAIPUR DIVISIONS

†5869. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the number of proposals from Kota, Bharatpur and Jaipur Divisions, division-wise, pending sanction for setting up new Public Call Offices in the office of the General Manager, Telecommunications, Rajasthan indicating other details therefor;

(b) whether out of these proposals very few proposals have been returned duly sanctioned and most of them are still pending for a long time due to negligence of officers; and

(c) if so, why and the time by which the remaining proposals are expected to be sanction and a list of P.C.Os sanctioned so far, division-wise ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a), (b) and (c) There is no proposal for opening new Public Call Offices (PCOs) in Kota, Bharatpur and Jaipur Divisions pending sanction in the office of General Manager Telecommunications, Rajasthan Circle, Jaipur. Division-wise list of PCOs sanctioned during 1977-78 in these three Divisions is given in the Annexure.

STATEMENT

List of PCOs sanctioned/pending execution during 1977-78 in Kota, Bharatpur and Jaipur Divisions.

KOTA DIVISION	BHARATPUR DIVISION	JAIPUR DIVISION
1. Dag	1. Shahbad	1. Chhapoli
2. Siswali	2. Jawali	2. Rampur Kasba
3. Harigarh	3. Malpur	3. Puranawas
4. Rajmahal	4. Samoochi	4. Doojod
5. Panwar	5. Tasai	5. Karad
6. Ratlai	6. Seva	6. Bajawa
7. Gadra	7. Gudachandraji	7. Bichoon
8. Banetha	8. Piloda	8. Dabla
9. Khirni	9. Shahjahanpur	9. Pachalangi
10. Siras		10. Sakhoon
11. Navauli		11. Budana
12. Jhilai		12. Tamkore
13. Setrawa		13. Ganeshwar
14. Bahrawada Khurd		14. Khood
15. Sarola Kalan		15. Narayanpur
		16. Pachrikalan
		17. Barau
		18. Beelwari
		19. Teetanwar
		20. Ponkh.

राजस्थान में निवाई में स्थित खान्नों में रेत और क्वार्टजाइज के पट्टे

5870. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **इस्पात और खान** यह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सं० एम० एल० 22–68, दिनांक 27 मार्च, 1965, सं० एम० एल० 16–66, दिनांक 31 मई, 1969 और सं० एम० एल० 16–88, दिनांक 31 मई, 1969 के करारों के अन्तर्गत पट्टे पर दी गई राजस्थान में निवाई में स्थित खानों में सिलिका रेत और क्वार्ट-जाइज का उत्पादन करारों के अनुरूप है ;

(ख) क्या सरकार पट्टाधारियों की वित्तीय स्थिति के बारे में असंतुष्ट है और

(ग) यदि नहीं, तो गत पांच वर्षों में इस बारे में अपनाई जा रही प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) (क), (ख) और (ग) : राज्य सर-कार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, धनबाद द्वारा 1977 में कराए गए औद्योगिक विवादों के समझौते

5871. **श्री ए० के० राय** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री केयह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, धनबाद ने किस किस यूनियन के कितने मामले समझौते हेतु लिये थे और समझौते का परिणाम क्या रहा ;

(ख) कितने मामलों में पंच निर्णय के लिए यूनियन सहमत थीं परन्तु प्रबन्धक सहमत नये और कितने मामलों में प्रबन्धक सहमत थे परन्तु यूनियन सहमत नहीं थीं ; और

(ग) क्या अधिकांश मामलों में पंच निर्णय के लिए प्रबधकों की असहमति से लम्बी मुकद्मेबाजी चलती है और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) 1977 में 403 औद्योगिक विवादों के सम्बन्ध में संराधन कार्यवाही की गई जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

यूनियनों की सम्बद्धता	ऐसे विवादों की संख्या जिनमें संराधन कार्यवाही की गई	ऐसे विवादों की संख्या जिनमें संराधन कार्यवाही के परिणामस्वरूप समझौता हो गया	ऐसे विवादों की संख्या जिनमें संराधन कार्यवाही विफल रही ।
1. इंटक . . .	209	72	137
2. एटक . . .	28	7	21
3. हिन्द मजदूर सभा . .	18	4	14
4. यू० टी० यू० सी० .	4	2	2
5. सिद्ध . . .	22	3	19
6. ऐसी यूनियनें जो किसी केन्द्रीय संगठन से सम्बद्ध नहीं हैं । .	90	31	59
7. ऐसे श्रमिक जो किन्हीं पंजीकृत ट्रेड यूनियनों के सदस्य नहीं हैं .	32	4	28
जोड़ . . .	403	123	280

(ख) जिन 280 मामलों में संराधन कार्यवाही विफल रही, उसे 279 मामलों में उनमें यूनियनों ने पंच निर्णय कराना स्वीकार कर लिया, परन्तु एक मामले में स्वीकार नहीं किया। इसकी तुलना में प्रबन्धक 6 मामलों में पंच निर्णय कराने के लिये तो राजी हो गए, परन्तु 274 मामलों म वे पंच निर्णय कराने को राजी नहीं हुए। जिन पांच मामलों में दोनों पक्ष पंच निर्णय कराने के लिए राजी थे, उन्हें अनुशासन संहिता के अधीन पंच निर्णय के लिए भेज दिया गया।

(ग) समझौते की विफलता की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा जहां दोनों पक्ष पंच निर्णय कराने के लिए राजी नहीं होते, वहां जिन मामलों को न्याय निर्णय के योग्य समझा जाता है, उन्हें सरकार द्वारा न्याय निर्णय के लिये औद्योगिक अधिकरणों/श्रम न्यायलयों के पास भेज दिया जाता है। भेजे गए इस प्रकार के विवादों का निपटान करने में कितना समय लगता है, यह प्रत्येक मामले की जटिलताओं तथा सबधित अधिकरण के कार्यभार पर निर्भर करता है। तथापि, इन मामलों को बिना किसी अनुचित देरी के निपटवाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जाता है।

DEFECTIVE WORKING OF TELEPHONES IN BANTWA CITY, GUJARAT

†5872. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether great difficulties have been experienced during the last four months due to defective working of telephones in Bantwa city in Saurashtra region of Gujarat and complaints have been received by Junagadh and Ahmedabad telephones authorities;

(b) if so, the nature of such complaints, the number out of them removed, the complaints still to be removed and action being taken by Government to remove them; and

(c) the number of telephones working in Bantwa city at present and the number of new telephone connections in respect of which applications are pending and since when and when these will be cleared ?

THE MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) No, Sir. No difficulties have been experienced during the last 4 months due to defective working of telephones in Bantwa city in Saurashtra region. Some complaints were, however, received from the President, Grain and Kirana Merchants Association by D.E.T. Junagarh.

(b) Complaints were of general nature regarding late answering by operators on local calls, wrong bills, non-getting of trunk calls to Rajkot, Junagarh and other cities and requesting direct circuits to these places.

Action was taken to tighten supervision to give prompt reply by telephone operators. Wrong billing cases due to clerical error were corrected promptly.

Generally there is no delay in the disposal of trunk calls. The traffic between Bantwa to Junagarh and Bantwa to Rajkot does not justify for directly linking them to Bantwa city.

(c) Bantwa Telephone Exchange is a 200 lines CBM with 151 working connections. There is a waiting list of six. Five are for long distance connections beyond the local area. These are likely to be provided in the later half of 1978-1979. The Sixth demand received on 30-3-78 is being examined for feasibility.

SHORTAGE OF POSTCARDS IN BHAYAVDAR, SAURASHTRA

†5873. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether the postcards in the Post Office at Bhayavdar in Saurashtra region in Gujarat have gone out of stock;

(b) if so, the period during which the postcards remained out of stock there and the reasons therefor;

(c) the date on which postcards were supplied to this post office or the postcards became available at this post office;

(d) if postcards are still not available there, the time by which the same will be made available and whether any complaints have been received from the public in this regard; and

(e) if so, when and the nature thereof and the action taken or proposed to be taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : No, Sir.

(b), (c), (d) and (e) Do not arise.

भारतीय उच्चायुक्त का लार्ड माउंटबेटन से नेताजी के बारे में अनुरोध

5874. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **वितेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 9 मार्च, 1978 के 'स्टेट्समैन' में "गोरेज रिक्वेस्ट टु माउंट-बेटन" शीर्षक समाचार की ओर गया है उसमें लिखा है कि ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त श्री एल० जी० गोरे में लार्ड माउटबेटन से इस प्रश्न पर प्रकाश डालने का अनुरोध किया है कि क्या नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जिन्दा हैं या उनकी मृत्यु हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी तथ्य क्या है और इस बारे में लार्ड माउंटबेटन से यदि कोई उत्तर मिला है तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) श्री एन० जी० गोरे में 27 फरवरी, 1978 को लार्ड माउंटबेटन को एक पत्र लिखा था । श्री गोरे ने ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता का हस्तांतरण 1942–47" नामक प्रकाशन के खंड VI का उल्लेख किया और श्री सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु के संबंध में शंकाओं के कारण इस विषय पर सूचना मांगी । लार्ड माउटबेटन ने 10 मार्च, 1978 को श्री गोरे के पत्र का उत्तर देते हुए बताया कि उनके अभिलेखाकार में श्री सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु के संबंध कोई अधिकारिक रिकार्ड नहीं है । लार्ड माउंटबेटन ने लुई एलोन की "द खण्ड आफ द वार इन एसिया" नामक पुस्तक का उल्लेख किया जिसमें उस विमान दुर्घटना की तारीख 18 अगस्त, 1945 बतायी है जिसमें लेखक के विश्वास के अनुसार श्री सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु हो गयी थी ।

यह विवरण श्री एन० जी० गोरे के सौजन्य के माध्यम से बताया गया है और इस विषय पर लार्ड माउंटबेटन के साथ पत्राचार व्यक्तिगत है ।

हिन्दी का प्रयोग

5875. श्री पी० राजगोपाल नायडू : संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृया करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी काम काज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए संसदीय कार्य विभाग में एक पृथक अनुभाग (सेल) बनाया गया था ;

(ख) यह कब बनाया गया था ; और

(ग) इसने क्या कार्य किया है ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1973 में ।

(ग) यह सेल सरकारी पत्र व्यवहार के साथ साथ वार्षिक प्रतिवेदन तथा विभाग द्वारा समय समय पर प्रकाशित चुनींदा विवरणिकायें आदि के अनुवाद के लिए सुविधाएं प्रदान करता है ।

यह सेल सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों का विभाग के विभिन्न अनुभागों द्वारा कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए समन्वय एजेन्सी का भी कार्य करता है ।

उड़ीसा का भू-वैज्ञानिक नक्शा

5876. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने उडीसा का एक भू वैज्ञानिक नक्शा तैयार कराया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या खनिज सम्पदा का पता लगाने के लिए विभिन्न जिलों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है ; और यदि नहीं, तो सर्वेक्षण की प्रगति क्या है और अब तक जिलेवार किन किन खनिजों का पता लगा है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया गुण्डा) : (क) भारतीय भू-सर्वेक्षण सस्था ने 1 :2,250,000 पैमाने पर उड़ीसा का एक भू वैज्ञानिक मानचित्र तैयार और प्रकाशित किया है जिसमें राज्य की भू वैज्ञानिक बनावट और खनिज स्रोत दर्शाए गए हैं ।

(ख) भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण एक निरंतर चलने वाला कार्य है और जिसे उड़ीसा के विभिन्न भागों में चलाया जा रहा है । फिर भी अब तक हुए सर्वेक्षणों के फलस्वरूप उड़ीसा के विभिन्न जिलों में अनेक खनिज निक्षेपों का पता और अनुमान लगया गया है जैसा कि विवरण दर्शाया गया है ।

विवरण

उड़ीसा के विभिन्न जिलों में खनिज निक्षेपों के भंडार

खनिज का नाम	जिला	(मिलियन टनों में)
1	2	3
चीनी मिट्टी	मयूरगंज, क्योंझर, कोरापुट	11.10
फायर को	धेकनाल, पुरीसंबलपुर, सुन्दरगढ़	59.35
काईनाइट	धेनकनाल	0.07
ग्रेफाइट	संबलपुर,बोलनगीर-पटना, धंनकनाल, फूलबानी कालाहांडी	भंडारों का अनुदान नहीं लगाया गया ।

1	2	3
इलैगनाइट-गोनालाइट	कटक, पुरी और गंजय में समुद्रतट पर बालू	तट-बालू, में इ लमेनाइट, गारनेट, सटाइल, मोनाजाइट जिरकोन और सिलमेनाइट की पर्याप्त मात्रा विद्यमान है।
कोयला	तलचर और इव रीवर कोयला क्षेत्र	5180
वाक्साइट	कोरापुट, कालाहांडी, बोलनगीर, संबलपुर	1045.64
सीसा-अयस्क	सुन्दरगढ़	6.01
तांबा-अयस्क	मयूरभंज	1.66
निकिल अयस्क	कलक, मयुरभंज	88.01
लौह-अयस्क	क्योंझर, सुन्दरगढ़, कोरापुट, मयूरभंज, धेनकनाल, कटक, संबलपुर।	2661.46
मैंगनीज-अयस्क	क्योंझर, सुन्दरगढ़, कोरापुट, संबलपुर,बोलानगीर।	30.98
क्रोमाइट	कटक, धेनकनाल, क्योंझर	14.78
वेंडीफेरस मैंगनेटाइट	मयूरगंज, क्योंझर, और बालासोर	6.45
लाइमस्टोन	संबलपुर, सुन्दरगढ़, कोरापुट	375.89
डोलोनाइट	सुन्दरगढ़, संबलपुर	290.14

एस० सी० बी० मेडिकल कालेज, कटक में चैष्ट इन्स्टीयट

5877. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या स्वास्थय और परिवार कलयाण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने एस० सी० बी० मेडिकल कालेज में चैस्ट इंस्टीटयूट खोलने के लिये व्यवहार्यता प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रस्तुत किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त इंस्टीट्यट उनके मंत्रालय द्वारा विचार करने के बाद चालू वित्तीय वर्ष में खोला जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) एस० सी० बी० मेडिकल कालेज, कटक में एक वक्ष संस्थान खोलने के लिये उड़ीसा सरकार वित्तीय सहायता के लिये आग्रह कर रही है।

(ख) और (ग) "स्वास्थ्य" का विषय राज्य सूची में होने के नाते यह राज्य सरकार के लिए है कि वह अपने साधनों में से इस प्रयोजना के लिए आवश्यक धन दे । फिलहाल, भारत सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजना के लिये राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दी जा सके।

गोआ चिकित्सा कालेज में रिक्त स्थान

5878. **श्री अमृतकासर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री गोआ चिकित्सा कालेज में रिक्त स्थानों के बारे में 15 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4005 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या गोआ चिकित्सा कालेज में प्रोफेसर के स्थान अभी तक रिक्त पड़े हुए हैं ;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि चिकित्सा कालेज में उपयुक्त स्टाफ नियुक्त न किये जाने के कारण छात्रों को हानि हो रही है ; और

(ग) क्या ऐसे विलम्ब होने से तथा सरकार की कारगुजारी गोआ चिकित्सा कालेज की ख्याति पर बुरा प्रभाव पड़ता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क), (ख) और (ग) जी हां। जहां तक इस मंत्रालय को मालूम है जीव रसायन नेत्रविज्ञान, शल्य चिकित्सा, कान, नाक और गला तथा सूक्ष्मजीव विज्ञान के प्राध्यापकों के पद इस समय खाली हैं। उन पदों के भरे जाने के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति इस प्रकार है :—

जीव विज्ञान प्राध्यापक:—इस पद को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने की मांग पहले ही संघ लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है। उन्होंने इस पद को अभी विज्ञापित करना है।

नेत्र विज्ञान प्राध्यापक:—संघ लोक सेवा आयोग ने जिस उम्मीदवार की सिफारिश की की है, उन्होंने नियुक्ति की पेशकश मंजूर कर ली है और वे अपना कार्यभार शीघ्र सम्भाल लेंगे।

शल्यचिकित्सा प्राध्यापक :—स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस पद को तदर्थ आधार पर भर लिया था। चुने हुए उम्मीदवार के नियुक्ति प्रस्ताव गोआ, दमन और दीव सरकार के अनुरोध पर रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने इस पद को तदर्थ आधार पर भरने की अपनी व्यवस्था कर ली थी।

कान, नाक और गला प्राध्यापक :—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गए उम्मीदवार ने नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और उनको अपने पद का कार्यभार शीघ्र सम्भाल लेने की सभावना है।

सूक्ष्मजीव विज्ञान प्राध्यापक : —पदों को अपने साधनों से तदर्थ आधार पर भरने की शक्ति दिए जाने के निर्णय के अनुसार गोवा सरकार ने पद को तदर्थ आधार पर भरने के लिए चयन कर लिया है। चुने गए उम्मीदवार की अपने पद का कार्यभार शीघ्र सम्भालने की सम्भावना है।

छात्रों की कठिनाई और रोगियों की देखरेख के हित में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहले ही पदों को तदर्थ आधार पर भरने के लिए गोआ, दमन और दीव सरकार को राज्यों के चिकित्सा अधिकारियों और अन्य स्रोतों से भरने की इजाजत दे दी है। गोआ,

दमन और दीव सरकार ने जीव-रसायन के प्राध्यापक और शल्यचिकित्सा के प्राध्यापक के पदों के लिए पहले ही उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन कर लिया है और जिन उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है उनके नाम अनुमोदन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भेज दिए गए हैं।

IMPORT OF COAL

5879. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the quantity together with the value of coking coal to be imported by the Ministry this year;

(b) whether coking coal reserves in sufficient quantity are not available in the neighbourhood of Sindri; and

(c) the names of the foreign companies with which agreement for import of Coal were concluded ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) About 1 million tonnes of coking coal with ash content below 10% is proposed to be imported at an estimated F.O.B. value of around Rs. 45 crores.

(b) No, Sir. Such low ash coal is not available in sufficient quantity.

IMPORT OF COAL

5879. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the quantity together with the value of coking coal to be imported by the Ministry this year;

(b) whether coking coal reserves in sufficient quantity are not available in the neighbourhood of Sindri; and

(c) the names of the foreign companies with which agreement for import of Coal were concluded ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) About 1 million tonnes of coking coat with ash content below 10% is proposed to be imported at an estimated F.O.B. value of around Rs. 45 crores.

(b) No, Sir. Such low ash coal is not available in sufficient quantity.

(c) Global Tenders received for import of coal are under Techno-Economic Evaluation and no contracts have yet been concluded.

आयुक्तों तथा वित्तीय सलाहकार के टेलीफोन बिलों पर खर्च की गई धन राशि

5880. श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन व्यय में अत्यधिक मितव्ययता लाने के लिए सरकार ने सभी कार्यालयों को आदेश जारी किये हैं ;

(ख) क्या ये आदेश भविष्य निधि संगठन में भी लागू होते हैं ;

(ग) यदि हां, तो जो अधिकारी एस० टी० डी० और अन्य सुविधाओं के लिए हकदार नहीं हैं, उन्हें टेलीफोन सुविधायें क्यों दी गई हैं ;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और पद-वार आयुक्तों और वित्तीय सलाहकार के टेलीफोन बिल पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ङ) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : :(क), (ख), (ग) और (मैं) सरकार के प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता बरतने के संबंध में हिदायत विद्यमान हैं, जो भविष्य निधि संगठन को भी भेजी गई है। भविष्य निधि संगठन के एक या दो अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्हें प्रशासन के हित में, अपवाद के तौर पर, एस० टी० जी० सुविधाएं प्रदान की गई है।

(घ) विवरण संलग्न है।

विवरण-पत्र

गत तीन वर्षों के संबंध में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त और वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के टेलीफोनों पर हुए व्यय का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	केन्द्रीय भविष्य निधि आयक्त के टेलिफोन पर हुआ कुल व्यय	वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के टेलिफोन पर हुआ खर्च	टिप्पणियां
1	2	3	4
	रुपये	रुपये	
1975-76	17,525.30	4,555.27	4/75 से 10/75 तक की अवधि के दौरान वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी का पद खाली पड़ा रहा।
1976-77	21,514.51	2,711.88	6/76 से 7/77 तक की अवधि के दौरान वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी का पद खाली पड़ा रहा।
1977-78	16,605.00	11,213.88	वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के निवास स्थान पर लगे टेलिफोन के संबंध में 4/77 से टेलिफोन बिल की टेलिफोन विभाग से प्रतीक्षा की जा रही है।

बड़बीघा बिहार में प्रशिक्षण शिविर

5881. श्री ए० के० राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ बीघा, थाना बड़बीघा, जिला मुंगेर, बिहार में अक्तूबर, 1977 में केन्द्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का तीन महीने का एक प्रशिक्षण शिविर शुरु किया गया था, यदि हां, तो उसमें कितने प्रशिक्षणार्थी थे और बिहार में ऐसे कुल कितने शिविर लगाये गये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि बड़बीघा केन्द्र के प्रशिक्षणार्थियों को उनका देय पारिश्रमिक नहीं दिया गया है जिससे केन्द्र में असंतोष और रोष व्याप्त है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इस बारे में उनको अभ्यावेदन दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां। यह सच है कि बड़बीघा, थाना बड़बीघा,जिला मुंगेर, में जन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का तीन महीने का प्रशिक्षण अक्तूबर, 1977 से शुरु किया गया । प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 20 थी। बिहार में कुल 31 केन्द्रों में यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ख), (ग) और (घ) बिहार सरकार ने हाल में ही मानदेय की स्वीकृति दी है ।

जनकपुरी में तारघर

5882. श्री एस० एस० सौमानी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि दिल्ली की सबसे बड़ी रिहायशी कालोनी, जनकपुरी में कोई तारघर नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कालोनी के लिए क्षेत्रीय डाकघर व तारघर का निर्माण करने के लिए ए०-3 ब्लाक के शापिंग सेंटर में डाकघर विभाग को एक भूखण्ड आबंटित किया गया है ;

(ग) क्या डाक-तार विभाग ने उक्त भूखण्ड का कब्जा ले लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो डाक व तारघर के भवन का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जनकपुरी में एक तारघर पहले से ही काम कर रहा है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डाकघर की इमारत के निर्माण के लिए शापिंग सेंटर-II ब्लाक ए में एक प्लाट अलाट कर दिया है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अभी तक यह प्लाट विभाग को सौंपा नहीं है। इस प्लाट का कब्जा प्राप्त करने के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ लिखा-पढ़ी की जा रही है।

(घ) आशा है कि वर्ष 1978-79 के दौरान डाकघर की इस इमारत के निर्माण का काम शुरु कर दिया जाएगा ।

बोकारो स्टील लिमिटेड में हड़ताल

5883. **श्री ए० के० राय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो स्टील लिमिटेड में 21 सितम्बर, 1977 को एक दिन की हड़ताल औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार दिये गये 15 दिन के उचित नोटिस के बाद की गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि बोकारो स्टील लिमिटेड के प्रबन्धकों ने 15 दिन की अवधि में समझौता कार्यवाही में भाग नहीं लिया था हालांकि सार्वजनिक उपयोग की सेवा होने के नाते और हड़ताल को कानून सम्मत बनाने के लिए ऐसा करना जरूरी था ;

(ग) क्या यह सच है कि उस कानून-सम्मत हड़ताल के लिए भी प्रबन्धकों ने श्रमिकों का एक महीने का वह पुरस्कार काट लिया था जिसके वे पंचाट के अन्तर्गत अधिकारी थे ;

(घ) क्या यह सच है कि स्वयं मंत्री ने श्रमिकों के शिष्टमंडल को अक्तूबर, 1977 में यह वचन दिया था कि वह राशि लौटा दी जायेगी ; और

(ङ) क्या यह सच है कि इस स्पष्ट वचन के बावजूद उन्हें पंचाट की राशि वापस नहीं की गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं। समझौता अधिकारी के बुलाए जाने पर कम्पनी के प्राधिकृत प्रतिनिधियों ने समझौता कार्यवाही में भाग लिया था ।

(ग) उस समय लागू पुरस्कार योजना के उपबन्धों के अनुसार, सितम्बर, 1977 के महीने का पुरस्कार कर्मचारियों को नहीं दिया गया था । उस योजना के अनुसार यदि कोई कामगार महीने के किसी दिन कार्य समय के दौरान अनाधिकृत कार्य-स्थगन में भाग लेगा तो उसे उस महीने का पुरस्कार नहीं दिया जायेगा । कार्य-स्थगन अधिकृत है अथवा अनिधिकृत है इसके बारे में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

बोकारो स्टील लिमिटेड में श्रमिकों की क्रमिक भूख हड़ताल

5884. श्री ए० के० राय : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो स्टील लिमिटेड में 'लेबर सप्लाई पूल' के श्रमिक इस समय क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं, यदि हां, तो उनकी मांगों और परिस्थितियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने एक प्रेस साक्षात्कार में यह घोषणा की थी कि इस्पात उद्योग में हमेशा चलने वाले काम को करने वालें संविदा श्रमिकों को नियमित करने के बारे में अध्ययन किया जायेगा और उन्हें नियमित किया जायेगा ; और

(ग) क्या यह सच है कि जिन्होंने वहां भूख हड़ताल की थी वे श्रमिक ऐसे थे जो सदा चलने वाले काम को करते हैं और उनके नियमित किये जाने के प्रश्न पर विचार किया जाना उचित था और यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और हड़ताल समाप्त कराने के लिए ऐसी कार्यवाही कब की जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) बोकारो स्टील लिमिटेड में कोई 'लेबर सप्लाई पूल' नहीं है। लेकिन बोकारी स्टील लिमिटेड के एक ठेकेदार नामत: श्री मुरारु शर्मा द्वारा काम पर लगाए गए लगभग 100 कामगार 3 मार्च, 1978 से क्रमिक भूख-हड़ताल पर हैं। इस ठेकेदार ने फरवरी, 1978 के अन्तिम सप्ताह में अपना काम छोड़ दिया था और कम्पनी ने 1 मार्च, 1978 से उसका ठेका समाप्त कर दिया था। बोकारो स्टील लि० ने प्रधान नियोक्ता होने की हैसियत से ठेकेदारों के कामगारों को मंजूरी का भुगतान करने का प्रबन्ध किया था, परन्तु कामगारों ने मंजूरी लेने से इन्कार कर दिया और यह मांग की कि उन्हें बोकारो स्टील लि० में नौकरी दी जाए।

(ख) यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रैस इन्टरव्यू का जिक्र किया गया है। लेकिन सिद्धान्त रूप में यह बात मान ली गई है कि इस्पात उद्योग स्थायी किस्म के तथा हमेशा चलने वाले कार्यों के लिए ठेकेदारों के तथा उनकी मार्फत मजदूर नहीं रखेगा । इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों द्वारा इस निर्णय के अनुसार इस बारे में क्रमिक रूप से उचित कार्रवाई की जा रही है और स्थायी तथा हमेशा चलने वाले किस्म के बहुत से कार्यों का पहले ही विभागीकरण कर दिया गया है। इससे जो कार्य पहले ठेका-श्रमिकों द्वारा कराए जाते थे उनके लिए कामगार रख लिए गए हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

पश्चिम बंगाल में अध्ययन कर रहे बंगला देश के छात्रों को सामान्य सुविधाएं

5885. **श्री चित्त बसु** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि बड़ी संख्या में ऐसे छात्रों ने जो मुक्ति आन्दोलन के दौरान पूर्व पाकिस्तान (अब बंगलादेश) से चले आये थे उन्होंने पश्चिम बंगाल के कालेजों और विश्वविद्यालयों में दाखिला ले लिया था तथा वे विद्याध्यन कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि उन्हें वे सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं जो भारतीय राष्ट्रीयता वाले छात्रों को सामान्यत: उपलब्ध होती हैं ;

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही करना उचित समझती है जिससे उन छात्रों को वही सामान्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें जो पश्चिम बंगाल में छात्रों को मिलती हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क), (ख), (ग) और (घ) भारत सरकार को उन छात्रों के बारे में कोई जानकारी नहीं है जो मुक्ति संघर्ष के दौरान पूर्व पाकिस्तान (अब बंगलादेश) से चले आये हों और उन्होंने पश्चिम बंगाल की शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश ले लिया हो तथा वहां पढ़ रहे हों।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली के उप निदेशक की सेवावधि का बढ़ाया जाना

5886. **श्री के० लकप्पा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के उप निदेशक की सेवावधि अधिवर्षता की आय के बाद बढ़ाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सुपरटाइम ग्रेड II में शामिल केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली के उप निदेशक के पद को विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से भरे जाने का प्रस्ताव था, जिसकी बैठक 8 और 9 मार्च, 1978 को हुई थी। चूंकि इस पद पर किसी नियमित अधिकारी की नियुक्ति विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें मिलने के बाद ही की जा सकती है, जिनकी अभी प्रतीक्षा की जा रही है। अत: जन सेवा के हित में यह निर्णय किया गया था कि इस पद पर काम कर रहे अधिकारी को एक मार्च, 1978 से तीन महीने की अवधि के लिए और सेवा करते रहने की अनुमति दे दी जाये।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थय योजना अधिकारियों की सेवाओं का बढ़ाया जाना

5887. **डा० बसन्त कुमार पण्डित :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री उप-सहायक, महानिदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सेवाओं के बढ़ाये जाने के बारे में 28 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5144 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सभी ब्यौरा एकत्र कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि उनमें से कुछ अधिकारियों की सेवा बढ़ाये जाने की पुन: मंजूरी दे दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के वर्तमान ढांचे में आमूल परिवर्तन करने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : (क) और (ख) जी हां, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के उप-सहायक, महानिदेशक डा० जे० एम० पुरी और डा० जे० एन० सचदेव को क्रमश: 16-8-1976 और 26-3-1977 से एक वर्ष और छ: महीने का सेवा विस्तार दिया गया। इनकी सेवावधि का विस्तार भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री की अनुमति से दिया गया था। इन दोनों अधिकारियों के कार्य और आचरण के विरुद्ध रोगियों से अथवा किसी अन्य स्रोत से कोई शिकायत सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई। अत: उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अब ये दोनों अधिकारी क्रमश: 31-8-1977 और 30-9-1977 से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का निदेशालय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में काम कर रहा है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संबंधी सभी मामलों को देखने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में एक विंग है। भारत सरकार की स्टाफ की इंसपैक्शन यूनिट द्वारा किये गये अध्ययन के आधार पर इस विंग का पुनर्गठन किया गया है।

केरल सरकार द्वारा आप्रवास नियमों में छूट देने का अनुरोध

5888. **श्री के० ए० राजन**
श्री वी० एम० सुधीरन
श्री वयालार रवि } : **क्या विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार के श्रम मंत्री ने खाड़ी के देशों में रोजगार की खोज में जाने वाले व्यक्तियों की कठिनाइयों को कम करने के उदेश्य से केन्द्रीय सरकार से आप्रवास नियमों में छूट देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश राज्य मंत्री श्री समरेन्द्र कुण्डू : (क) और (ख) जी हां। केरल सरकार के श्रम मंत्री ने विदेश मन्त्री को एक पत्र लिख कर उनका ध्यान उत्प्रवासन अधिनियम के प्रावधानों की ओर आकर्षित करते हुए कहा था कि इन्हें लागू करने की वजह से अकुशल श्रमिक और घरेलू नौकर रोजगार के लिए खाड़ी के देशों में नहीं जा पाते। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि केरल में बेरोजगारी की स्थिति को और विदेशों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों को दृष्टि में रखते हुए इनके लिए पर्याप्त एहतियात बरत कर उदार रवैया अख्तियार किया जाना चाहिए।

2. विदेश मंत्री ने केरल के श्रम मंत्री को सूचित किया है कि उत्प्रवासन अधिनियम, 1922 का उद्देश्य अकुशल श्रमिकों और कमजोर वर्ग के लोगों के उत्प्रवासन को रोकना है जिससे कि यह सुनिश्चय हो जाए कि विदेशों में बेईमान लोगों द्वारा उनका शोषण नहीं होगा। सरकार बम्बई हवाई अड्डे पर हमेशा ही उत्प्रवासन संबंधी जांच-पड़ताल करती रही है और बाद में जब त्रिवेन्द्रम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया तो वहां भी इस प्रकार की जांच की जाने लगी। खाड़ी के देशों में लाभदायक रोजगार के लिए जाने वाले लोगों के मार्ग में अनावश्यक बाधा-डालने का सरकार का कोई इरादा नहीं है और नौकरी ढूंढने वाले वास्तविक व्यक्तियों को, जिनके पास समुचित रोजगार अनुबंध हों, जाने दिया जाएगा।

3. केरल सरकार के श्रम मंत्री को यह भी आश्वासन दिया गया है कि उत्प्रवासन अधिनियम के प्रावधानों को मानवीय ढंग से लागू किया जाएगा।

पत्रकार सम्बन्धी मजूरी बोर्ड के गतिरोध को सुलझाना

5889. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री समाचार पत्रों के मालिकों द्वारा मजूरी बोर्ड से अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाये जाने के बारे में 9 मार्च, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 234 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्रकारों सम्बन्धी मजदूरी बोर्ड के कार्यकरण में पैदा हुए गतिरोध को सुलझाने के लिए एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाने के बारे में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसे कब बुलाये जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) नियोजकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ 27-3-1978 को आगे विचार-विमर्श किया गया है। गतिरोध को समाप्त करने के लिए कुछ नए प्रस्ताव रखे गए हैं।

केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला का विकेन्द्रीयकरण

5890. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता स्थित केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला का विकेन्द्रीयकरण करने का निर्णय किया है ?

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार की इस कार्यवाही का इस प्रयोगशाला के कर्मचारियों ने विरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो किस आधार पर तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) कलकत्ता स्थित केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला जो एक अपीली प्रयोगशाला है, सम्पूर्ण देश की आवश्यकताओं को अच्छी तरह पूरा नहीं कर सकी थी। तदनुसार, नमूनों का शीघ्र विश्लेषण करने के लिए और अधिक अपीली प्रयोगशालाएं जिन्हें देश के विभिन्न भागों में स्थापित किया जाए, खोलने के बारे में विचार किया गया और इसके परिणामस्वरूप उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र के लिए क्रमश: गाजियाबाद, पुणे और मैसूर में तीन और प्रयोगशालाओं को 1-4-1978 से कार्य करने के लिए केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। 1-4-1978 से केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता केवल पूर्वी क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

(ग) और (घ) जी हां। इन कर्मचारियों की आशंका यह थी कि केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला के अनेक वैज्ञानिक तथा गैर-वैज्ञानिक कर्मचारी फालतू हो जाएंगे और कलकत्ता से उनकी बदली होने पर उन्हें असुविधा और कठिनाई होगी। सरकार ने इस पहलू पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद ऐसे वैज्ञानिक अथवा गैर-वैज्ञानिक कर्मचारियों का कलकत्ता से तब तक स्थानान्तरण न करने का फैसला किया है जब तक कि वर्तमान कर्मचारी अपने पदों पर बने हुए हैं। मौजूदा स्टाफ में से किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी। तथापि, इस प्रयोगशाला द्वारा किए जाने वाले कार्य की मात्रा में हुई कमी को ध्यान में रखते हुए कुछेक पद जब रिक्त होंगे तो उन्हें नहीं भरा जाएगा।

संगणक से बिल बनाने की पद्धति

श्री अहमद हुसैन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ टेलीफोन जिलों/दूरसंचार सर्किलों ने संगणक से बिल बनाने की पद्धति

अपनाई है जो इस प्रयोजनार्थ पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई है और ऐसे सर्किलों/जिलों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या संगणक पद्धति के लागू किये जाने के बाद से अधि राशि के बिल नाने, गलत राशि के बिल बनाने/बिल बनाने/भेजने में विलम्ब संबंधी शिकायतों में वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो संगणक पद्धति के लागू होने तक प्रति वर्ष कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और संगणक पद्धति के लागू होने के बाद अधिक राशि के टेलीफोन बिल बनाये जाने और टेलीफोन बिलों के न मिलने के बारे में, अलग अलग कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ; और

(घ) संगणक पद्धति के प्रयोग और मितव्ययिता के बारे में विभिन्न लाभ/हानियां क्या हैं और इस पद्धति का भावी प्रयोग क्या है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, और मद्रास महानगरों के टेलीफोन जिलों में कम्प्यूटरों के जरिये बिल बनाने और उनका लेखा जोखा रखने की पद्धति चालू की गई है और इस तरह यह पद्धति असफल सिद्ध नहीं हुई है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) लाभ

भारी भरकम और बोझिल कार्यों का आसानी से निपटारा, राजस्व की हानि रोकने के लिए सन्निहित जांच, शीघ्रता से कार्रवाई, यातायात और योजना बनाने के विभिन्न पहलुओं, वाणिज्यिक कार्रवाईयों, भुगतान के स्वरूप और व्यवहार आदि के अध्ययन के लिए विश्लेषित आंकड़ों की जानकारी तुरन्त उपलब्ध हो जाना जिससे कि प्रबन्ध के संबंध में उसका उपयोग किया जा सके ।

हानियां :

जब कम्प्यूटर खराब हो जाए और कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध न हो, तब बिल तैयार करने के निर्धारित समय में विलम्ब हो सकता है ।

भविष्य में उपयोग :

टेलीफोन राजस्व के बिल तैयार करने वाली सभी यूनिटों में कम्प्यूटर का इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं है बल्कि कम्प्यूटर का उपयोग केवल उन्हीं यूनिटों तक सीमित रखा जाएगा, जहां कार्य भार में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है और सामान्य प्रक्रिया से उसका निपटारा कुशलता पूर्वक न किया जा सकता हो ।

होम्योपैथी विज्ञान

5892. श्री श्याम सुन्दर गुप्त : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जनता "सिलि सिम्पल पैडिसीन इन मिनिमम डोज" (निम्नतम मात्रा में साधारण एक औषधि की खुराक) लेने के बजाय एलोपैथिक औषधि लेते हैं जबकि केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद ने कहा है कि वह लोगों के स्वास्थ्य को खराब करती है ; और

(ख) यदि हां, तो "आर्गेनन आफ मैडिसिन" के क्या तत्व इन काम्पलेक्सों, एक्सटर्नल आदि की अनुमति देता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) यह कहना सही नहीं है कि केन्द्रीय होम्योपथी परिषद् के होने के बावजूद भारतीय जनता "सिंगल सिम्पल मैडिसिन इन मिनिमम डोज" (निम्नतम मात्रा में साधारण एक औषधि की खुराक) लेने के बजाय एलोपैथिक औषधि ले रही है। केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् ने 'आर्गेनन आफ मेडिसिन' में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार होम्योपैथी की चिकित्सा करने की सिफारिश की है। तथापि, व्यवहार में, कुछ औषधियों को चिकित्सा संबंधी अनुभव के आधार पर इस व्यवसाय द्वारा सम्मिश्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है। परिशिष्ट के भाग 272–274 में 'आर्गेनन आफ मेडिसिन' (डडजन द्वारा अनुवादित) के अनुसार, डा० हनीमेन सम्मिश्रित दवाइयों के प्रयोग की सिफारिश करते थे विशेषकर जीर्ण रोगों में, क्योंकि वह एक खुराक में दी गई दो औषधियों के मिश्रण के प्रयोग द्वारा प्राप्त परिणामों से संतुष्ट थे। किन्तु वह अपने अत्यधिक प्रभावशाली शिष्यों को इस कार्य से रोकते थे। इसलिए, दवाइयों के सम्मिश्रण के प्रयोग की सिफारिश करने के बावजूद, वह 'आर्गेनन आफ मेडिसिन' के भाग 272 के नोट में इसे हलके से बुरा बतलाते हुए केवल प्रस्तावों का समर्थन करते हैं। (सन्दर्भ : 'आर्गेनन आफ मडिसिन डडजन के अनुवाद के भाग 272–274 का परिशिष्ट)।

'आर्गेनन आफ मेडिसिन' ने भाग 290 में बिना त्वचा वाले, जख्मी या अल्सर वाले हिस्सों पर एक्सटर्नलों के प्रयोग की सिफारिश की है, क्योंकि इन जगहों में दवाई प्रवेश कर जाती हैं और उस अंग विशेष पर प्रभाव डालती है जैसे कि वह दवाई मुख से खाई गई हो। बाहर लगाने के बारे में, हनीमैन के मैट० मेडिका (पृष्ठ 89––अमरीका संस्करण) में आर्निका पर उनके नोट में और अधिक सन्दर्भ देखा जा सकता है, जहां उन्होंने बताया है कि तेज और गहरी गुम चोट/घाव तेजी से ठीक होने लगते हैं जब पीड़ित हिस्सों पर पहले 28 घंटे तक कम पोटेंसी की आर्निका (2 एक्स) बाह्य रूप से लगाई जाती है और आर्निका की छोटी खुराकें आन्तरिक रूप से ली जाती हैं।

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा किए गये दौरे

5893. **श्रीमती अहल्या पी० रांगनेकर** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा किए गये दौरों के बार में 30 जन, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2293 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने अप्रैल 1977 से लेकर 28 फरवरी, 1978 तक कितने दौरे किये ;

(ख) इन दौरों के दौरान उन्होंने किन-किन स्थानों का दौरा किया और प्रत्येक स्टेशन पर वे दौरे-वार कितने दिन ठहरे और उनके यात्रा भत्ते एवं दैनिक भत्ते पर कितना व्यय हुआ ; और

(ग) क्या ये दौरे सरकारी व्यय में चहुमुखी किफायत करने सम्बन्धी सरकारी आदेशों का, जिनका प्रायः प्रचार किया जाता है, उल्लंघन नहीं है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डा० राम कृपाल सिंह) : (क) ग्यारह ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

(ग) जी नहीं।

विवरण

क्रमांक	दौरे की अवधि	स्थान जिनका दौरा किया गया	प्रत्येक स्थान पर ठहरने की अवधि	यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते पर हुआ व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				रुपये
1.	14-5-77 से 18-5-77	हैदराबाद	पहुंचना 10.35 घंटे 14-5-77 रवानगी 20.10 घंटे 18-5-77	1014.60
2.	5-8-77 से 9-8-77	बम्बई	पहुंचना 19.45 घंटे 5-8-77 रवानगी 06.40 घंटे 9-8-77	982.60
3.	24-8-77 से 27-8-77	चंडीगढ़ धर्मपुर शिमला	पहुंचना 18.30 घंटे 24-8-77 रवानगी 7.00 घंटे 27-8-77	52.25
4.	16-9-77 से 18-9-77	मद्रास	पहुंचना 22.10 घंटे 16-9-77 रवानगी 18.30 घंटे 18-9-77	1301.75
5.	27-9-77 से 29-9-77	बम्बई	पहुंचना 19.45 घंटे 27-9-77 रवानगी 18.15 घंटे 29-9-77	942.10
6.	12-10-77 से 14-10-77	पटना	पहुंचना 09.05 घंटे 12-10-77 रवानगी 14.15 घंटे 14-10-77	705.50
7.	24-10-77 से 30-10-77	इन्दौर बम्बई हैदराबाद	पहुंचना 9.40 घंटे 24-10-77 रवानगी 20.10 घंटे 30-10-77	1328.60
8.	2-12-77 से 7-12-77	बंगलौर	पहुंचना 12.00 घंटे 2-12-77 रवानगी 18.45 घंटे 7-12-77	1332.50
9.	14-1-78 से 18-1-78	बम्बई	पहुंचना 11.00 घंटे 14-1-78 रवानगी 6.30 घंटे 18-1-78	974.50
10.	25-1-78 से 29-1-78	बम्बई पूणे	पहुंचना 19.45 घंटे 25-1-78 रवानगी 18.15 घंटे 29-1-78	1070.60
11.	20-2-78 से 27-2-78	बंगलोर/ मंगलौर	पहुंचना 19.00 घंटे 20-2-78 रवानगी 19.40 घंटे 27-2-78	फरवरी 1978 के दौरे का दावा अभी तक भुगतान के लिए पास नहीं हुआ।

SALE OF INDIAN GIRLS ABROAD

†5894. SHRI LALJI BHAI
DR. LAXMINARAYAN PANDEYA
SHRI PHOOL CHAND VERMA } : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the business of selling Indian women by giving them allurement of jobs carrying high salaries in Arab countries is flourishing in South Indian States and is now spreading to North India also;

(b) whether many agencies are functioning in Punjab and Haryana, which are sending women to Arab countries on the pretext of providing jobs there;

(c) whether about ten thousand young girls are sold annually in this way in which many travel agencies are also involved; and

(d) if so, whether Government are taking any action in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) Government formerly were receiving reports that single Indian women were being taken to Arab countries in a clandestine manner and were being exploited. However, there have been no recent reports from State Governments that Indian women are being allured to Arab countries with promise of jobs on high salaries.

(b) and (c) Government have no reports that agencies for sending women to Arab countries on the pretext of providing jobs there are functioning in Punjab and Haryana. Government also do not have reports that 10,000 young girls are sold annually in this manner and that travel agencies are involved.

(d) Government exercises considerable caution, while permitting emigration of single Indian women in order to prevent their exploitation.

खेतीहर मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उन्हें रोजगार उपलब्ध करने के लिए उपाय

5895. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करके विभिन्न राज्यों में खेतिहर मजदूरों की आर्थिक स्थिति और उनके लिए रोज़गार की उपलब्धता का पता लगाने के लिए वर्ष 1977 में कोई उपाय किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अधिकांश राज्यों में खेतिहर मजदूरों को साल भर काम नहीं मिलता है ; और

(घ) यदि हां, तो उनको कम रोज़गार उपलब्ध होने वाली अवधि के दौरान कार्य देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख), (ग) और (घ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने अपने 32वें दौरे (जुलाई, 1977–जून, 1978) के अंग के रूप में जुलाई, 1977 में रोजगार और बेरोजगारी संबंधी एक नमूना सर्वेक्षण आरंभ किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ कृषि श्रमिकों सहित ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति के संबंध में सूचना एकत्र करेगा। यह सर्वेक्षण इस समय चल रहा है।

विकास योजना का अगला चरण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी और अल्प रोजगार को समाप्त करने पर जोर देगा।

भारत-ईरान संयुक्त आयोग

5896. **श्री चित्त बसु** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ईरान संयुक्त आयोग ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में वृद्धि करने के लिए इस बीच विशिष्ट प्रस्ताव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सितम्बर, 1977 में नई दिल्ली में सम्पन्न भारत ईरान संयुक्त आयोग के छठे अधिवेशन के दौरान कृषि, पेट्रोलियम, पेट्रो-रसायन, उद्योग, व्यापार और परिवहन के क्षेत्रों में विभिन्न प्रस्तावों पर विचार-विनिमय हुए। उनमें से महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं :

(क) **कृषि** :

(1) राजस्थान नहर प्रायोजना का द्वितीय चरण।

(2) अनुसंधान एवं विकास के उद्देश्य से बीज के रूप में प्रयोग के लिए गेहूं और आलु का आदान-प्रदान।

(3) भारत के मत्स्य-उद्योग संस्थान में ईरानी कार्मिकों का प्रशिक्षण।

(4) चाय बागान लगाने और भेड़ पालन के क्षेत्रों में सहयोग।

(ख) **पेट्रोलियम एवं पेट्रो-रसायन** :

भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए बुनियादी और मध्यवर्ती पेट्रो-रसायनों तथा सम्बद्ध उत्पादों के विनिर्माण के लिए ईरान में संयुक्त उद्यम की स्थापना।

(ग) **उद्योग** :

(1) त्रिपुरा में कागज और लुगदी प्रायोजना।

(2) पूर्वी तट की अल्यूमिना प्रायोजना।

(3) बेलगांव अल्यूमिना परिसर का विस्तार।

(घ) **व्यापार** :

द्विपक्षीय व्यापार की संभावनाएं रखने वाली नयी जिन्सों का पता लगाना।

(ङ) **परिवहन** :

(1) ईरान-हिन्द जहाजरानी कंपनी को मजबूत करना।

(2) ईरान की रेलवे प्रायोजना के क्षेत्र में सहयोग।

इन सभी प्रस्तावों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

भारत-अमरीका संयुक्त आयोग

5897. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-अमरीका संयुक्त आयोग ने उद्योग क्षेत्र, प्रौद्योगिकी और लघु उद्योग के विकास में संयुक्त विचार-विमर्श और अनुसंधान के लिये औद्योगिक कार्यकारी ग्रुप गठित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई और इसके क्या परिणाम हैं ; और

(ग) क्या ऐसे ग्रुपों का गठन आर्थिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और कृषि के लिये भी करने का प्रस्ताव है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत–अमरीकी संयुक्त आयोग ने 3 जनवरी, 1978 को नई दिल्ली में अपनी बैठक में आर्थिक एवं वाणिज्यिक उप आयोग के तत्वावधान में एक औद्योगिक कार्यकारी दल गठित करने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी । इस कार्यकारी दल के क्षेत्र-विस्तार और कार्यों के विषय में दोनों पक्षों द्वारा विचार किया जा रहा है ।

(ग) संयुक्त आयोग के अंतर्गत तीन उप आयोग स्थापित किए गए हैं, यथा: आर्थिक एवं वाणिज्यिक, वैज्ञानिक एवं प्रोद्योगिक तथा शिक्षा एवं संस्कृति । इन उप आयोगों में पारस्परिक हितों से संबद्ध विषयों पर विचार-विमर्श किया जाता है ।

आर्थिक एवं वाणिज्यिक उप आयोग के अंतर्गत कृषि-निवेश एव संबद्ध प्रौद्योगिकी संबंधी एक कार्यकारी दल है ।

वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी आयोग के लिए यद्यपि इस तरह का कोई कार्यकारी दल नियुक्त करने का प्रस्ताव नहीं है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों/वैज्ञानिक संस्थाओं और अमरीकी वैज्ञानिकों/वैज्ञानिक संस्थाओं के बीच सम्मिलित कार्य की संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं और विकास के क्षेत्र तय किये गए हैं । सौर ऊर्जा और पर्यावरण विज्ञान जैसे क्षेत्रों में कुछ द्वि-पक्षीय संगोष्ठियां/गोष्ठियां आयोजित की गई हैं ।

शिक्षा और संस्कृति उप आयोग ने संग्रहालय संबंधी गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक संयुक्त समिति गठित की है । फिल्म, टी० वी० और प्रसारण के संबंध में एक अन्य कार्यकारी दल है । ये सभी कार्यकारी दल कार्य कर रहे हैं ।

CITIES IN BIHAR CONNECTED BY AIR MAIL

†5898. SHRI SURENDRA JHA SUMAN : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the names of the cities in Bihar receiving benefit of air mail service; and

(b) the names of the cities in the State to which air mail service is proposed to be extended in the ensuing year (1978-79) ?

THE MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) and (b) Patna and Ranchi cities of Bihar are linked by air and the services touching these stations are already being used for conveyance of mails. As and when more stations get connected by air, conveyance of mails by air from and to these places would be introduced if the timings are suitable from the point of view of earlier delivery.

कर्नाटक में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार

5899. **श्री के० मालप्पा** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र तथा संगठित क्षेत्र में, अलग अलग, इस समय कुल रोजगार में कर्नाटक का भाग कितने प्रतिशत है ;

(ख) इन क्षेत्रों में अन्य दक्षिणी राज्यों के भाग की तुलना में यह प्रतिशतता कितनी है ; और

(ग) सरकार का विचार यदि कोई असंतुलन हो तो, उसे किस प्रकार ठीक करने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में गैर कृषि प्रतिष्ठान आते हैं जिनमें 10 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित किए जाते हैं, रोजगार से संबंधित आंकड़े त्रैमासिक आधार पर एकत्रित किए जाते हैं । नीचे सारणी में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए पांच दक्षिणी राज्यों और सम्पूर्ण भारत के संबंध में ऐसे आंकड़े दिए गए हैं :--

	31-3-1977 को रोजगार (लाख में)	
	(सार्वजनिक क्षेत्र सहित) संगठित	सार्वजनिक क्षेत्र
अखिल भारत	207.15	138.49
	(100.0)	(100.0)
दक्षिण राज्य .	49.54	32.08
	(23.9)	(23.2)
1. आन्ध्र प्रदेश .	12.69	9.52
	(6.1)	(6.9)
2. **कर्नाटक** . . .	10.26	7.03
	(5.0)	(5.1)
3. केरल	9.39	4.47
	(4.5)	(3.2)
4. पांडिचेरी .	0.38	0.20
	(0.2)	(0.4)
5. तमिलनाडु	16.83	10.85
	(8.1)	(7.8)

नोट : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े अखिल भारत योग की तुलना में प्रतिशतता दिखाते हैं ।

(ग) वहां कोई सराहनीय असंतुलन दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि उपर्युक्त प्रतिशतता मोटे तौर से इन राज्यों में जनसंख्या वितरण के अनुसार हैं। तथापि यह उल्लेखनीय है कि पंचवर्षीय योजना 1978-83, के जिसे इस समय योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है, प्रमुख उद्देश्यों में से एक मुख्य उद्देश्य अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार अवसरों का सृजन करना है। अतिधकतम रोजगार सघन कृषि में निहित है जो कि विस्तारित सिंचाई तथा डेरी विकास, बागवानी तथा जंगलात, ग्रामीण धंधे और कुटीर तथा लघु उद्योगों जैसे संबंधित क्रियाकलापों से प्राप्त होंगे। नए रोजगार इनफ्रास्ट्रकचर, बिजली उत्पादन और इनपुट्स की व्यवस्था तथा सेवा क्षेत्र में निवेश द्वारा भी सृजित किये जायेंग। केन्द्रीय और राज्य योजनाओं में निवेश प्राथमिकताएं सप्पूर्ण योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त रूप से संशोधित की जायेगी। ऐसे उपायों द्वारा कर्नाटक राज्य सरकार उतनी ही लाभांवित होगी जितने अन्य राज्य होंगे।

एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया बन्द होना

5900. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया के बन्द होने के बारे में 9 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2102 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, आसनसोल के लगभग 100 श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों की भूखमरी के कारण कथित मौतों के बारे में जांच की है ;

(ख) किस एजेंसी ने जांच की और इसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) सरकार ने यह किस आधार पर बताया है कि भूखमरी से मौतें नहीं हुई हैं ; और

(घ) कारखाने के कब तक पुनः चालू होने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ग) एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया के श्रमिकों की भूखमरी के कारण हुई मौतों के बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है और कोई जांच नहीं की गई है।

(घ) सरकार ने एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया के कारखाने को, केवल गढ़ाई सुविधाएं पुनः शुरु करने के लिए, सिद्धान्तः अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

श्रम न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की संख्या

5901. **श्री बसन्त साठे** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम न्यायालयों में बहुत से मामले कई वर्षों से लम्बित पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र-वार लम्बित मामलों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) 31 जनवरी, 1978 को केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालयों के समक्ष अनिर्णीत पड़े मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

अधिकरण का नाम	विवरण			
	धारा 10 के अधीन मामले	धारा 33 के अधीन के आवेदन पत्र	धारा 33क के अधीन आवेदन पत्र	धारा 33ग (2) के अधीन आवेदन-प
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-एवं-श्रम न्यायालय नं 1, धनबाद	78	1	—	8
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-एवं-श्रम न्यायालय नं० 2, धनबाद ।	2	6	9	51
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-एवं-श्रम न्यायालय नं 3, धनबाद ।	69	—	3	101
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-एवं-श्रम न्यायालय नं 2, बम्बई	61	2	13	2443
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-एवं-श्रम न्यायालय नं 2, बम्बई	48	16	1	1895
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-एवं-श्रम न्यायालय, नई दिल्ली .	165	—	—	237
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-एवं-श्रम न्यायालय, जबलपुर	25	—	2	763
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-एवं-श्रम न्यायालय, कलकत्ता .	47	24	1	43

लेबर ब्यूरो के कम्प्यूटरों को विशेष भत्ता

5902. **श्री बसन्त साठे** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेबर ब्यूरो में 'केसेट' तथा अन्य संगणक मशीनों को चलाने वाले कम्प्यूटरों को विशेष भत्ता नहीं दिया जाता है जबकि कृषि तथा सिंचाई जैसे अन्य मंत्रालयों में कम्प्यूटरों को यह भत्ता दिया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने पहले इसकी अदायगी का आश्वासन दिया था ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई/क्या निर्णय लिया गया/क्या कार्रवाई/निर्णय किया जाना है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) जब तक मानक निर्धारित नहीं हो जाते तब तक श्रम ब्यूरो के कम्प्यूटरों को अनंतिम आधार पर 20.00 रु० प्रति मास का विशेष वेतन पहले ही दिया जा रहा है।

टैलीफोन कनेक्शन लगाना

5903. **श्री जार्ज मैथ्यू** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में इस समय टेलीफोन कनेक्शन लगाने के लिये विचाराधीन आवेदन पत्रों के संबध में टेलीफोन कनेक्शन लगाने में विभाग को कितना समय लगेगा ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि सिंह प्रसाद साय) : ऐसे प्रयत्न किए जा रहे हैं कि 31-12-77 को जिन आवेदकों के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं, उन सभी आवेदकों को वर्ष 1980 के अन्त तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जायं। अधिकांश मामलों में यही कार्रवाई किए जाने की संभावना है। फिर भी, कुछ बड़े कस्बों और शहरों में और कुछ इलाकों में इस लक्ष्य की पूर्ति करना संभव नहीं होगा। ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि इन मामलों में भी छठी योजना के अंत तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जायें।

कुछ छोटे कस्बों में बहुत लम्बी दूरी के कनेक्शन दे पाना संभव नहीं होगा।

पारपत्रों का पृष्ठांकन करते समय सदस्यों द्वारा सावधानी

5904. **श्री जार्ज मैथ्यू** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के पास नौकरी खोजने वाले व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली विदेश यात्रा पर लगे प्रतिबंधों में और अधिक ढील देने के बारे में कोई योजना है ;

(ख) पारपत्र आवेदन प्रपत्रों का मूल्यांकन करते समय संसद सदस्यों को कम से कम कौन सी सावधानियां बरतनी चाहियें ;

(ग) किन स्थितियों के अंतर्गत पारपत्र आवेदन प्रपत्र के साथ वित्तीय गारन्टी अनिवार्य होती है ; और

(घ) राज्य विधान मंडलों के सदस्यों को पारपत्र आवेदन पत्रों को पृष्ठांकित करने का अधिकार कब दिया जायेगा ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) सरकार ने नौकरी ढूंढने वालों को पासपोर्ट देने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, लेकिन पासपोर्ट देते समय उन्हें उनके अपने हित में यह परामर्श दिया जाता है कि भारत छोड़ने से पूर्व वे इस बात का सुनिश्चय कर लें कि उनके पास रोजगार के पक्के अनुबन्ध हों अथवा किसी नजदीकी संबंधी द्वारा उन्हें प्रायोजित किया गया हो जो विदेश में उनकी देख-रेख कर सके।

(ख) सत्यापन-प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले संसद सदस्य को इस ओर से आश्वस्त हो जाना चाहिए कि आवेदक सही जानकारी दे रहा है। यद्यपि संसद सदस्य मुख्य रूप से अपने निर्वाचन-क्षेत्रों अथवा राज्यों के व्यक्तियों के सत्यापन-प्रमाणपत्रों पर ही हस्ताक्षर करेंगे, वे उन लोगों के आवेदनों पर भी हस्ताक्षर कर सकते हैं जिन्हें वे दो वर्ष से जानते हों। यदि संसद सदस्य सभी तथ्यों से पूरी तरह संतुष्ट न हो तो वह आवेदक को अपने स्थानीय विधान सभा सदस्य, नगर पार्षद आदि से एक साक्ष्यांकित पत्र लाने के लिए भी कह सकता है और तब निर्णय ले सकता है कि सत्यापन-प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किए जाएं या नहीं।

(ग) साधारणतः, पासपोर्ट के लिए आवेदन देने वाले को वित्तीय गारंटी देनी पड़ती है जिससे पासपोर्ट प्राधिकारी इस ओर से आश्वस्त हो सके कि वह व्यक्ति विदेश में निराश्रित

नहीं हो जाएगा। लेकिन यदि वह छात्रवृत्ति पर विदेश जाने वाला छात्र हो, अथवा ऐसा व्यक्ति हो जिसे विदेश में रोजगार अनुबन्ध मिला हो, अथवा किसी प्राधिकृत अभिकर्त्ता द्वारा विदेश में रोजगार के लिए भर्ती किया गया हो तो उसे वित्तीय गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार, किसी निकट संबंधी द्वारा प्रायोजित किए व्यक्तियों को हज जैसी तीर्थ यात्रा पर जाने वाले व्यक्तियों को वित्तीय सम्पन्नता का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

(घ) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

जनता सरकार द्वारा नियुक्तियां

5905. **श्री शंशांक शेखर सान्याल :** क्या **संसदीय कार्य और श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी क्षेत्रों तथा राज्यों और केरल राज्य में रहने वाले ऐसे कितने भारतीय नागरिकों को जनता सरकार ने (एक) ग्रेड चार, (दो) ग्रेड तीन में नियुक्ति की (तीन) आयात और निर्यात के लिए लाइसैंस (चार) आशय-पत्र दिए ; और

(ख) दिल्ली और नई दिल्ली में रिक्त पदों को भरा अथवा नए अवसर पैदा कर कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) (1) और (2) पूर्वी क्षेत्रों तथा राज्यों तथा केरल राज्य में रहने वाले ऐसे कितने भारतीय नागरिकों को वर्ग "ग" और "घ" के पदों पर नियुक्त किया गया है, इस संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है। पहली अप्रैल, 1977 से 31 जनवरी, 1978 तक की अवधि के दौरान असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मणिपुर, और मिजोरम राज्यों में स्थित रोजगार कार्यालयों द्वारा सभी वर्गों के जिन रोजगार चाहने वालों को रोजगार पर लगाया गया उनकी संख्या 53,500 थी। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है। केरल के संबंध में तत्संबंधी आंकड़े 12,900 थे।

(3) और (4) सभी आयात और निर्यात और औद्योगिक लाइसैंसों के ब्यौरे आयात लाइसैंसों, निर्यात लाइसैंसों और औद्योगिक लाइसैंसों के साप्ताहिक बुलेटिनों में दिए जाते हैं, जिन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) पहली अप्रैल, 1977 से 31 जनवरी, 1978 तक की अवधि के दौरान लगभग 49,600 रोजगार चाहने वालों को, जिन के नाम दिल्ली और नई दिल्ली में स्थित रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर थे, रोजगार पर लगाया गया। रोजगार चाहने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के मूल राज्यों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

EXPENDITURE ON INDIAN EMBASSIES

†5906. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state the monthly expenditure incurred in foreign exchange and in Indian currency, separately on various Indian embassies during the last two years indicating the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : Month-wise expenditure of Indian Embassies during 1975-76 and 1976-77 is shown in the statement placed on the table of the House.

Expenditure on Indian Embassies is not shown separately in Indian Rupees and in foreign exchange in the compiled accounts. However, foreign exchange content of the

expenditure of the Indian Embassies is determined on the basis of an approved formula. The aforesaid statement of expenditure shows the expenditure in Indian Rupees and in foreign exchange worked out according to the formula mentioned above.

STATEMENT

Month-wise Expenditure on Indian Embassies during 1975-76 and 1976-77

(In Lakhs of Rupees)

Month	1975-76			1976-77		
	Foreign Exchange	Indian Rupee	Total	Foreign Exchange	Indian Rupees	Total
April . .	28·03	2·37	30·40	21·85	2·10	23·95
May . .	60·40	5·31	65·71	117·98	12·18	130·16
June . .	98·85	8·17	107·02	126·55	10·52	137·07
July . .	140·20	12·04	152·24	91·09	6·62	97·71
August . .	177·97	14·71	192·68	249·62	20·94	270·56
Sept. . .	108·25	8·39	116·64	373·73	31·75	405·48
Oct. .	85·14	6·54	91·68	16·49	1·27	17·76
Nov.	195·91	15·13	211·04	63·03	5·34	68·37
Dec.	186·72	10·94	197·66	126·91	11·15	138·06
Jan.	159·61	12·14	171·75	201·45	18·54	219·99
Feb.	194·41	12·76	207·17	270·80	21·34	292·14
March	520·93	42·73	563·66	371·01	27·18	398·19
Total . .	1956·42	151·23	2107·65	2030·51	168·93	2199·44
Average monthly expendtiture per month . .	163·04	12·60	175·64	169·21	14·08	183·29

FOREIGNERS WORKING IN INDIAN EMBASSIES

†5907. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of persons of Indian origin and foreigners or persons of the country, where Indian Embassy is situated, separately who are working in Indian Embassies all over the world; and

(b) the names of the posts on which foreigners are working and the full details in this regard -

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) and (b) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाएं बढ़ाना

5908. **श्री धर्मवीर वशिष्ट** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में 35 करोड़ से अधिक टेलीफोनों की तुलना में भारत में 60 करोड़ की जनसंख्या के लिये केवल 20 लाख टेलीफोन हैं ; और

(ख) इस स्थिति को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) 6ठी योजना 1978–83 के दौरान लगभग 11.5 लाख अतिरिक्त टेलीफोन कनेक्शन देने का एक अस्थायी प्रस्ताव है। देहाती इलाकों में टेलीफोन सुविधाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव है, जिसके अन्तर्गत लंबी दूरी के लगभग 15000 नये सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जाएंगे और लंबी दूरी के लगभग 2500 सार्वजनिक टेलीफोन घरों को छोटे एक्सचेंजों में बदल दिया जाएगा।

गांधीनगर, जम्मू स्थित टेलीफोन केन्द्र द्वारा वास्तविक राशि से बहुत अधिक राशि के बिल बनाया जाना

श्री बलदेव सिंह जसरोतिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधीनगर, जम्मू स्थित टेलीफोन केन्द्र ठीक ढंग से नहीं चल रहा है और स्थानीय अधिकारियों को वास्तविक राशि से बहुत अधिक राशि के स्थानीय कालों के बिलों के बारे में शिकायतें मिल रही हैं।

(ख) यदि हां, तो ऐसी शिकायतें कितनी हैं और प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की है तथा कितने समय में ;

(ग) क्या शिकायतों के आधार पर श्रीनगर में संचार महाप्रबंधक ने स्थानीय काल के बिलों की राशि कम कर दी है और यदि हां, तो राहत देने में क्या मानदंड अपनाया गया अथवा इसे मनमाने ढंग से किया गया ;

(घ) यदि गांधीनगर एक्सचेंज की दोषयुक्त मशीनों तथा अधिकारियों के अकुशल कार्यकरण के कारण राहत दी गयी है तो एक्सचेंज को ठीक करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है और प्रयोक्ताओं के हित में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ;

(ङ) क्या एक्सचेंज में कार्यभार क्षमता से अधिक हो जाने के कारण दोषयुक्त कार्यकरण होता है ; और

(च) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितने नए टेलीफोन कनेक्शन दिए जाते हैं और किस आधार पर ?

संचार राज्यमंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं। जम्मू का गांधीनगर एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है। ज्यादा रकम के बिलों के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

(ख) वर्ष 1977 के दौरान 293 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। हर एक शिकायत का निपटारा प्राप्त होने के दो महीने के भीतर कर दिया गया था। 46 मामलों में छूट दे दी गयी है।

(ग) और (घ) कोई भी छूट मनमाने ढंग से नहीं दी गयी है। 46 मामलों में जो छूट दी गयी है वह इस बात पर विचार कर के दी गई है कि उपभोक्ता जितनी संख्या में कालें करते हैं उनके आधार पर ही मीटर की संख्या बढ़नी चाहिए। कालों में एकाएक बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए।

(ङ) और (च) जी नहीं । इस एक्सचेंज पर बहुत अधिक भार नहीं है। वर्ष 1975 और 1976 में जो टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गए थे, उनकी संख्या क्रमशः 9 और शून्य थी। वर्ष 1977 के दौरान मार्च, 77 में इस एक्सचेंज में 100 लाइनें बढ़ा दी गयी थीं और 1977 में 53 नए कनेक्शन दिए गए थे।

गुजरात के प्रमुख नगरों में टेलीफोन सेवा को सुधारना

5910. **श्री पी० जी० मावलंकर**
श्री प्रसन्नाभाई मेहता } : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत तथा अन्य प्रमुख नगरों म टेलीफोन लाइनों के खराब हो जाने तथा अन्यथा भी उक्त क्षेत्रों के टेलीफोन प्रयोक्ताओं को होने वाली दिक्कतों एवं हानि के बारे में बढ़ रही व गंभीर शिकायत प्राप्त हो रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त स्थिति को सुधारने के लिये क्या ठोस व कारगर कदम ठाये जा रहे हैं ; और

(ग) उक्त कदमों के यदि कोई वास्तविक परिणाम निकले हैं तो वे क्या हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं।

(ख) सेवा में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(1) उपभोक्ताओं की फिटिंग, यंत्रों और डी० पी० को पुनर्व्यवस्थित करना।

(2) खम्बों पर दी गई भारी तार लाइनों को बदलकर भूमिगत केबुल डालना।

(3) एक्सचेंज के उपस्करों की ओवरहालिंग ।

(ग) (i) दोषों और शिकायतों की संख्या में कमी आ रही है।

(ii) 24 घंटे से अधिक समय तक चलने वाले दोषों का प्रतिशत कम हो गया है।

ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायुक्त के निवास स्थान का पैसा इकट्ठा करने वाली संगीत गोष्ठी के लिये उपयोग

5911. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र एसोसिएशन ने ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायुक्त के सरकारी निवास-स्थान का पसा इकट्ठा करने वाली संगीत गोष्ठी के लिए उपयोग किया था;

(ख) इस संगीत गोष्ठी में कुल कितनी राशि एकत्र की गई; और

(ग) क्या उच्चायुक्त ने लन्दन स्थित अन्य भारतीय एसोसियेशनों को सरकारी निवास-स्थान का उपयोग करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया था ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) लन्दन में हाई-कमिश्नर के निवास स्थान पर 22 जनवरी, 1978 को संगीत संध्या का आयोजन किया गया था । इसका आयोजन महाराष्ट्र

संघ द्वारा नहीं बल्कि उन तीन गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा किया गया था जिन्हें हाई कमिश्नर व्यक्तिगत रूप से जानते थे। उनमें से एक उस समय महाराष्ट्र मंडल का पदाधिकारी था (यद्यपि इस समय नहीं हैं)। संगीत-गोष्ठी सार्वजनिक नहीं थी। आमंत्रित किये गये व्यक्ति ही उसमें उपस्थित हो सकते थे। लोगों ने अपनी इच्छा से चन्दा दिया था और चन्दे की राशि आयोजकों द्वारा संगीत-गोष्ठी से पहले ही एकत्र कर ली गई थी। एकत्र की गई राशि हाई कमिश्नर के निवास स्थान पर भेंट की गई थी।

(ख) एकत्र की गई राशि (संगीत गोष्ठी से पूर्व) 960.00 पौंड़ थी।

(ग) भारतीय संगठनों के लिए धन एकत्र करने के उद्देश्य से आयोजित समारोहों के लिए हाई-कमिश्नर का निवास-स्थान उपलब्ध नहीं कराया जाता। भारतीय संगठनों ने ऐसा कोई अनुरोध भी नहीं किया है।

केरल में नारियल जटा श्रमिकों द्वारा हड़ताल

5912. **श्री बयालार रवि**
श्री एन० श्रीकान्तन नायर } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की नीति के विरोध में, जिससे श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं, केरल के सभी नारियल जटा श्रमिकों ने हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग को पूरा करने और उनके रोजगार को सुरक्षा देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) और (ख) उद्योग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, नारियल जटा से बनी वस्तुओं के निर्माण के लिए मशीनरी आयात करने के लिए 1973 में एक फर्म को लाइसेंस जारी किया गया था। हाल में इस फर्म के निर्यात दायित्व को इसके उत्पादन को 100 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। 9 जनवरी, 1978 को कर्मचारियों के एक दल ने नारियल जटा बोर्ड, एर्नाकुलम के कार्यालय के सामने 'धरना' दे कर प्रदर्शन किए। यह सूचित किया गया कि इस प्रदर्शन का उद्देश्य "चटाई क्षेत्र के यंत्रीकरण के लिए मंजूरी" के विरुद्ध विरोध प्रकट करना था। यह बताया गया है कि किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि नारियल जटा उद्योग में नियोजित लगभग 4,55,000 व्यक्तियों में से इस उद्योग के "चटाई और चटाई बुनाई क्षेत्र" में करीब 20,000 श्रमिक काम करते हैं। इन 20,000 व्यक्तियों में से केवल लगभग 1,750 व्यक्ति "टोकरा (क्रील) चटाई" किस्मों में नियोजित हैं। यद्यपि यह प्रतीत नहीं होता कि चटाइयों की एक कस्म (केवल निर्यात के लिए) के उत्पादन के यंत्रीकरण, से बहुत से श्रमिक बेकार हो जाएंगे तो भी यंत्रीकरण के समस्त प्रश्न की इस समय उद्योग मंत्रालय द्वारा यह निर्धारित करने के लिए समीक्षा की जा रही है कि इसका गैर-यंत्रीकृत क्षेत्र में रोजगार पर क्या प्रभाव, यदि कोई हो, पड़ेगा। सभी संबद्ध पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् निर्णय लिया जाएगा।

NEW POST OFFICES OPENED IN JUNAGARH, RAJKOT AND JAMNAGAR

†5913. SHRI DHRMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the names of the villages or towns or cities, Taluka-wise in Junagarh, Rajkot and Jamnagar Districts in Saurashtra in Gujarat in which new Branch Post Offices have been opened during the period from Ist April, 1977 to 31st March, 1978;

(b) the names of the places where Branch Post Offices have been upgraded into Sub-Post Offices;

(c) the names of the places where new Post Offices have been opened; and

(d) the names of the places, Taluka-wise and District-wise in these three Districts, in which there is a programme to open new Branch Post Offices, upgrade Branch Post Offices into Sub Post Offices; and open new Post Offices during the period from Ist April, 1978 to 31st March, 1979?

THE MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) to (d) Information is given in the Annexures 'A' and 'B'.

[Placed in Library. *See* No. LT-2092/78]

सूखा पीड़ित राज्यों द्वारा इस्पात, सीमेन्ट आदि की मांग

5914. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखा पीड़ित राज्यों की सरकारों ने अपने राज्य में गंभीर कमी की स्थिति से निपटने के लिए उठाऊ सिंचाई और अन्य योजनाओं के प्रयोजन के लिए इस्पात प्राप्त करने के लिए सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य ने क्या मांग की है और प्रत्येक राज्य को अब तक कितनी मात्रा में आवंटन किया गया है और उसकी सप्लाई की गई है; और

(ग) नियतन और सहायता के लिए क्या मानदण्ड हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) इस प्रकार की सहायता के लिए हाल में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

खाड़ी के देशों को भेजे गए दल का प्रतिवेदन

5915. **श्री के० ए० राजन :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के देशों में नियुक्त भारतीयों के काम करने और रहन-सहन की स्थितियों का मौके पर अध्ययन करने के लिए भेजी गई टीम ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) दल के दौरे का मुख्य उद्देश्य ओमन में उस घटना की जांच करना था जिस में बड़ी संख्या में भारतीय श्रमिक गिरफ्तार किए गए थे तथा उन में से लगभग 200 भारत भेज दिए गए थे । इस दल ने ओमन में स्थितियों का अध्ययन करने के अतिरिक्त, यू० ए० ई० तथा सऊदी अरब में भारतीय श्रमिकों की कार्य दशाओं का भी अध्ययन किया । इस दल की रिपोर्ट की जांच की जा रही है । इस पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक, भारत सरकार ने भारतीय कम्पनियों द्वारा परियोजनाओं के निष्पादन के लिए अपेक्षित भारतीय श्रमिकों को छोड़कर, ओमन में भारतीय श्रमिकों की भर्ती पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी है ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दल का चयन

5916. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिये श्रमिक दल का चयन कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो चुने गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) जून, 1978 में होने वाले आगामी अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के गठन को, जिससे प्रत्यक्षत: यह प्रश्न संबंधित है, सरकार ने अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया है ।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के ग्रुप 'सी०' और 'डी' का क्षेत्रीयकरण

5917. **श्री पी० राजगोपालन नायडू :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था में ग्रुप 'सी' और 'डी' केंडरों का क्षेत्रीयकरण कर लिया गया है; और

(ख) क्या सरकार के इस प्रस्ताव का कलकत्ता कार्यालय विरोध कर रहा है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) भारतीय भू-सर्वेक्ष के ग्रुप 'सी' और 'डी' केडरों के क्षेत्रीयकरण की योजना नवम्बर 1976 में लागू की गई थी जिसकी स्टाफ सेलेक्शन आयोग के माध्यम से भरती प्रक्रिया में किए गए हाल के परिवर्तनों तथा अन्य संगत कारकों के सन्दर्भ में समीक्षा की जा रही है । भारतीय भू-सर्वेक्षण संस्था की मान्यता प्राप्त कर्मचारी एसोसिएशन ने, जो देश भर में भारतीय भू-सर्वेक्षण संस्था के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, योजना के कुछ पहलुओं पर अपनी राय सुरक्षित रखी है ।

CHILD DEATH INCIDENCE

5918. DR. MAHADEEPAK SINGH SHAKYA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Child death incidences are the highest in the deaths occurring in the Union Territory of Delhi; and

(b) if so, the percentage thereof and measures being adopted to check the same ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) No, Sir.

(b) The deaths among children in the age group 0-14 years registered in Delhi have shown a decline from 43.1% of the total deaths in 1972, to 34% in 1976.

स्वर्णयुक्त आयुर्वेदिक औषधियां

5919. **डा० महादीपक सिंह शाक्य :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्णयुक्त आर्युवेदिक औषधियों का महत्वपूर्ण स्थान है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्वणयुक्त औषधियों का उत्पादन बंद कर दिया गया है और वे बाजार म उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

GOODS IMPORTED BY BHILAI STEEL PLANT DURING THE LAST 3 YEARS

5920. SHRI MOHAN BHAIYA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the ottal quantity of goods imported by Bhilai Steel Plant from foreign countries during the last three years, country-wise;

(b) whether it is a fact that most of the machines have been purchased from the USSR; and

(c) whether it is also a fact that such equipments could be purchased even from other countries at low cost and if so, the reasons for purchasing them from Soviet Union ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

STEEL EXPORTED TO EGYPT, IRAN AND OTHER COUNTRIES DURING THE LAST THREE YEARS

5921. SHRI MOHAN BHAIYA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the quantum of steel exported to Egypt, Iran and other countries during the last three years (1975-76, 1976-77 and 1977-78); and

(b) the names of the agencies through which the steel was exported in 1975-76 to Egypt and Iran and amount of commission given to the agencies ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) A statement is attached.

(b) It is not in the commercial interest of the public sector Undertaking engaged in the export of steel to disclose this information.

STATEMENT

Statement regarding Steel Exported to Egypt, Iran and other Countries during the last Three years.

(Figures in '000 tonnes)

	1975-76	1975-776	1977-78 (April to December, 77)
Egypt	36·3	197·8	112·7
Iran	112·1	184·7	85·5
Other countries	359·5	1030·5	679·0

ननकाना साहिब के लिये बेटिकन का दर्जा

5922. **श्री परमानन्द गोबिन्दजी वाला** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीयों के एक वर्ग की इस मांग का पता है कि पाकिस्तान में ननकाना साहिब को वेटिकन का दर्जा दिया जाना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है, यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) और (ख) सरकार को समय-समय पर इस प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । पाकिस्तान में धार्मिक स्थलों के संरक्षण तथा उनके रखरखाव का उत्तरदायित्व पाकिस्तान सरकार पर है। धार्मिक स्थलों की यात्रा से सम्बद्ध भारत-पाकिस्तान प्रोतोकोल में इस बात की व्यवस्था है कि धार्मिक स्थलों की ठीक तरह से देखभाल की जाय और उनकी पवित्रता को बनाये रखने का हर संभव प्रयत्न किया जाय । सरकार इस व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन उचित नहीं समझती ।

ग्रामीण स्वास्थ्य योजना

5923. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है ;

(ग) प्रत्येक राज्य में इस योजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(घ) क्या सरकार ने ग्रामीण जनता पर इस योजना के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए कोई तन्त्र बनाया है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) विभिन्न रोगों के बारे में प्रशिक्षित कर्मचारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण देने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सरकार ने 28 बहुद्देश्यीय कार्यकर्ता जिलों और शेष जिलों के एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जन स्वास्थ्य रक्षक योजना नाम की एक योजना चलाई है, जिसके अन्तर्गत प्रति 1000 आबादी वाला समुदाय अथवा गांव अपनी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के निरोधी और स्वास्थ्य सुधारात्मक पहलुओं के साथ-साथ प्रारंभिक इलाज संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक-एक कार्यकर्ता का चयन करता है। तमिलनाडु और कर्नाटक को छोड़कर शेष सभी राज्यों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है ।

(ख) 31 मई, 1978 तक प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 28521 है। इसका राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

आन्ध्र प्रदेश	3920
असम	395
अरुणाचल प्रदेश	50
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	26
बिहार	1127
चंडीगढ़	23

दादरा और नगर हवेली	40
दिल्ली	56
गोवा, दमन और दीव	170
गुजरात	4120
हरियाणा	1027
हिमाचल प्रदेश	383
मध्य प्रदेश	1765
महाराष्ट्र	3552
मणिपुर	560
मेघालय	120
मिजोरम	100
नागालैण्ड	100
उड़ीसा	530
पांडिचेरी	93
पंजाब	1105
राजस्थान	1080
सिक्किम	77
त्रिपुरा	120
उत्तर प्रदेश	7982
पश्चिम बंगाल	300
योग	28521

(ग) जन स्वास्थ्य रक्षक योजना को कार्यान्वित करने के लिए 1977-78 के दौरान 4.26 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है लेकिन विभिन्न राज्यों द्वारा कितना-कितना खर्च किया गया है, इसकी सूचना अभी तक उनसे प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) मूल्यांकन की व्यवस्था राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान तथा कुछ अन्य संगठनों के माध्यम से इस मंत्रालय द्वारा की जा रही है । राज्यों में जनांकिकीय अनुसंधान केन्द्रों के माध्यम से भी यह काम किया जा रहा है । विभिन्न राज्यों, केन्द्रीय शासित क्षेत्रों में राज्य, जिला और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर आंकड़े एकत्र करने का काम 10 मार्च, 1978 से शुरू कर दिया गया है ।

(च) ऐसा विचार है कि इन कार्यकर्ताओं को निरंतर प्रशिक्षण दिया जाता रहे ।

ARRANGEMENT FOR DAILY DELIVERY OF DAK IN RURAL AREAS OF U.P.

†5924. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Uttar Pradesh Posts and Telegraphs Department have made any arrangements for delivery of mail daily in rural areas;

(b) the additional amount of expenditure to be borne by the Department in introducing this system; and

(c) the benefits likely to be accrued therefrom ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI): (a) Yes, Sir. All the 1,12,561 inhabited villages in Uttar Pradesh as per 1971 Census Report, are already getting daily delivery of mail.

(b) Does not arise.

(c) The main benefit is that delivery of letters in the rural areas has been speeded up. If there are letters for a particular village, they are sent out for delivery on the very day of receipt. In the past, delivery in a large part of the rural areas of the State was being sent out at intervals of 2, 3 or even 7 days.

मलेरिया और कालाजार को रोकने के बारे में अनुसंधान

5925. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने देश में विद्यमान अनुसंधान संस्थानों से यह कहा है कि वे मलेरिया और कालाजार को रोकने के विकल्पों का पता लगायें;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि लेडी हार्डिग मैडिकल काज ले ने मलेरिया और कालाजार को रोकने के लिए नयी औषधियों के विकास हेतु अनुसंधान किया है ;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने एसे संस्थानों को क्या सुविधाएं प्रदान की हैं ;

(घ) क्या भारत में बढ़ते हुए मलेरिया की रोकथाम के लिए कोई विदेशी सहायता ली जा रही है; और

(ङ) क्या यह भी बताया गया है कि वर्ष 1977 में देश में मलेरिया के कारण बहुत अधिक मौतें हुई हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद साय): (क) जी हां, सरकार ने मलेरिया नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए भारतीय आर्युविज्ञान अनुसंधान परिषद् के तत्वावधान में कुछेक अनसंधान योजनाएं आरम्भ की हैं। जहां तक कालाजार के नियंत्रण का संबंध है, इसके नियंत्रण और उपचार के पहले ही जाने-माने तरीके काफी कारगर हैं और कालाजार के विरुद्ध चलाय जा रहे वर्तमान अभियान में उनका प्रयोग किया जा रहा है।

(ख) जी हां, लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज में 10 मार्च, 1978 को मलरिया और कालाजार का अनुसंधान करने के लिये एक रसायन-चिकित्सा प्रयोगशाला स्थापित की गई है।

(ग) इस संस्था का पूरा खर्च केन्द्रीय सरकार ही वहन करती है। साथ ही भारत सरकार भारतीय आर्युविज्ञान अनुसंधान परिषद के जरिये बहुत सी अनुसंधान संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(घ) जी हां। मलेरिया संबंधी कार्यकलापों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और सिडा द्वारा सहायता दी जा रही है। कालाजार के लिये कतिपय विशेष दवाइयां विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी थीं।

(ङ) जी नहीं। 1977 के दौरान मलेरिया से हुई कथित 62 मौतों की रिपोर्ट मिली है। इनमें अब तक केवल 20 मौतों के बारे में ही पुष्टि हो पायी है कि वे मलेरिया के कारण हुई थीं।

बोनस अधिनियम का पुनरीक्षण

5926. **श्री प्रसन्ना भाई मेहता :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बोनस अधिनियम का पुनरीक्षण करने के बारे में विचार कर रही है।

(ख) यदि हां, तो अधिनियम की किन मुख्य बातों का पुनरीक्षण किया जायेगा; और

(ग) क्या यह पुनरीक्षण श्रमिक संघों के परामर्श से किया जाता है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग) सरकार द्वारा बोनस के समस्त प्रश्न पुनरीक्षा मजदूरी, दरों आय तथा मूल्यों सम्बन्धी समेकित नीति बनाने के कार्य के भाग के रूप में की जाएगी।

प्रबन्ध और पूंजी में श्रमिकों द्वारा भाग लिये जाने संबंधी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय

5927. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्ध और पूंजी में श्रमिकों की भागीदारी संबंधी समिति की मार्च 1978 में हुई बैठक में प्रबन्ध में त्रिपक्षीय भागीदारी के समर्थन में एक एक सामान्य मत तैयार हुआ था।

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या मख्य निर्णय लिये गये थे और उन्हें लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) क्या यह भी सुझाव दिया गया है कि प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिए जाने की योजना को सांविधिक रूप दिया जाये जिसके अन्तर्गत विभिन्न उपक्रम वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह योजना सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा)। (क) और (ग) जी हां।

(ख) और (घ) समिति ने अपनी रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप देना है। समिति को रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पर विचार किया जाएगा ।

UNEMPLOYMENT IN SIKKIM

5928. **SHRI HUKAM CHAND KACHWAI :** Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether there are a large number of unemployed persons in Sikkim State at present and if so, the details of the scheme formulated by Government to provide employment to them; and

(b) whether Government propose to open Employment Exchanges there so as to ascertain the actual number of unemployed persons in the State and if so, by what time and the number of Employment Exchanges proposed to be opened there ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) Information is not available regarding the number of unemployed persons in Sikkim. One of the primary objectives of the next Five Year Plan will

be the creation of substantial employment opportunities in different sectors of the economy. The largest employment potential lies in intensive agriculture through expanded irrigation allied activities like Dairy Development, Horticulture and Forestry, Rural Works and Cottage and Small Scale Industries. New jobs will also be created by investment in infrastructure, power generation and the provision of inputs as well as in the service sector.

(b) No proposal has been received from Sikkim Government for setting up Employment Exchanges in the State.

फालतू इस्पात मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य

5929. **डा० बी० ए० सैयद मोहम्मद :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 22-1-1978 के "न्यू वेव" का यह समाचार कि मंत्री महोदय ने कहा है कि आगामी वित्तीय वर्ष से इस्पात फालतू हो जाएगा लेकिन उन्होंने "कलकत्ता के लोहे के व्यापारियों को और ही बात कही" सही है; और

(ख) क्या मंत्री महोदय इन दो कथित वक्तव्यों के परस्पर विरोधी होने का स्पष्टीकरण देंगे ।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) जी, नहीं । मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 1977 को राज्य सभा में दिए गए वक्तव्य और कलकत्ता के लोहे के व्यापारियों की विचार-गोष्ठी में कलकत्ता में दिनांक 7 जनवरी, 1978 को दिए गए भाषण में परस्पर कोई विरोध नहीं है। राज्य सभा में दिए गए वक्तव्य में इस्पात के फालतू होने की बात सामान्य रूप से कही गई थी जबकि कलकत्ता में दिए गए भाषणों में यह बात विशेष रूप से कही कई थी कि किन-किन क्षेत्रों में इस्पात हमारी आवश्यकता से फालतू रहेगा ।

ARREARS OF P.F. AGAINST AVANTIKA AND MEHTA PRINTING PRESS, UJJAIN

5930. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether the Provident Fund contributions of the employees of the daily 'Avantika' published from Ujjain (MP) and those of the Mehta Printing Press, Ujjain, have not been deposited for the past three years and if so, the arrears year-wise;

(b) whether the 'Avantika' and Mehta Press belong to the same proprietor and separate accounts are maintained for the Press and the newspaper to deprive the workers of benefits of labour laws;

(c) whether workers are engaged on contract basis and on daily wages; and

(d) if so, whether Government will have all these facts investigated ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KRIPAL SINHA) : The Employees' Provident Fund Authorities have intimated as follows :—

(a) These establishments are not covered under the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and are not required to pay provident Fund dues.

(b) The owners of the establishment are not the same, and separate accounts are maintained.

(c) and (d) The Provident Fund Authorities continue to watch periodically employment of contract workers and daily wage workers to examine if the establishments can come under the ambit of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

P.F. AND E.S.I. OUTSTANDING AGAINST JAM TEXTILE MILL, BOMBAY

5931. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2251 on the Ist December, 1977 and state :

(a) whether the requisite information has since been collected and if so the details thereof; and

(b) whether the amount of E.S.I.S. for the last three years has not been deposited and if so, the amount due and the action being taken by Government to ensure that it is deposited ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KRIPAL SINHA) : (a) (i) The Government of Maharashtra has intimated that there is no textile unit in Greater Bombay named 'Jam Textile Mill, Bombay' but there is an establishment known as 'Jam Manufacturing Company Limited, Bombay'. According to the Provident Fund Authorities, the amount of provident fund outstanding against this establishment during the last three years is as under :—

1975-76	Nil
1976-77	Rs. 14,78,859·50
1977-78	Rs. 13,40,853·75

Recovery proceedings under Section 8 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 have been initiated. Prosecution cases under Section 14 AA of the Act and under Section 406/409 of the Indian Penal Code have also been filed.

(ii) The State Government have also intimated that no employee of the establishment was retrenched during the last three years. However, 104 employees in 1975, 162 employees in 1976 and 90 employees in 1977 have resigned of their own accord and they have been paid off their legal dues.

(b) According to information furnished by the Employees' State Insurance Authorities, the employer is in default from the contribution periods ending May, 1976 to November, 1977, except three intervening contribution periods ending November, 1976, January, 1977 and March, 1977. Out of the total arrears of Rs. 18,04.295.11 upto the period ending November, 1977, the employer has since paid an amount of Rs. 5,13,000/-. Recovery action under Section 45-B of the Act alongwith prosecution under Section 85 has been taken. The employer has since paid the contributions due for the current period ending January, 1978.

दिल्ली में प्राइवेट उद्योगों द्वारा नौकरी से निकाले गये व्यक्तियों को भविष्य निधि तथा ग्रेच्युटी का भुगतान न किये जाने संबंधी अनिर्णीत मामले

5932. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राइवेट उद्योगों द्वारा नौकरी से निकाले गये व्यक्तियों को भविष्य निधि तथा ग्रेच्युटी के भगतान के बारे में बहुत से मामले श्रम आयुक्त, दिल्ली के कार्यालय में निपटारे के लिये पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय कुल कितने मामले अनिर्गीत पड़े हुए हैं और उनके निपटारे में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कुछ मामलों में, जिनमें सवांत-लाभ के भगतान के बारे में आदेश दे दिये गये हैं संबंधित व्यक्तियों को उनके भूतपूर्व नियोजकों द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपरोक्त कार्यालय में इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामकृपाल सिंह) : दिल्ली प्रशासन ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) और (ख) उपदान संदाय अधिनियम की धारा 3 के अधीन नियुक्त नियंत्रण प्राधिकारियों समक्ष अनिर्णीत पड़े मामलों की कुल संख्या 30 है (इस संख्या में वर्ष 1978 में प्राप्त हुए 7 मामले भी शामिल हैं) । कुछ मामलों में नियोजकों ने या तो इस अधिनियम की प्रयोज्यता को चुनौती दी है या यह तर्क दिया है कि दावादारों ने या तो 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है या वे पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2 (ङ) में दी गई परिभाषा के अनुसार कर्मचारियों की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते, जिसकी विस्तृत न्यायिक जांच की आवश्यकता है । उपदान अधिनियम, 1972 के अधीन कार्यवाहियों अर्द्ध-न्यायिक कार्यवाहियां हैं और नियंत्रण प्राधिकारियों को उस प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है जो सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित की गई हैं। निर्णय लिखित रूप में देने आवश्यक हैं और उनके बारे में अपील की जा सकती है ।

भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1129 दावों में से, जिनमें चालू वर्ष के फरवरी माह के दौरान प्राप्त हुए 1061 दावे भी शामिल हैं, 1085 दावों का निपटान कर दिया गया और 28 मार्च, 1977 को 44 दावे बाकी बचे थे। ये दावे निम्नलिखित कारणों से अनिर्णीत पड़े हैं :—

(1) उचित पहचान के अभाव में अनिर्णीत पड़े मामले (अर्थात् ऐसे मामले जिन्हे प्रतिहस्ताक्षरी अधिकारी के हस्ताक्षर के सत्यापन के लिए प्रतिष्ठान/ राजपत्रित अधिकारी को भेजा गया) ।	17
(2) प्रपत्र संख्या 3क के अभाव के कारण	13
(3) उचित पहचान के लिए	9
(4) पतिष्ठानों की तालाबंदी के कारण उचित व्यौरे के अभाव संबधी दावे	5
	44

(ग) ऐसे सभी मामलों में, जहां भुगतान हेतु आदेश नियत्रण प्राधिकारी द्वारा दिए जाते हैं तथा जहां नियोजक द्वारा राशि जमा नहीं कराई जाती, वहां वसूली के लिए श्रमिकों के पक्ष में वसूली प्रमाण-पत्र कलक्टर को जारी किए जाते हैं बशर्तेकि अपील प्राधिकारी के पास अपील दायर न की गई हो।

(घ) नियंत्रण प्राधिकारियों तथा अपील प्राधिकारी को समय-समय पर यह सलाह दी जाती है है कि वे अपना निर्णय शीघ्र दें ।

संयुक्त राष्ट्र का निरस्त्रीकरण के बारे में विशेष अधिवेशन

5933. **श्री के० लकप्पा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरस्त्रीकरण पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष सत्र में भारत सरकार सम्मिलित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो समस्त मानवता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एवं महत्वपूर्ण मामले पर राष्ट्रीय मतैक्य बनाने हेतु योगदान करने में भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है; और

(ग) क्या यह सच है कि किन्हीं विश्व शक्तियों के हितों को सन्तुष्ट करने के लिए भारत की नीति के बारे में इस पर बाहरी दबाव डाला जा रहा है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) जी,-हां ।

(ख) भारत सरकार प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण के उद्देश्य से किये गये सभी अर्थपूर्ण और रचनात्मक उपायों का समर्थन करने के लिए वचनबद्ध है और नाभिकीय अस्त्रों और जल-संहार के अन्य सभी अस्त्रों को समाप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है । इस कार्य के लिए पूर्ण रूप से निरस्त्रीकरण पर विचार-विमर्श के लिए होने वाले संयुक्त राष्ट्र महा-सभा के आगामी अधिवेशन में भारत सक्रिय भूमिका अदा करना चाहता है । चूंकि विशेष अधिवेशन बुलाने के लिए मूल रूप से गुट निरपेक्ष आन्दोलन ने पहल की थी इसलिए संयुक्त प्रस्ताव पेश करने के लिए भारत अन्य गुट निरपेक्ष देशों के साथ मिलजुल कर कार्य कर रहा है ।

(ग) जी, नहीं ।

सरकारी उपक्रमों द्वारा भविष्य निधि योजना का उल्लंघन

5934. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 3 मार्च, 1978 के 'स्टैसमैन' में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है कि सरकारी क्षेत्र के 478 उपक्रमों ने भविष्य निधि योजना का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया है ;

(ख) यदि हां, तो भविष्य निधि योजना के उल्लंघन की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इसमें कितनी धनराशि और कितने सरकारी उपक्रम अन्तर्ग्रस्त हैं ; और

(घ) ऐसे दोषपूर्ण कार्यों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

मेडिकल कालेजों में के प्रवेश के मान दण्ड

5935. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद् के प्रेसीडेंट के उस विचार की ओर ध्यान दिया है कि मेडिकल कालेजों में प्रवेश के बारे में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित किये गये निम्नतम मानदण्डों में सरकार को परिवर्तन नहीं करना चाहिये ;

(ख) यदि हां तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या उन्हें मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए मानदण्ड में कमी करने के कारण चिकित्सा स्तर में भारी गिरावट का पता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष ने 17-3-1978 को नई दिल्ली में भारतीय चिकित्सा परिषद के 81वें अधिवेशन में दिए अपने भाषण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के

उम्मीदवारों के मामले में मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिए अंकों के न्यूनतम प्रतिशत को घटाकर 35% तक करने संबंधी भारत सरकार के निर्णय पर टिप्पणी की थी । उन्होंने भारतीय चिकित्सा परिषद की स्नातक-पूर्व चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी सिफारिशों में भारत सरकार द्वारा जोड़े गए उस नये खण्ड के बारे में भी असहमति प्रकट की है जिसमें सरकार को या तो अपनी पहल पर अथवा राज्य सरकार की सिफारिश पर सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों में अंकों की न्यूनतम प्रतिशत में ढील देने की शक्ति की गई है । सरकार ने चिकित्सा व्यवसाय के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की आकाँक्षाओं को पूरा करने की जरूरत को समझते हुए व्यापक जन हित को ध्यान में रखकर ये निर्णय लिए हैं । साथ ही भारत सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद के इस विचार से पूरी तरह सहमत है कि राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों, दोनों को, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाईंग/प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने से पूर्व विशेष शिक्षण कक्षाओं का प्रबन्ध करना चाहिए ताकि वे केवल चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए ही नहीं बल्कि अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए भी उपयुक्त स्तर प्राप्त कर सकें ।

(ग) सरकार इस बात से सहमत नहीं हो सकती कि मैडिकल कालेजों में दाखिले के मानदण्ड को कम करने के कारण चिकित्सा के स्तर में अत्यधिक गिरावट आ गई है । सरकार भारत में चिकित्सा शिक्षा के स्तर की उच्चतम स्तर पर बनाये रखने के लिए प्रयत्न करने में किसी से पीछे नहीं है और इस प्रयोजन के लिए सरकार जनहित की जरूरतों के अनुरूप भारतीय चिकित्सा परिषद की अधिक से अधिक समर्थन देने के लिए वचनबद्ध है ।

स्पंज लोहे के उत्पादन के लिये प्रस्ताव

5936. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्पंज लोहे के उत्पादन सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र के कितने एककों को उत्पादन की अनुमति दी गई है और तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश में गोठागुडम के स्थान पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्पंज आयरन इंडिया लि० द्वारा अकोककर कोयले जैसे ठोस अपचायक और देशीय कच्चे माल का उपयोग करके 300,000 टन स्पंज लोहे के उत्पादन के लिए एक प्रदर्शन तथा प्रायोगिक संयंत्र लगाया जा है । इस परियोजना में पश्चिम जर्मनी के लुर्गी की एस० एल०/आर० एन० प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा । इस परियोजना को पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है और आशा है कि यह संयंत्र वर्ष 1980 के आरम्भ में चालू हो जाएगा ।

इंडस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि० (राज्य सरकार का उपक्रम) के पास भी प्रतिवर्ष 300,000 टन स्पंज लोहे के उत्पादन के लिए एक आशय-पत्र है । इस कम्पनी ने विदेशी सहयोग के लिए एक प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया है जो अभी विचाराधीन है ।

इस समय गैर-सरकारी क्षेत्र की किसी भी इकाई के पास स्पंज लोहे के उत्पादन के लिए आशय-पत्र/लाइसेंस नहीं हैं ।

लघु इस्पात संयंत्र उद्योग

5937. **श्री एस० आर० वामाणी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु इस्पात संयंत्र उद्योग के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) कितने एकक उत्पादन कर रहे थे और वर्ष 1977-78 के दौरान उनका उत्पादन कितना था; और

(ग) इस उद्योग को सही स्थिति में लाने के लिए सरकार की वर्तमान विचारधारा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) इस समय 145 विद्युत भट्टी इकाइयां हैं जिन्हें प्रतिवर्ष 33 लाख टन इस्पात पिण्ड की क्षमता के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। इन 145 इकाइयों में से 28.2 लाख टन वार्षिक क्षमता की 124 इकाइयों में उत्पादन आरम्भ हो गया है। वर्ष 1977 में, जनवरी, 1977 में 50 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हो रहा था जो दिसम्बर, 1977 में बढकर 61 प्रतिशत हो गया था। लेकिन कुछ इकाइयों में बिजली की कमी और श्रमिक अशान्ति के कारण जनवरी, 1978 में क्षमता का उपयोग 53 प्रतिशत हुआ है। वर्ष 1977 में इस्पात पिण्डों का कुल उत्पादन 9.9 लाख टन हुआ जबकि वर्ष 1976 में उत्पादन 9 लाख टन हुआ था। वर्ष 1977 की छमाही में पहली छमाही की तुलना में 16.5 प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ है।

(ग) मुख्य इस्पात कारखानों की अर्थ-क्षमता में सुधार लाने के लिए पहले ही निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) पिण्डों/वेलित उत्पादों के उत्पादन पर उत्पादन-शुल्क समाप्त कर दिया गया है ;

(2) मैल्टिंग स्क्रैप पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया गया है ;

(3) दो लाख टन फैरस मेल्टिंग स्क्रैप आयात करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है ;

(4) सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों से प्राप्त की गई हैवी मैल्टिंग स्क्रैप की कुछ श्रेणियों पर से उत्पादन-शुल्क समाप्त कर दिया गया है ;

(5) छोटे इस्पात कारखानों को मिश्र-इस्पात की कुछ श्रेणियों का मिश्र-इस्पात तैयार करने की अनुमति दे दी गई है। कुछ चुने हुए छोटे इस्पात कारखानों को अपनी सक्षमता में सुधार लाने के लिए वेलन सुविधाएं लगाने की अनुमति भी दी जा सकती है ;

(6) वित्तीय सस्थानों द्वारा चुने हुए छोटे इस्पात संयंत्रों को वित्तीय सहायता देने के बारे में विचार किया जाना चाहिए ;

(7) देशीय स्रोतों से आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए ग्रेफाइट इलैक्ट्राड का आयात करने की अनुमति दे दी गई है ;

(8) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से कहा गया है कि "लघु इस्पात संयंत्रों के उत्पादन में विविधिकरण को आसान किस्तों में ऋण योजना के अधीन इंजीनियरी उद्योगों की सूची में शामिल कर लें।

चासनाला कोयला खानि को पुनः चालू करना

5938. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चासनाला कोयला खान को इस बीच पुनः चालू किया गया है; और यदि हां, तो औसत दैनिक उत्पादन कितना है और क्या इसकी तुलना दुर्घटना पूर्व उत्पादन से की जा सकती है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और यह कार्य करना कब आरम्भ करेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : संभवतः अभिप्राय चासनाला की गहरी खान से है जिसमें दिसम्बर, 1975 में हुई दुर्घटना के परिणामस्वरूप पानी भर गया था। इस खान को अभी पुनः चालू किया जाता है।

(ख) खान को पुनः चालू करने में कई समस्याएं हैं। पानी जमा होने से बचाव और प्रथम संस्तर से उपर जहां पहले खोदाई हो रही थी आग के खतरे से बचाव करना होगा। अब तक खान को पुनः चालू करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :--

(1) पुरानी खान तथा नई खान को जोड़ने वाले स्थान के प्लग बांध का निर्माण करके बन्द कर दिया गया है ;

(2) पानी निकालने तथा सफाई करने का काम चल रहा है ;

(3) केन्द्रीय खान आयोजन और रूपांकन संस्थान द्वारा गहरी खान का तकनीकी–आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया है; और

(4) एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है जो अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी को भविष्य में खनन कार्य के बारे में सलाह देगी और इस बात का पता लगाएगी कि खान प्रतिस्थापन और विकास कार्य किस प्रकार किया जाए।

इस समय खान को पुनः चालू करने की निश्चित तारीख बताना संभव नहीं है। इस खान में खान की भूवैज्ञानिक स्थिति बहुत खराब है और इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में मोटी संस्तर में खनन करने की प्रौद्योगिकी देश में अभी विकसित नहीं हुई है।

IMPLEMENTATIONS OF RULES FRAMED UNDER OFFICIAL LANGUAGE ACT, 1963

5939. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether the provisions of section 3(3) of the rules framed under Official Lanuage Act, 1963 are being fully implemented in the Ministry;

(b) if so, the number of the general orders, circulars, notices, tenders, permits issued during the last six months of 1977 and the number thereof issued in Hindi alongwith English; and

(c) if the said section is not being implemented fully, the reasons therefor and the steps taken for its implementation ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a), (b) and (c) The requirements of secaion 3(3) of the Official Lanuages Act, 1963 have been brought to the notice of all Officers and staff of the

Ministry for compliance. According to the standing instructions, all notifications, general orders, circulars, etc. are required to be issued both in English and Hindi.

PERCENTAGE OF HINDI TYPISTS AND STENOGRAPHERS

5940. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the percentage of the typists and stenographers trained in Hindi typing and Hindi stenography, separately in the Ministry/Department at present;

(b) the number of such typists and stenographers among them utilised fully for Hindi work;

(c) the reasons for not utilising such Hindi typists and stenographers; and

(d) whether any scheme has been formulated for their utilisation; and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a), (b), (c) and (d) 20.6 per cent typists and 23.8 percent stenographers (Grade C and Grade D) of the Ministry of Health and Family Welfare (including the Directorate General of Health Services) were trained in Hindi typing and Hindi stenography respectively but they were not in a position to work in Hindi. In order that Hindi work in the Ministry does not suffer, eleven posts of Hindi stenographers have recently been created. The Stenographers previously trained in Hindi but not in a position to work in Hindi were given a month's refresher course in October, 1977. Efforts are being made for increased use of Hindi in the Ministry.

NUMBER OF BOOKS LANGUAGE-WISE IN THE LIBRARY

5941. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the total number of books in the library of the Ministry/Department and the number thereof, language-wise;

(b) the expenditure incurred on the purchase of English and Hindi books in the aforesaid library during the last two years, separately;

(c) the names of the newspapers and journals/magazines purchased in the library at present and the names of Hindi newspapers and magazines/journals, among them; and

(d) whether any scheme has been formulated for increasing the number of Hindi books and newspapers and journals/magazines in this library; and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) Under the Ministry of Health and Family Welfare there is a National Medical Library which is a reference library for medical and allied scientific subjects. Since there are not very many books in Hindi on these subjects, the number of Hindi books in this Library is, therefore, small. A branch of this Library is situated in Nirman Bhawan, which stores books on administrative and other matters and books of general interest to the Government employees. The number of books, lanuage-wise, in these Libraries is given blow :—

Number of books

Language	National Medical Library	Nirman Bhawan Branch Library
Hindi	212	440
English	77,610	8,034
Sanskrit	103	—

(b) **Expenditure on Purchase of Books :**

	1976-77		1977-78	
	National Medical Library	Branch	National Medical Library	Branch
Hindi	Nil	Rs. 930·00	Nil	Rs. 448·15
English	Rs. 1·79 (lakhs)	Rs. 1194·85	Rs. 3·74 (lakhs)	Rs. 4058·77

(c) **Newspapers, Magazines and Journals :**

(i) *Newspapers* :

	Hindi	English	Urdu
National Medical Library . .	—	2	—
Branch	3	8	2
(ii) *Magazines* :			
National Medical Library .	—	—	—
Branch . .	16	27	
(iii) *Journals* :			

	Hindi	English
National Medical Library	6 subscribed 10 gratis	1739 subscribed 285 gratis/ exchange
TOTAL :	16	2024
Branch	Nil	Nil

A list of Newspapers, Magazines and Journals in Hindi is at Annexure—1. The list of English Journals is not added as it runs into 139 pages and is kept for reference in the Library. A copy is being got prepared for being placed in the Parliament Library.

[Placed in Library. *See* No. L-T. 2043].

(d) Books in Hindi, English and other language are added to these Libraries depending upon the demand for such books.

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 'अपना टेलीफोन लगाओ' (ओ० वाई० टी०) कोटा सीमित करना

5942. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या दिल्ली में केवल उन्हीं लोगों को टेलीफोन कनेक्शन दिए जाते हैं जिन्होंने 'अपना टेलीफोन लगाओ' (ओ० वाई० टी०) योजना के अन्तर्गत 5,000 रुपये जमा किए हैं ;

(ख) क्या उन आम लोगों को टेलीफोन कनेक्शन देने की कोई व्यवस्था नहीं है जो उपरोक्त राशि जमा करने में असमर्थ हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जन साधारण की सुविधा के लिए 'अपना टेलीफोन लगाओ' (ओ० वाई० टी०) का कोटा 25 प्रतिशत तक सीमित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं।

(ख) गैर-ओ० वाई० टी० श्रेणी के आवेदकों के लिये 25 प्रतिशत तक टेलीफोन कनेक्शन अलाट किए जाते हैं।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु इस्पात संयंत्रों के लिए स्क्रैप की कमी

5943. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या यह सच है कि देश के लघु इस्पात संयंत्रों को देशीय स्क्रैप की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लघु इस्पात संयंत्रों के उपयोग के लिए स्क्रैप का आयात करने का निर्णय किया है ; और

(ग) वर्ष 1977-78 में इसका कितनी मात्रा में आयात किया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ग) सरकार ने हाल में विद्युत चाप भट्टी इकाइयों को पिघलाने के लिए फैरस स्क्रैप की कुछ विशिष्ट श्रेणियों का सीमित मात्रा में आयात करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय देशीय उपलब्धि में प्रत्याशित कमी और देश में स्क्रैप के मूल्यों में कुछ स्थिरता लाने की आवश्यकता पर सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात् लिया गया है। फिर भी वर्ष 1977-78 के दौरान फैरस स्क्रैप को पिघलाने के लिए आयात नहीं किया गया था।

SULPHURIC ACID SUPPLIED BY HINDUSTAN ZINC LTD.

5944. SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether a list of traders, who were supplied sulphuric acid by the Hindustan Zinc Ltd., Udaipur, during the past three years, will be laid on the Table; and

(b) how the sulphuric acid supplied to the traders of Udaipur under the contract for this year is utilized by them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) A statement giving the required information on sales of sulphuric acid from Debari Smelter, Udaipur of Hindustan Zinc Limited is enclosed—Annexure-A.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 2044/78]

(b) Supplies of sulphuric acid by the Hindustan Zinc Limited to the parties mentioned in Annexure A are either consumed directly by the purchasers (in part) or sold to small scale actual users who require the material in small quantities each, which is not possible for Hindustan Zinc Ltd. to service directly. Since the four contractual traders at Udaipur were supplied acid during 1978 against Form ST 17, it is presumed that they re-sell the acid.

SUPPLY OF SULPHURIC ACID BY HINDUSTAN ZINC LTD.

5945. SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state whether Government are aware that Hindustan Zinc Ltd., Udaipur sold Sulphuric acid to the traders of Udaipur at the rate of Rs. 460 per tonne though its price is Rs. 1000/- to Rs. 1200/- per tonne in the country and whether these traders make use of this acid in some kind of production; and if not, the basis on which the acid is being given to these traders ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : Due to delay in the commissioning of their Phosphoric Acid Plant, the Hindustan Zinc Ltd. entered into short term contracts with four traders of Udaipur for the disposal of surplus Sulphuric Acid from January to April, 1978 after calling limited tenders from known old buyers of this product in Udaipur, at the rate of Rs. 461/- per tonne *ex-factory*, which was the highest price quoted. In December, 1977, at the time the above contracts were decided, the sale price per tonne ex-factory in the western region varied from Rs. 480/- to Rs. 500/- per tonne in other public sector companies, and Rs. 550/- per tonne in private sector company. According to the "Chemical Weekly" dated 3rd January, 1978 (published from Bombay), the retail price for Sulphuric Acid was Rs. 0.90 per Kg. (i.e.) Rs. 900/- per tonne. This includes freight, excise duty, octroi, credit, interest and middlemen's margin etc. Destination price of Hindustan Zinc Limited's acid at Bombay including the above additional elements of cost, except credit, interest and margin, works out to Rs. 819/- per tonne for contract sales.

Since the traders concerned obtained supplies against Sales Tax Form S.T. 17, it is presumed that they re-sell whatever quantity they purchase.

ZINC FROM THE HINDUSTAN ZINC LTD.

5946. SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether Zinc from the Hindustan Zinc Limited, Udaipur was being distributed only after it was allocated by the Government of India but later on Government decided for free sale thereof:

(b) if so, the year in which this decision was taken;

(c) whether the local traders have drawn the attention of Government towards the irregularities committed by the Hindustan Zinc Limited after the policy of free sale of Zinc was adopted by it; and

(d) if so, the action taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) & (b) Prior to 17th February, 1975, zinc from Hindustan Zinc Limited was being supplied against specific allocations by the Government of India. On the 17th February, 1975 the allocation policy was liberalised enabling the indigenous producers of zinc (including Hindustan Zinc Ltd.) to sell the zinc produced by them to units on the books of various sponsoring authorities such as D.G.T.D., Steel Plants, Government Departments, Public Sector Undertaking and DC, SSI without any quantity limit and without any formal allocation.

(c) & (d) No complaint from local traders of irregularieis committed by Hindustan Zinc Limited has been received by the Government. However, one Non-ferrous semis manufacturer had complained to the Government in October, 1977, regarding advance deposits taken by Hindustan Zinc Limited at the time of registration in addition to earnest money. As advised by the Government, Hindustan Zinc Limited refunded the advance deposits to the consumers and have discontinued the practice of accepting advance deposits.

VALUE OF MATERIAL PURCHASED BY HINDUSTAN ZINC LTD., FROM THE MARKET

5947. SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the value of the material purchased annually from market by Hindustan Zinc Ltd., Udaipur for running its plant; and

(b) the efforts made by Hindustan Zinc Limited, Udaipur to develop ancillary industry during the past years; and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) Total value of material purchased by Hindustan Zinc Ltd. from the indigenous market for the period January to December, 1977, was Rs. 6,28,52,506.

(b) A policy decision already taken by the Hindustan Zinc Ltd. is under active implementation to give preference to Small Scale units for the supply of items required by the company such as chemicals, spare parts, etc. thereby encouraging the development of Small Scale Industries.

The company has been maintaining a close liaison with the Association of Small Scale Industries in Rajasthan and Industries Department of the State Government with whom discussions were held with a view to take appropriate action to achieve successful development of Small Scale/Ancillary Industries.

EMPLOYMENT PROGRAMME OF DELHI ADMINISTRATION

5948. SHRI SUKHENDRA SINGH : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether the Delhi Administration has chalked out a programme under which about 1 lakh 45 thousand people are likely to get employment;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether such programme is likely to be chalked out for other States also ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) & (b) The Delhi Administration is presently engaged in the formulation of a policy frame which would form the basis of the Sixth Five Year Plan for the Territory. In such formulation, an approach paper prepared by the Industries Department of the Delhi Administration is being considered which aims at providing employment to about 1,45,000 persons during the Sixth Plan period, by the development of plots in industrial estates to provide work places for 1,20,000 and of flatted factories to provide work places for about 25,000.

(c) It is for the individual States to formulate detailed programmes in the sphere of small scale and rural industries.

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सहायता

5949. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोगों की वर्तमान प्रतिशतता कितनी है जिन्हें स्वास्थ्य का खतरा बना रहता है ;

(ख) इस बारे में सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ; और

(ग) इस बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस प्रकार की सहायता दी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) हमारी कुल आबादी का लगभग 80 प्रतिशत भाग गांव में रहने वाले लोग हैं । किन्तु इन क्षेत्रों में कितने प्रतिशत लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है, इसका सर्वेक्षण नहीं किया गया है । वैसे, भारत के महापंजीयक ने "माडल रजिस्ट्रेशन योजना" नामक एक योजना शुरू की है जिसकी 1973 के वर्ष की नवीनतम रिपोर्ट से पता चला है कि भिन्न भिन्न कारणों से हुई कुल 15,669 मौतों में से लगभग 2,448 मौतों (15.6 प्रतिशत) का कारण असन्तोषजनक जलपूर्ति और सफाई तथा रोगक्षमीकरण कार्यक्रम का काफी न होना था ।

(ख) ग्रामीण-क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सब-सेन्टरों, सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों, मेडिकल सबसेंटरों, ग्रामीण डिस्पेंसरियों, समुन्नत प्राइमरी हैल्थ सेन्टरों, जिला अस्पतालों, आदि के माध्यम से दी जाती है। प्राइमरी हैल्थसैन्टरों का सब से महत्वपूर्ण कार्य रोगों को रोकने और लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उपाय करना है। देश में 5,380 प्राइमरी हैल्थ सैन्टर और 38,000 से भी अधिक सब-सेन्टर हैं जो विभिन्न रोगनिरोधी और स्वास्थ्य वर्धक उपायों, जैसे पर्यावरणिक सफाई, संचारी रोगों का नियंत्रण, स्वास्थ्य शिक्षा, पोषाहार शिक्षा, मामूली बीमारियों का इलाज, जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाएं आदि की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी हैं।

किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त न होने के कारण सरकार ने एक नई योजना चलाई है जिसका नाम जनस्वास्थ्य रक्षक योजना है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक गांव में 1000 की आबादी के पीछे एक कार्यकर्ता की व्यवस्था है। यह कार्यकर्ता समाज द्वारा चुना जाता है और उसे सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। इन कार्यकर्ताओं का मुख्य दायित्व यह होगा कि वे गांव के लोगों की बीमारियों की रोक-थाम करेंगे और उनका स्वास्थ्य-वर्धन करेंगे। वर्तमान चरण में यह योजना देश के 726 चुनिन्दा प्राइमरी हैस्थ सैन्टरों में चलाई गई है। इस योजना को सारे देश में चरणवार चलाने का विचार है। कर्नाटक और तमिल नाडु को छोड़कर अन्य सभी राज्यों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है।

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से सरकार की सहायता देती आ रही है। यह सहायता प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख, बहु धंधी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण ग्रामीण स्वास्थ्य को मजबूत बनाने, स्वास्थ्य टैक्नालोजी में नई नई प्रक्रियाओं की जानकारी देने आदि परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी ज्ञान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मदद के रूप में दी जाती रही है।

छोटे उद्योगों को कच्चे लोहे की सप्लाई

5950. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि छोटे उद्योगों को कच्चे लोहे की सप्लाई अपर्याप्त मात्रा में होती है; और

(ख) यदि हां, तो सप्लाई में सुधार करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) यद्यपि लघु उद्योग निगमों को कच्चे लोहे की सप्लाई वर्ष 1976-77 में 1,23,000 टन से बढ़ाकर वर्ष 1977-78 में 1,92,000 टन कर दी गई थी, फिर भी कुछ क्षेत्रों में कच्चे लोहे की कमी होने की रिपोर्टें मिली हैं। तूफान आने से परिवहन में आई रुकावटों से भी कुछ क्षेत्रों में कच्चे लोहे की सप्लाई पर प्रभाव पड़ा। फिर भी, लघु उद्योग निगमों से परामर्श करके वर्ष 1978-79 के लिये उनकी कच्चे लोहे की पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये व्यवस्था की जा रही है। लोहा और इस्पात नियंत्रक इन निगमों को किये गये प्रेषकों पर नजर रखेगा।

LINKING OF SEONI WITH BHOPAL AND JABALPUR

†5951. SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Government propose to link Seoni with Bhopal and Jabalpur through S.T.D. keeping in view the fact that Seoni is a major District of Madhya Pradesh bordering Maharashtra; and

(b) if so, when this service is likely to be introduced; and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) & (b) Yes Sir. Seoni would be provided S.T.D. to Bhopal and Jabalpur as a part of Departments policy of connecting District Headquarters to the State Capitals.

This is likely to be introduced in 1983-84.

लौह अयस्क तथा मैंगनीज खनन के बारे में पश्चिमी देशों तथा सोवियत संघ के साथ सहयोग

5952. **श्री के० प्रधानी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने लौह अयस्क तथा मैंगनीज खनन के क्षेत्र में भारत के स्वयं के प्रयासों को अनुपूरित करने में पश्चिमी देशों तथा सोवियत संघ दोनों से सहयोग माँगा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क के खनन तथा इनको प्रक्रियापूर्वक व्यावहार में लाने के लिये भारतीय प्रयत्नों को बढ़ावा देने हेतु इस का सहयोग प्राप्त करने की संभावनाओं के बारे में पता लगाने के लियें स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० ने इसी प्राधिकारियों के साथ प्रारम्भिक बातचीत की है। यह बताया गया है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में रूस से तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है:—

(क) कच्ची धातु मिली मिट्टी के चयनात्मक रूप से हटाने से लौह अयस्क का परिष्करण करने की तकनीक का विकास;

(ख) फास्फेटयुक्त लौह अयस्क की परिष्करण विधि का विकास;

(ग) इलैक्ट्रोस्टेटिक विधि से तथा रसायनों द्वारा खनिज के परिष्करण की तकनीक का विकास;

(घ) अप्रयुक्त खनिज को एकत्रीकरण अथवा इस प्रकार की तकनीकों द्वारा उपयोग में लाना;

(ङ) परिष्करण की नई प्रक्रियाओं का विकास, फ्लो शीट शुरू करना आदि;

(च) खुले मुंह की खानों के आयोजन और रूपांकन के लिये मानदण्ड निश्चित करना;

(छ) अधिक फासफोरस वाली मैंगनीज अयस्क का परिष्करण; और

(ज) एकत्रीकरण आदि के पश्चात् साफ किये गये मैंगनीज अयस्क का इस्पात कारखानों में उपयोग ।

OPENING OF POST OFFICES AND P.C.O. IN HUMAYUNPUR, AKBARPUR, GARHI VILLAGES, MEERUT DISTRICT

†5953. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1446 on the 2nd March, 1978 and state :

(a) the reasons for not opening post offices in Humayanpur, Akbarpur, Garhi and Gurah villages, Distt. Meerut which have population of ten thousand when Government have made a rule that a Post Office would be opened for a population of five thousand and whether Government have received any application from the people in this regard;

(b) whether it is a fact that these villages are situated in the backward areas of Ganga Khadar where there are no arrangement for the delivery of Dak and the Post Office at Meewan is also a temporary one; and

(c) the criteria adopted by Government under which a post office cannot be opened there ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) There is no specific rule that post offices will be opened at all villages which have a population of 5000. In fact, population is not the only criterion for opening of Post Offices. Distance from the nearest post office is also one of the criteria. Opening of Post Offices in Humayanpur, Akbarpur, Garhi and Gurah is not justified because these villages are at a distance of less than 3.2 Kms. for the nearest post office. No application for opening Post Offices in these villages has been received so far.

(b) Ganga Khadar area is not treated as backward from the point of view of Postal development. The villages mentioned at (a) above are already covered under the daily delivery Scheme. The Post Office at Meewan is a permanent Branch Post Office.

(c) A copy of the criteria at present adopted for opening of post offices is enclosed.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 2045/78]

DISBURSEMENT OF SALARY IN C.G.H.S.

5954. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in C.G.H.S. dispensaries, salary is disbursed on the 2nd day of every month and if it be a holiday, it is paid on 3rd or 4th day instead of the last day of every month as per Government rules; and

(b) if so, the action being taken by Government to get the salary disbursed in the dispensaries in time ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) and (b) The salary of C.G.H.S. staff in cities other than Delhi is disbursed on the last working day of the month. However, in Delhi on account of the large establishment involved and the wide geographical dispersal of 82 dispensaries units under the C.G.H. Scheme all over Delhi, it is not administratively feasible to disburse the staff salaries in all the dispensaries, which has to be done under police escort, on the last working day of the month. Arrangements are made for disbursement of the staff salaries on the first two working days of the month. In case any of these two days happen to be a holiday, the salary is disbursed on the following day.

COMPLAINTS FROM STATES FOR NON-PAYMENT OF BONUS

5955. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) the number of complaints received from each State regarding non-payment of statutory bonus by various factories, mills and companies to their workers; and

(b) the number of firms and owners of mills and factories against whom action has been taken by Government in this regard and the nature of action taken ?

THE MINISTER OF PRLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RVINDRA VARMA) : (a) and (b) The State Governments being generally the 'appropriate Governments' under the Payment of Bonus Act, 1965 in respect of factories, mills and companies, complaints if any would have been made to the State Governments concerned, who under the Act, are empowered to take action aaginst defaulting establishments.

बोकारो इस्पात संयंत्र में आपरेटरों तथा हाई प्रेशर वेल्डरों द्वारा हड़ताल

5956. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र में आपरेटरों तथा हाई प्रेशर वेल्डरों ने मार्च, 1978 के दूसरे सप्ताह में हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनगी मांगें क्या हैं और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) बोकारो इस्पात कारखाने के ई० ओ० टी० क्रेन चालकों, मोबाइल इक्विपमेंट चालकों और हाई प्रेशर वेल्डरों ने 27-2-1978 से 27-3-1978 तक हड़ताल की थी।

(ख) उनकी मांगें निम्नलिखित थीं—

(1) मनीटेबल और उत्पादन लक्ष्य के बारे में प्रोत्साहन योजना में संशोधन किया जाये और इसे पिछली तारीख से लागू किया जाये और यह ऐसी बनाई जाये जैसी भिलाई इस्पात कारखानें में लागू है।

(2) हाई प्रेशर वेल्डरों के वेतनमान वही होने चाहिये जो भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों के इन्हीं श्रेणियों के कर्मचारियों के हैं और ये वेतनमान पिछली तारीख से मिलने चाहिये।

(3) जिन निर्माण कर्मचारियों को आपरेशन विभाग में काम करने के लिये कहा जाता है उन्हें आपरेशन विभाग में स्थाई रूप से रख लिया जाये।

(4) बस्ती विभाग के निर्माण पर्यवेक्षकों की पिछली तारीख से पदोन्नति की जाये और इनकी पदोन्नति की नीति के बारे में फैसला किया जाये।

(5) लेखा विभाग के 14 सहायकों की पिछली तारीख से पदोन्नति की जाये ।

6. कम्पनी के जिन कर्मचारियों ने अपने वर्तमान ग्रेड में तीन साल की नौकरी कर ली है उन सभी कर्मचारियों की अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति की जाये।

(7) जिन कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता नहीं मिल रहा है उन्हें यह भत्ता पिछली तारीख से दिया जाए ।

यह फैसला किया गया है कि ग्रेडेशन आदि जैसे सभी लम्बित मामलों पर बिहार के मुख्य मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्णय किया जायेगा।

महानगरों में होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक यूनिट

5957. **श्री के० लकप्पा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे महानगरों में दो डाक्टरों वाला केवल एक होम्योपैथिक यूनिट है और एक आयुर्वेदिक यूनिट है;

(ख) क्या होम्योपैथी और आयुर्वेद का इलाज करवाने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो अधिक डाक्टरों की व्यवस्था करने और ऐसे अधिक आयुर्वेदिक यूनिट खोलने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत होम्योपैथी और आयुर्वेद की एक एक यूनिट कार्य कर रही है।

(ख) और (ग) इन यूनिटों में रोज आने वाले रोगियों की औसत संख्या के आधार पर इस समय ऐसी और यूनिटें खोलना न्यायोचित नहीं है। तथापि आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों के अन्तर्गत स्थापित वर्तमान डिस्पेंसरियों के कार्य की समीक्षा इस बात की जांच करने के लिये की जा रही है कि क्या लाभार्थियों की पंसद के अनुरूप यदि धन उपलब्ध हो तो ऐसे और यूनिटों औषधालयों को खोलना वांछनीय है।

INDIAN MEALS

5958. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the content of protein and number of calories required for a balanced meal per day;

(b) whether it is a fact that the meals of an Indian contain about 2200 calories and 55 grams protein;

(c) whether it is also a fact that the meals of a common man in developed countries contain about 3200 calories and 100 grams protein; and

(d) whether it is also a fact that it is because of this that there is malnutrition in India which is the cause of many diseases and the remedial measures taken in this regard ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) As per recommendation of the nutrition expert group of Indian Council of Medical Research, the recommended allowance for a balanced meal per day for an adult sedentary worker is 2400 calories and 55 gms. of protein.

(b) According to a survey conducted by the National Nutrition Monitoring Bureau of the I.C.M.R., the average intake of calories ranged from 1926 to 2911 in various States. Average intake of Protein was above 55 gms. in all States except Kerala.

(c) Yes.

(d) Yes, it is fact that poor dietary intake is the main cause of mal-nutrition in our country. Various steps have been initiated by the Government including increase of agricultural production and distribution facilities as well as specific Nutrition Programmes for vulnerable groups. These are as follows :—

1. Applied Nutrition Programme implemented by the Department of Rural Development.

2. Special Nutrition Programme and Integrated Child Care Development Services for Pre-school children, pregnant and lactating mothers implemented by the Department of Social Welfare.

3. Prophylaxis against blindness due to Vit. A deficiency, prophylaxis against nutritional anaemia and Goitre control programme implemented by the Departments of Health and Family Welfare.

डाक-तार विभाग में प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी की सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व

5959. **श्री सूरज भान** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक-तार विभाग की विभिन्न शाखाओं की प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की सेवा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व बहुत अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न सेवाओं में कमी की प्रतिशतता कितनी है;

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) समाज के इन कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व में कमी पूरी करने के लिये भविष्य में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां। कुछ सेवाओं में इनके प्रतिनिधित्व में समय-समय पर अलग अलग रूप में न्यूनता रही है।

(ख) यह न्यूनता कितने कितने प्रतिशत रही है उस ब्यौरे सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

(ग) और (घ) डाक-तार विभाग की ग्रुप 'ए' और 'बी' सेवाओं में अनुसूचित जातियों/जन जातियों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में समय समय पर सरकार ने जो अनुदेश जारी किये हैं, उनका निष्ठा के साथ पालन किया जा रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के अधिकारियों को अधिक प्रतिनिधित्व मिले, यह सुनिश्चित करने के लिये ग्रुप 'बी' और 'ग्रुप ए' सेवाओं में चयन के जरिये तरक्की देने के लिये जितनी जगहें खाली होती है, उनके लिये चयन करने के निमित्त विचार किये जाने वाले अधिकारियों की संख्या पांच गुनी से बढ़ाकर छह गुनी कर दी गई है।

ADMISSION OF APPRENTICES AND PROVIDING EMPLOYMENT TO THEM

5960. SHRI RAMJIWAN SINGH : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) the number of apprentices admitted to various industries during the current year under the Apprenticeship Act, 1961;

(b) whether Government propose to take certain concrete steps for providing regular employment to the apprentices who have been imparted training; and

(c) if so, the outline of Government's proposals in this regard ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) There are two admission sessions every year for the engagement of apprentices, namely, during March/April and September/October. The number of

apprentices admitted during the current year will be known only after the admission sessions are over. The number admitted during 1977 was 88,700 (Provisional).

(b) and (c) The basic objective of the Apprenticeship Training Scheme under the Apprentices Act, 1961, is to equip the apprentices with skills in his trade and enhance this employability. Normally, in filling vacancies in their establishments, employees give preference to the apprentices passing out from their own establishments. Government however propose to review the scheme of training of apprentices with a view to matching the training of apprentices with the employment opportunities.

EXPLORATION OF MINERALS IN ANDAMAN AND NICOBAR

5961. SHRI RAMJIWAN SINGH : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the proposals of Government regarding exploration and development of mineral resources in Andaman and Nicobar Islands; and

(b) whether mineral resources are also proposed to be explored in Lakshadwip ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) Mineral investigations in Andaman and Nicobar group of Islands by Geological Survey of India are continuing and the programme during the current field season (1977-78) includes survey of ultramafic rock for platinum, cobalt, nickel, chromium etc., search for diatomaceous earth and an integrated survey for copper mineralization. The investigations are still at a preliminary stage and until these have been completed and economic viability of the deposits established, the question of any exploitation of these minerals is premature.

(b) GSI has carried out exploration in all the major lagoons of Lakshadwip, as a result of which reserves of about 288 million tonnes of calcareous sand upto one metre depth have been estimated.

CITIES IN U. P. HAVING S. T. D. FACILITIES

†5962. SHRI GANGA BHAKT SINGH : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the names of the cities in Uttar Pradesh in which Government propose to provide S.T.D. facility in 1978-79; and

(b) the number of District Headquarters which have since been connected with Lucknow as also the number of the Districts likely to be connected ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) Gorakhpur and Sitapur.

(b) Five District Headquarters viz., Allahabad, Faizabad, Kanpur, Unnao and Varanasi have been linked to Lucknow S. T. D. Four more District Headquarters viz. Agra, Gorakhpur, Rae Bareilly and Sitapur are likely to be connected to Lucknow during 1978-79.

DELIVERY OF TELEGRAMS IN VILLAGES

†5963. SHRI GANGA BHAKT SINGH : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether, in most of the rural areas in the country delivery of telegrams generally takes more time than the ordinary letters;

(b) if so, the reasons therefore; and

(c) the steps taken by Government to ensure expeditious delivery of telegrams in view of their importance ?

THE MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) No. Sir.

(b) Does not arise.

(c) (i) When the addressee resides beyond the free delivery area of a telegraph office, the telegram is forwarded (as per ITR 84) to him by post if the sender has paid the porterage charge for it to be delivered by a special messenger. More and more telegraph offices are being opened in rural areas to reduce such handling.

(ii) Wherever traffic justifies, direct outlets are being provided to reduce transit time.

RECONNECTING DISCONNECTED TELEPHONE CONNECTIONS IN U.P.

†5964. SHRI GANGA BHAKT SINGH : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether telephone connections disconnected during the emergency for political reasons have not been restored so far;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the number of such telephone connections in Uttar Pradesh which are still to be restored ?

THE MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) to (c) All telephones excepting one have since been restored in U.P. The party concerned is not available.

BONDED LABOURERS IN BRICK KILNS IN DELHI

5965. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government's attention have been drawn to the news report that about 50,000 workers are working as bonded labourers in 350 brick-kilns in and around Delhi;

(b) whether Government have verified this fact; and

(c) if so, the details thereof and the steps taken to get them released ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI LARANG SAI) : (a) to (c) The Delhi Administration, whose attention was drawn to this matter, have reported that according to their information, there are no cases of bonded labour in the Union Territory of Delhi nor has any complaint been received of any violation of the provisions of the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976.

कोरिया के उप-राष्ट्रपति की यात्रा

5966 **श्री जी० एम० वनतमाला**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य कोरिया के उप-राष्ट्रपति ने मार्च, 1978 के महीने में इस देश की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके साथ कोई बातचीत की गई थी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या ; है और

(ग) उसमें क्या निर्णय किये गये ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क), (ख) और (ग) : जी, हां। कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य के उप-राष्ट्रपति महामान्य श्री कांग रूयांग उक 12 से 17 मार्च, 1978 तक भारत की सद्भावना यात्रा पर रहे थे। कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य के उप-राष्ट्रपति के दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधान मंत्री ने और विदेश मंत्री ने उनसे बात-चीत की। खाद्य कृषि मंत्री, शिक्षा, समाज कल्याण एवं संस्कृति मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री ने भी कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य के उप-राष्ट्रपति से भेंट की। कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य के उप-राष्ट्रपति की इस यात्रा के दोनों पक्षों के बीच आपसी हित-चिन्ता के विषयों पर विचार-विमर्श का उपयोगी अवसर मिला।

पुणे में राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थापित करने संबंधी निर्णय

5967. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पुणे (महाराष्ट्र) में राष्ट्रीय श्रम संस्थान की स्थापना करने सम्बन्धी प्रश्न कब से सरकार के विचाराधीन था / है;

(ख) क्या इस आशय सम्बन्धी निर्णय कर लिया गया है और यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी स्वरूप क्या है; और

(ग) यदि अब तक निर्णय नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग) : महाराष्ट्र राज्य सरकार से जून, 1972 में एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय श्रम संस्थान के आवास के लिए पुणे का सुझाव दिया गया था। राष्ट्रीय श्रम संस्थान के स्थाई आवास का समग्र प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

एल्यूमीनियम निर्माताओं द्वारा मूल्यों में वृद्धि

5968. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एल्यूमीनियम निर्माताओं ने नये बजट के कर प्रस्तावों को देखते हुए मार्च से अपने मूल्यों में वृद्धि कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी हां।

(ख) बजट के बाद, चार एल्यूमिनियम निर्माताओं ने गैर-लेवी एल्यूनिमियम पिंडी के मूल्य में अलग अलग वृद्धि की घोषणा की है जो 750 रुपये से 1000 रुपये प्रतिदिन के बीच है। ये वृद्धियां बजट में लगाई गई नई निधियों और निवेश सामग्री के मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ी हुई लागत पर आधारित बताई गई हैं। सरकार ने बजट में लगाई गई लेवियों के फलस्वरूप प्रत्यक्षतः बढ़ी हुई उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए प्रतिदन लेवी-एल्यूमिनियम के समेकित मूल्य में 548 रुपये की वृद्धि की घोषणा की है।

RATES PAID FOR FABRICATION WORK BY H.S.C.L.

5969. SHRI MOHAN BHAIYA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether the industries allotted 8000 tonnes fabrication work by the Hindustan Steel Works Construction Limited are being paid at the old rates fixed two years before; and

(b) the justification for rejecting the demands of the above industries for enhanced rates despite increase in wages and the rates of gas and electricity ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) It is presumed the question relates to fabricators established in the industrial estate, to whom fabrication work has been allotted by Hindustan Steelworks Construction Ltd. They are being paid as per the current contracts entered into with them.

(b) There has been no demand by the above fabricators for enhancement in rates.

FABRICATION WORK GIVEN TO INDUSTRIAL UNITS BY H.S.C.L.

5970. SHRI MOHAN BHAIYA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Hindustan Steel Works Construction Ltd. had distributed about 1½ lakh ton fabrication work to various industrial units in the past; and

(b) if so, the names and locations of industries to which this work had been entrusted the quantum of work given to each of them and at what rate ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री द्वारा

वर्ष, 1977 में रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से संबंधित श्री के० मायातेवर द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 484 के 23-2-1978 को दिए गए उत्तर में वृद्धि करने वाला विवरण

Correcting Statement by the Minister of Parliament Affairs & Labour to the reply given on the 23rd February, 1978 to Unstarred Question No. 484 by Shri K. Mayatherar regarding persons provided Employment during 1977

(क) वर्ष 1977 के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार में लगाये गये काम चाहने वालों की कुल संख्या 4.616 लाख थी ।

(ख) अर्थ व्यवस्था की वर्तमान स्थिति में सभी बेरोजगार व्यक्तियों का रोजगार कार्यालयों में अनिवार्यत: पंजीकरण व्यवहार्य नहीं होगा।

उत्तर में उल्लिखित अंकों में टाइप की गलती है, जिसका पहले पता नहीं लग सका और उत्तर में शुद्धि करने में लगी देरी के लिए खेद है।

थूम्बा स्थित विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में हड़ताल के बारे में
RE. STRIKE IN VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE AT THUMBA

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैं त्रिवेन्द्रम के निकट थुम्बा स्थित विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में लगातार चल रही हड़ताल के बारे में कई महीने पहले सूचना दे चुका हुं। मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ताकि इस सदन में उस पर वक्तव्य दिया जाये।

(सम्भल तथा हैदराबाद में संसदीय शिष्टमण्डल भेजने के बारे में)
RE. PARLIMENTARY DELEGATIONS TO SAMBHAL AND HYDERABAD

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्डहार्बर) अध्यक्ष महोदय, परसों आपने आश्वासन दिया था कि आप सम्भल, हैदराबाद और देश के अन्य भागों में सांसदों के दो दल भेजने पर विचार कर रहे हैं। कृपया इस विषय में कुछ बतायें ताकि ठीक ठाक स्थिति का और आपके निर्णय का पता चले।

श्री सौगत राय : हैदराबाद में हुई गड़बड़ के लिये बंगाल के लोगों को घसीटना उचित नहीं है। अतः संसदीय समिति का भेजा जाना जरूरी है। आपने इस बारे में अपना निर्णय देने के लिये कहा था। परन्तु इस बारे में आपने कुछ नहीं किया।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मुरादाबाद और हैदराबाद के अलावा औरंगाबाद भी प्रतिनिधि मण्डल भेजा जाये।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : हैदराबाद और अन्य स्थानों में अब शान्ति है। इसलिये उसे करने के लिये कोई प्रतिनिधि मंडल न भेजा जाये। मुख्य मंत्री ने सभी विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई थी और इन नेताओं ने आश्वासन दिया है कि राज्य में शान्ति बनाये रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ कहना चाहता था। आपको मुझसे अधिक स्वतन्त्रता है।

श्री सौगत राय : श्रीमन् यह गम्भीर मामला है क्योंकि हैदराबाद में सरकार के विरुद्ध जनता में असन्तोष बताया गया है।

Shri Yuvraj (Katihar) : I want to draw the attention of the House to the beating of Iranian students by the Police at Bangalore railway station where these students were demonstrating against the Shah of Iran.

अध्यक्ष महोदय : हमें यह सोचना पड़ेगा कि क्या अन्य देश के लोग इस देश में आन्दोलन कर सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इंगलैंड में हम हर दिन प्रदर्शन करते रहे हैं।

श्री दलीप चक्रवर्ती : श्रीमान् आपको ज्ञात है कि 1942 के आन्दोलन के समय और आपातकाल के दौरान बहुत से भारतीय विदेशों में घूम घाम कर स्वाधीनता तथा लोकतन्त्र के विचार का प्रचार करते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : दो सवाल उठते हैं एक तो यह कि संसद राज्य वर्ती विषय में किस हद तक चर्चा कर सकती है। इस मामले तथा कुछ अन्य मामलों के बारे में मैंने गृह

मंत्री को लिखा है जो विधि मंत्री से परामर्श करके उसके अलग अलग पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। हो सकता है उनका उत्तर आज ही मिल जाये। मैंने प्रधान मंत्री जी से भी इस विषय में चर्चा की है। आप इस ख्याल में न रहें कि मैं इसे बहुत कम महत्व दे रहा हूं। जब से आपने सूचना दी है मेरा ध्यान उधर ही है। अभी मैं अन्तिम रूप से कोई निश्चय नहीं कर पाया हूं। मैं दलों के नेताओं की भी बैठक बुला सकता हूं। यह मामला बहुत पेचीदा है। मुझे कुछ दिनों का समय दिया जाये।

SHRI MANI RAM BAGRI (Mathura) : It is not only a question of national importance but there is also the question of building the nation. I request the Prime Minister to call a meeting of all the leaders with a view to promote peace and prevent homicide.

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON TABLE

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : मैं 1978-79 के लिये विदेश मंत्रालय को अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई देखिए सं० एल० टी० 2018/78]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIMENTARY AFFAIRS (SHRI LARANG SAI) : I beg to lay on the Table the following statements (Hindi and English versions) showing the action taken by the Government on various assurances, promises and understandings given by the Members during various Sessions of Lok Sabha :—

(1) Statement No. XXVIII—Tenth Session, 1974. (2) Statement No. XI—Sixteenth Session, 1976. (3) Statement No. VIII—Seventeenth Session, 1976	Fifth Lok Sabha
(4) Statement No. VIII—Second Session, 1977. (5) Statement No. III—Third Session, 1977. (6) Statement No. IV—Third Session, 1977. (7) Statement No. I—Fourth Session, 1978.	Sixth Lok Sabha

[ग्रन्थालय में रखी गये देखिए सं० एल०टी० 2019/68]

श्री ज्योतिर्मय बसु : अध्यक्ष महोदय, मैंने सूचना दी है। मैं आपका ध्यान मद 3 की ओर दिलाता हूं जो निम्न प्रकार है :

1. विवरण सं० 28—दसवां सत्र, 1974 2. विवरण सं० 11—सोलहवां सत्र, 1976 3. विवरण सं० 8—सत्रहवाँ सत्र, 1176	पांचवीं लोक सभा
4. विवरण सं० 8—दूसरा सत्र, 1977 5. विवरण सं० 3—तीसरा सत्र, 1977 6. विवरण सं० 4—तीसरा, सत्र, 1977 7. विवरण सं० 1—चौथा सत्र, 1977	छठी लोक सभा

अध्यक्ष महोदय, मुझे खूब याद है आपने इस सत्र में कई बार कहा है कि ऐसी चीज नहीं होनी चाहिये। मैं पूरी तरह से महसूस करता हूं कि दोष भूतपूर्व सरकार का भी है

किन्तु सदन को यह जानने का अधिकार है कि इसमें इतनी अधिक देरी क्यों हुई है अन्यथा सारी चीज निष्फल हो जाती है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : श्री ज्योतिर्मय बसु ने जो कहा है उसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस बात की ओर ध्यान दें कि आज सभा के समक्ष विभिन्न विवरणों को रखते समय मंत्री महोदय ने उस पुरानी प्रथा का अनुकरण नहीं किया है जिसमें देरी होने के कारण दर्शाने वाला विवरण दिया जाता था। चाह से थोड़ी ही देर क्यों न हो देरी होने के कारण बताये जाते हैं तथा अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में, देरी होने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण, संलग्न किया जाता है। अब मंत्री महोदय ने कारण देने बन्द कर दिये हैं।

मेरा दूसरा प्रश्न सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी संसदीय समिति के बारे में है। हमने इस संसद में इस समिति को आरम्भ करके एक नये विचार को कार्यरूप दिया है। अध्यक्ष महोदय, यदि की गई कार्यवाही पर विवरण, आश्वासन दिये जाने के चार वर्ष पश्चात् दिया जाये तो वह सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति को दिया जायेगा और उसका प्रतिवेदन आने में और समय लगेगा और तब तक शायद सातवीं लोक सभा ही आ जाये। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करें तथा इस सम्बन्ध में नियमों में इस तरह से सुधार करें जिससे सरकार को समय पर विवरण देने के लिये बाध्य किया जा सके चाहे की गई कार्यवाही अधूरी ही क्यों न हो।

अध्यक्ष महोदय : हम अब विषयों में संशोधन कर रहे हैं। आप भी अपने सुझाव क्यों नहीं देते ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप नियम समिति की बैठक नहीं बुला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं बुला रहा हूं। आपको सूचना मिलेगी।

श्री पी० जी० मावलंकर : यदि सरकार विवरण समय पर नहीं देती तो आश्वासनों सम्बन्धी समिति—जो कि एक नई किस्म की समिति है का सम्पूर्ण प्रयोजन ही निष्फल हो जायेगा।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : In the statements laid on the Table of the House, you will fined that the hon. Minister is stating that action is being taken now on the assurances which were given four years back in 1974 and it is yet to be examined whether the action taken is correct or not. The very purpose for which the committee was formed is thus being lost. It is not an isolated case. You will find that other reports have also been presented six or seven years late. You should direct the Government to present the reports in time and for that purpose, law or procedure should be amended accordingly. Otherwise the promises made or assurances given by the Ministers are of no use. This is against the Parliamentary prerogatives. This is my submission to you.

SHRI LARANG SAI : Sir, it is correct that this sort of questions were asked last time also.

श्री ज्योतिर्मय बसु : लोकतन्त्रीय ढंग से कार्य होना बन्द हो गया था। आपातकाल में ऐसा किया गया था।

एक माननीय सदस्य : वर्तमान सरकार की बात कहिये ।

SHRI LARANG SAI : There cannot be two opinions that the assurances given by the Ministers to Members should be implemented in time. It is also true that the statement regarding action taken on the assurances already given has also to be laid on the Table of the House. However, we will also keep in mind the feelings of the hon. Members and try to taken action accordingly.

The hon. Members may also give their suggestions to Rules Committee and if any amendments are made in the rules we have no objections. We will follow the instructions given to us.

अध्यक्ष महोदय : दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि आपको स्पष्टीकरण देना होता है। नियमों में यह उपबन्ध है कि जब कभी देरी हो आपको उसके बारे में अवश्य ही स्पष्टीकरण देना चाहिये। आपने उस नियम को तोड़ा है। भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिये। दूसरी बात यह है कि यद्यपि इसका सम्बन्ध 1974 से है हमें यह नहीं देखना है कि भूतपूर्व सरकार ने क्या किया या क्या नहीं किया, एक वर्ष गुजर चुका है और यह आपका उत्तरदायित्व है। अब और अधिक देरी नहीं होनी चाहिये। मुझे विश्वास है कि इस नियम का कड़ाई से पालन किया जायेगा ।

SHRI LARANG SAI : Sir, I am sorry for that I will lay on the Table the reasons for delay. I may be excused for this. In future we will try to avoid delay.

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने मंत्री महोदय को इसके कारण बतलाने के लिये कहा है। जहां तक मैं समझता हूं इस मामले में मंत्री महोदय को कारण नहीं देने होते हैं। उन मामलों के कारण दिये जाते हैं जहां समिति को भेजा गया मामला सभा पटल पर रखा जाता है। इसका सम्बन्ध आश्वासन समिति से हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप किस नियम का जिकर कर रहे है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : नियमों में यह उपबन्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : अतः मुझे नियम पुस्तक देखनी चाहिये। व्यवस्था का प्रश्न उठाने का यह तरीका नहीं है। मैं ठीक अथवा गलत हो सकता हूं। परन्तु जब आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहें तो आपको निश्चित रूप से जानकारी होनी चाहिये ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं आपको नियम दिखाऊंगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी मिति : तो हमें यह अनुभव हुआ है कि जब कभी भिन्न भिन्न मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाता है वे बहुत अधिक समय ले लेते हैं और कई बार हमें संसदीय सचिवालय की ओर से उन्हें स्मरणपत्र भी भेजना पड़ता है। मुझे एक समिति का अध्यक्ष होने का भी अवसर मिला है। एक के बाद एक स्मरणपत्र भेजना ही पड़ता है । हम समय सीमा निर्धारित कर देते हैं और यदि मंत्रालय सामग्री न भेजें तो हमें मंत्रालयों की सहायता के बिना ही काम करना पड़ता है। यह अकेला ही मामला नहीं है । मंत्रालयों को यह बुरी आदत पड़ गई है। इस बारे में संसदीय कार्य मंत्री का विशेष उत्तरदायित्व है । अतः मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये । आपको भी इस सम्बन्ध में निर्देश देना चाहिये । इस ओर कुछ भी नहीं हो रहा है। यह दुखद अनुभव है।

श्री कंवर लाल गुप्त : नियम 323 में लिखा है कि :

"मंत्रियों द्वारा समय समय पर सभा के अन्दर दिये गये आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं, वचनों आदि की छानबीन करने के लिये और निम्न बातों पर प्रतिवेदन करने के लिये सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी एक समिति होगी--

(क) ऐसे आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं, वचनों आदि का कहां तक प्रतिपालन किया गया है; तथा

(ख) जहां परिपालन किया गया हो तो ऐसा परिपालन उस प्रयोजन के लिये आवश्यक न्यूनतम समय के भीतर हुआ है या नहीं ।"

इस मामले में मंत्री महोदय को देरी के कारण नहीं देने होते हैं। उसके लिये कारण बतलाना बाध्यकर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत नहीं हूं। इस सभा की सदा यह प्रथा रही है कि उन्हें स्पष्टीकरण देना होता है।

श्री कंवर लाल गुप्त : नियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। शायद आप नियम बदल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम काफी चर्चा कर चुके हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : यह नियम बदला जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इस में कोई कठिनाई नहीं है। यह काम समिति का है । अब हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेंगे।

अविलम्बनिय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दूर दर्शन केन्द्र श्रीनगर के स्टूडियो में आग लगने का कथित समाचार

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : (रामपुर) : मैं सूचना और प्रसारण मंत्री का ध्यान निम्न-लिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें :

"3 अप्रैल, 1978 को दूरदर्शन केन्द्र श्रीनगर के स्टूडियो में आग लग जाने के कारण हुए लाखों रुपये के नुकसान का समाचार और इस घटना के लिय दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही ।"

प्रो० पी० जी० मावलंकर : (गांधीनगर) : मंत्री महोदय ने मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के समय इस पर पहले ही वक्तव्य दे दिया था।

अध्यक्ष महोदय : मेरे सचिवालय ने मुझे बताया है कि इस विषय पर कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : यह बिल्कुल गलत है। मंत्री महोदय ने इस विषय पर वक्तव्य दिया है। आप मंत्री महोदय से पूछ सकते हैं। आपकी जानकारी बिल्कुल गलत है।

श्री पी० जी० मावलंकर : आप मंत्री महोदय से पूछ लें कि उन्होंने वक्तव्य दिया था या नहीं। यदि उनके पास कोई और महत्वपूर्ण खबर है तो वह बता दें वरना एक बात को बार बार कहने से क्या लाभ?

अध्यक्ष महोदय : यह बात मुझे भी खटकी थी। मैंने कार्यालय को मंत्री महोदय का भाषण पढ़ने के लिये कहा था और उसको अच्छी तरह पढ़ने के बाद ही हमने इस प्रश्न की अनुमति दी थी। उन्होंने इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी थी। शायद उनके पास यह जानकारी तब उपलब्ध न थी। इसी कारण ही हमने इसकी अनुमति दी है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगबीर सिंह) जैसा कि सदन को पहले ही पता है, दूरदर्शन केन्द्र श्रीनगर के स्टूडियो कम्प्लेक्स में 3 अप्रैल, 1978 की रात के लगभग 1.15 बजे आग लग गई थी। ड्यूटी पर तैनात चौकीदार और सीमा सुरक्षा दल के गार्ड को आग लगने का पता चला और तुरन्त ही इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दे दी गई जो लगभग 7-10 मिनट के अन्दर घटना स्थल पर पहुंच गये। दूरदर्शन तथा आल इण्डिया रेडियो के कर्मचारी तथा अन्य कर्मचारी अति शीघ्र ही घटना स्थल पर पहुंच गये। संयुक्त प्रयत्नों से स्थिति पर सुबह 4.30 बजे काबू पा लिया गया।

2. श्रीनगर में दो स्टूडियो हैं—एक बड़ा और दूसरा छोटा। मुख्य स्टूडियो और सम्बद्ध नियंत्रित क्षेत्र पूरी तरह जल गये। इससे हुई क्षति का अनुमान लगभग 65 लाख रुपये है अर्थात् उपकरणों की 50 लाख रुपये, भवन की 5 लाख रुपये तथा वातानुकूलन और ध्वनि व्यवस्था को 10 लाख रुपये की क्षति हुई।

3. पुलिस आग लगने के कारण की जांच कर रही है। राज्य सरकार ने मामले को अपराध जांच विभाग को सौंप दिया है जिसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। तथापि, प्रारम्भिक जांच से यह पता चलता है कि आग संभवतया तार जल जाने के कारण लगी है।

4. दूरदर्शन महानिदेशक, मुख्य इंजीनियर तथा योजना अधिकारी माल बचाने के कार्यों का निरीक्षण करने तथा प्रेषण पुनः चालू करने के लिये 3 अप्रैल की सुबह को ही श्रीनगर पहुंच गये। दूरदर्शन, आल इण्डिया रेडियो, सीमा सुरक्षा दल, पुलिस तथा फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग बुझाने तथा लगभग 125 लाख रुपये के मूल्य के उपकरणों को आग से बचाने में उदाहरणात्मक सहयोग तथा कर्त्तव्य भावना का परिचय दिया।

5. नियमित कार्यक्रम के प्रसारण में कोई बाधा न हो इसके लिये तत्काल कदम उठाये गये। माइक्रोवेव उपकरण वायु सेना के वायुयान से दिल्ली से ले जाये गये। बाह्य प्रसारण वैन शंकराचार्य हिल पर ले जाई गई और उस पहाड़ी पर ट्रांसमिटर के निकट एक काम चलाउ स्टूडियो स्थापित किया गया। 4 घंटे का सामान्य प्रेषण 3 अप्रैल की शाम को ही प्रसारित किया गया।

6. मैंने भी 4 अप्रैल को श्रीनगर का दौरा किया तथा वहां किये गये उपायों को स्वयं देखा और राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार दोनों के कर्मचारियों ने जिस समन्वय और सहयोग की भावना का परिचय दिया उसकी मैं प्रशंसा करना चाहूंगा।

SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Mr. Speaker, this is a very serious and alarming situation. Four and a half months back, a fire broke out in A.I.R., New Delhi and it was then stated that two strangers were seen running away at that time. But so far no information has been given to this house about it.

In this context, I want to make it clear that Shinagar is a very sensitive place inspite of the fact that there has been a lot of improvement in the Indo-Pak relations and both the Governments are trying their best to achieve further improvement. At the same time, it may be pointed out that those are certain elements who are bent upon creating chaos in the country in order to prove that the imposition of the last emergency was justified.

Nothing has been stated about the cause of the fire resulting in a loss of Rupees one crore and also about the persons found responsible for this heavy national loss. May I know whether it was a case of sabotage ?

SHRI JAGBIR SINGH : On the basis of the present conditions, it can be said that it was not a case of sabotage. Preliminary indications are that the fire might have been caused by a short circuit. The estimated loss works out to be Rs. 65 lakhs and not one crore as has been stated by the Member. Equipment of the order of Rs. 125 lakhs has however, been salvaged by our staff who rushed to the spot with utmost speed.

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

बारहवां तथा पन्द्रहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री मुख्तियार सिंह मलिक (सोनीपत) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं:—

(1) कृषि और सिंचाई मंत्रालय (सिंचाई विभाग) सिंचाई सुविधाओं का विकास पर बारहवां प्रतिवेदन।

(2) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय-युवक शिक्षा, युव कल्याण तथा राष्ट्रीय एकता पर समिति के 79वें प्रतिवेदन (पाँचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त प्रतिवेदनों से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

नियम 377 के अधीन मामले
MATTER UNDER RULE 377

(1) देवरिया और गोरखपुर जिले में दो चीनी मिलों द्वारा श्रमिकों को वेतन न दिया जाना

SHRI RAM DHARI SHASTRI (Padrauna) : Mr. Speaker, I want to draw the attention of the Government to the serious state of affairs prevailing in Laxmidevi Sugar Mills, Chittauni of Deoria district and the Ghughli Mill of Gorakhpur district. In the former, the workers have not been paid continuously for the last nine months. The dues of the workers amount to Rs. 35,03,836 on account of bonus, gratuity etc. Apart from this there are arrears of cane price worth Rs. 4 lakhs. Inspite of the fact that this factory has been taken over by the Government, there has been no improvement in the state of affairs there.

The workers have now given ultimatum that if their wages are not paid they will close the factory. Ultimately, it is the farmer who will have to suffer a lost, if the factory stops crushing their sugar-cane.

In the Ghughli factory the situation is worse as the workers have not been paid for the last 14 months. The dues of both workers and the cane growers against this factory work out to be Rs. 95 lakhs. It is, therefore, requested that these mills should be taken over by the Government so that they can be run properly.

(2) पटना जंकशन पर रेलवे प्रायोजित छात्रावास के फिर से खोले जाने की आवश्यकता

SHRI RAM VILAS PASWAN (Hajipur) : There was a students' hostel run by the railways for 20 years. During the emergency it was forcibly got evicted on the ground that it was the centre of activities of the pro-J.P. movement of students and was handed over to the C.R.P. Attention of high authorities has been repeatedly drawn to the need for re-opening the hostel to the students but nothing has been done so far. In September, 1977 the students staged a nine-day hunger strike in support of their demand but even then nothing has so far been done to reopen it. I would request the hon. Railway Minister to intervene in this matter and see that the hostel is opened immediately and the officers responsible for the delay in this regard are finished so that the students are not compelled to take some extreme step.

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : Some representatives of the students have met me in this regard. I have gone into this matter fully and I am happy to inform you that a final decision is being taken tomorrow itself and the House will be informed about it the following day.

(3) जमना लाल बजाज खादी ग्रामोद्योग अनुसंधान शाला के श्रमिकों द्वारा कथित भूख हड़ताल का समाचार

DR. RAMJI SINGH (Bhagalpur) : During the emergency, 42 workers of Seth Jamnalal Khadi Gramodyog Research Institute ,Wardha were forced to seek volunteer retirement. How can anybody resign voluntarily when getting employment is very difficult ? It is strange that evenafter the emergency has been revoked, they have not been reinstated. These workers are on hunger strike since April 1. I am therefore, to request the Minister of Industry to ensure that these workers are reinstated without any further delay.

(4) जम्मू और काश्मीर का लोक सुरक्षा अधिनियम, 1978

श्री बलदेव सिंह जसरोतिया (जम्मू) : जम्मू और कश्मीर के लोक सुरक्षा अधिनियम 1978 के अधीन न केवल राज्य के 50 लाख लोगों की नागरिक स्वाधीनता ही समाप्त की जा रही है परन्तु इससे प्रेस पर भी प्रतिबन्ध लगाए जा रहे हैं और संसद की शक्ति को भी कम किया जा रहा है। जिससे सरकार को निरंकुश शक्ति प्राप्त हो सके जैसा कि इस अधिनियम की धारा 4 से स्पष्ट है जिसमें यह कहा गया है: कि सरकार राज्य की प्रतिरक्षा के लिए यह आवश्यक और समीचीन समझती है।" प्रतिरक्षा सम्बन्धी विषय केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। सलाहकार बोर्ड की स्थापना सम्बन्धी प्रश्न भी राज्य सरकार की स्वेच्छा पर छोड दिया गया है। अतः सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए जिससे क्त अधिनियम के परिणामस्वरूप होने वाले कुप्रभावो से बचा जा सके।

अनुदानों की माँगें 1978-79 जारी

DEMANDS FOR GRANTS, 1978-79

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय: सभा अब वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगो पर और आगे विचार करेगी। प्रो० अमीन अपना भाषण जारी रखेंगे।

प्रो० आर० के० अमीन (सुरेन्द्रनगर): कल मैंने तीन सुझाव दिए थे। मरा चौथा सुझाव खाद्य तेलों के निर्यात तथा आयात के बारे में है। देश में खाद्य तेल की कमी के कारण सरकार ने तेल का आयात किया है। हम मूंगफली के तेल का निर्यात कर सकते हैं और सोयाबीन के तेल तथा ताड़ के तेल का बदले में आयात कर सकते हैं। संभवतः यदि हम एक टन मूंगफली के तेल का निर्यात करें तो हम दो टन सोयाबीन के तेल का आयात कर सकते हैं यदि हम ऐसा करें तो हमारी भंडार स्थिति नहीं बिगड़ेगी। साथ ही हम विदेशों में मूंगफली के तेल के अधिक मूल्य का लाभ उठा सकते हैं।

प्याज और आलू के बारे में भी ऐसी ही नीति अपनाई जा सकती है। प्याज और आलू के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के बदले हमें उनका निर्यात करने की अनुमति दे देनी चाहिए। हम प्याज, आलू और सब्जियों का निर्यात करके उससें कमाई गई विदेशी मुद्रा से डीजल तेल के आयात में वृद्धि कर सकते हैं और किसानों को दे सकते हैं ताकि वे और अधिक भूमि की सिंचाई कर सकें और उत्पादन बढ़ा सकें। सरकार को अपनी नीति इस तरह निर्धारित करनी चाहिए कि कुछ वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाए बिना उन साधन-सामग्रियों का आयात बढ़ाया जाए जिनकी किसानों को सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है।

मेरा पांचवां सुझाव वस्त्रों के निर्यात के सम्बन्ध में है। हमें तैयार शुदा माल का अधिकाधिक निर्यात करना चाहिए। इस समय हम प्रतिवर्ष बड़ी मुश्किल से 10 करोड़ से 15 करोड़ रुपए तक के संश्लिष्ट कपड़े का निर्यात कर रहे हैं। हम अगले वर्ष के लिए क्यों न 100 करोड़ रूपए का लक्ष्य निर्धारित करें। ऐसा करने पर वस्त्र उद्योग में रोजगार भी बढ़ेगा और निर्यात से कमाई में भी वद्धि होगी।

मेरा छटा सुझाव संरक्षण बोर्ड की नियुक्ति के बारे में है। अब हम उदार नीति अपनाने जा रहे हैं, उदार नीति अपनाने पर हमारे आन्तरिक उत्पादन में गड़बड़ी हो जाएगी। अतः हमें अपने उत्पादन में अनावश्यक रूप से व्यवधान नहीं डालना चाहिए। इसलिए हमें संरक्षण बोर्ड नियुक्त करना होगा जो नये तथा छोटे उद्योगों की देख-रेख करेगा और रोजगार के प्रयोजनों के लिए संरक्षण प्रदान करेगा लेकिन बाजार में उदार प्रतियोगिता भी होने देगा।

मेरा सातवां सुझाव वायदा व्यापार के बारे में हैं। उन वस्तुओं के मूल्यों में अस्थिरता रोकने के लिए हमने वायदा व्यापार पर किसी न किसी रूप में प्रतिबन्ध लगाया है। लेकिन मूल्यों में स्थिरता कायम रखने के लिए वायदा व्यापार अनिवार्य है और इससे किसानों को भी अधिक मूल्य उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

मेरा आठवां सुझाव राज्य व्यापार निगम के पुनर्गठन के बारे में है, इस समय संभवतः 400 से 450 मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो या शाह आयोग में विचाराधीन पड़े हैं, इन मामलों

की जांच एक महीने के भीतर ही पूरी हो जानी चाहिए । दोषी व्यक्तियों को कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए। राज्य व्यापार निगम को व्यापारी की तरह अपना कार्य करना चाहिए। अरंडी के तेल के मामले में, राज्य व्यापार निगम के पास पिछले तीन महीने से भण्डार जमा हो गया है और उसका निर्यात नहीं किया गया है। इसका निर्यात तुरन्त किया जाना चाहिए।

मेरा नवां सुझाव यह है कि नीति में बार-बार परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मंत्री जी ने पोलिस्टर के लिए सामान्य लाइसेंस प्रणाली केवल 11 दिन तक लागू की और फिर उसे बदल दिया, उसके बाद उसमें फिर परिवर्तन कर दिया। विभिन्न औषधियों के सम्बन्ध में भी इसी तरह बार-बार परिवर्तन किए गए हैं। गुड़ और नमक पर प्रतिबन्ध लगाए गए फिर वे हटा दिए गए। उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि आयात और निर्यात माध्यम बहुत नाजुक हैं और बहुत लम्बे प्रयास के बाद इनका निर्माण किया जाता है । इसे खराब तो एक ही दिन में किया जा सकता है लेकिन इनका पुनर्निर्माण करने में बहुत कठिनाई होगी। अतः इसमें इस तरह बार-बार परिवर्तन नहीं किए जाने चाहिए।

अन्त में, मेरा दसवां सुझाव कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र के बारे में है। इस क्षेत्र में विदेशी व्यापारियों को कच्चा माल आयात करने की सभी सुविधाएं दिए जाने का प्रस्ताव है ताकि वे यहां आ सके और हमारे लोगों को रोजगार मिले और उत्पादकों का शत प्रतिशत निर्यात हो, जो प्रोत्साहन हम देशी निर्यातकों को दे रहे हैं, वे उन्हें भी दी जानी चाहिए। तभी वे कार्य कर सकते हैं । अभी तक उन्हें ये रियायतें नहीं दी गई हैं इसलिए वे कार्य नहीं कर सके हैं। यदि आप कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र का वास्तव में विकास करना चाहते हैं तो उन्हें भी वही रियायतें दी जानी चाहिए जो हम अपने निर्यातकों को देते हैं। इसके अतिरिक्त वे भी कर दिए बिना कच्चे माल का आयात कर सकेंगे और उन वस्तुओं का निर्यात करेंगे। केवल तभी रोजगार में वद्धि हो सकेगी।

श्री जार्ज मैथ्यू (युवतपूजा) : कुछ वर्ष पूर्व हम रबड़ का आयात करते थे किन्तु पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ गया है और अब स्थिति यह है कि उसके दाम गिर रहे हैं। 6 अगस्त, 1977 से प्राकृतिक रबड़ का नियूनतम मूल्य बढ़ाया गया है किन्तु उसका मूल्य 31 मार्च 1978 से फिर बढ़ाया जाना था लेकिन यह निर्णय दो मास तक स्थगित किया गया है। रबड़ बोर्ड लागत लेखाकार अधिकारियों ने भी अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट में इसका मूल्य 8 रुपए से अधिक रखने को कहा है। मैं नहीं जानता कि मंत्रालय ने उस प्रतिवेदन पर विचार क्यों नहीं किया । 1974 में हमें इसका मूल्य 10 रुपए प्रति किलो मिल रहा था। अब मूल्य बहुत गिर गए हैं और निम्नतम घोषित मूल्य अपर्याप्त है।

जहां तक रबड़ के उत्पादन का सम्बन्ध है, सरकार देश में रबड़ उत्पादकों तथा अन्य कृषकों के बारे में दो अलग-अलग नीतियां अपना रहीं हैं। मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि हमारे पास निर्यात योग्य फालतू रबड़ लगभग 10,000 मिट्रिक टन है। किन्तु भारत में फालतू रबड़ की मात्रा इससे कहीं अधिक है, किन्तु इस 10,000 टन रबड़ का भी अब तक निर्यात नहीं किया गया है। किन्तु आपकी रिपोर्ट के अनुसार, 1977 के अन्त में भारत में प्राकृतिक रबड़ की शेष मात्रा 57,414 मिट्रिक टन है और संशिष्ट रबड़ की मात्रा 9772 मिट्रिक टन है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मंत्री महोदय ने कहा है कि रबड़ का निर्यात नहीं किया जा सकता है क्योंकि बाहरी बाजार में मूल्य में अन्तर अधिक नहीं है और रबड़ का निर्यात करने पर हमें घाटा होगा। लेकिन चीनी के मामले में सरकार ने निर्यात करने का निर्णय लिया है जिससे सरकार को 30 करोड़ रुपए की हानी होगी। मुझे चीनी उत्पादकों के प्रति ईर्ष्या नहीं है, मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि रबड़ के निर्यात के लिए राज सहायता क्यों नहीं दी जाती ताकि रबड़ उत्पादकों को निम्नतम उचित मूल्य मिल सके।

सरकार रबड़ उत्पादकों से हमेशा यही कहती है कि यदि वे टायरों और रबड़ से निर्मित वस्तुओं का निर्यात करें तो उन्हें अधिक मूल्य मिल सकता है। मैं जानता हूं कि आगे चल कर रबड़ से निर्मित वस्तुओं का निर्यात करना आवश्यक होगा। लेकिन हमारे यहां रबड़ की वस्तुएं बनाने के कारखाने कहां हैं ? क्या आप सरकारी क्षेत्र में रबड़ उद्योग स्थापित करने के लिए तैयार हैं जो प्रतिवर्ष कम से कम 50,000 टन कच्चे रबड़, प्राकृतिक रबड़ से वस्तुओं का उत्पादन कर सके। हम ऐसा नहीं कर सकते। राज्य सरकार के लिए ऐसा करना बहुत कठिन है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि आप उद्योग मंत्री को मनाएं या आपका मंत्रालय एक परियोजना तैयार करे जिससे आप सरकारी क्षेत्र में एक रबड़ कारखाना स्थापित कर सकते हैं जो रबड़ से निर्मित माल का निर्यात करने के लिए रबड़ का परिष्करणन कर सकेगा। हम किसी भी देश से सर्वोत्तम तकनीकी विशेषज्ञ मंगा सकते हैं और हम सभी फालतू रबड़ का निर्यात कर सकते हैं और इससे स्वभावतः उत्पादकों को उचित मूल्य मिलेगा।

चाय के निर्यात के सम्बन्ध में सरकार ने बहुत सी पाबन्दिया लगा रखी हैं। किन्तु चाय के निर्यात से सरकार को 500 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। जहां तक चाय क्षेत्र के विस्तार का सम्बन्ध है उसके लिए लक्ष्य 248.24 हैक्टेयर रखा गया है। किन्तु 89.87 हैक्टेयर तक ही विस्तार कर सकते हैं। चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें एक नीति बनानी चाहिए।

कॉफी के निर्यात से सरकार को गत वर्ष 150 करोड़ रुपए मिले हैं और इसका उत्पादन बढ़ रहा है। इस वर्ष अब तक 193 करोड़ रुपए मिले हैं। जहां तक इलायची का सम्बन्ध है यह अन्य फसलों की तरह नहीं है। कुछ राज्य सरकारों ने, मुख्यतः दक्षिण के राज्यों ने इलायची की बिक्री पर विक्रय कर लगाया है। किन्तु मुख्य बात यह है कि यह उत्पादकों से लिया जाना चाहिए अथवा प्रथम क्रेताओं से? इलायची के छोटे उत्पादकों की, जो एक एकड़ अथवा दो एकड़ या तीन एकड़ में इसकी खेती करते हैं, संख्या बहुत है। इससे इन छोटे उत्पादकों को परेशानी होती है। आप राज्य सरकारों से कहें कि वे इस कर को अन्य लोगों से वसूल करें न कि छोटे उत्पादकों से। बिक्री कर अधिकारियों को छोटे उत्पादकों को तंग नहीं करना चाहिए।

तम्बाकू बोर्ड का मुख्यालय मंटूर में है जहां तम्बाकू उगाया जाता है। किन्तु इलायची का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। इस समय वह एर्नाकुलम में है। इसका मुख्यालय वहां से हटा कर इदीकी जिले में वांदायेडु में या कट्टाप्पना में ले जाया जाना चाहिए जो वास्तव में इलायची उत्पादन के क्षेत्र में है।

SHRI ANANT DAVE (Kutch) : I rise to support the demands for grants relating to the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation. The hon. Minister has stated that the new import and export policy will create more job opportunities. But he has not indicated the extent to which these opportunities will be created. But I hope in our country where there is wide-spread unemployment it will create employment opportunities on a large scale.

As regards the public distribution policy, it is not well coordinated. I will cite an example in this regard. Last year the Department issued licences to the private traders to import edible oil. When the oil ships arrived at Bombay post, they did not get berths and in Kandla Port where berths were available, they did not get railway wagons there. If the wagons are not available, the importers have to pay heavy demurrage amounting to Rs. 27,000 per day which will increase the cost of oil. So the distribution policy is not good. There is need to correct it.

So far as salt is concerned, we have enough production of salt in the country. But, today there is shortage of salt in some parts of the country like Rajasthan, Panjab, Haryana, Assam and Arunachal due to lack of coordination in the distribution system. A big racket is also going on. The big traders purchase salt at cheap rates from small manufacturers and sell it at exorbitant rates in other places. This kind of profiteering should be stopped.

As regards the free trade zones which have been created in Gujarat, it does not have the necessary facilities. A large quantity of waste material is lying there but the Ministry has not taken any decision so far. Moreover the necessary legislation has not been brought so far and the zone is functioning simply on a notification. There is great need to bring necessary legislation at an early date so that the free trade zone could function properly and effectively.

So far as the cooperating are concerned, they should be manned by honest and good persons. Only then the Cooperative Sector will be able to march forward.

The Government have imposed a ban on the export of items like turmeric and cumin seeds which are not essential commodities. I request the hon. Minister to lift this ban and allow the export of these items.

The Ministry should pay attention to the export of groundnuts which are grown in Gujarat in a very large quantity. A limited quantity of onion should also be allowed to be exported.

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : इस मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सभी विषयों में से सार्वजनिक वितरण व्यस्था का प्रश्न बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। हम महसूस करते हैं कि इस मामले में इस सरकार को वचनबद्ध होना चाहिए और इस कार्य को निष्ठापूर्वक किया जाना चाहिए। अन्यथा जहां तक आवश्यक वस्तुओं के वितरण का सम्बन्ध है हम लोगों की वास्तविक सेवा नहीं कर सकेंगे।

जनता पार्टी के घोषणा पत्र में यह आश्वासन दिया गया था कि अत्यावश्यक वस्तुओं के दाम जनसाधारण की क्रयशक्ति से अधिक नहीं बढ़ने दिए जाएंगे और इसके लिए सुसंगठित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का होना नितान्त आवश्यक है। लेकिन जनता का अनुभव इससे उलट है।

अत्यावश्यक वस्तुओं के मामले में निहित स्वार्थ जनसाधारण के हितों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इस सरकार को निजी व्यापार में विश्वास नहीं रखना चाहिए। यह आज का

अनुभव नहीं है। हम बड़े व्यापारियों को आयात-निर्यात की सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन देश की अर्थ-व्यवस्था में अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यही कारण है कि माननीय मंत्री जी जो योजना मंत्री भी रहे हैं सार्वजनिक वितरण की एक व्यापक व्यवस्था कायम करने की कोशिश करते रहे हैं।

जहां तक मूल्य सूचक अंक का सम्बन्ध है उसके गलत आंकड़े प्रस्तुत किए जाते रहे हैं विशेषकर आपात काल के दौरान। गलत आंकड़ों से लोगों का पेट नहीं भरा जा सकता आपका कहना है कि थोक मूल्यों का सूचक अंक घटा है और खुदरा दामों पर उसका प्रभाव कुछ दिनों के बाद पड़ेगा। लेकिन लोगों को दिन-प्रति दिन की खरीदारी में इसका फायदा नहीं पहुंचा है। यह भी एक कारण है जिसके परिणामस्वरूप लोगों का इस सरकार पर से विश्वास उठ रहा है। हम लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार फिर से बहाल किए जाने के प्रश्न पर आपका समर्थन करते हैं, परन्तु दनिक आवश्यकता की वस्तुएं सुलभ कराना भी एक जिम्मेदारी है।

देश में अधिनायकवादी ताकतें आपके कार्यचालन में नकारात्मक पहलुओं का लाभ उठा रहे हैं। लोगों को अत्यावश्यक वस्तुएं उचित दामों पर उपलब्ध कराने का काम क्या हम निजी व्यापारियों पर या सरकार पर छोड़ना चाहते हैं? इसके लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था कायम करने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं है। यह काम सहकारी समितियों को सौंपने की बात की जा रही है। हम देख चुके हैं कि इस देश में सहकारिता कुछ लोगों का धंधा बन गया है। हम अपने देश में आज तक वास्तविक उपभोक्ता सहकारी समिति नहीं बना पाए हैं। सहकारी क्षेत्र में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वयं सेवा करने के इतने इच्छुक हैं कि अपने आपको ऐसी स्थिति में बनाए रखने के लिए लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हैं : अतः इस मामले में उचित सावधानी बरतनी होगी। मैं महसूस करता हूं कि कुछ आवश्यक वस्तुएं ऐसी हैं जिन राज्य व्यापार के बिना हमारे लिए उनका वितरण करना संभव नहीं हो सकता।

देश के भिन्न-भिन्न भागों में एक ही समय पर अलग अलग कीमतें रहती हैं और वर्ष में कई बार उनमें उतार चढ़ाव आता है। कीमतों के अन्तर और उतार-चढ़ाव से देश में जमाखोरों को बढ़ावा मिलता है और मुनाफाखोरों को फायदा पहुंचता है। व्यापारी वर्ग केवल अपने मुनाफे की बात को समझता है, न कि लोगों की कठिनाई को समझता है। क्या यह सुनिश्चित करना सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है कि आवश्यक वस्तुएं सारे देश में उचित दामों पर और यदि आवश्यक हो तो रियायती दरों पर उपलब्ध करायी जाएं। इसके लिए सरकार को राज सहायता देनी चाहिए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आवश्यक वस्तुए सारे देश में एक समान कीमतों पर उपलब्ध होनी चाहिए। यह काम सरकार का है। इस प्रयोजनार्थ उचित सुरक्षित भंडार बनाया जाना चाहिए। विदेशी मुद्रा का संचित भंडार अनुकूल में स्थिति में होने के कारण हम आवश्यकता पड़ने पर आयात भी कर सकते हैं। इसके साथ-साथ उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए। देश में केवल कुछ विशेष क्षेत्रों के लोगों के लिए राशनिंग व्यवस्था है। यह आवश्यक है कि समूचे देश में अनिवार्य राशनिंग व्यवस्था लागू की जाए जिसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसके राशन कार्ड पर

आवश्यक वस्तुएं उचित दामों पर सुनिश्चित सुलभ करायी जाएं जैसा कि पश्चिम बंगाल में म है। इस देश में आवश्यक वस्तुओं का सही वितरण निजी व्यापारियों के हाथ से नहीं हो सकता। यह

यह अच्छी बात है कि समूचे देश में कोयला तथा इस्पात एक समान दामों पर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा प्रत्येक वस्तु के मामले में क्यों नहीं किया जा रहा

चाय की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। किन्तु इसका फायदा कुछ अन्य लोगों को मिला है। मैं आज तक यह नहीं समझ पाया कि चाय क्षेत्र में विदेशी तथा ब्रिटिश कम्पनियों को 74 प्रतिशत विदेशी शेयर रखने का अधिकार अभी तक क्यों चला आ रहा है। इनमें भारतीय कम्पनियों को केवल 26 प्रतिशत शेयर रखने का अधिकार दिया हुआ है। यहां तक कि आधुनिकतम उद्योगों में भी विदेशी कम्पनियों को 40 प्रतिशत तक शेयर रखने की अनुमति दी हुई है जबकि भारतीय कम्पनियों को केवल 60 प्रतिशत शेयर रखने की अनुमति है। इस प्रकार 74 प्रतिशत विदेशी शेयरधारियों का कुल पैसा विदेशों को जा रहा है। यहां तक कि इन विदेशी एकाधिकारी कम्पनियों का हमारे देश में जोर बना हुआ है। निर्यात पर बढ़ने वाला मुनाफा विदेशियों की जेब में जा रहा है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस मामले में वित्त मंत्री जी से बातचीत करें।

टी० टी० सी० आई० सरकारी उपक्रम में 100 से भी अधिक व्यक्ति नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के हस्तक्षेप के बारे इनमें से 50 व्यक्तियों को तो स्थायी तौर पर नौकरी में रख लिया गया है, बाकी लोग अभी तक बेरोजगार हैं। आपातकाल के शिकार व्यक्तियों को बहाल कर दिया गया, पर ये श्रमिक गोयन्का जैसे एकाधिकारपतियों के शिकार हैं। मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

वाणिज्य विभाग ने अनेक रियायतों की घोषणा की है। अब संगठित उद्योग सरकार पर यह जिम्मेदारी नहीं डाल सकते कि वे आयात प्रतिबन्धों के कारण अपने पूंजी विनियोजन को कैसे बढ़ाएं।

औद्योगिक नीति में एकाधिकारी या बड़े उद्योगों को दस लाख रुपए की पूंजी वाले उद्योग खोलने में रोकने की व्यवस्था नहीं है। इस बात पर निगरानी रखी जानी चाहिये कि जो सहूलियत छोटे उद्योगों को दी जा रहीं हैं उनका उपयोग बड़े उद्योग न कर पाएं।

आयात नियंत्रक के कार्यचालन में बहुत सुधार आया है। कलकत्ता स्थित उसके कार्यालय ने अच्छा काम किया है परन्तु उसके दूर होने से लोगों को जो कठिनाई है मंत्री जी उसकी ओर ध्यान दें। केन्द्रीय व्यापार सेवा आरम्भ करने का जो निर्णय लिया गया था वह अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। मुझे विश्वास है कि चीन तथा अन्य पड़ौसी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की ओर मंत्री महोदय उचित ध्यान देंगे।

SHRI MOTIBHAI R. CHAUDHARY (Banaskantha) : The pesticides being made available to farmers are not of good quality and also not in adequate quantity. Steps Steps should be taken to get good quality pesticides produced and distributed through

Cooperative Societies in required quantity. Necessary funds should be provided for the purpose.

Mechanisation in agriculture has been increasing and therefore, the number of Agricultural Service Centres should be increased and required funds should be provided therefor.

The prices of agricultural produce fall when they are brought to markets by the farmers after harvest. The number of cold stores, particularly the cooperative cold stores, should, therefore, be increased for storage and preservation agricultural produce.

As regards exports I feel that restrictions on export are imposed at such a time when they should not be imposed. There should be some flexibility, which does not exist at present, in this policy. What happens today is that on arrival of agricultural produce in market after harvesting season, the export restrictions are not relaxed. They are relaxed only after the agricultural produce reached the hands of traders. Thereby only the traders are benefited and not the farmers.

The export policy is adversely affecting the interests of farmers in case of jeera, eesabgol and castor oil which are among the main agricultural produce in my region. Today the rates of electricity, fertilizers and labour etc. are high and therefore, such a policy should be adopted in regard to exports of these agricultural produce by which the farmers may be benefited.

SHRI H. L. PATWARY (Mangaldoi) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the price fixation has no scientific basis in our country. I will appeal to the hon. Minister to evolve some scientific basis for price fixation. Then maximum benefit of control should reach the villagers. During the past 30 years our entire economy had been heavily weighted in favour of the urban people. The controls should be so exercised that it does not create black money in the country and it should be aimed at the good of the people.

There is the problem of adulteration. It is strange and turmeric powder is sold at a price lower than that of turmeric although it involves labour in its grinding. The adulteration has increased considerably during the last 30 years. I would appeal to Shri Dharia, the hon. minister to bring forward a legislation providing for capital punishment for adulteration. If seven such persons are hanged it will act as a deterent. Let there be a separate court for such cases so that punishment is awarded without delay.

We find that tea is sold in the country through auction but wheat and paddy are procured by Government at the control rates of Rs. 110/- and Rs. 177/- respectively. Why should also not be allowed to sell their produce through auction so that they may get more money. The gap between rural and urban areas is widening. There should be proper machinery for procurement of agricultural products in excess and there should also be adequate transport arrangement for movement of agricultural produce from excess areas. We find that even tha price of salt is increased. There are certain element which create artificial crisis even for salt and then blame the government as was the case recently in Assam on the eve of Assembly elections. It should be enquired into why the people who obtained permits in January did not bring salt and the eight salt traders of Assam alongwith their patron ministers of the state found guilty should be awarded stringent punishment. I will go even to the extent of pleading for awarding them death sentence, if the law permits. Even my name was dragged and I was blamed for the shortage of salt.

As regards increasing over foreign trade I would suggest that there should be same link at State and District levels with the S.T.C. so that surplus produce may be exported. Our Mizo friends pointed out that they were surplus in ginger but it could

not be exported. Our trade earnings can go up considerably if we export the agricultural produce on the lines of industrial products. The price of wheat is Rs. 110/- a quintal but biscuits are sold at the rate of Rs. 12/- per Kg. Why should these huge profit not be passed on to the agriculturists.

There is no correlation between the prices of agricultural produce and industrial products. With their collective voice the industrialists are able to dictate terms in fixation of prices of industrial products but agriculturists have no collective voice. Recently Indian Chamber of Agro Industries and Trade has been formed with a view to make its suggestions on fixation of prices of agricultural products. They have sought the blessings of the hon. Minister, Shri Dharia and I hope that full cooperation would be extended to them.

Then there is the question of uniformity in prices. I come from a province where there are no facilities. The local *adivasis* of the area have to borrow even God from England and U.S.A. Assam has some peculiar problems of its own but no attention is paid to them. The goodwill of the simple people is exploited. The adivasis of the area should also be associated in the trade efforts so that they may feel themselves to be a part of the national main stream. They have a feeling that although political kings have been removed, Government of India has imposed economic kings on them. The economic kings are far more dangerous than feudal kings. They have 18 lifts in one single house., they own a flat of 20-22 cars and a number of aircraft. You can well imagine their wealth from the fact that they presented a purse of Rs. 5 crores to Shrimati Indira Gandhi. I am referring to Shri R. P. Goenka. There were nearly 1200 political kings in India but now these 9 lakh economic kings are the *de facto* rulers of the country I hope that the hon. Minister of Commerce will create an atmosphere in the country within a period of one year that they are dead set to banish these economic kings from the country. The people should be made to believe that no more economic kings will be tolerated in the country. This will also help in gradually solve the problems of Harijans and *adivasis*. I am one with them. I am prepared to do scavanging work with them. I believe in dignity of labour. I am even prepared to marry a Harijan girl. An attempt is being made to interfere with their heritage, culture and civilisation.

In the end I will suggest the creation of an Eastern Economic Zone comprising of Arunachal, Meghalaya, Mizoram, Manipur, Tripura and Assam so that the problems of this area, which have a peculiarity of their own, are dealt with properly. On my part I am prepared to extend my fullest cooperation. The previous regime had lowered the image and prestige of India in foreign countries. We will have to work hard to project the true image of India highlighting the faith of Indians in honesty, truth and hard work. With these words I support the demands for grants.

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पांडिचेरी) : मैं माननीय मंत्री जी के पहले के काम और अब किए काम की खुले दिल से प्रशंसा करता हूं। वे सराहना के पात्र हैं। साथ ही मैं कुछ त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिनमें से कुछ तो उनके नियंत्रण में हैं और कुछ उनके वश के बाहर हैं। यदि देश की जनसंख्या कम होती तो उनका काम सरल हो जाता। इस मंत्रालय के तीन विभाग हैं, वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता। वाणिज्य के मामले में आपने पांडिचेरी में प्रयास तो किए पर वे असफल रहे। नागरिक पूर्ति के बारे में संसद् सदस्यों ने सप्लाई की स्थिति के संबंध में अनेक शिकायतें की हैं और इस बारे में समूचे देश को शिकायत होना स्वाभाविक है। मैं सहकारिता के बारे में श्री चटर्जी से सहमत नहीं हूं।

निर्यात के सम्बन्ध में मंत्री महोदय को दोष नहीं दिया जा सकता है क्योंकि अन्य मंत्रालयों का भी इससे सम्बन्ध है और उनमें आपस में तालमेल नहीं है। जिसके कारण समस्याए

पैदा हुई। यह सर्वसम्मत राय है कि देश को 69 प्रतिशत जनता निर्धनावस्था से भी निम्न स्तर पर निर्वाह कर रही है परन्तु सरकारी रिपोर्टों में कुछ और ही दिखाया जाता है। अनेक रिपोर्टों में कहा गया है कि थोक मूल्यों में 4.1 प्रतिशत की गिरावट आई है वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट में आप कहते हैं कि कुल मिलाकर मूल्यों में गिरावट आ रही है और आप यह भी कहते हैं कि 69 प्रतिशत व्यक्ति निर्धनता स्तर से नीचे जीवनयापन कर रह हैं। क्या इन मूल्यों पर ये लोग 25 प्रतिशत आवश्यक वस्तुएं खरीद सकते हैं? मैंने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में पढ़ा है कि ग्रामीण लोगों का सूचकांक 198 से घटकर 196 हो गया और शहरी लोगों का 256 से बढ़कर 855 हो गया है। सभी सरकारें, चाहे पश्चिमी बंगाल की या मेरे राज्य पांडिचेरी की या तमिलनाडु या दिल्ली की सरकार हो, कहती है कि हमें गांवों में जाना चाहिए जैसा कि हम बड़े शहरों के हों। हम सब गांवों से ही आए हैं। हम गांवों में वापस केवल इस कारण से जाना चाहते हैं कि वहां सूचकांक, जो 1947 में 198 था, घटकर 196 हो गया है लेकिन शहरी क्षेत्र में यह 256 से बढ़कर 855 हो गया है। आंकड़े देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, चावल का मूल्य सूचकांक 4.1 प्रतिशत , गेंहूं का भी 4.1 प्रतिशत, चाय और चीनी का 37.1 प्रतिशत कम हुआ है। लेकिन वास्तविक जीवन में देश में स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न है। लेकिन यह प्रसन्नता की बात है कि श्री मोहन धारिया वाणिज्य और व्यापार मंत्री है, जो ईमानदारी की प्रतिमूर्ति हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे वास्तविकता और इन आंकड़ों में भिन्नता को समझेंगे और उचित कार्यवाही करेंगे। मैं समझता हूं कि भविष्य में आंकड़े सही स्थिति ही दर्शाएंगे। मेरा सुझाव है कि देश को जोनों में बांटा जाए और संबंधित् क्षेत्रों के लोगों और सहकारी क्षेत्र की राय ली जाए। सहकारी क्षेत्र में जो दोष हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाना चाहिए कि आप गांवों में जनसाधारण तक पहुंचकर उनकी भोजन-कपड़ा की वास्तविक समस्याओं को समझ सकें।

मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं न केवल तालमेल की कमी ही है बल्कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मंत्रालय के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं और उसमें गड़बड़ी पैदा करते हैं। आप नारियल जटा उद्योग को ही ले लीजिए इस उद्योग पर किसी एक राज्य का एकाधिकार नहीं हो सकता। हम निर्यात बढ़ाने के लिए हर सम्भव सहायता दे रहे हैं। यही कारण है कि हम देश के उत्पादकों को अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दे रह हैं क्योंकि निर्यात बढ़ने से ही हम विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि इस उद्योग पर किसी खास राज्य का एकाधिकार न हो। यदि केरल में नारियल में अधिक होता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह तमिल नाडु से यह कस कह सकता है कि तुम यह उद्योग स्थापित नहीं कर सकते और इस प्रकार इसका निर्यात नहीं कर सकते। यही बात बात काजू, रबर, कॉफी और अन्य वस्तुओं पर भी लाग् होंती है। इसके पीछे मुख्य कारण राजनीति है। परन्तु मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री श्री मोहन धारिया इस दबाव में नहीं आएंगे और वह सिद्धांतों पर चलेंगे अन्यथा अपना पद त्याग देंगे। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे राज्यों के आपसी सम्बन्ध खराब हों।

नारियल जटा के उद्योग में मशीनों से काम लिया जाना चाहिए। यदि हम मशीनों से काम नहीं लेंगे तो हम दूसरे देशों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हम विदेशी व्यापार

बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए हम स्थानीय उत्पादकों को अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं।

अतः सरकार को चाहिए कि वह इस समस्या का ईमानदारी से न कि राजनीति के बलबूते पर समाधान करे।

अब मैं विदेशी मुद्रा और व्यापार सम्बन्धों के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा हम हथकरघा आदि वस्तुओं को विदेशों में भेजने के लिए 400 करोड़ रुपए तक की राज-सहायता देते हैं। हमें इस बात की खुशी है कि हम राज सहायता दे रहे हैं। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नीति है? हमारे अपने देश में लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं है। आप दक्षिण भारत को देखें। वे सारे वर्ष में दो तौलिए लेकर ही गुजारा करते हैं। कुछ लोगों को तो मांग कर कपड़े पहनने पड़ते हैं। उत्तर भारत में भी लोग सर्दियों में कम्बल ओढ़ कर गुजर कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि हथकरघा उद्योग बढ़े। अतः मैं समझता हूं कि सरकार को चाहिए कि वह निर्यात के बजाय यहां लोगों को राजसहायता दें। मैं इस लिए अपनी आवाज बुलन्द कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जनता सरकार इस बात को समझ लें कि जो कुछ वाणिज्य मंत्री करना चाहते हैं वह पूरे जोर शोर से किया जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। जनता सरकार के कुछ लोग बहुत अच्छे हैं किन्तु उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है।

अन्त में मैं फिर यही चाहूंगा कि वाणिज्य मंत्रालय एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यदि यह मंत्रालय फेल हो जाता है तो सारी सरकार ही फेल हो जाएगी। यह विषय बहुत बड़ा विषय है किन्तु इसे पूरा समय भी नहीं दिया गया है। भविष्य में जब इस विषय पर चर्चा की जाए तो इस के लिए अधिक समय नियत किया जाना चाहिए। मुझे जो समय दिया गया है मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। मुझे विश्वास है कि जो मैंने बातें कहीं हैं वाणिज्य मंत्री उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे।

SHRI RAGHAVJI (Vidisha) : I support the demands of the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation. The work done by this Ministry under the Ministership of Shri Mohan Dharia is not only satisfactory but praiseworthy also. When the Janata Government took over, the prices in the country were rising. They took steps to check these prices. At the outset they abolished the zones of wheat and rice. They created only one zone for the entire country. The position prior to the creation of one zone is known to all. The price of wheat in Bombay and Calcutta had gone upto Rs. 400 per quintal. It was difficult to get rationed wheat because of big queues. On the other hand the prices of wheat in wheat producing states was not more than Rs. 105 per quintal. Thus by abolishing the zones Government has been able to maintain almost a uniform price of these articles all over the country.

So was the case of edible oils. The prices of edible oils had started rising in 1976. The position had become worst in 1977. Had there been Congress Government in the country the position could have gone from bad to worse. But Janata Government imported oil in a large quantity and as a result of imports of oils in the country there has been a fall in their prices.

The prices of Gur and Sugar have also slashed considerably. The prices of tea has also been reduced by 37 per cent. Here I would also like to mention that the dual price policy of sugar should be abolished as it gives rise to corruption. The rationed sugar also

does not reach in far flung areas. This sugar is sold in the black market. Thus dual price policy of sugar should be abolished.

On the whole we find that Janata Government has been able to hold the price line.

I would also like to touch some points regarding import and export matter. It is a matter of great satisfaction that our exports have increased by 8.7 per cent although we have reduced the exports of certain essential commodities like sugar, onion etc. How paradoxical it was that our own countrymen were not getting the commodities which were being exported. Janata Government is now exporting the commodities which ought to be exported. It is a matter of great satisfaction. Now tea, coffee, spices, ornaments, pearls, carpets are being exported. The Minister of Industry had said that a carpet industry is being set up on a large scale. Perhaps a licence for this purpose is being granted to Modis. I think it will not prove beneficial to craftsmen, because they will never be able to compete with the big unit. In this regard I would like to suggest that national awards should be granted to the best craftsmen. I will urge that government should reconsider the grant of a licence to Modis.

The declaration of new import export policy has been widely praised. This will give benefit to small units. The Government should allow the import of camphour powder though some companies which are making huge profit by its sale on high prices are opposed to it. This will help the small units. This will also check profiteering of these companies.

There is no justification for increasing the minimum export performance for the grant of Export Certificate from Rs. 50 lakhs to Rs. 1 crore in respect of certain products and from Rs. 3 crores to Rs. 5 crores in the case of other products. This increase is not going to benefit the small industrialists. It is, however, a matter of satisfaction that the limit of import has been reduced for the benefit of the small scale sector.

The set up of the State Trading Corporation should be so improved that the small manufacturers are also able to know the procedure for export. For this purpose an Information centre should be opened in each state. It is a known fact that big companies which get certain products manufactured from small manufacturers like shoe-makers, handloom weavers etc. are making huge profits on these products whereas the small manufacturers are deprived of this profit.

It is regretted that our goods are rejected because their quality is not found according to the specifications. Certain people indulge in this practice in order to make more profits. Our export trade is ultimately badly affected. It is, therefore, necessary to see that the quality of goods is controlled and maintained at any cost.

So far as the working of Indian Standards Institution is concerned, it is not working effectively. There the people are indulging in corrupt practices. Goods are cleared after accepting bribe. In our area there are factories manufacturing insecticides. Though they are cleared by the I.S.I. people, but they are not found to be effective. More effective steps should be taken to control the quality of exportable goods. Those companies whose goods are exported and are found to be of low quality, should be black-listed. Some provisions should be made whereby such people are prosecuted and punished for supplying low quality goods to foreign countries.

Except Maharashtra, co-operatives in all the states are not working properly. The position of co-operatives in Madhya Pradesh is particularly worse. Crores of rupees are being wasted on those co-operatives. But these are not serving the requisite purpose. Fertilizers and pumps, if purchased direct from the open market, are available at cheaper rates. Something should be done to see that the goods are supplied by these co-operative societies at reasonable rates. Overhead expenses of these societies should be curtailed and brought to the minimum in order to achieve the above objective.

The tribal producers of coconuts and betelnuts in Andaman and Nicobar Island are being exploited and they are not getting fair price for their produce. They are getting Rs. 3 for one kilograme of betelnuts and Rs. 2 to Rs. 2.25 for one kilograme of coconuts whereas both these commodities are sold respectively at Rs. 8 to Rs. 10 per kilograme in the market. This huge profit is being made by other people whereas the tribal producers are being deprived of the fair price. Something should be done to protect their interests.

The Central Government has proposed to do away with octroi on commodities. The State of Madhya Pradesh has already abolished it but the union Government has not given any financial assistance to them. If you really want to abolish it, it is necessary that some assistance should be rendered as an incentive to those states which have abolished it.

The law governing sales-tax is very defective and it should be amended. To-day, we find that rice, wheat and pulses are very dear. It is because of the fact that the sales-tax and other overhead charges on these commodities are very high. Those who do not submit 'C' form for sales-tax, are being charged 10 per cent which leads to rise in prices. Such discrepancies should be removed in consultation with the Ministry of Finance and measures should be adopted to make there commodities available to consumers at fair price.

SHRI HARGOVIND VERMA (Sitapur) : Sir, I rise to support the Demands for Grants in respect of the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation. The Minister deserves our congratulations for making an improvement in the public distribution system. During the five years preceding the emergency people used to wait in queues for hours to get essential commodities like dalda, wheat, rice etc. The people were even unable to celebrate their festivals for want of such essential commodities. It is good that now all the commodities are easily available in the markets and the people have not to waste their time by standing in queues for hours. In the past, essential commodities used to be exported to other countries with the result that consumers in our country were not able to get them easily at fair price. It is good that export of these commodities have now been banned and these are now available at fair prices. But still these are certain goods which are even now being exported to other countries and as a result these are available at high prices. It is, therefore, necssary that steps should be taken to see that those goods which are produced in the small scale sector are made available to consumers at cheaper rates and their export is reduced or totally banned.

To-day we find that our import and export policy is not being regulated properly as a result of which people have to face a lot of inconvenience. When we find that there is shortage of anything, we resort to imports. But it takes time and in the meantime such essential commodities are not easily available to our people. Similarly when we find that there is something surplus we resort to export. I think we should keep stocks of such commodities availabillty of which is likely to be scarce and advance action should be taken for the export of those goods which are surplus. At the same time a proper balance should be maintained between our imports and exports. In this respect it is suggested that export of goods produced in cottage industries as well as agricultural commodities should be reduced whereas export of machine-made goods which are produced at a large scale should be increased. Efforts should be made to see that more grants and more facilities are given to small scale sector so that there improvement in the small scale sector. Export of essential commodities should be banned and only those goods should be imported which are scarce in our country. Import of such goods which are being produced in sufficient quantities in our country should also be banned. In order to promote agricultural production, grants should be given to farmers and arrangements should be made for crop insurance against drought, heavy rains and hail storms. Unless this is done there will be no improvement in the condition of the farmer.

In order to remove poverty from our country where, it is said, 69 per cent people are living even below the level of poverty, it is necessary that more attention should be paid to our co-operatives. Through our co-operative societies we can change the destiny of our small farmers and workers who live in villages. For this purpose we will have to bring all the small land-holdings under co-operative societies. Only then we will be able to ameliorate the plight of our poor people. Our co-operatives are not working efficiently because there is dual control over them. These should be run by Government officials only. More and more co-operative societies should be set up for the benefit of the farmers. Similarly marketing societies, which have been set up in Uttar Pradesh, are not making enough purchases. Whatever purchases are made, these are made for traders as a result of which farmers and poor people are not benefited.

To-day we find that cheap quality cloth is not available in villages. The mills should be asked to produce enough such cloth so that it is available in villages in sufficient quantities. This type of cloth should be distributed through co-operatives.

The cane-growers are not getting fair price for their produce. Even though there are fixed rates, but they are not paid at these rates. Something should be done to remedy this situation.

After the emergency the people have again become care-free. The Government employees are either not punctual or not available at their seats. The shopkeepers have stopped displaying rate-lists. More stringent laws should be made in this regard and at least deterrent punishment should be given to those who are not doing their work properly. Unless this is done, there can be no improvement in the present state of affairs.

With these words, I support the Demands for Grants in respect of the Ministry.

श्री के० सूर्य नारायणं (एलुरु) : देश में तम्बाकू उत्पादक हानि उठा रह हैं और सम्पर्ण देश में लगभग 70,000 तम्बाकू उत्पादक हैं और वे पीड़ित हैं।

[**श्री शेजवलकर पीठासीन हुए**]
[SHRI SHEWALKAR *in the chair*]

सरकार द्वारा, तम्बाकू बोर्ड तथा निर्यात से सम्बन्धित लोगों द्वारा अपनाई गई नीति द्वारा उत्पादकों को हानि हो रही है। 1975 में तम्बाकू बोर्ड बनाते समय यह कहा गया था कि हर चीज तम्बाकू बोर्ड के माध्यम से होती जैसा कि काफी तथा चाय जैसी अन्य वस्तुओं के मामले में होता है। किन्तु जैसी आशा थी वैसा हुआ नहीं। आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू उत्पादक ऐसा महसूस करते हैं कि सरकार की नीतियों के कारण वे बहुत कष्ट तथा हानि उठा रहे हैं। किन्तु तूफान के समय तम्बाकू बोर्ड ने 4.5 करोड़ रुपए ऋण की व्यवस्था करके उनकी सहायता की किन्तु अब उन्हें इस तरह हानि उठानी पड़ रही है क्योंकि उन्होंने तम्बाकू अधिक उगाया है। अब स्थिति यह है कि तम्बाकू बाजार में आ गया है किन्तु उनके तम्बाकू को उचित मूल्य पर खरीदने के लिए कोई तैयार नही है। सामान्य व्यापारियों तथा बिचोलियों द्वारा उनका हमेशा की तरह शोषण किया जा रहा है। केवल सरकार की नीतियों के कारण उत्पादक बहुत पीड़ित है। चावल तथा अन्य वस्तुओं को खरीदने के लिए कोई एजेंसी नहीं है। इस सरकार तथा पिछली सरकार के अधीन कृषि उत्पादक को ही सबसे अधिक हानि उठानी पड़ी है, न कि निर्माताओं को तथा बिचोलियों को। किन्तु सब यहीं कहेंगे कि वे कृषि उत्पादकों का समर्थन करेंगे। आमतौर पर राजनीतिक पीड़ित होते थे। अब दश में किसान व फार्मिग समुदाय ही सबसे अधिक पीड़ित है। मैं मंत्री जी से अपील करता हूं कि वह इस

पर गंभीर रूप से विचार करे। उन्होंने तम्बाकू उगाने में 1300 या 1400 रुपए प्रति एकड पंजी लगाई है। उन्होंने कई करोड़ रुपए का ऋण लिया है और उन्हें अवमूल्य आदि के कारण 40-50 करोड़ रुपए की हानि हो गई है क्योंकि इन वस्तुओं को 10 या 15 दिन से अधिक नहीं रखा जा सकता है। इसलिए व्यापारी इसका फायदा उठा रहे हैं। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने पिछली बार बताया था कि व्यापारियों को विदेशों से 13 या 14 रु० प्रति कि० ग्रा० मिलता है किन्तु उन्होंने उत्पादकों से केवल 4 या 6 रु० प्रति कि० ग्रा० की दर से तम्बाकू खरीदा। क्रय और विक्रय मूल्य में कितना फर्क है ? तम्बाकू बोर्ड में 4 निदेशक किसानों में से हैं। और 4 निदेशक व्यापारियों में से हैं। देश में तम्बाकू उत्पानक तो करीब 1 हैं और व्यापारी केवल दो सौ हैं। सारे तम्बाकू बोर्ड का नियंत्रण तथा प्रबन्ध व्यापारियों के हाथ में है। सरकार ने तम्बाकू बोर्ड की स्थापना करते समय कहा था कि व्यापारी तथा बिचोलिये से सम्बन्ध नहीं रहेगा और राज्य व्यापार निगम और तम्बाकू बोर्ड को केवल उचित कमीशन दिया जाएगा। किन्तु वे भी व्यापारियों के माध्यम से खरीद रहे हैं। सरकारी एजेंसी को उत्पादकों से सीधे खरीद करनी चाहिए जैसा कि चीनी के कारखाने करते हैं। वे सीधे उत्पादक से खरीद कर रहे हैं और उत्पादकों को लाभ का अंश मिलता है। यदि तम्बाकू उत्पादकों के मामले में भी यही प्रथा अपनायी जाए तो हमें सरकार विरुद्ध कोई शिकायत नहीं होगी। सरकारी अधिकारी तथा प्रतिनिधि तम्बाकू उत्पादकों की कठिनाईयों तथा समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते हैं और उनके हितों की उपेक्षा की जाती है। सरकार को उनकी समस्याओं पर विचार करना चाहिए और उन्हें हल करना चाहिए। तम्बाकू बोर्ड उत्पादकों के लाभ के लिए गठित किया गया है इसलिए हमने इसका पूरी तरह समर्थन किया है।

हमसे कितने देश तम्बाकू खरीद रहे हैं? पहला ब्रिटेन और दूसरा रूस। आप सारा व्यापार सरकार के माध्यम से क्यों नहीं करते। साम्यवादी देश केवल प्राइवेट व्यापारियों के माध्यम से माल खरीदना चाहते हैं। वे सहकारी समितियों तथा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से माल नहीं खरीद रहे हैं और वे खुद अपने एजेंट नियुक्त करना चाहते हैं। पहले वे ट्रैक्टरों की एजेंसी राज्य व्यापार निगम को नहीं देना चाहते थे बाद में बड़ी मुश्किल से हमें इसमें सफलता मिली।

लाभ का अंश सभी सम्बन्धित पक्षों को समान रूप से मिलना चाहिए और केवल उचित कमीशन, व्यापार कमीशन दिया जाना चाहिए जो दस प्रतिशत से प्रन्द्रह प्रतिशत तक हो सकता है। इस समय सौ प्रतिशत अथवा दो सौ प्रतिशत दिया जा रहा है। आपने वाउचर प्रणाली भी लागू कर दी है, यह केवल एक बिल है। तम्बाकू बोर्ड ने व्यापारियों के साथ समझौता कर लिया है। सरकार द्वारा उत्पादकों को बैंक चैक देने की व्यवस्था किये जाने के बाद भी उनका अब भी शोषण हो रहा है चाहे व्यापारी पैसा दें या अथवा नहीं, किसान लोग उनकी दुकानों पर माल (तम्बाकू) के ढ़ेर लगाते जा रहे हैं। आप मेरे जिले में गुन्टूर तथा अन्य स्थानों में जाकर देखिए कि लोग कैसी घोर समस्या का सामना कर रहेहैं। गुन्टूर के जिला जनता पार्टी यूनिट के अध्यक्ष, जो इस समय तम्बाकू विकास परिषद् के अध्यक्ष, श्री चन्द्रमौली और जो जनता पार्टी के विधायक भी हैं, ने एक शिष्ट मंडल का प्रतिनिधित्व किया और उत्पादकों के आन्दोलन का नेतृत्व किया और राज्य व्यापार निगम के कार्यालय तथा तम्बाकू बोर्ड के सामने तम्बाकू जलाया। देश में ऐसी स्थिति चल रही है। यह एक प्रचंड समस्या है। इसके लिए सरकार को गंभीर रूप सें विचार करना चाहिए।

तम्बाकू उगाने वालों की तरह गन्ना उगाने वाले भी बहुत परेशान हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार ने पिछले छः सात वर्षों से गन्ना उत्पादक गन्ने की कीमत बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और वे सत्याग्रह कर रहे हैं। परन्तु उनकी इस मांग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उद्योगपतियों का कहना है कि वे गन्ना 150 रु० प्रति टन खरीदते हैं। प न्तु वास्तविकता यह है कि उत्पादकों को केवल 90 से 100 रुपए प्रति टन की दर से भुगतान किया जाता है और शेष रकम को उधार के रूप में दिखा दिया जाता है और तत्पश्चात् इसका कभी भुगतान नहीं किया जाता है। इस प्रकार उद्योगपति न केवल सरकार का शोषण ही कर रहे हैं परन्तु उत्पादकों को धोखा भी दे रहे हैं। सरकार चाहे बदल गई है, बिचोलिये वैसे ही अधिकाधिक मुनाफा कमा रहे हैं।

मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 1975-76 में 93 करोड़ रुपए के मूल्य का 74.3 हजार टन तम्बाकू का निर्यात किया गया था जबकि इस वर्ष दिसम्बर, 1977 तक 100 करोड़ रुपए के तम्बाकू का निर्यात किया जा चुका है और अभी अन्य देशों को लगभग 10 वे 15 हजार टन और तम्बाकू का निर्यात किया जाना है। अतः तम्बाकू बोर्ड ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह राज्य व्यापार निगम को 10 से 15 हजार टन और तम्बाकू खरीदने की मंजूरी दे। काफी बोर्ड और चाय बोर्ड की तरह तम्बाकू बोर्ड को भी उत्पादकों की मदद करने की नीति अपनानी चाहिए।

सहकारिता के बारे में श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। प्रश्न यह उठता है कि कौनसा ऐसा क्षेत्र है जहां भ्रष्टाचार नहीं है। फिर भी सरकार को जहां कहीं भी फैले हुए कदाचार और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। इसके लिए सहकारिता सम्बन्धी अधिनियमों में संशोधन करना चाहिए और भ्रष्ट लोगों को सजा देनी चाहिए।

आन्ध्र प्रदेश में केवल 145 सहकारी चावल मिलें हैं। इनका विश्लेषण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम करता है। परन्तु इसका उनके प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। राज्य सरकार सहकारी समितियों पर अपनी उपविधियां लागू करती हैं। यहां तक कि इस सम्बन्ध म सहकारी समितियों के लोगों से कोई परामर्श नहीं किया जाता है। सरकार की गलत नीति के कारण उत्पादकों को हानि हो रही है। आज सहकारी कारखाने घाटे पर चल रहे हैं हालांकि वे अपनी क्षमता के अनुसार पूरा कार्य कर रहा हैं। समझ में नहीं आता कि इस घाटे को कौन पूरा करेगा? गैर सरकारी कारखाने तो किसी तरह से अपना घाटा पूरा कर लेते हैं। यदि सरकार इस स्थिति में सुधार नहीं कर सकती है तो उसे चाहिए कि वह हमारी सहकारी समिति को संयुक्त स्कन्ध कम्पनी के रूप में बदल दे। सभी उद्योग-पति सरकारी धन से अपना विकास कर रहे हैं लेकिन चीनी सहकारी मिलों से सरकार चीनी ले लती है क्योंकि सरकार को उपभोक्ताओं की अधिक चिन्ता रहती है। यदि सरकार सहकारी समितियों की सहायता करने में असमर्थ है तो अच्छा रहेगा कि इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। सरकार भूतपूर्व प्रधान मंत्री और अन्य राजनीतिज्ञों के विरुद्ध आयोग तो बिठा सकती है परन्तु आर्थिक मामलों के बारे में गन्ना उगाने वालों की सहायता करने के लिए कोई समिति नहीं बना सकती है।

गन्ना और तम्बाकू उगाने वालों के साथ-साथ धान उगाने वाले भी अत्यधिक परेशान हैं। धान का मूल्य 70 रुपए प्रति क्विंटल है जबकि उपभोक्ता प्रति किलो 2.50 रुपए देता है। परन्तु उत्पादक को लाभप्रद मूल्य नहीं दिया जाता है। धान को तो फिर भी एक दो महीने भण्डार में रख कर बेचा जा सकता है परन्तु चीनी और तम्बाकू के मामले में ऐसा नहीं हो सकता है। यह एक समस्या है जिसकी ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए। आशा है कि 15 दिन के अन्दर ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिनमें गन्ना, तम्बाकू और धान उगाने वालों की समस्या हल हो जाएगी। यदि उनकी इस समस्या को हल न किया गया, तो अगली बार न आप यहां होंगे और न ही मैं यहां हूंगा। क्यों कि केवल कोरे वचनों से कोई सुधार नहीं हो जाएगा इसके लिए हमें कुछ ठोस कार्यवाही करनी पड़ेगी।

अन्त में मैं सम्बन्धित अधिकारियों से अपील करता हूं कि वे चीनी उद्योग के बारे में आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा कर हमारे सामने पेश न किया करें। सही आंकड़े होने चाहिए जिससें इस उद्योग का सही मूल्यांकन हो सके।

DR. LAXMINARAYAN PANDEY (MANDSAUR) : The new import-export policy is a very good beginning in the direction of fulfilling the assurances given by the Janata Government. It will help in creating a balance in our import and export trade. The new policy protects the interests of exporters and at the same time it accords adequate facilities for importers also. Besides this, the licencing system has also been simplified to the best possible extent.

We have accumulated enough foreign exchange reserves but we have not rationalised the procedure for import and export. It will not be in the interest of the country. Most of the economists feel that if we do not increase the annual growth rate to the extent of 12 to 13 percent, it may create an imbalance in our economy. The new import-export policy is a good start in this direction. We will have to spend our foreign exchange reserves in a judicious way and we will also have to change our import policy in that direction.

There are certain commodities such as soda ash, ferro alloy etc. which can be produced in our country and the import of these items can be restricted. In the past we gave permit licences for the import of polyester filament yarn in a large quantity, but it is painful to find that these permits have been very much misused. So, the Government have to be very cautious in this regard.

In regard to the deal for rape seed oil, the State Trading Corporation have acted in a manner which is against the business principles. If the State Trading Corporation act in such a way, there will be no possibility of any profit whatsoever.

Similarly there was a good deal of bungling in the import of woollen rags. The Minister should pay special attention to the improvement in the working of STC. There have been complaints that imports through STC involves delay and uncertainty in supply. The importers do not get credit facilities if they import through STC. The small users have to face many difficulties in importing goods through STC.

We should strike a balance between the targets fixed for imports and exports. If we fall in our targets, other parties may enter the world market. Japan was a major importer of Indian iron ore but it is now reluctant to purchase iron ore from India. We should have found another market earlier. The same situation prevails in respect of manganese. The M.M.T.C. and the STC. are not acting in a planned way. There should be coordination between the Ministries.

We are not able to achieve a good turnover of sugar in world market and as such we have to export sugar at a very low price whereas consumers within the country have to pay more for it. We should, therefore, assess domestic requirement, and production potential of such commodities. The export of traditional items is going down. We should, therefore, make efforts to find out other markets for such traditional items of export.

There is still an ample scope for extending Kandla free trade zone. It is lacking facilities for export of waste products in this zone. So far no attention has been paid towards quality control. We should prescribe the quality of goods to be exported, because in the absence of such standards our goods have been refused by the importers abroad.

We find to-day that the textile mills in the country are producing inferior quality of controlled cloth. They do not stick to the prescribed count of yarn and the sample sent for approval for fixation of prices. I have sent to the hon. minister a sample of controlled cloth produced by Sajjan Mill, Ratlam which was far below the specified quality. Similar is the case with other mills in Madhya Pradesh.

The question of price of cement was raised in the House. The cement dealers prefer to move the cement by truck on the pretext of non-availability of railway wagons with the result that the consumer has to pay an extra sum of Rs. 4-5 per bag. I would appeal to the hon. minister to improve the public distribution system. There is acute shortage of coal in the country. The Minister of Railways says that the railway wagons are available and the Minister of mines says that large stocks of coal are lying with the collieries. But the shortage continues. There should be proper coordination among the ministries of civil supplies agriculture and industry so that consumers are able to get essential commodities in time and at fair prices. Steps should also be taken to check adulteration of food stuffs.

Next I would urge the need for curtailing the expenditure of various public undertakings, etc. such as S.T.C., M.M.T.C., Tube Corporation, Tabacco Board. For example take the case of Jute Corporation, which spends Rs. 75,000 while it purchases 6,000 bales. But the private trader will purchase that at a much lower cost. Our overall growth rate has declined and steps should be taken to increase it. The exports to convert our rupee trade into multi-currency trade would result in encouraging results in export promotion We should also strengthen our Export Promotion councils.

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : मैं केवल तम्बाकू के बारे में ही कहूंगा । इस वर्ष तम्बाकू उत्पादकों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। मैंने गुन्टूर, कांचीकचेरला, नन्दीगाम आदि प्रमुख तम्बाकू उत्पादन केन्द्रों का कई बार दौरा किया है और आज से दस दिन पहले मैंने अपनी आंखों से तम्बाकू उत्पादकों को 80 रुपए क्विंटल की दर पर तम्बाकू बेचते देखा है जबकि पर टी 50 रुपए प्रति क्विन्टल लागत आती है। परिणाम यह है कि उन्होंने तम्बाकू चुनना ही बन्द कर दिया है। इसका कारण है कि बड़े बड़े व्यापारियों के दलाल सब जगह मौजूद हैं और सरकारी अधिकारी भी उनसे मिले हुए हैं। इण्डियन टोबेको कम्पनी को जिसका तम्बाकू व्यापार वस्तुतः एकाधिकार है, इस वर्ष लगभग 40-50 करोड़ रुपए अतिरिक्त लाभ हुआ है। सरकार ने केवल 5000 मीट्रिक टन खरीद की है जबकि इन वर्षों में उत्पादन 130 मिलियन क्विंटल के आसपास रहा है। सरकार को बड़े पैमाने पर तम्बाकू खरीद कर उत्पादकों की मदद करनी चाहिए।

इस सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और किसानों की सहायता करने की बात कही थी। लेकिन इस समय वास्तविकता क्या है। उत्तर

प्रदेश में गन्ना 5 रुपए क्विंटल बिक रहा है। तम्बाकू 800 रुपए प्रति क्विंटल से घटकर इस वर्ष 450 रुपए प्रति क्विंटल रह गया है। आंध्र प्रदेश के तम्बाकू पैदा करने वाले जिलों की अर्थ-व्यवस्था बरबाद हो गई है। तम्बाकू अधिनियम के अधीन तम्बाकू बोर्ड को दायित्व है कि वह किसानों की मदद करे वरना उसका क्या फायदा है। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तम्बाकू का मूल्य इटली में 25 रुपए प्रति किलो, जर्मनी में 28 रु० और जापान में 40 से 60 रुपए प्रति किलो है। इस वर्ष तम्बाकू से उत्पादन शुल्क के रूप में केन्द्रीय सरकार को 467 करोड़ रुपए की आय होगी। फिर क्या कारण है कि केन्द्रीय सरकार इन लोगों की सहायता नहीं करती।

अन्त में मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे सभा में स्पष्ट घोषणा करें कि सरकार 10,000 मीट्रिक टन तम्बाकू खरीदेगी।

श्री शक्ति कुमार सरकार (जमनगर) : मैं वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसी आयात-निर्यात नीति प्रस्तुत की है जिसका गत 30 वर्षों में कोई उदाहरण नहीं मिलता है। पहली बार कहा जा सकता है कि हमारी नीति आयात-निर्यात संवर्धन से प्रेरित है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान कृषि मंत्री द्वारा शोधिका (छिपकली वंश -लिजार्ड) और विष-रहित सांपों की चमड़ी के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबन्ध की ओर दिलाना चाहता हूं। सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि इनके निर्यात में हमें 10 करोड़ रुपए वार्षिक की आय हो सकती है। बैन लगाने से पूर्व स्टाकिस्टों के पास इन चीजों के स्टाक थे। एक ओर तो स्टाकिस्टों को हानि उठानी पड़ेगी और दूसरी ओर हमारे देश को विदेशी मुद्रा की हानि उठानी पड़ेगी यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि सरकार इस बारे में स्पष्ट नीति क्यों नहीं अपना रही है। वाणिज्य मंत्रालय की सलाहकार समिति का सदस्य होने के नाते मैंने मंत्री महोदय को एक पत्र लिखा था किन्तु उन्होने लिखा है कि इस विषय का सम्बन्ध अन्य पशु बोर्ड से है। इस बोर्ड के अध्यक्ष हमारे वित्त मंत्री हैं किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वह भी इस ओर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय को यह भी बताना चाहता हूं कि संयुक्त सचिव श्री जमाल इस विदेशी मुद्रा की हानि के लिए जिम्मेदार हैं। उनके विरुद्ध जांच कराई जानी जाहिए। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह कम से कम इन लोगों को अपने भण्डार खत्म करने की अनुमति दें। मुझे बताया गया है कि वे लोग इससे कम से कम दस करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं।

मैं समुद्री उत्पादों के निर्यात के बारे में भी एक सुझाव देना चाहूंगा। हमारे देश के समुद्रीय उत्पाद का निर्यात में बहुत वृद्धि हुई है। 1965 में यह निर्यात केवल 5 करोड़ का था जो बढ़कर गत वर्ष 190 करोड़ रुपए का हो गया। इस सम्बन्ध में एक बात मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में भी कहना चाहूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सुन्दरवन, देश में झींगा मछली के पालन की दृष्टि से सब से अच्छा स्थान है। बल्कि यूं कहिए कि एशिया में ही यह सर्वोत्तम स्थान है। यदि हम इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करें तो एक ही वर्ष में 100 करोड़ रुपए की झींगा मछली का निर्यात कर सकते हैं। पलन्तु मुश्किल यह है कि राज्य सरकार इसकी अनुमति नहीं दे रही है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि

राज्य सरकार इस में रोड़े क्यों अटका रही है। अतः मैं समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्य के नाते केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह सुन्दरबन क्षेत्र में झींगा मछली के विकास के लिए उपयुक्त कदम उठाए। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार को भी झींगा मछली के विकास कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए कहना चाहिए।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वाणिज्य मंत्रालय में समुद्री निर्यात विकास प्राधिकरण की तरह के दो अन्य प्राधिकरण--एक पटसन निर्यात के लिए तथा दूसरा सूती कपड़े के निर्यात के लिए--होने चाहिएं।

SHRI DHARMA SINGH BHAI PATEL (PORBANDAR) : I support the demands of the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation. This Ministry has achieved many things. Restrictions on movement of wheat, groundnut oil, groundnut and rice have been removed. More stock of foodgrains are released from the central pool. More stocks of sugar are being released. Excise duty on sugar has been released. Tea hae been declared an essential commodity. Kerosene oil is being supplied in large quantities. A decision to import ten lakh metric tonnes cement has been taken. A decision to import oil to meet the demand of Vanaspati industry has also been taken. A good new import policy has been announced. All these decisions are in the right direction and for that I congratulate the commerce Minister Shri Mohan Dharia, his colleagues and staff.

Now I would like to give some suggestions also. Urban people cry hoarse when the prices of some commodity rise but the rural people i.e. the farmers bear with when the prices of their products fall down because they are illiterate and are not associated. I find that during 1978 a quota of 2.50 lakh tonnes of groundnut solvent extraction and oil cakes has been released. I think that the full quota for the year 1978 should be 12 lakh tonnes. Though March 1978 has also passed yet the final quota has not been declared so far. It is regrettable. This final quota should be declared as early as possible. I don't know why Government is hesitant to allow the export of groundnut solvent extruction when excise duty on the export of it charged at the rate of Rs. 125 per tonne. Government has imposed restrictions on the export of onions, potatoes, 'Zeera', rice, turmeric, groundnut solvent extracted sugar and salt. But a urge that the export of agricultural products should be allowed. During 1978-79 sugar to the tune of ten lakh tonnes should be exported.

There are many Boards in the country. For example there is a Jute Board, Tea Board, Coffee Board, Rubber Board, Cardamom Board, Silk Board etc. Similarly a groundnut Board should also be constituted in our country.

In the developed and developing countries of the world recognition has been accorded to forward training. Forward training is going on in the countries like U.S.A., Canada, Belgium, Hong Kong, Malaysia, Japan, Jambia, Brazil etc. In India also it was permissible But during Emergency it was banned. Now it should be allowed immediately. This would help in maintaining balance in prices and would help in rehabilitating so many people who are suffering.

At the end I would like to say that export of sugar should be allowed so that higher price could be paid to cane-growers. During the year 1978-79, ten lakh tonnes of sugar should be allowed to be exported.

The possibility of exporting gur should also be explored.

Though the textiles mills were given cotton at subsidised rates but they have not discharged their responsibility of producing controlled cloth. Steps should be taken to see that these mills produced controlled cloth.

At present there are restrictions on export of groundnut. The Government should export one lakh tonnes of hand picked groundnut and groundnut kernel through cooperative societies.

The Government should give more subsidy to State Governments for edible oils.

With these words I thank the Ministers and close my speech.

श्री डी० बी० चन्द्रे गौडा (चिकमगलूर) : वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय उन मंत्रालयों में से एक ऐसा मंत्रालय है जिसके माध्यम से जन साधारण सरकार के दवाब को समझता है। जनसाधारण यह समझता है कि आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना इस मंत्रालय का मुख्य उत्तरदायित्व है। वह यह समझता है कि मुद्रास्फिति को रोकना भी इस की जिम्मेदारी है।

मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि इस मंत्रालय की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। किन्तु अभी तक उनके अनुभव के परिणाम नहीं निकले हैं। आशा है भविष्य में इसके परिणाम निकल आएंगे। आज भी हमारे देश में स्थिति यह है कि 40 से 60 प्रतिशत लोग गरीबी की पंक्ति से नीचे जीविकोपार्जन कर रहे हैं। जहां तक आवश्यक वस्तुओं के उपलब्ध होने का या न होने की बात का सम्बन्ध है आपातकाल में तो आवश्यक वस्तुओं का स्टाक तथा मूल्यों को दर्शाया जाता था परन्तु अब यह सारी बातें खत्म हो गई हैं और उपभोक्ता कीमतों के मामले में व्यापारी की दया पर निर्भर करने लग पड़े हैं। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह उस पुरानी प्रथा को अब फिर से लागू कर दें।

जहां तक आवश्यक वस्तुओं के वितरण का सम्बन्ध है इसके लिए लोक वितरण व्यवस्था का सहारा लेने के सिवाय और कोई काम नहीं है। उपभोक्ता सहकारी समितियां लोक वितरण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। किन्तु भारत में यह कुछ व्यक्तियों का एकाधिकार बन गई है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब एक साधारण व्यक्ति इतना अधिक मुनाफा कमा सकता है तो सहकारी समितियां क्यों नहीं कमा सकती?

अब मैं कुछ शब्द मिट्टी के तेल और सीमेंट के बारे में भी कहना चाहूंगा। हमारे देश में सीमेंट की कमी है यद्यपि यह काले बाजार में अधिक दामों पर बिक रहा है। जहां तक मिट्टी के तेल का सम्बन्ध है यह जन साधारण द्वारा उपयोग में लाया जाता है तथा ग्रामीण लोग इससे लैम्प जलाते हैं। जब से मिट्टी के तेल पर शुल्क लगाया गया है तब से इसकी कीमत बढ़ गई है और जन साधारण के लिए इसे खरीदना मुश्किल हो गया है। जहां तक मिट्टी के तेल के वितरण का सम्बन्ध है किसी को मालूम नहीं है कि गांवों में कौन मिट्टी के तेल का वितरण करता है। इसे विनियमित किया जाना चाहिए।

दालों और सब्जियों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का अच्छा परिणाम नहीं निकला है। इससे केवल उत्पादक और बिचौलिए को ही लाभ पहुंचा है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

काफी के निर्यात से अब 150 करोड़ रुपए से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित होने लग गई है लेकिन सरकार ने श्रमिकों और छोटे उत्पादकों की समस्याओं को दूर करने की ओर

कोई ध्यान नहीं दिया है। सौभाग्य की बात तो यह है कि काफी विदेशों की अपेक्षा देश में कम मूल्य पर मिल रही है। इसके लिए मंत्री और सम्बन्धित अधिकारी बधाई के पात्र हैं। विपणन की मूल प्रणाली से न केवल उत्पादकों का ही बल्कि उपभोक्ताओं तथा देश का भी हित हुआ है। मेरा अनुरोध है कि विपणन की यह मूल प्रणाली इलायची बोर्ड में भी लागू की जाए इसके लागू होने पर ही इसकी स्थिति में सुधार हो सकता है।

अब मैं कपड़े के निर्यात के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। बम्बई में कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् नाम का एक संगठन कार्य कर रहा है। यह परिषद् का वर्तमान चेयरमैन गत 20 वर्षों से कपड़े का निर्माण कर रहा है। इसमें इसके निहित स्वार्थ है और इस परिषद् का चेयरमैन होने के कारण वह अपने पद का दुरुपयोग अपने आदमियों की सहायता करने तथा समूची निर्यात प्रणाली के अनुचित लाभ में कर रहा है। मुझे बताया गया है कि मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में एक आवेदन भी हाल में दिया गया है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर यथासंभव शीघ्र ध्यान दिया जाए। इन शब्दों के साथ ही मैं वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे (अहमदनगर) : अध्यक्ष महोदय, श्री मोहन धारिया ईमानदार और देश भक्त हैं और मुझे आशा है कि जो विचार मैं व्यक्त करने जा रहा हूं उसका वह बुरा नहीं मनाएंगे। सब से पहले मैं मूल्यों के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। ऐसा लगता है कि थोक विक्रय सूचकांक ठीक ही है। मैं मंत्री महोदय से यह भी कहना चाहूंगा कि वह इस बात से गुमराह न हो जाएं कि कृषि उत्पादन में उत्साहजनक वृद्धि होने से स्थिति अच्छी हो गई है। पिछले रिकार्ड से पता चलता है कि खेती के अच्छे उत्पादन से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में कमियां बड़ी हुई हैं। जहां तक इस वर्ष का सम्बन्ध है इसमें दो बातें बाधा पहुंचाने वाली हैं। पहली बात यह है कि औद्योगिक उत्पादन संतोषजनक नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि अर्थव्यस्वस्था में घाटे के कारण भारी कर लगाए गए हैं। अतः मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को अगले वर्ष मूल्य स्तर को बनाए रखने में बहुत कठिनाई उठानी पड़ेगी।

अब मैं आयात-निर्यात के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। यह कोई अच्छी बात नहीं है कि इस वर्ष निर्यात की प्रगति दर कम हुई है। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि यदि वह पर्याप्त कार्यवाही नहीं करेंगे तो यह प्रगति दर और गिर जाएगी और देश ने जो इतने वर्षों के पश्चात् अपनी मजबूत स्थिति बनाई है वह फिर से अस्तव्यस्त हो जाएगी। यह बात मेरी समझ में नही आ रही है कि कुछ वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का क्या औचित्य है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा है कि सरकार का यह मत है कि सब्जियों प्याज तथा आलू के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए। हमारे देश में सब्जियों तथा फलों का दो करोड़ टन का उत्पादन होता है । इस में से कितनी मात्रा में इसका निर्यात किया जाता है । हमें पता होना चाहिए कि इनका निर्यात देश के कुल उत्पादन के एक प्रतिशत निर्यात से भी कम होता है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार एक प्रतिशत उत्पादन के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाकर उपभोक्ताओं के हित को कैसे सुरक्षित रख सकती है। उत्पादों के मूल्य में वृद्धि निर्यात के कारण नहीं होती है । आप आलू को ही ले लीजिए। यह जल्दी

खराब होने वाली वस्तु है। आलू की पिछली फसल के दौरान आलू का मूल्य बहुत गिर गया था। यदि सरकार के पास उन्हें रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज होते तो सरकार उन्हें तब बाजार में बेच सकती थी जब उनका मौसम न होता। इससे तब मूल्यों में वृद्धि भी रुक जाती। निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने से समस्या हल नहीं की जा सकती। अन्ततोगत्वा इससे उत्पादन के प्रयासों को ठेस पहुंचेगी। एक ओर तो जनता सरकार कहती है कि हम कृषि विकास पर 40 प्रतिशत व्यय करेंगे और दूसरी ओर वह ऐसे कार्य कर रही है जिनसे कृषि के उत्पादन को ठेस पहुंचना स्वाभाविक ही है। आलू, प्याज, सब्जियों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने से देश के कृषकों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा।

मंत्री महोदय को देखना चाहिए कि सब्जियों के उत्पादन में रोजगार के काफी अवसर पैदा होते हैं। यदि हमें अन्य फसलों को उगाने के लिए दस श्रमिकों की जरूरत पड़ती है तो सब्जियों को उगाने के लिए हमें कम से कम दस गुना श्रमिकों की जरूरत है। सब्जी उत्पादन में अन्य चीजों की खेती की अपेक्षा दस गुना व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। इसके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाकर और उनके उपत्पादन को निरुत्साह करके आप रोजगार क्षमता को कम कर रहे हैं। श्री मोहन धारियां जानते ही हैं कि अकेले एक जिले नासिक में 30 लाख टन प्याज का उत्पादन होता है। इस वर्ष प्याज पैदा करने वाले लाखों किसात पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे और पुनःस्थापन में लगभग दस वर्ष लग जाएंगे। ये वे छोटे किसान हैं जो सूखाग्रस्त क्षेत्र में हैं और पर्याप्त पानी उपलब्ध न होने के कारण गन्ना या कोई अन्य फसल नहीं उगा सकते हैं। प्याज के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाए जाने से इस वर्ष कीमत बहुत गिर गई हैं। मंत्री महोदय ने महाराष्ट्र सरकार को अपने पत्र की प्रति मुझे भेजी है और उसमें कचहरी की तरह दलीलें हैं। किसी अखिल भारतीय कृषि वस्तु के लिए कोई राज्य सरकार उत्तरदायीत्व नहीं हो सकती है। उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार को लेना होगा। कुछ स्थानों में मूल्यों का बढ़ जाना कोई तर्क नहीं है।

कल यदि फर्रुखाबाद में आलू की कीमत कम हो जाती है, तो आप कहेंगे कि यह उत्तर प्रदेश सरकार का उत्तरदायित्व है, मैं नहीं समझता कि देश आपकी बात का विश्वास करेगा। आज लोग जनता पार्टी से दूर भाग रहे हैं क्योंकि आज देश में किसानों की समस्याओं को समझने में असफल रहे हैं। सब जगह असन्तोष व्याप्त है। आलू उत्पादक, प्याज उत्पादक सभी संत्रस्त हैं। लेकिन आप उनकी सहायता नहीं कर पा रहे ह आपने चीनी के निर्यात को सीमित कर दिया है। इस वर्ष चीनी का उत्पादन 60 लाख टन होगा और पिछले स्टाक को, जो 16 लाख टन है, कुल चीनी 76 लाख टन उपलब्ध होगी। प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं को मिला कर देश में कुल आवश्यकता 45 लाख है। इस प्रकार जो 30 लाख टन चीनी हमारे पास बचेगी उसका क्या होगा ? यह कहना गलत है कि चीनी का निर्यात पर घाटा होता है। महाराष्ट्र और आन्ध्र में चीनी का नियन्त्रित मूल्य 160 या 170 रुपए है और चीनी का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य इससे कुछ अधिक ही है।

आप गांधी जी के नाम की दुहाई देते हैं। हम भी गांधी जी के अनुयायी हैं। गांधीजी ने हम सबको और हमारे देश को स्वदेशी के प्रयोग का महामंत्र दिया था। एक ओर तो आप उनके नाम की दुहाई देते हैं और दूसरी ओर आप 300-400 करोड़ रुपयों की कृषि वस्तुओं का आयात कर रहे हैं। लेकिन आप औद्योगिक समुदाय को औद्योगिक वस्तुओं

का आयात करके नाराज़ करके उनका समर्थन खोने का साहस नहीं रखते हैं। किसान आज संगठित नहीं है जिसके कारण आप भारी मात्रा में खाद्य तेलों और कपास का आयात कर रहे हैं। पहले आपको स्वदेशी साधुनों का उपयोग करना चाहिए। देश का सबसे बड़ा उद्योग कृषि है और उसे संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। कृषि उत्पादों को संरक्षण प्रदान करने के लिए डी० जी० टी० डी० के समान संस्था स्थापित की जानी चाहिए। इस देश में कृषि की समस्याओं को समझने वाले व्यक्ति को इसका अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए तथा कृषि उत्पादन का भार संभालने वाले व्यक्ति तथा कृषि का तकनीकी ज्ञान रखने रखने वाले व्यक्ति इसके सदस्य होने चाहिए। इसकी अनुमति के बिना किसी भी कृषि वस्तु का आयात नहीं किया जाना चाहिए और आवश्यक होने पर आयात की मात्रा भी उसके द्वारा ही निर्धारित की जानी चाहिए। अन्यथा देश के हितों की रक्षा नहीं हो सकती है और कृषि के क्षेत्र में जो भी प्रगति हुई है, वह पीछे रह जाएगी और देश की कई पीढ़ियों को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

श्री अंकिनीडु प्रसाद राव (बापलता) : आंध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादकों का हाल के तूफान से पीड़ित क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मैं इन मांगों का विरोध करता हूं कि क्योंकि तम्बाकू की कीमतों में 25 प्रतिशत गिरावट आई है और 25 प्रतिशत फसल तम्बाकू की फसल बाजार मांग न होने के कारण बेकार गई और सरकार चुप तमाशा देखती रही।

हमारे देश को तम्बाकू उत्पादनविश्व में चौथा या पांचवां स्थान प्राप्त है और इससे लगभग 100 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा और तम्बाकू के उत्पादों से सरकार को राजस्व के रूप में 400 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। 4.5 करोड़ किलो तम्बाकू देश में उपयोग होता है और 7 करोड़ किलो का निर्यात किया जाता है। इससे अनेक किसानों और श्रमिकों को रोजी-रोटी मिलती है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि तम्बाकू की पूरी फसल की कटाई दो महीनों में पूरी करनी पड़ती है क्योंकि संग्रह की व्यवस्था न होने के कारण उसके बाद फसल नष्ट होने लगती है। सरकार ने इसकी उपेक्षा की है और इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर अधिक धन खर्च नहीं किया है और उत्पादकों को उचित मूल्य दिवाने और नये बाजार खोजने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है। जहां तक क्रय-विक्रय का सम्बन्ध है, व पूरी तरह निजी व्यापारियों, निर्माताओं और निर्यातकों के हाथ में है और सरकार ने किसानों के लिए मूल्य स्थिर करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की है। राज्य व्यापार निगम थोड़ा तम्बाकू खरीदता है परन्तु मूल्य निस्तीकरण हेतु उसने कोई खरीदारी नहीं की है।

इस वर्ष तम्बाकू उत्पादकों को पहले तो तूफान से हानि हुई और बाद में जलवायु के कारण से उसकी किस्म खराब हो गई। इसके पश्चात् अब फसल का मंड़ी में जाने का समय आया तो, अर्थात् 1 फरवरी तक, व्यापारियों द्वारा बनावटी मंदी पैदा कर दी गई और फरवरी के अन्त तक मंडी में कोई खरीदार ही नही था। तम्बाकू उत्पादकों में भय व्याप्त हो गया कि उन्हें अपनी फसल कौड़ियों के मोल बेचनी पड़ेगी। अब 10 करोड़ किलो तम्बाकू बेचा गया है और 2 करोड़ किलो किसानों के पास है। सरकार को एक महीने के अन्दर कार्यवाही करनी चाहिए अन्यथा व्यापारी को ही लाभ पहुंचेगा। इस

वर्ष उत्पादन में भी मात्र 2 करोड़ किलोग्राम की वृद्धि हुई है। यदि सरकार शेष तम्बाकू को नहीं खरीदती है तो उसका व्यापारी ही लाभ उठाएगा। इस फसल की उपेक्षा से किसानों को ही नहीं, बल्कि सरकार को भी विदेशी मद्रा, उत्पादन शुल्क और राजस्व की कम प्राप्ति के रूप में हानि होगी। इस समय सरकार को राज्य व्यापार निगम, तम्बाकू बोर्ड या किसी अन्य एजेंसी द्वारा किसानों से सीधे खरीद की जानी चाहिए और दीर्घकालीन उपाय के रूप में सरकार को राज्य व्यापार निगम, तम्बाकू बोर्ड या तम्बाकू संवर्धन परिषद् के माध्यम से विदेशों में नई मांग का पता लगाना चाहिए।

वाउचर प्रणाली एक अच्छी व्यवस्था है परन्तु व्यापारियों के दबाव में उसकी कुछ व्यवस्थाएं वापस ले ली गई। वाउचर प्रणाली के साथ-साथ नीलामी की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें किस्म के अनुसार वर्गीकरण अनिवार्य होना चाहिए तथा निम्नतम मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। किसानों को निजी व्यापारियों, निर्माताओं और निर्यातकों को दया पर नहीं छोड़ना चाहिए।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : इस बयान के लिए समय कम मिला है । मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं की सराहना करता हूं और उनकी आलोचना का स्वागत करता हूं। मेरा तीन विषयों से सम्बन्ध है, अर्थात्, वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता और इन तीनों का हमारी अर्थ-व्यवस्था से गहरा सम्बन्ध है। लेकिन थोड़े से समय इनके साथ-साथ न्याय करना संभव नहीं है ।

यह कहा गया है कि हमारा निर्यात कम हुआ है । इस बारे में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा सामाजिक दृष्टिकोण है। हमारे निर्यात व्यापार का प्रयोजन क्या है ? मुझे कोई संदेह नहीं है कि हमारा निर्यात व्यापार बढ़ना चाहिए और तेजी से बढ़ना चाहिए परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम देश को आत्म-निर्भर बनाना चाहते हैं । यदि हम देश बेरोजगारी और गरीबी को भगाना चाहते हैं । तो हमें नींव को, अर्थात् कृषि और उद्योगों को सुदृढ़ करना होगा, देश आर्थिक और औद्योगिक ढांचे को शक्तिशाली बनाना होगा ताकि हमारे लाखों लोगों को काम करने का अवसर मिले और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे। निर्यात करते समय हमें देश में आवश्यकता को भी ध्यान में रखना होगा ।

1977-78 में निर्यात 5750 करोड़ रुपए होने की आशा थी परन्तु अब यह 5400 करोड़ रुपए होगा। अब 350 करोड़ रुपए की इस कमी पर विचार करने के लिए हमें उस स्थिति की ओर ध्यान देना होगा, जिसमें हमने कार्य ग्रहण किया। मूल्य तेजी से बढ़ रहे थे। गैहूं और चावल की सप्लाई की स्थिति तो ठीक थी परन्तु तेल, दालों और अनेक अन्य आवश्यक वस्तुओं के बारे में अभाव की स्थिति थी। सरकार ने निर्यात का भी निर्णय किया था। उस समय निर्णय किया गया कि जिन वस्तुओं की देश में नितान्त आवश्यकता है पहले उस आवश्यकता को पूरा किया जाए और उसके बाद निर्यात किया जाए। अतः यह स्भाविक था कि हम ऐसी अनेक वस्तओं के निर्यात में कटौती करें। 22 लाख टन से भी अधिक सीमेंट निर्यात का ठेका लिया गया था लेकिन बिजली की कमी के कारण हमारे देश में सभी सीमेंट कारखानों में उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा और हम सीमेंट

निर्यात नहीं कर सकते । इसी प्रकार खली के अधिक निर्यात की मांग की गई है । परन्तु देश में इसका मूल्य 2400 रुपए प्रति टन तक बढ़ गया है और किसानों को इसकी आवश्यकता होती है। अतः हमें इसके निर्यात को नियमित करना पड़ा है। अब इसके मूल्य में कमी आई है।

1976-77 में मूंगफली के तेल के दाम 7 रुपए से बढ़कर 10.50 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए थे। 50000 टन मूंगफली के निर्यात की इजाजत दे दी गयी थी । लेकिन मूंगफली के खाद्य तेल के दाम देश में बढ़ने के कारण यह निर्यात रोकना पड़ा। इस वर्ष मूंगफली का निर्यात नहीं किया गया है।

प्याज के मामले में निर्यात को नियमित करने का निर्णय गत वर्ष लिया गया । जबकि महाराष्ट्र में प्याज के दाम 30 रुपए से 40 रुपए प्रति क्विंटल चल रहे थे, कलकत्ता में 180 से 200 रुपए और मद्रास में 150-160 रुपए के बीच चल रहे थे । इसलिए मैंने सभी राज्य सरकारों से प्याज की खरीद और आपूर्ति करने का अनुरोध किया ताकि हमारे देश में उपभोक्ताओं को वह उचित दाम पर उपलब्ध हो और उसके उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिले। इस वर्ष हमने नाफेड के जरिए 45 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्याज खरीदने का निश्चय किया है । नाफेड राज्य-स्तर के विभिन्न विपणन संघों का शीर्षस्थ संगठन है। ऐसी खरीद नाफेड राज्य के विपणन संघों के जरिए करता है । क्योंकि नाफेड को हर गांव तथा शहर में अपना एजेंट भेजना सम्भव नहीं है।

जहां तक प्याज या आलू की ऐसी खरीद के लिए धन का सवाल है, उसकी कमी नहीं होने दी जाएगी। पिछले वर्ष नाफेड द्वारा लगभग 40,000 टन प्याज का निर्यात होने दिया गया। इस वर्ष पहले देश में उसकी मांग पूरा करने के बाद 10,000 टन निर्यात करने का निश्चय किया गया है ।

मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि सरकार इन कृषि जिन्सों के उत्पादकों के हितों की रक्षा हेतु सभी सम्भवतः उपाय करेगी लेकिन जब तक किसान कृषि उत्पादन दर न बढ़ाएं इनका और अधिक निर्यात नहीं किया जा सकता । हमारे कुछ निर्णयों, योरोपीय साझा बाजार में संरक्षण वादी उपायों तथा आर्थिक मंदी के फलस्वरूप हमारे देश का निर्यात घटा है।

श्री एम०रामगुपाल रेड्डी (निजामाबाद) : चूंकि कि ये वस्तएं देश भर में स्तेमाल की जाती हैं इसलिए क्या राज्य सरकारें इन्हें खरीदकर देश भर में सप्लाई नहीं कर सकती

श्री मोहन धारिया : राज्यों द्वारा इन वस्तुओं की खरीद के प्रश्न पर विचार करने के लिए 11 अप्रैल को नाफेड द्वारा सभी राज्य विपणन सहकारी महासंघों का सम्मेलन बुलाया गया है। हम इन सभी पहलुओं पर विचार करेंगे और यदि सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हुआ तो हम सहर्ष आगे आएंगे।

सदन को यह जानकर खुशी होगी कि हमारे चित निर्णयों के फलस्वरूप कीमतें गिरी हैं। केवल थोक मूल्य सूचक अंक में ही गिरावट नहीं आयी है बल्कि उपभोक्ता कृषि और औद्योगिक श्रमिकों से सम्बन्धित मूल्य सूचक अंकों में भी गिरावट आनी शरू हो गई. है।

जहां तक गुड़ का सम्बन्ध है, उसके निर्यात की कोई सीमा नहीं है। चीनी के बारे में हमने 6.5 लाख टन निर्यात करने का निर्णय लिया है जबकि इसमें कुछ हानि भी होगी।

सदन को यह जानकर खुशी होगी कि हमने जो ठोस कदम उठाए हैं उनके फलस्वरूप चाय के निर्यात में 87 प्रतिशत, काफी के निर्यात में 66 प्रतिशत, तम्बाकू के निर्यात में 13 प्रतिशत, मसालों के निर्यात में 11 प्रतिशत, काजू में 36 प्रतिशत रेशम कपड़े में 36 प्रतिशत और रसायनों में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इंजीनियरी सामान का निर्यात 554 करोड़ रुपये से बढ़कर 630 करोड़ रुपये का हो जाएगा। हीरों और जेवरातों का निर्यात जो पिछले वर्ष 150 करोड़ रुपए मूल्य का था, इस वर्ष बढ़कर 400 करोड़ रुपए का हो जाएगा। सदन को यह जानकर खुशी होगी कि अगले वर्ष यह निर्यात 500 करोड़ रुपए से भी अधिक का हो जाएगा । ये सब वस्तु श्रमिक प्रधान हैं और विविध प्रकार की हैं। अतः समूचे आधार का ही विस्तार किया गया है।

इस वर्ष हमने मूंगफली, खली और सीमेंट का निर्यात करने के बजाय और इस प्रकार देश में इनकी कमी पैदा करने के बजाय निर्यात का विविधिकरण किया है और इन्हें देश में अधिक मात्रा में सुलभ कराया है। निस्संदेह, इस नीति से उद्योगों और कृषि के लिए अधिक अच्छा आधार तैयार होगा और उत्पादन बढ़ेगा।

श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे : कृषि उत्पाद के आयात व निर्यात के लिए डी० जी० टी० डी० जैसी एक संस्था होनी चाहिए जो राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पादन और किसानों के हितों का ध्यान रखें।

श्री मोहन धारिया : यह बहुत ही रचनात्मक सुझाव है। विपक्ष से सहयोग मिलने की मुझे बहुत खुशी होगी।

सदन को इस बात की जानकारी होगी कि इस प्रकार के संरक्षात्मक कदम पूरे जोर से उठाए जा रहे हैं। भारत के लिए पहले जो कोटा निर्धारित किया गया था उसमें अब वृद्धि कर दी गई है। यद्यपि हांगकांग जैसे अन्य कुछ देशों के कोटे में कटौती की गई है फिर भी हमारे मामले में कोटा बढ़ाया गया है। अमरीका ने हमारे हथकरघा कपड़े के बारे में यह निर्णय लिया है कि इसे कोटे में न रखा जाए जिसके फलस्वरूप हथकरघा कपड़े का खुला निर्यात होगा जिससे हमें इस वर्ष लाभ रहेगा ।

पिछले दिनों राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के साथ-साथ वाणिज्य मंत्रालय की बड़ी निन्दा हुई है। सदन को यह जानकर हर्ष होगा कि पिछले एक वर्ष में वाणिज्य मंत्रालय भ्रष्टाचार से मुक्त हुआ है। हमने मंत्रालय को स्वच्छ बनाया है और नई नीति ने इस सम्बन्ध में अपनी विशेष भूमिका निभायी है। अब मंत्रालय नियंत्रण के बजाय संवर्धन का काम करता है।

हमने भारतीय प्रबन्ध संस्थान से राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कार्यकरण की जांच करने को कहा। उनके अन्तरिम प्रतिवेदन के आधार पर हमने

आगे कार्रवाई की। हम यह चाहते हैं कि राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम देश के आर्थिक पुनर्गठन में एक प्रमुख एजेंट के रूप में काम करें।

कुछ सदस्यों ने पोलियस्टर रेशे के आयात की आलोचना की। इसे असम्बद्ध करने का निर्णय किया गया था और इसी आधार पर लाइसेंस दिए गए थे। दुर्भाग्यवश देश में मूल्य बहुत ऊंचे थे। लाभ 300 से 400 प्रतिशत तक था। इसलिए हमने इस बड़े लाभ को कम करने की आवश्यकता अनुभव की जिससे वास्तविक उपभोक्ता उसका उपयोग कर सकें। फिर देशी उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रश्न भी हमारे सामने था। इसलिए यह निर्णय किया गया कि वास्तविक उपभोक्ताओं को आयात की अनुमति दी जाए।

इस पर बड़ा बावेला मचा जैसे कि कोई गलत काम किया गया है। प्रधान मंत्री के नाम तक को इसमें घसीटा गया। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह कोई आपत्तिजनक कदम नहीं है और यह कदम केवल कुछ लोगों को होने वाले अत्यधिक लाभ को कम करने के लिए ही सरकार को उठाना पड़ा और सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे इस निर्णय के बाद मूल्य 200 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 125-130 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया।

जहां तक निर्यात का संबन्ध है उसके लिए निर्यात और बाजार के विविधिकरण की आवश्यकता है। हम अनेकों देशों से बात कर रहे हैं और कई समझौते हमने किए हैं। इस सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह हुई है कि अब हम रुपए की मुद्रा के बजाय मुक्त मुद्रा के क्षेत्र की ओर अग्रसर हैं। इस मंत्रालय की यह एक और अनुकूल उपलब्धि है।

जहां तक नागरिक पूर्ति का प्रश्न सदन के सभी पक्षों ने उसकी प्रशंसा की है। कुछ मित्रों ने कहा कि वर्षों से दीवाली और होली के अवसर पर कोई भी वस्तु बिना लाइन के नहीं मिलती थी और यह पहला वर्ष था जबकि सभी वस्तुएं बिना लाइन के उपलब्ध थीं। सार्वजनिक विरतरण व्यवस्था के सुझाव दिए गए हैं।

मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि सार्वजनिक वितरण की व्यापक व्यवस्था कायम करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में कहा है कि उपभोक्ता सामान के मामले में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था लागू है जो निश्चय ही आय-वितरण को सुधारती है और मुद्रास्फीति के प्रभाव को घटाती है। इस कारण से योजना आयोग ने छटी पंच वर्षीय योजना में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के विस्तार के लिए कहा है। राष्ट्रीय विकास परिषद की 20 मार्च, 1978 को बैठक हुई थी जिसमें एकमत से यह बात मानी गई कि आम जरुरत की आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का विस्तार किया जाना चाहिए। यह संकल्प न केवल केन्द्रीय सरकार का है वरन् सारी जनता व राज्यों का है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया यह सुनिश्चित करें कि कोई भी इस योजना को विफल न कर सके।

श्री मोहन धारिया : जब मैं योजना आयोग में था तब आवश्यक वस्तुओं के बारे में मेरी रिपोर्ट के आधार पर एक योजना तैयार की गई थी जो उत्पादन तथा वितरण की मिलीजुली योजना

है। वस्तुओं का वितरण करते समय हम यह भी चाहते हैं कि देश के हर भाग के नागरिकों को आवश्यक वस्तुएं कमोवेश एक ही मूल्य उपलब्ध हों? यह इस योजना का एक प्रमुख सुझाव है।

मुझे इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई दिखाई नहीं देती कि आगामी वर्ष में नागरिक पूर्ति मंत्रालय की एक देन यह वितरण व्यवस्था होगी। इसे समूचे देश में लागू करने में चार-पांच वर्ष तो लगेंगे ही। 2000 जनसंख्या वाले प्रत्येक क्षेत्र में हम वितरण केन्द्र स्थापित करेंगे। ऐसे भी गांव हो सकते हैं जो शहरों से बहुत दूर हों। इन गांवों में भी हम ऐसी ही व्यवस्था करेंगे और इस व्यवस्था का काफी विस्तार किया जायेगा और यह व्यवस्था स्थायी होगी।

जहां तक शुद्ध किये हुए रेपसीड तेल का सम्बन्ध है पिछले वर्ष इसका 8.50 रुपये प्रति किलो मूल्य था। फिर हमने इसका मूल्य कम करके 7.50 रुपये प्रति किलो कर दिया। लेकिन 1 मई, 1978 से इसका मूल्य 7 रुपये प्रति किलो हो जायेगा और देश के हर क्षेत्र में इस मूल्य पर उपलब्ध होगा।

तम्बाकू के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। मैं सदस्यों की चिंता को समझता हूं। आज तम्बाकू का बहुत अधिक उत्पादन हो रहा है। जिससे मूल्य कम हुए हैं। अतः यह मांग की गई है कि सरकार को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से उत्पादकों से तम्बाकू खरीदना चाहिए। सरकार ने निर्णय किया है कि जो भी घाटा होगा उसे वहन करेंगे। हम तम्बाकू का वास्तविक उत्पादकों से 10,000 टन तम्बाकू खरीदेंगे।

इस बात की आलोचना की गई है कि राज्य व्यापार निगम के अधिकारी कहीं कहीं बड़े उत्पदकों से मिल गये हैं। मैं सदन को आश्वासन देता हुं कि यदि कोई अधिकारी ऐसा कार्य करते पकड़ा गया तो वह नौकरी में नहीं रहेगा।

दस लाख टन सीमेंट का जो आयात किया गया उसका देश में पता तब चला जब आयातित सीमेंट का देश में आना आरम्भ हुआ। मैं आश्वासन देता हूं कि यदि किन्हीं निहित स्वार्थी ने सीमेंट की कमी कृत्रिम रूप से पैदा की तो उसके लिए हमने निर्णय लिया है कि उत्पादन बढ़ने तक लोगों को पर्याप्त मात्रा में सीमेंट उपलब्ध कराया जाता रहेगा। जहां तक तेल का सम्बन्ध है सदन को यह सुनकर हर्ष होगा कि देश को आवश्यकताओं के अनुसार तेल खरीदने का ठेका दे दिया गया है और यह देश में नियमित रूप से सप्लाई होता रहेगा। अब तेल की बिल्कुल कमी नहीं होगी।

श्री अन्ना साहिब पी० शिन्दे इस बात से कुछ नाराज हैं कि यह सरकार किसानों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। मैं उनके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि पहले कपास का समर्थन मूल्य 220 रुपये था जो बढ़कर 255 रुपये हो गया है। भारतीय कपास निगम समर्थन मूल्य पर ही कपास खरीदा रहा है। पहली-नीति में यह भारी बदल है। अब हम ऐसी योजना बना रहे हैं कि ऐसे सभी कृषि उद्योगों के लिए जो आम इस्तेमाल में आती हैं या अत्यावश्यक हैं, समर्थन मूल्य निर्धारित हो।

इस वर्ष हमने सहकारिता मंत्रालय को और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास किया है। हमने सम्पूर्ण सहकारिता आन्दोलन के लिए एक राष्टीय नीति बनाई है। इस सम्बन्ध में संकल्प पारित

कर लिया गया है जिसे लगभग सभी राज्यों ने स्वीकार किया है। और वे हर सम्भव सहयोग दे रहे हैं। इस संकल्प के आधार पर हमने देश में सहकारिता आन्दोलन को सशक्त बनाने के लिए एक बयालीस सूत्रीय सक्रिय कार्यक्रम परिचालित किया है। हम नहीं चाहते कि यह सहकारिता आन्दोलन नौकरशाहों या अत्यधिक जोशीले राजनैतिक लोगों के कब्जे में आये। सभी राननीतिज्ञों को जिन्हें सत्ता मिली हुई है और चाहे वे किसी दल से सम्बन्ध रखते हों, यह सावधानी रखनी होगी कि सत्ता का प्रयोग इस आन्दोलन को अव्यवस्थित करने में न किया जाये। इस सहकारिता आन्दोलन के जरिये हम न केवल अर्थ-व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण कर सकते हैं बल्कि राजनतिक शक्ति का भी काफी हद तक विकेन्द्रीकरण कर पायेंगे। ये दोनों बातें लोकतंत्रीय ढांचे को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। यद्यपि इस आन्दोलन के लिए संस्थागत समर्थन मिलना जरुरी है परन्तु उसमें व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए जैसा कि आजकल है।

SHRI CHANDAN SINGH (KAIRANA) : Diesel and other inputs required by farmers are costly. The hon. Minister is giving many assurances but taking no action.

SHRI MOHAN DHARIA : It is not our policy to stop export totally but we have to take care for the domestic requirements.

SHRI MANI RAM BAGRI (MATHURA) : Pakistan was the only purchaser of gur but its export to that country was not allowed. Had it been allowed the farmers in our country would have got the remunerative price.

SHRI MOHAN DHARIA : I can only say that in case any body intends to export gur to Pakistan he will be granted export permit immediately. There is no condition.

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें ये लिख कर भेजें और वह उनका उत्तर देगें मैं मंत्रालय की मांगों के सम्बंधी सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

(All the cut motions were put and nagatived.)

अध्यक्ष महोदय : अब में अनुदानों की मांगे मतदान के लिए रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई। :-

(The following demands in respect of the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation were put and adopted).

मांग संख्या Demand No.	शीर्षक Name of Demand	राशि Amount	
		राजस्व	पूंजी
11.	वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय	1,49,04,000	
12.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	2,45,94,63.000	338,04,52,000
13.	नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता	31,26,92,000	18,37,83,000

[[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुईं
[DR. SUSHILA NAYAR *in the Chair*]]

हरिजनों पर अत्याचारों सम्बन्धी प्रस्ताव
MOTION RE. ATROCITIES ON HARIJANS

सभाप्ती महोदय : अब हम श्री राम विलास पासवान द्वारा 4 अप्रैल को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर तथा उसमें पेश किये संशोधनों पर आगे विचार करेंगे, अर्थात् :—

> "कि यह सभा बिहार, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और देश के अन्य भागों में हरिजनों पर किये जा रहे अत्याचारों पर चिन्ता व्यक्त करती है।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : यह बहुत चिन्ता की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 30 वर्ष पश्चात् भी इस सभा को हरिजनों और कमजोर वर्गों पर अत्याचार के प्रश्न पर विचार करना पड़ रहा है। यूं तो समाज के इन कमजोर वर्गों को संरक्षण देने का उत्तरदायित्व सम्पूर्ण राष्ट्र पर होना चाहिये किन्तु सरकार का कर्त्तव्य कहीं अधिक बड़ा है क्योंकि उसे उन्हें शारीरिक संरक्षण ही नहीं प्रदान करना होता है अपितु उनकी उन्नति के लिये भी काम करना होता है।

संविधान के अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया परन्तु कागजों में ही ऐसा है। संविधान के अनुच्छेद 46 में व्यवस्था है कि राज्य जनता के दुर्बलता वर्गों के विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। संविधान के अन्य निदेशक सिद्धान्तों की तरह यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उपबन्ध है। लेकिन गत 30 वर्ष में यह निरर्थक ही रहा है। बोगस योजनायें बनाई गईं परन्तु जब तक समस्या की जड़ को दूर नहीं किया जाता देश में ऐसे संघर्ष और घटनाएं समाप्त नहीं की जा सकती हैं। ये समाज के निर्धनतम व्यक्ति हैं और वे कहीं भी रहते हों, वे अल्पसंख्यक ही हैं। उन्हें न केवल उच्च जातियों के लोगों द्वारा बल्कि भू-स्वामियों, जमींदारों और जोतदारों आदि अन्य लोगों द्वारा भी सताया जाता रहा है।

विभिन्न राज्यों में अनेक भूमि-सुधार कानून पास किये गये हैं। लेकिन कांग्रेस के 30 वर्ष के शासनकाल में विशेष रूप से 1971 से 1977 के 6 वर्षों के दौरान भूमि सुधार का कोई प्रयास नहीं किया गया यह केवल बातों तक ही सीमित रहा है। 20 सूत्री कार्यक्रम में भी भूमिसुधार और हरिजनों को विशेष सुविधाएं देने का उल्लेख था। कांग्रेस शासन ने गत 30 वर्षों में इस समस्या का राजनीतिक लाभ उठाया है। कितनी अजीब बात है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री अब देश में जगह जगह जाकर हरिजनों के लिये आंसू बहाती फिरती हैं। उनके वोट प्राप्त करने के उद्देश्य से ही वे ऐसा कर रही हैं।

हमें सत्य को स्वीकार करना चाहिये कि वर्तमान सरकार के शासन में भी ऐसी घटनायें हो रही हैं; अकेले उत्तर प्रदेश में ही 1975 में 3671 घटनायें हुई, 1976 में, आपात्तकाल की चरम सीमा के दौरान, 5867 और 1977 में 5047 घटनायें हुई। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में ही गत तीन वर्षों में 17,000 घटनायें हुई; खेतों तथा मकानों से बेदखली, बेगार, हरिजन महिलाओं पर हमले, घर जलाये जाने आदि की अनेक घटनायें हुई हैं। लोगों को जिन्दा आग में डाले जाने तक की घटनायें हुई हैं। देवरिया में हरिजन छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों पर उच्च

वर्ग के छात्रा ने हमला कर दिया था। राजस्थान में हरिजन युवकों को जला डाला गया। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हरिजनों के जीवन का संरक्षण नहीं है। आज भी हरिजन गरीबी की स्थिति में बने हुए हैं। जमींदार और बड़े-बड़े भूस्वामी उन्हें इन्सान ही नहीं समझते हैं। भूमि सुधारों और हरिजनों को भूमि का स्वामित्व दिये बिना और उन्हें ग्रामीण धनाढ्यों और कुलकों के चंगुल से छुटकारा दिलाये बिना हरिजन की हालत कभी भी सुधारी नहीं जा सकती है। इन घटनाओं के लिये अपराध पर जीने वाले लोगों को दोष देने से काम नहीं चलेगा। हो सकता है कि कुछ अपराध वृत्ति के लोग स्थिति का लाभ उठा रहे हों। परन्तु इसका मूल कारण गत 30 वर्षों से देश में चली आ रही समान्तवादी व्यवस्था है। लोग आश्वासन, वचनों और दिखावटी कानूनों से, जो कभी क्रियान्वित नहीं किये जाते हैं, तंग आ चुके हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि वास्तविक भूमि सुधार लागू किये जायें, हरिजनों को भी इन्सान माना जाये और उन्हें भूमि का स्वामी बनाया जाये। इसके लिये जिला अधिकारियों को उत्तरदायी बनाना भी आवश्यक है। वे प्रत्येक स्थान में अल्प संख्या में है और वे स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं। सरकारी एजेन्सी को उनकी रक्षा की जानी चाहिये। आपको ग्रामीण क्षेत्र के धनी वर्ग और निहित स्वार्थ के लोगों में जागरुकता लानी होगी कि ये लोग भी इस देश के नागरिक हैं, मानव हैं और शोषण के साधन नहीं हैं। ऐसी जागरुकता आने तक जिला अधिकारियों को उनकी रक्षा करनी होगी।

जिला अधिकारियों में भी जातिवाद का बोलबाला है। वे ज्यादातर स्वर्ण लोग ह और यदि वे हरिजनों के विरुद्ध नहीं तो भी वे उनके प्रति उदासीन अवश्य हैं। अतः इसके लिये उत्तरदायी जिला अधिकारियों के लिये कड़े दंड की व्यवस्था होनी चाहिये। कृपया करके इनको कानून और व्यवस्था के मामले कहकर न टालिये। आप यह न भूलिये कि वे लोग, जिनके हाथ से सत्ता निकल गई है और जो देश में तानाशाही लाना चाहते हैं; इसका लाभ उठा रहे हैं और इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है।

जहां कुछ भूमिसुधार हुए हैं और जहां कमजोर वर्ग के लोगों में, किसानों में राजनीतिक जागरूकता आई है, ऐसी घटनायें नहीं हुई हैं। पश्चिमी बंगाल में ऐसी घटनायें देखने को नहीं मिलती हैं। मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस पर गंभीरता से ध्यान दे।

SHRI R. L. KUREAL (MOHANLALGANJ) : Government had tried to prove with the aid of statistics that aprocities on Harijan have of late declined and it is argued that the position stated by the Home Ministry is the factual position. It is just like trying to prove that the black cow is a buffaloe since both have four legs, colour or both of them are black and both of them give milk. But black cow will remain a cow in spite of various similarities. So, it can not be denied that atrocities on Harijans are on the increase.

These cases were there during the congress rule and they are persisting even today when Janata Party has come into power. During the congress rule the congressmen provided protection to the persons who committed atrocities on Harijans. Similar protection is now being given by the Janatamen. We are not even allowed to give vent to our feelings of despair and despondency. We are all victims of physical as well as mental torture, whether we be class I officer or class III or IV servants. There is exploitation of Harijans in every sphere, economic, social or legal.

When we report the cases, we are told that they are looking into the matter. But you call for a report from the officer who is responsible for the atrocities. This is a very wrong thing. How can a culprit report factually against himself ? We are also citizen of

this country, there we are not treated as human beings, we are being beaten like dogs and cats, our houses are being burnt and our womenfolk are being assaulted. Then we talk of human rights in Africa. Services of four magistrates belonging to scheduled castes were terminated during the congress regime and our representations were of no avail. If you are not able to give then quit the government. Please take effective steps to stop these atrocities otherwise the country will disintegrate.

The budget of India is to the tune of Rs. 15,000 crores and even if 20 per cent of it is allocated for the welfare of Harijans, the amount will work out to Rs. 3,000 crores. But you have not provided even Rs. 100 crores. You are shedding crocodile tears. If Government fails to being about improvement we will have to act and I can not say whether it will be through peaceful means or through revolution. I appeal, both to the Government as well as to the Janata Party to realise the gravity of the situation. A report is submitted every year by the commissioner of scheduled castes and Scheduled Tribes. It is discussed here but no action is taken thereon. It is all eyewash.

You say that untouchability will be abolished and Harijans will be treated at par with other citizens. But the way things are taking shape, we are afraid we may not be liquidated instead of untouchability our position is worse than that of animal. We are being ignored and our problems are being ignored. This problem should be tackled at the national level. The criterion for reservation is backwardness. First bring us as par with others and then we can compete. We should be allowed to live a life of dignity. If the hon. minister is not in a position to put an end to these atrocities let him resign. The statements that atrocities on Harijans are diclining result in increase in atrocities.

श्री चित्त बासु (बारासार) : मुझे यह मानना पड़ता है कि भूतपूर्व सरकार ने हमारे देश के हरिजनों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया, साथ ही मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि हरिजनों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा हेतु जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया कार्य भी कोई अधिक संतोषजनक नहीं रहा है । वर्तमान सरकार के रवैये से मुझे बहुत अधिक दुख हुआ है । पिछले अवसर पर इस विषय के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहस के दौरान मैंने बताया था कि 1974-75 और 1976 में हरिजनों पर अत्याचारों में वृद्धि हुई है और 1977 के रुख के आधार पर मेरा अनुमान है कि 1977 में इनके आंकड़े लगभग 7000 तक पहुंच जायेगी । परन्तु गृह मंत्री ने इसका खंडन किया । श्री रामधन ने अपनी निजी श्रोतों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह सिद्ध करना चाहा कि यह संख्या 9000 से भी अधिक हो जायेगी । मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार मेरा कथन सत्य है कि हरिजनों पर अत्याचार कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त गृह मंत्री की यह दलील भी युक्तिसंगत नहीं है कि हरिजनों और आदिवासियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का केवल 15 प्रतिशत है और उन पर अत्याचारों के आंकड़े समस्त अपराधों का केवल एक प्रतिशत होते हैं । क्या गृह मंत्री का अभिप्राय हरिजनों और आदिवासियों पर अयाचारों का कोटा निर्धारित करना है ? हमारे देश की लोकतंत्रात्मक शक्तियों की इस प्रकार की दलील का विरोध करना चाहिये।

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश जमींदारी (उन्मूलन) और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 में एक नई धारा जोड़ी है जिसके अधीन सब डिवीजनल मेजिस्ट्रेट को हरिजनों को दी गई भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को बेदखल करने की शक्ति प्रदान की गई है । परन्तु इसे लागू करने के लिये उचित व्यवस्था होनी चाहिये; जैसा कि किया नहीं

गया है । मैं समझता हूं कि जब तक भूमि सुधारों को सही रूप में क्रियान्वित नहीं किया जाता है । तब तक हम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, हरिजनों और समाज के अन्य दलीत वर्गों के लिये समाजिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने के लिये आर्थिक क्षमता प्रदान नहीं कर सकते ।

SHRI SATYA DEO SINGH (GONDA) : There can be no two opinion that the atrocities being perpetuated on Harijans or weaker sections is a blot not only on our country but also on the entire humanity. We should examine this problem from social, political and economic points of view.

SHRI SHIV NARAIN SARSONIA (KAROL BAGH) : Mr. Chairman, how is it that my name is not there to-day while yesterday it was there.

SHRI B. P. MANDAL (MADHEPURA) : The members, who have given notices of amendments should be called first.

MR. CHAIRMAN : I was handed over the list by the Hon. Speaker and I am proceeding according to that.

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : दोनों काँग्रेसों में से अभी तक एक भी वक्ता को अवसर नहीं दिया गया है ।

श्री बी० शंकरानन्द (चिकोडी) : प्रत्येक दल को अवसर मिलना चाहिये (यहां विरोधी पक्ष से किसी को नहीं बुलाया गया है ।

श्री बी० शंकरानन्द (चिकोडी) : आप प्रतिपक्ष के किसी सदस्य को नहीं बुला रहे हैं । क्या आप भूल गए हैं कि यहां प्रतिपक्ष भी है ।

सभापति महोदय : क्या श्री चित्त बसु और श्री चटर्जी प्रतिपक्ष से नहीं हैं ? अब आप समय बरबाद न करें, मेहरबानी करके बैठ जाइए ।

SHRI SHIV NARAIN SARSONIA (KAROL BAGH) : I rise on a point of order. May I know whether the hon. Members are being called according to the list that has been presented to you. How is it that my name has disappeared from the list ?

SHRI D. G. GAWAI (BULDLIANA) : We want that the discussion on it be continued tomorrow also. The time for it should be extended for by one hour. We all want to participate in this discussion.

MR. CHAIRMAN : The debate has not yet been closed. If the House desires the time for it may be extended. I am calling the Members according to the list that I have got. I will give time to everybody. I will try to satisfy you because I feel deeply on the question that is being discussed

SHRI SATIYA DEO SINGH (GONDA) : Some incidents of atrocities are coming tc light. For this we cannot hold responsible only a few individuals or the Government I think that the entire society is responsible for this evil. If we want to bring a social revolution in the country we would have to do missionary work for it. We will have to remove this feeling from our mind that there is any Harijan in this country. Not only that we will have to arouse a feeling that there is no inequality and that they have the same dignity which the remaining people in the country have.

If any one talks of the division of the country it is not going to solve any problem. If would rather make the position worse and would take the country to some other direction.

I think that the laws dealing with atrocities on Harijans should be made more stringent. Apart from it protection should be given to Harijans and Weaker sections of society. At the same time we will have to see that separatist tendencies are checked. We will also have to see the problem from the social and economic point of view. In the cities this problem is not so acute as it is in the villages. Therefore more attention should be paid to the villages than to the cities. During the congress regime this problem was dealt with some political motive. It should not now be dealt with any political motive.

There cannot be two opinions in this regard that the atrocities being perpetuated on Harijans and other weaker sections of society are a slur not only on our nation but on the entire humanity. This is now the time that this problem should be dealt with from the social, political and economic point of view. This problem should be looked into deeply.

श्री टी० बालकृष्नैया (तिरुपति) : हमारे देश में हिन्दू समाज में अनसूचित जातियों की संख्या बहुत अधिक है । कुल जनसंख्या का एक पांचवां भाग इन्ही लोगों का है । किन्तु आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से इन लोगों की दशा बहुत खराब है । वे सामाजिक रूप से गुलाम हैं और आर्थिक रूप से गरीब हैं। उन्हें मानिवक अधिकारों से भी वंचित रखा गया है। हमारा देश एक ऐसा देश है जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। यहां पर महात्मा कबीर का जन्म भी हुआ था । इन के अलावा और भी बड़े बड़े महात्माओं ने इसी देश में जन्म लिया है । इसी देश में ही महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू हुए हैं । परन्तु यह बहुत शर्म की बात है कि ऐसे देश में अभी तक छुआछात जारी है। यद्यपि छुआछूत अपराध अधिनियम, 1955 में बनाया गया परन्तु राज्य सरकारों ने इसका उचित रूप से क्रियान्वयन नहीं किया है । ऐसे बहुत से राज्य हैं जो यह सकते थे कि न्यूनतम कारानवास दण्ड की कोई आवश्यकता नहीं है । वे केवल जुर्माने से ही सन्तुष्ट थे । यही कारण था कि हरिजनों पर अत्याचार बढ़ रहे थे । दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए राज्य सरकारों को अधिक अधिकार प्रदान करने हेतु 1976 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया जिसके अन्तर्गत राज्यों को इस सम्बन्ध में अधिक शक्तियां प्रदान की गईं । लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इन शक्तियों का प्रयोग बहुत कम राज्यों ने किया । यदि इस अधिनियम का क्रियान्वयन अन्य दण्ड अधिनियमों की तरह किया जाता तो ऐसे अपराधों की संख्या कभी न बढ़ती लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ है।

हरिजनों पर अत्याचारों का मुख्य कारण सामाजिक एवं आर्थिक है । भूतपूर्व सरकार ने हरिजनों को कुछ भूमि दी थी । लेकिन जब जनता पार्टी ने केन्द्र में शक्ति सम्हाली तो वह जो भूमि हरिजनों को दी गई थी वह उन से छीन ली गई। गांवों में भूस्वामी और धनी पोतेदार यह कहते थे कि यह सरकार हमारी है, आपकी सरकार चली गई है । अतः हमें भूमि वापिस लेने का अधिकार है । अतः ये अत्याचार मुख्यतः भूमि विवादों के कारण ही हो रहे हैं । ये अत्याचार कुलाकों के कारण ही हो रहे हैं क्योंकि सरकार की उन पर कृपादृष्टि है।

इस सम्बन्ध में मैं आपको कुछ उदाहरण दे कर समझाना चाहता हूं कि अत्याचार किस प्रकार हो रहे है । गुजरात में एक हरिजन तीर्थयात्रा पर गया । तीर्थ यात्रा से लौटने पर

वह अपनी जाति के लोगों को भोज देना चाहता था । उस भोज में हरिजन भक्त द्वारा हरिजनों को घी दिया गया। किन्तु स्वर्ण हिन्दुओं ने इसे अपराध माना। उनका कहना था कि भोज में घी देना स्वर्ण हिन्दुओं का अधिकार है । महाराष्ट्र में एक हरिजन स्त्री को इसलिए सताया गया कि वह कुंए में से पानी लाने के लिए पीतल के बर्तन का प्रयोग कर रही थी । मध्य प्रदेश में एक हरिजन को ऊंची मूंदें रखने के लिए तंग किया गया । अतः इस तरह से विभिन्न राज्यों में हरिजनों पर तरह तरह से अत्याचार हो रहे हैं।

हरिजनों को ऐसे अत्याचारों से संरक्षण देने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम में सामूहिक जुर्माने की व्यवस्था है । कई राज्यों में सरकार प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा दे रही है । यह बात ठीक नहीं है । मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि जो लोग हरिजनों पर अत्याचार करने के लिए जिम्मेदार हैं उन पर जुर्माना किया जाए और इस तरह से जो धनराशि एकत्रित हो उसे अत्याचार से प्रभावित हुए व्यक्तियों के परिवारों को दिया जाए।

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सुधार काम शुरू किए जाने चाहिए। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि ये भूमि सुधार कार्य शीघ्र क्रियान्वित किए जाएं । इस के अलावा सभी विश्वविद्यालयों को अस्पृश्यता तथा हरिजनों पर अत्याचारों के विषय पर शोध कार्य आरम्भ करना चाहिए । बंधक श्रमिक व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए । जनता सरकार ने अभी तक आर्थिक एवं सामजिक कार्यक्रम के बारे में कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया है । यद्यपि एक वर्ष गुजर गया है परन्तु उन्होंने अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं बनाया है । ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हरिजनों को विशेष रूप से संरक्षण दिया जाना चाहिए । हरिजन विश्व के अन्य नागरिकों के समान हैं और उन्हें इस देश में रहने का पूरा अधिकार है । अतः उन्हें हर सम्भव संरक्षण दिया जाना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

SHRI B. P. MANDAL (Madhepura) : The State Governments cannot be held responsible for cruelities on Harijans. It is the responsibility of the Central Governments to ensure their protection.

Harijans in our country have been subjected to humiliation and oppression for centuries. Caste systems is at the root of this social evil. Harijans in our country are the victims of both social and economic exploitation.

It is not proper to look at this problem by quoting certain statistics. Whatever may be the percentage of crimes against Harijans as compared to their population, we cannot justify them on that basis. The statistics are prepared by bureaucrats which belong to higher castes and they have a hand in exploitation of Harijans.

There is reservation for Harijans in services but there is no reservation for them in promotions. Top officers belong to upper castes and they spoil the service records of Harijan employees. There should be reservation for Harijans in promotions also.

Patna High Court has been existing for the last sixty years. There is not a single judge belonging to weaker sections in that court. Only one judge belonging to backward community was appointed when I was the Chief Minister in Bihar.

The condition of Harijans in our country is worse than that of negroes in America. If nothing tangible is done to put an end to their exploitation, this question will be brought before the UNO since it is a question of human rights.

A committee of MPs should be constituted to go into the causes of atrocities on Harijans and to suggest preventive measures.

SHRI RAMJI LAL SUMAN (Ferozabad) : I have a point of order. It has been the convention by the Chair to call two Members from ruling party and one Member from other sides, but this arrangement is not being followed now.

श्री सौगत राय (बरक पुर) :जनता सरकार ने एक वर्ष के शासन काल में कुलक या समाज के उच्च वर्ग के लोग, हरिजनों पर अत्याचार करने उन्हें भूमि से बेदखल करने तथा अस्पृश्यता का बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित हो गये हैं।

सरकार ने अनेक जांच आयोगों का गठन किया है। हमने उसके बारे में कोई एतराज नहीं किया। परन्तु अब सरकार में इतना साहस क्यों नहीं है कि वह हरिजनों को मारने तथा उन पर किये जा रहे अत्याचारों के बारे में न्यायिक जांच आयोग का गठन करे।

भूमि सुधार समय की न्यायोचित मांग है। इससे हरिजनों को आर्थिक राहत उपलब्ध होगी जिसकी उन्हें आज बहुत आवश्यकता है। सदन के दोनों ओर के लोगों को गांवों में जाकर हरिजनों के हितों की सुरक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। कुछ समय पूर्व प्रधान मंत्री ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को एक परिपत्र भेजा था कि जब भी हरिजनों की हत्या हो जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये। हम जानना चाहते हैं कि अब तक क्या किया गया है।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि दलों के बीच समय का उचित वितरण किया जाये। इस तरह के प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा में विपक्ष को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : : सच यह है कि विपक्ष के प्रति अधिक उदार हूं।

SHRI SHIV NARAIN SARSOONIA (Karol Bagh) : I raise a point of order that the persons whose name is already in the list are not being called. The Members who approaches you are included in the list and called to speak first.

सभापति महोदय : मुझे स्वविवेक इस्तेमाल करने का कुछ तो अधिकार है।

SHRI RAMJI LAL RAHI (Misrikh) : The atrocities on Harijans have increased since the Janata Party came into power. People of this country have entrusted power to Janata Party will great expectations. It was thought that this Party would give protection to Harijans and provide them with more facilities and employment opportunities. But what is happening ? Certain facilities which were given to these people during the previous regime are being withdrawn. Permits were given to certain Harijan on priority basis for selling sugar and Kerosene oil, but those permits have not been taken away from them.

It was expected that Janata Party would accelerate the pace of land reforms and give land to Harijans and Girijans. But what has happended is that land already given to them is being taken away. Their crops are being harvested by others and if they protest against it, they are beaten up.

These was 18 per cent reservation in services for Harijans in U.P. It has now been reduced to 15 per cent. Instead of providing more facilities to Harijans, even existing facilities enjoyed by them are being curtailed.

Police is also victimising Harijans. Sometime there innocent people are implicated and arrested to cover up the crimes of others. In Sitapur a Harijan died while he was being taken to jail under police custody, because he was mal-treated. There are a number of other cases of atrocities committed on Harijans by the Police in U.P.

I have brought to the notice of U.P. Government that cases of atrocities on Harijans are increasing. But no attention is being paid to this matter. Then there was a demonstration by 5 to 7 thousand Harijans. I also wrote to the Union Home Minister as well as other Ministers but no reply has so far been received. A Memorandum was given to the U.P. Chief Minister but no action has been taken thereon and no enquiry has been made into it. If this is the attitude of Ministers how can the officials act properly.

The people have voted the Janata Government to power and reposed their confidence in that Party. The Government must live up to the expectations of the people and take concrete steps to give protection to Harijans.

श्री रवीन्द्र वर्मा : यदि इस वाद-विवाद के लिए सदन समय बढ़ाना चाहता है तो यह बताना पड़ेगा कि यह चर्चा आज की आयेगी या कल 6 बजे बाद की जायेगी ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि मंत्री जी उठाई गई सभी बातों का जबाब आज नहीं दे सकेंगे । वाद विवाद आज नहीं समाप्त कर दिया जाये और मंत्री महोदय अगले दिन उत्तर दें ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : यदि वाद-विवाद कल शाम 6 बजे से 2 घंटे के लिए आरम्भ किया जाये तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : क्या सदन इससे सहमत है ?

कुछ सदस्य : जी हां ।

सभापति महोदय : अब सभा कल 11 बजे मध्याह्न पूर्व तक के लिए स्थगित होती है ।

लोक सभा तत्पश्चात शुक्रवार, 7 अप्रैल, 1978/17 चैत्र, 1900 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

[*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 7th April, 1978/17th Chaitra, 1900 (Saka)*].

192 LSS/78—GIPF.